13 मई 1994

वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 31,	नवां सत्र, 1994 /	1915-1916 (शक)
अंक 38,	शुक्रवार, 13 मई, 1994, 23	वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	681-685	1-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	686-700	22-36
अतारांकित प्रश्न संख्या :	7449-7627	36-161
सभा पटल पर रखे गए पत्र		184-193
राज्य सभा के सन्देश		193
विधेयकों पर अनुमति		194
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		194
कार्यवाही सारांश – सभापटल पर रखा गया		
याचिका समिति		194
कार्यवाही सारांश – सभा पटल पर रखा गया		
लोक सभा में लंबित संविधान (इकहत्तरवां) संशोधन विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक को वापस लेने के बारे में		195-210
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) विलासपुर होकर रांची और जयपुर के बीच एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की आवश्यकता		210

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री खेलन राम जांगड़े	
(दो) निजाम सागर परियोजना के अधीन किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में विद्युतीकरण के उपाय किए जाने की आवश्यकता	211
श्री जी॰ गंगा रेड्डी	
(तीन) देश में जनजातियों के कल्याण के लिए एक समान नीति बनाने की आवश्यकता	211
श्री के॰ प्रधानी	
(चार) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता	211
श्रीमती सरोज दुबे	
(पांच) केन्द्र द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों को शीघ्र संशोधित करने की आवश्यकता	212
श्री मुही राम सैकिया	
(छः) मध्य प्रदेश विदिशा रायसेन और सिहोर जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की एक सहायक इकाई स्थापित करने की आवश्यकता	212
श्री शिव राज सिंह चौहान	
(सात) पंजाब के फगवाड़ा में ओरवाल चीनी मिल के निकट रेलवे क्रासिंग पर एक उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता	213
श्रीमती संतोष चौधरी	
मिश्र के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	213
गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	214
बत्तीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत	
शैक्षणिक संस्थाओं आदि में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करने के बारे में संकल्प – संकल्प वापस लिया गया	214-247
श्री संतोष कुमार गंगवार	214
श्री तेज नारायण सिंह	216
श्री याईमा सिंह युमनाम	217

विषय	पृष्ठ
डा. एस॰ पी॰ यादव	218
श्री काशीराम राणा	219
श्री नवल किशोर राय	221
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	224
श्री दत्तात्रेय बंडारू	227
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	229
श्री के. पी. रेड्डय्या यादव	232
प्रो. रासा सिंह रावत	234
डा. जी. एल. कनौजिया	236
श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू	237
श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम	243
गुजरात को गैस के आवंटन के बारे में प्रस्ताव	247
श्री काशीराम राणा	508
कॉपर उद्योग (संशोधन) विधेयक	247-255
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम. अरुणाचलम	247
श्री दत्तात्रेय बंडारू	248
श्री रमेश चेन्नितला	250
श्री जी. एम. सी. बालयोगी	252
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	253
श्री राम प्रसाद सिंह	254
खंड 2 और।	
यथा संशोधित रूप में, पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम. अरुणाचलम	256-257

विषय		पृष्ठ
प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक		257-258
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	कुमारी शैलजा	259
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	259
खंड 2 से 6 और।		
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	कुमारी शैलजा	259
	डा. जी. एल. कनौजिया	259

लोक सभा

शुक्रवार, 13 मई, 1994 / 23 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म॰ पू॰ पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारत और राष्ट्रकुल के देशों के बीच व्यापार

*681. **श्री सोमजीभाई डामोर :**

श्री विजय नवल पाटील :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्व सोवियत संघ (अब राष्ट्रकुल के देश) और भारत के बीच कितनी राशि का व्यापार हुआ;

(ख) पूर्व सोवियत संघ ने भारत को कुल कितना ऋण देना है और इसकी अदायगी हेतु की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण अदायगी के संबंध में कोई विवाद है जिसके कारण दोनों देशों के बीच व्यापार पर प्रंतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ/पूर्ववर्ती सोवियत संघ (जिसमें अब 12 सी आई एस और 3 बाल्टिक देश शामिल हैं) और भारत के बीच हुए व्यापार कारोबार के आंकड़े इस प्रकार हैं :-

वर्ष	(मूल्य : करोड़ रू.) निर्यात	आयात	कारोबार
1991-92	4043	1796	5839
1992-93	1693	745	2438
1993-94 (अप्रैल-जन.)	1987	941	2928

पूर्ववर्ती सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से प्रत्येक गणराज्य के संबंध में अलग-अलग व्यापार आंकड़े डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा केवल अप्रैल, 1993 से आगे की अवधि के लिए ही उपलब्ध कराए गए हैं। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 तक की अवधि के लिए हैं, जो संलग्न अनुबंध में देखे जा सकते हैं।

(ख) ऐसा कोई ऋण बकाया नहीं रह गया है जिसका भुगतान पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा भारत को किया जाना हो। किन्तु, दिनांक 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार भारत पर रूस का लगभग 31,566 करोड़ रु. का ऋण बकाया था। मूलधन और ब्याज का भुगतान कई वर्षों में फैलाया गया है और चालू वित्तीय वर्ष में कुल राशि लगभग 3000 करोड़ रु. की रहेगी। यह भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई में बैंक आफ फौरेन इकानॉमिक अफेयर्स, मास्को के केन्द्रीय खाते में जमा किए जाते हैं। माह जनवरी, 1993 में किए गए अन्तर-सरकारी पत्रों के आदान-प्रदान के अनुसार, पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा दिए गये सरकारी ऋणों के भुगतान में भारतीय पक्ष से प्राप्त राशियों का रूसी पक्ष यह उपयोग करेगा कि वह भारत से ऐसी कोई भी वस्तुएं या सेवाएं खरीदेगा जिनके निर्यात के लिए समय-समय पर लागू निर्यात एवं आयात नीति के तहत अनुमति है।

(ख) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 के बीच भूतपूर्व सोवियत संघ (सीआईएस तथा बाल्टिक देशों) के साथ भारत का व्यापार

मूल्य : लाख रू. में

क्रम सं.	देश	निर्यात	आयात	कुल कारोबार
1	2	3	4	5
1.	आर्मीनिया	1.16	28.44	29.60
2.	अजरबैजान	12.10	0.57	12.67

1	2	3	4	5
3.	बेलारूस	197.66	92.28	289.94
4.	इस्तोनिया	308.01	265.45	573.46
5.	जार्जिया	5.01	-	5.01
6.	कजाकिस्तान	448.15	527.41	975.56
7.	किर्गिजिस्तान	41.00	2387.96	2428.96
8.	लात्वियां	523.43	1228.16	1751.59
9.	लिथुआनिया	126.33	195.25	321.58
10.	मालदोवा	54.19	-	54.19
11.	रूस	163353.97	72748.85	226102.82
12.	ताज़िकिस्तान	230.18	234.24	464.42
13.	तुर्कमेनिस्तान	472.94	515.89	988.83
14.	उक्रेन	32517.76	25541.08	58058.84
15.	उजबेकिस्तान	413.03	327.15	742.18
	योग (पूर्ववर्ती सोवियत संघ)	198704.92	94092.73	292797.65
योग (पूर्ववर्ती सोवियत संघ)		1987.05	940.93	2927.98 (करोड़ रू०)

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, सोवियत संघ से कई सालों से हमारा उनके साथ करार है। उसके तहत उसको जो हमको रूबल देना चाहिए था और जो विश्व में रेट चलता था, उसके मुताबिक 25-30 सालों से कम रेट देकर हमारे पास पैसा निकलना बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उसने गलत रेट लगा कर जो हमारे ऊपर पैसा निकलना बताया है, जबकि सही रेट लगाया जाता तो हमारा पैसा निकलता, तो सही रेट लगाने पर कितना पैसा मांगेंगे ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : हम उनसे कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वास्तव में उनको हमें कुछ नहीं देना है। हमें ही उनकी धनराशि चुकानी है। हमें कुल 31,000 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि का भुगतान करना है। एक बार कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया था कि वर्तमान स्थिति का लाभ उठाया जाए क्योंकि इस समय

अमरीकी डालर और अन्य मुद्रा की तुलना में रूबल के मूल्य में तेजी से शिकायत आई है और यदि हम मुद्रा परिवर्तन करके वर्तमान स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों की गणना के अनुसार क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है हमें भिलाई और बोकारो संयंत्रों सहित साभी रक्षा उपकरणों के लिए पूरी सहायता, जो केवल 72 करोड़ रुपये की है, सोवियत संघ से प्राप्त हुई है ? यह सही नहीं है। इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अत:, जब राष्ट्रपति येल्तसिन हमारे देश में आए तो उनके साथ एक समझौता किया गया। उस समय निर्धारित की गई धनराशि 31,000 और कुछ और करोड़ रुपये थी। इसे 3000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से 10 से 12 वर्षों की अवधि में लौटायी जायेगी। इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपये 45 वर्षों की अवधि में लौटाए जायेंगे। अत: यह एक सही समझौता है।

माननीय सदस्य द्वारा इस मामले में निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे हम किसी कठिन परिस्थिति और संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच जाएं जिसका उन्हें आज सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, रशिया के साथ हमारा कई सालों से कारोबार है। मेरे ध्यान में यह बात आई है कि हमारे जो लोग माल भेजते हैं, वह स्टेंडर्ड का भेजते हैं, इस वजह से माल वहां से रिजेक्ट होकर वापिस आ जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, ऐसा कितना कारोबार हुआ है, जिसमें हमारा माल वापिस आया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री विजय नवल पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि कुछ देशों उदाहरणार्थ कजाकिस्तान, किरगीजिस्तान, लाट्विया के साथ निर्यात की तुलना में अधिक आयात किए जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि हम उन देशों से किस तरह के माल का आयात कर रहे हैं। जहां निर्यात की अपेक्षा हमारा आयात अधिक है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक निर्यात और आयात के बीच संतुलन का संबंध है हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनका आयात करते हैं और निर्यातक देशों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनका निर्यात करते हैं। परन्तु, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए विवरण के प्रथम भाग के समग्र आंकड़ों को देखेंगे तो आप इसकी प्रशंसा करेंगे कि हमने आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक किया है। चालू वर्ष 1993-94 में जनवरी माह के आंकड़े इस प्रकार हैं–1,987 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ और 941 करोड़ रुपये मूल्य का आयात किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में किसी अन्य देश में इस तरह का व्यापार संतुलन नहीं होगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : एक समय था जब सोवियत रूस के साथ हमारा व्यापार हमारे विदेश व्यापार का 34 प्रतिशत था। इस समय यह व्यापार उसके आधे से भी कम हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जब अन्य विकसित देश सोवियत बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार ने उस पुराने बाजार पर पुन: अधिकार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल देशों के

साथ निर्यात बढ़ाने के बारे में भावी योजना अथवा संदर्शी योजना क्या है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह सही है कि पूर्व सोवियत संघ और अब स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल देशों को वर्ष 1990 में हमारे देश का निर्यात 5,400 करोड़ रुपये मूल्य तक पहुंच गया। इसके बाद यह कम होकर के वर्ष 1992-93 में 1,693 करोड़ मूल्य के लगभग हो गया परन्तु वर्ष 1993-94 में इसमें सुधार होने लगा। गत वर्ष राष्ट्रपति चेल्तसिन के भारत के दौरे के दौरान उनके साथ हुए समझौते में यह भी शामिल था कि ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तों में उदारता बरती जायेगी और वस्तुत: हाल ही में उन्होंने यह संकेत दिया कि वे चाय-काफी, चमड़ा निर्मित वस्तुयें, सोयाबीन और कतिपय अन्य औषधीय उत्पाद मंगाना चाहते हैं जिनका हम रूस और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल देशों को पहले से निर्यात करते रहे हैं। इन देशों में हमारे लिए एक निश्चित बाजार है और वे भारत से 600 करोड़ रुपये का आयात करने जा रहे हैं। पुरानी व्यवस्था के खत्म हो जाने के कारण विशेषत: वर्ष 1992-93 में आवश्यक संस्थागत व्यवस्था तैयार करने की शुरूआत में ही कुछ समस्यायें आई हैं। इस नई व्यवस्था को लागू करने में कुछ समय लग गया और इस वर्ष में इसमें सुधार हुआ है और मैं आशा करता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में और अधिक सुधार होगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले सप्ताह रूस के प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी अखबार में एक लेख लिख कर यह बताया है कि पश्चिम के राष्ट्र और विशेषकर अमेरिका जहां उनके ऊपर एक तरफ दबाव डालने का काम कर रहा है कि कहां क्या करना चाहिये, जैसे उन्होंने भारत को कायोजनिक ईंजन बेचने से अमेरिका ने कैसे रोक दिया है यह सब लिखा है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी बताया है कि क्या उनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में से उन्होंने एक समस्या यह बताई है कि खेती के मामले में उनकी हालत अभी नहीं सुधर रही है तो यह समूचा जो पुराना यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स है जिसको आज हम लोग सीआईएस करके पहचानते हैं, जहां-जहां अनाज की बहुत भारी मात्रा में जरूरत, है, जहां हम लोग नये गैट के अंतर्गत विश्व का अन्न बेचने की बात कर रहे हैं क्या इस क्षेत्र में हम लोग अपनी खेती की चीजों को बेचने का तत्काल कोई कदम उठा सकते हैं अमेरिका की हरकतों को लेकर उनके प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई जो बातें हैं उस संदर्भ में इन राष्ट्रों के साथ व्यापार के मामले में विशेष संबंध बनाने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठा रही है ?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : हम बेहतर संबंध बनाये रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने इस स्थिति को समझा और इसीलिए मैंने वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को यह बताया कि हम स्थिति का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं और इसे अपने लिए लाभकारी स्तर पर नहीं निर्धारित करना चाहते जहां तक ऐसे माल का संबंध है जिसे वे चाहते हैं हमने उन्हें यह सुझाव दिया है कि वे इसकी सूची हमारे पास भेज दें और जो सूची उन्होंने भेजी है, उसमें कुछ कृषि उत्पादों को रखा गया है। उन्होंने अपनी सूची में कतिपय कृषि उत्पादों को शामिल किया है और मैं सम्मानित सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि उन्होंने सूची में जिन वस्तुओं को रखा है यदि वे हमारी नीतियों

के अंतर्गत देय होंगी तो हम उन्हें पूरा करने की यथासम्भव कोशिश करेंगे और इसमें कोई समस्या नहीं होगी।

माननीय सदस्य ने अन्य देशों के बारे में जो कुछ भी कहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 7200 करोड़ रुपए कि राशि रशिया को देने की जो बात थी, वह उचित नहीं थी, इसलिए 21566 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी और इसको वर्क-आउट करते हुए कुछ सुविधाएं रशिया को मिलनी थी और कुछ सुविधाएं भारत को मिलनी थी, जिनमें अनेक चीजों के अलावा क्रायोजेनिक इंजन देने की बात भी थी। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि भारत के पक्ष में जितनी सुविधाएं देने की बात हुई थी उनमें से कितनी बातें सोवियत यूनियन ने मान ली है, यदि नहीं मानी हैं तो क्या 7200 करोड़ के स्थान पर 21566 करोड़ रुपया तय करना उचित था।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : इन दो मुद्दों को उलझा दिया गया है। पहला मुद्दा यह है कि हमने कर्ज की देनदारी को चुकाने के लिए 10-12 वर्षों की अवधि में जितनी राशि देना स्वीकार किया है उसे पूरा करना होगा। वे नकद लेने की बजाय माल लेना चाहते हैं। जहां तक आम व्यापार का संबंध है, जैसा कि हमने स्वीकार किया है, वर्ष 1993 की पहली जनवरी से व्यापार पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा। पुरानी व्यवस्था जो पहले थी, अब आगे वैध नहीं रहेगी। अतः हमारे पास दो चैनल हैं जिनके माध्यम से हम रूसी संघ और अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों, राष्ट्रकुल देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं। पहला तो चैनल परिवर्तनीय मुद्रा के माध्यम से आम व्यापार का है और इसमें यह भी स्वीकार किया गया है कि वे आवश्यक वस्तुओं के प्रकार और मात्रा का संकेत करेंगे। वे हमें इसकी सूची भेजेंगे। हाल ही में उन्होंने यह बताया है कि वे अपनी पार्टियों का नाम देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक और उनके बैंक के बीच समझौता भी हो गया है। अतः दूसरा माध्यम ऋण पर ब्याज (डेट-सर्विसिंग) का है।

पर्यटन परियोजनाएं

***682. श्री मोहन रावले :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य सरकारों को पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत/प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उपयोग न किये जाने/दुरुपयोग किये जाने तथा ऐसी सहायता का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने के कुछ मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के पर्यटन विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर बहुत सरप्राइजिंग है। परफारमेंस बजट में लिखा गया है कि पालम यात्री निवास के लिए 45 लाख रुपए की परियोजना बनाई गई है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यह सिर्फ कागज पर लिखा हुआ है, यह योजना पूरी नहीं हुई है, इस परियोजना के लि राशि प्रदान नहीं की गई। जबकि विभाग के आफिसर्स कहते हैं कि यह परियोजना पूरी हो गई है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : किस योजना के बारे में आप कह रहे हैं।

श्री मोहन रावले : पालम यात्री निवास, जिसके बारे में परफारमेंस बजट में बताया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप इसकी जांच करा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से मामले हैं, मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है।

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोंकण क्षेत्र, जिसे हिंदुस्तान का केलीफोर्निया कहा जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ राशि देने की योजना है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे यह पता है कि प्रक्रिया के अनुसार ये परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा सुझाई जाती हैं। केन्द्र उन्हें इस बारे में कोई सुझाव नहीं देता। ये परियोजनाएं राज्य सरकारों की होती हैं। केन्द्र उन पर विचार करता है। केन्द्र 99 प्रतिशत वैसे प्रस्ताओं का समर्थन करता है।

डा॰ मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुस्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यही नहीं वरन सभी प्रश्न सुस्पष्ट होने चाहिए।

डा॰ मुमताज अंसारी : बिहार में अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं। उदाहरण के लिए बोध गया, राजगीर, पारसनाथ तथा कुमारी तलैया जैसे महत्वपूर्ण स्थान वहाँ हैं। ये पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान हैं। इन स्थानों पर पूरे देश से काफी संख्या में तीर्थयात्री एवं पर्यटक आते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इन महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिक से अधिक देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके तथा अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाने हेतु क्या इन स्थानों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका जबाव दे दिया है।

[अनुवाद]

इस संबंध में राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजने हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आपके माध्यम से मैं नागर विमानन पर्यटन मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या तीन बड़े विमानपत्तनों में करोड़ों रुपयों की लागत से केनल्स का निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ कोई कुत्ते नहीं रखे गए। क्या यह सत्य है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गीता जी, यह प्रश्न दूसरा है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, चूँकि माननीय नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद हैं इसलिए इसका लाभ उठाते हुए मैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इस पर टिप्पणी की है।

अध्यक्ष महोदय : नागर विमानन एवं पर्यटन दो अलग-अलग विषय हैं हॉलाकि वे एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : अध्यक्ष महोदय, नान्देड़ आज विश्वभर में विख्यात है और विश्वभर से सिख-धर्म के लोग वहां पर दसवें गुरू के दर्शनों के लिए आते हैं। नान्देड़ के चारों ओर गुरुद्वारे हैं जहां पर सिख-धर्म के लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है इस प्रख्यात धार्मिक स्थल के लिए पर्यटन हेतु अच्छा बनाने के लिए जिससे बहुत अच्छी भावना पूरे देश में फैलेगी। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या आप ऐसी योजना बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे हैं तो क्यों ?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, नांदेड़ की एक तीर्थस्थल के रूप में पहचान की गई है और ज्यों ही महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में हमें कोई प्रस्ताव भेजेगी, हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, वारासणसी में चंद्रावती स्थान जैन मतावलंबियों का बहुत बड़ा पवित्र स्थल है। हिन्दू धर्म के शैव मतावलंबियों का भी चंद्रावती एक बहुत बड़ा स्थान है। महाभारतकालीन भी वहां कुछ अवशेष मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में दो करोड़ रुपए वहां भेजकर पर्यटन विकास का काम किया है। इधर दस वर्षों में पर्यटक काफी आकर्षित हुए हैं। वाराणसी में चंद्रावती और गाजीपुर के सैदपुर में चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बड़े अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां के विकास और अन्य स्थानों के लिए राज्य सरकार ने आपसे धन मांगा है ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दोनों स्थानों के विकास के लिए आपसे अतिरिक्त धन की मांग की है और क्या आप निकट भविष्य में इन दोनों स्थानों के पर्यटन विकास के लिए अतिरिक्त धन देंगे ?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, मेरे पास इस समय इस संबंध में जानकारी नहीं है। लेकिन संबंधित जानकारी मिलने पर हम निश्चय ही सहायता उपलब्ध कराएंगे।

"गैट" के अन्तर्गत व्यापार समझौते

*683. **श्री रमेश चेन्नितला** :

श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विकसित देश मानवाधिकार, बाल श्रमिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि जैसे सामाजिक मुद्दों को "गैट" के अन्तर्गत व्यापार समझौते के साथ जोड़ने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने इस मुद्दे को विकासशील देशों के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागरिकपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अमरीका और यूरोपीय देशों, ने मराकेश में मंत्री स्तर की बैठक से पूर्व जेनिवा में वार्तालाप के अन्तिम चरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य श्रमिक मानकों (तथाकथित सामाजिक मुद्दा) के बीच सम्बन्ध पर विचार किए जाने के मुद्दे को उठाया। कुछ विकासशील देशों जैसे—कनाडा, जापान और यू. के. की स्थिति कुछ भिन्न थी। लगभग सभी विकासशील देश वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन द्वारा विचार किए जा रहे इस विषय के पक्ष में नहीं थे और मराकेश घोषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी, इच्छुक शिष्टमण्डलों के लिए डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की तैयारी समिति में अपने से सरोकार रखने वाले मुद्दों को उठाना सम्भव होगा और इस सम्बन्ध में निर्णय आम सहमति से लिए जाने हैं।

पर्यावरण के सम्बन्ध में, मंत्री स्तर पर निर्णय लिया गया है कि व्यापार एवं पर्यावरण सम्बन्धी उपायों के बीच सम्बन्ध का अध्ययन करने के लिए व्यापार एवं पर्यावरण समिति का गठन किया जाए जिसमें डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के सभी सदस्य होंगे ताकि कायम रह सकने योग्य विकास संवर्द्धन किया जा सके। व्यापार एवं पर्यावरण के बीच अंतः सम्बन्ध पर "गैट" में 1971 से अध्ययन चल रहा है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, समूची दुनिया यह जानती है कि पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान विकसित देशों ने पहुँचाया है, फिर भी वे इसका दोषारोपण विकासशील देशों पर करते हैं। व्यापार के साथ पर्यावरण को

जोड़े जाने मात्र से ही यह पुर्वानुमान हो जाता है कि पर्यावरण समस्या के लिए विकासशील देशों को ही दोषी ठहराया जाता है, अत: वे व्यापार के माध्यम से ही विकासशील देशों को सबक सिखाना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि पर्यावरण तथा दूसरे सामाजिक मुद्दों के नाम पर विकसित देशों द्वारा व्यापार अवरोध पैदा करने के किसी सुनियोजित कदम के विरुद्ध विकासशील देशों को सचेत करने हेतु क्या भारत सरकार ने कोई पहल की है।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, जहाँ तक अन्य सामाजिक मुद्दों विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम का मामला है जिस संबंध में कराकास में मंत्रिस्तर की घोषणा हेतु प्रयास किए गए थे इसे अंततः कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि अधिकतर विकासशील देशों ने ऐसा करने के लिए दबाव डाला तथा बहस का समापन करते हुए सभापति ने कहा था कि विभिन्न देशों को प्रतिनिधित्व करने वाले वहाँ के मंत्रियों ने ये विचार व्यक्त किए जिसे विश्व व्यापार संघ द्वारा अपनाया जाना है।

इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को इस स्तर पर छोड़ दिया। यह मंत्री स्तर की घोषण का अंग नहीं बन सका।

जहाँ तक पर्यावरण का वह मुद्दा भिन्न है। "गैट" द्वारा पर्यावरण से जुड़े व्यापार पर 1971 से ही विचार किया जाता रहा है, और मैंने अपने वक्तव्य में भी इस आशय का उल्लेख किया था। समिति बहुत प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही थी। सन् 1990 से समिति को पुनर्प्रभावी बनाया गया। इसके अलावा रियो-डी-जनेरो घोषणा की कार्यसूची 21, जिससे हमारा देश भी पक्षकार है, में भी यह बात कही गई है कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा व्यापार एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से निपटने हेतु एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए। इसलिए मराकास में मंत्रि स्तरीय बैठक में इससे निपटने हेतु समिति बनाए जाने के निर्णय को अनुमोदित किया। कुछ अन्य मुद्दे जिसे मानवाधिकार संबंधी मुद्दे बाल श्रमिक एवं श्रमिकों से संबंधित मुद्दे में विशेषकर श्रम संबंधों को संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस तथा कुछ अन्य नार्डिक देशों द्वारा उठाया गया। यहां तक कि विकसित देशों में भी इस संबंध में असहमति है। विश्व व्यापार संघ के समक्ष पहले से ही लंबी कार्य सूची पड़ी है। एक मूलभूत सिद्धान्त जो अधिकतर विकासशील देशों द्वारा अनुमोदित दिया गया वह यह था कि बाहरी मुद्दों को गैर तटकर संरक्षण तथा खुले व्यापार संबंधी मुद्दों के मध्य नहीं लाया जाना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नित्तला : संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुपर 301 के अन्तर्गत उन देशों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना भी हम लोगों के ऊपर डेमोक्लिज की तलवार की तरह लटक रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता था कि गैट समझौते में अन्तर्निहित बहुपक्षवाद के विरुद्ध आतंक को रोकने हेतु सरकार ने कौन सी नीति बनाई है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहाँ तक एक पक्षीय कार्यवाही, विशेषकर व्यापार प्रतिबंध को लगाये जाने का संबंध है, यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा समीक्षा किए जाने का विषय है। स्पेशल 301 का जहाँ तक सवाल है, इस सदन के माननीय सदस्यों को यह विदित है कि हमारे देश को स्पेशल 301 के अन्तर्गत प्राथमिकता वाले देश के रूप में पिछले कई सालों से रखा गया है। 1991 में उन्होंने हमारे कुछ उत्पादों के निर्यात पर से जी॰ एस॰ पी॰ को हटा लिया। लेकिन जहाँ तक जी॰ एस॰ पी॰ का मामला है, माननीय सदस्यों को पता है कि इसे

व्यापार प्रतिबंध के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि जी॰ एस॰ पी॰ किसी देश द्वारा दूसरे देश को व्यापार वृद्धि में सहायता हेतु दी जाने वाली स्वैक्षिक सहायता है। यह व्यापार का अभिन्न अंग नहीं है। इसे व्यापार प्रतिबंध अथवा ऐसे ही अन्य बातों की तरह नहीं लिया जा सकता। यदि कोई देश स्पेशल 301 के अंतर्गत रखा जाए और हमें पता चले कि हमारे व्यापार को किसी प्रकार से हानि पहुंच रही है तो इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने का हमें अधिकार है तथा ऐसी हालत में विवाद निवारण तन्त्र विवाद का निपटारा अपने आप करेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह स्पेशल 301 उनका प्रावधान अब तक क्यों बना हुआ है?

[हिन्दी]

श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : पिछले महीने की 17 तारीख को इकोनोमिक टाइम्स के अंदर श्रमिकों के बाहर जाने के सम्बन्ध में लेख आया था। अमरीकी सरकार ने इसमें लेबर के एजुकेशन स्टेंडर्ड को लेकर आपत्ति लगाई थी। वहां के उद्योगपतियों ने भी इसका विरोध किया था।

[हिन्दी]

इससे हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनको बाहर जाकर काम करने के अवसर बन्द हो जाएंगे। अमरीका इसमें रुकावट डालकर हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है मैं जानना चाहता कि कल प्रधानमंत्री अमरीका की यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या वे हमारे देश के लेबरर्स को बाहर जाने में जो संकट है उसको दूर करने में कोई कदम उठाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे श्रमिकों की मुक्त आवाजाही का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, जहाँ तक श्रमिकों की आवाजाही का प्रश्न है, तो हमने जो नीति अपनाई है और जिसका हमने मार्केश में भी सुझाव दिया था कि यदि विश्व व्यापार संगठन कोई नई कार्यसूची पर विचार करता है, तो उन्हें वास्तविक व्यक्तियों जो श्रमिक हैं की आवाजाही पर विचार करना चाहिए क्योंकि सेवा व्यापार का मुद्दा विश्व व्यापार संगठन के विचाराधीन है। अतएव, यह अधिक तर्कपूर्ण बात है कि विश्व व्यापार संगठन को सेवाएं प्रदान करने वाले वास्तविक व्यक्तियों को मुक्त और निर्विघ्न आवाजाही पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। भारत और कुछ अन्य विकासशील देशों का यह दृष्टिकोण अन्तरराष्ट्रीय श्रम मानदण्डों के विपरीत था अतएव, यह मुद्दा पहले से ही स्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस सवाल पर जब चर्चा हुई थी तो हर पक्ष के सदस्यों द्वारा यह चिन्ता प्रकट की गयी थी और मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इन बातों को नहीं मानेंगे, खासकर जो सोशिल क्लाजेज़ की बात ट्रेड के साथ जोड़ने की हो रही है लेकिन अब जबकि WTO बनने की घोषणा हो गयी है और इन्होंने GATT फाईनल एक्ट को अथंटिकेट कर दिया है और उसकी तैयारी समिति के सामने जो

सोशिल क्लाजेज़ हैं, इन्होंने विचारार्थ स्वीकार कर लिये हैं। तो अब तक अमरीका की कार्य करने की पद्धति रही है और जिस बात को वे लोगों पर थोपना चाहते हैं, उसकी चर्चा पहले से शुरू करते हैं। उन्होंने इंटलेक्चुअल प्रापर्टी राईट्स के बारे में 1983में चर्चा शुरू की थी और यह GATT का हिस्सा बना और फाइनल एक्ट का हिस्सा बना। उसी प्रकार से सोशिल क्लाजेज़, लेबर स्टैंडर्ड, चाइल्ड लेबर को लाना चाहते हैं और तमाम चीज़ें लाना चाहते हैं। प्रीप्रेटरी कमेटी अजेंडा में यह बात हो गयी तो उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुये क्या कारंटी है कि WTO से खुली बातचीत कर ट्रेड के साथ यह हिस्सा नहीं बनेगा ? तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात की गारंटी इस सदन को और इस सदन द्वारा पूरे मुल्क को देंगे कि हम किसी कीमत पर स्पेशिल क्लाजेज को इंटरनैशनल ट्रेड का हिस्सा नहीं मानेंगे चाहे इसके लिये जो भी प्रयत्न करना पड़े और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर कोई स्टैंड बनाकर किसी कीमत पर इसको नहीं होने देंगे और कोई नया कदम उठायेंगे, क्या इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं ?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक सामाजिक खण्ड का प्रश्न है, तो माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि जनेवा में दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बातचीत के बाद में दौर में अमरीका, फ्रान्स, और अन्य कुछ नार्डिक देश चाहते थे कि इसे मार्केश में मंत्रिस्तरीय घोषणा में शामिल किया जाना चाहिए। भारत और अन्य विकासशील देशों ने इसका विरोध किया। परिणामस्वरूप इसे मार्केश में मंत्री मंडलीय घोषणा में शामिल नहीं किया गया। यह स्पष्ट है।

जहाँ तक प्रेपकॉम या विश्व व्यापार संगठन का प्रश्न है, तो किसी को भी कोई मुद्दा उठाने से रोका नहीं जाता है। जहाँ तक तैयारी समिति का प्रश्न है, यदि कोई मुद्दा उठाया जाता है और यदि वे इसे स्वीकार करना चाहते हैं तो इसे आम सहमति के द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है और आमसहमति का अर्थ है कि यदि एक देश भी किसी मुद्दे का विरोध करता है तो यह स्वीकार नहीं होगा। प्रेपकॉम स्तर पर जहाँ तक हमारे दृष्टिकोण का प्रश्न है तो हमने इसे एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम सामाजिक उपबन्ध को व्यापार संबंधों से जोड़ा जाना स्वीकार नहीं करेंगे और इसे व्यापार प्रतिबन्धों के भाग के रूप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए या अन्य शब्दों में इसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानदण्डों के नाम पर संरक्षणवाद और संरक्षणवादी नीति को फैलाने के लिए नहीं थोपा जाना चाहिए।

अमरीकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टिव में लम्बित दो विधेयकों–हार्किन्स विधेयक और ब्राऊन विधेयक–की मुझे जानकारी है परन्तु वर्तमान संकेत के अनुसार अधिकतर विकासशील देशों का विशेष रूप से इस मुद्दे पर मानना है कि इसके लिए उपयुक्त मंच अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और इसे गैट के अधिकार क्षेत्र में बिलकुल भी नहीं लाया जाना चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन के घटते हुए महत्व को देखते हुए और ग्रुप-77 की एकता और महत्व पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के मद्देनजर क्या मंत्री महोदय हमें आश्वस्त करेंगे कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ग्रुप 77 की स्थापना के लिए कदम उठाएगा

और ग्रुप 77 को अपनी विदेश नीति में और विशेष रूप से आर्थिक विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। जिससे कि हम भविष्य में विकाशसील राष्ट्रों की एकता पर उसी प्रकार भरोसा कर सकें जिस तरह हमने उरुग्वे दौर के विचार विमर्श के दौरान विकासशील देशों की एकता पर विश्वास कर सके थे।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, जनेवा में राजदूत स्तर का एक अनौपचारिक ग्रुप पहले ही स्थापित हो चुका है। और वे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं विकासशील देशों की बात कर रहा हूँ। माननीय सदस्य को मार्केश बैठक से पूर्व हुए घटनाक्रम की जानकारी है। जब यहाँ जी-15 राष्ट्रों का शीर्ष सम्मेलन हुआ था तो जी-15 की घोषणा में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया गया था। इसके बाद यहाँ दिल्ली में हुए एस्केप के 50वीं सत्र में लगभग 57 देश उपस्थित थे। उन्होंने भी अपने विचारों को लगभग एक ही ढंग से व्यक्त किया था और ये विचार मार्केश बैठक में भी प्रतिध्वनित हुए थे। अतएव, इस प्रकार का विचार-विमर्श और ग्रुप का अनौपचारिक गठन पहले ही हो चुका है। मेरा मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा के लिए इसे और सुदृढ़ करना पड़ेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है कि व्यापार और पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन के सदस्यों की समिति गठित करने के लिए मंत्री स्तर पर निर्णय अपनाया गया था। उन्होंने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि यह निणर्य रियो घोषणा के अनुरूप है। जैसा कि मंत्री महोदय ने ऐसा ही वक्तव्य राज्य सभा में दिया है। मैंने रियो घोषणा पत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। परन्तु मुझे यह कहीं भी लिखा नहीं मिला है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को पर्यावरण के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : नहीं .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : हमें सभा का समय इस तरह नहीं गंवाना चाहिए

.....(व्यवधान).....

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं उस प्रकार से समय नहीं ले रही हूँ।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे का रियो सम्मलेन में उल्लेख किया गया था उस समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अस्तित्व में नहीं आया था। .....(व्यवधान).....

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : हाँ, इस स्थिति में मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि यू० एन० सी० ई० डी० का अधिकार क्षेत्र क्या था। अब इसके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आ गया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या मंत्री महोदय ने इसका कोई विरोध किया है ? इस संबंध में मेरा एक और प्रश्न है। प्रश्न का दूसरा भाग यह है। जहाँ तक सामाजिक उपबन्ध का सवाल है तो गैर व्यापार संबंधी मामलों को हस्ताक्षर की गई सन्धि में शामिल किया गया है। इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें सेनीटरी और फायटो सेनीटरी उपबन्ध हैं जिनका संबंध पर्यावरण मुद्दों से है। इसलिए तैयारी समिति की चर्चा में सामाजिक उपबन्ध पर नये सिरे से चर्चा को समाहित करना क्यों आवश्यक था?

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि माननीय सदस्य ने वक्तव्य के अन्तिम वाक्य को पढ़ा होता तो उन्हें ज्ञात होता कि मैंने उल्लेख किया था कि 1977 से यह मामला गैट के पास पड़ा है और पूर्व गैट की एक समिति व्यापार से सम्बन्धित पर्यावरणीय मामलों पर पहले से ही विचार कर रही है। समिति को 1990 में ही सक्रिय कर दिया गया था। .....(व्यवधान).....

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : वह गैट अलग है; अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अलग है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन गैट नहीं है।

श्री प्रणव मुखर्जी : गैट का स्थान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन होगा। अतएव, इन्हें इस मामले पर विचार करना पड़ेगा। जब विचार विमर्श चल रहा था तो यह समिति पहले ही कार्यरत थी और मंत्रि मंडलीय घोषणा के द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया था। इसमें क्या कुछ नहीं है। इस बिन्दु को मैंने पूर्व में भी स्पष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि डब्ल्यू. टी॰ ओ॰ में जो फैसले होंगे वे कन्सैंसस के आधार पर होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक देश अगर चाहेगा....

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने प्रिपरेटरी कमेटी के बारे में बोला की डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की प्रिपरेटरी कमेटी होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी प्रिपरेटरी कमेटी की बात ही हो रही है। लेकिन अगर एक देश को भी वीटो होगा तो वहां कन्सैंसस या युनैनिमिटी कहां रह गयी, कांसेंसस और यूनेनिमिटी में अंतर है जैसा अध्यक्ष महोदय आप चाहते हैं। अगर प्रिपरेटरी कमेटी में एक देश को वीटो होगा तो वह वीटो केवल विकासशील देश का ही नहीं होगा, विकसित देश को भी होगा। यदि आम राय विकासशील देशों की किसी मामले में बनती है तो एक देश, जो समृद्धिशाली देश होगा, उसको रोक सकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, ठीक यही स्थिति है। प्रिपरेटरी कमेटी का क्या कार्य है ? प्रिपरेटरी कमेटी 31 दिसम्बर तक बनी रहेगी। पहली जनवरी के बाद डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ अस्तित्व में आएगा। इस बीच, 16 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक वे यह कहेंगे कि डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ के लागू होने पर उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से विषय होंगे।

इस स्थिति में यदि कोई यह चाहता है कि डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ द्वारा अपनाई जाने वाली नई कार्यसूची में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक शामिल किए जाएं, कोई भी सदस्य यह बात कह सकता है। प्रिपरेटरी कमेटी के सदस्य इस बात से इनकार कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ इस विषय को नहीं लेगा। अत:, इस अंतराल के दौरान इसे लिए जाने की कोई सम्भावना नहीं है। डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ में यह बात कोई भी सदस्य उठा सकता है। डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰ की प्रक्रिया के अनुसार इस विषय को लिया जायेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे बाहरी विषयों को, जो 'गैट' समझौते से सम्बद्ध हैं, उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह सभी जानते हैं कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार का प्रश्न वास्तव में 'गैट' समझौते के क्षेत्राधिकार से बाहर था। परन्तु विकसित देश इसे अप्रत्यक्ष रूप से और अंततः प्रत्यक्ष रूप से अंतिम समझौते में ले आएं। इसी प्रकार वे 'सामाजिक' खंड को भी ला रहे हैं।

मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि इन सभी उत्तरों के बावजूद कि हम 'सामाजिक खंडों को इस समझौते में शामिल करने की सहमति नहीं देंगे चाहे वह बाल श्रमिक अथवा श्रम मानक से संबंधित है, मंत्री महोदय ने कोई स्पष्ट माश्वासन नहीं दिया है।

मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस सभा को इस आशय का आश्वासन देंगे ? विकसित देशों का इरादा अंतिम समझौते से हमें मिलने वाले थोड़े बहुत लाभ को न मिलने देने का है। इसलिए यदि विकासशील देश इस मामले में एक जुट नहीं होते हैं तो भी माननीय मंत्री और यह सरकार हमें यह आश्वासन दें कि हम अकेले ही इसका विरोध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह बात सही है। कभी-कभी वे समझौते में शामिल विभिन्न पार्टियों के निर्णयों को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस बैठक में भी एक विकसित देश ने इसी तरह का सुझाव दिया था। कुछ देश 'सामाजिक' खंड को न मानने वाले देश को दंडित करने का दृष्टिकोण अपना रहे हैं। कुछ अन्य विकसित देश ऐसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक हेतु जी० एस० पी० को एक प्रेरक के रूप में जोड़ने का प्रलोभन दे रहे हैं। माननीय सदस्य भी मंत्री रह चुके हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते किस प्रकार से किए जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ। कि हमें इसी क्षेत्र के सम्बन्ध में सदा सतर्क रहना होगा। हमें परस्पर सहयोग बनाना होगा ताकि इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया जा सके।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, माननीय मंत्री ने हारकिंस ब्राउन विधेयक का उल्लेख किया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि इस विधेयक पर अमरीका में चर्चा की जानी है और बाद में इसे 15 जुलाई तक अंतिम रूप दिया जाना है एवं तत्पश्चात् यदि अमरीका के राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो इसका अमरीका को किए जाने वाले हमारे निर्यात, विशेषतः हस्तशिल्प, हाथ से बुने गलीचों, हीरे और जवाहरात के निर्यात पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या सरकार आवश्यक कदम उठायेगी। ताकि बाल श्रम के इस विशिष्ट पहलू पर ध्यान दिया जा सके ? हमारे देश में अभिभावक अपने बच्चों को बचपन से ही हस्तशिल्प सिखाते हैं। इससे वहां किए गए बाल श्रम विनियमों का किसी तरह से भी उल्लंघन नहीं होगा। अतः, क्या सरकार सतत निर्यात को सुनिश्चित करते हुए हमारे देश के हितों की रक्षा करेगी और क्या वह हमारे हितों पर बुरा असर डालने वाले इस विधेयक का कड़ाई से रोकने का प्रयास करेगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मै वहां की सीनेट अथवा हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में विधेयक लाये जाने

को कैसे रोक सकता हूं जैसा कि भारत की संसद के मामले में ऐसा कोई नहीं कर सकता है ? ऐसा करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि किसी देश द्वारा ऐसी कार्यवाही की जाती है जिससे हमारे व्यापार को क्षति पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में हम डब्ल्यू० टी० ओ० में जा सकते हैं और इस समस्या का निवारण कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, आज सारा देश चिन्तित है कि मानवाधिकार के नाम पर, बाल श्रमिक के नाम पर और पर्यावरण के नाम पर जो विकसित देश हैं वे इस तरह से विकासशील देशों को परेशान कर रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर अमल करेगी कि यदि :

"ढूंढनी है मंजिल तो खुद अपना रहनुमा बन,
वे भटक गए हैं अक्सर जिन्हें मिल गया सहारा"

अध्यक्ष महोदय : आपने कविता बोल दी है, यह ठीक है, लेकिन कविता का जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री कृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह क्वश्चन है, इसका जबाव दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वे पोइट्री बनाकर बाद में जाबाव दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि अमरीका द्वारा 'सामाजिक' खंड पर अड़े रहने की प्रतिक्रिया स्वरूप माननीय मंत्री ने मुक्त आप्रवास का प्रश्न सभा पटल पर रखा है। मैं सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि क्या ऐसा प्रस्ताव सभा पटल पर रखा गया था। अथवा यह बात उठाई गई थी। और यदि मुक्त आप्रवास संबंधी प्रस्ताव उठाया गया है तो क्या सरकार ने मुक्त आप्रवास नीति विशेष रूप से भारत और उसके पड़ोसी देशों के संदर्भ में, के विस्तार और इसके प्रभाव की समग्ररूप से जांच की है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, जहां तक प्रस्ताव को सभापटल पर रखे जाने का संबंध है, यह मराकश में मेरे द्वारा दिए गए भाषण का एक हिस्सा है। मैंने इस भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों की आवाज ही को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परन्तु, यह 'सामाजिक' खंडों के अभिकथन का विरोध नहीं है। हम ऐसी बात में विश्वास नहीं रखते कि जब सेवा में व्यापार जैसा मामला डब्ल्यू० टी० ओ० के विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में सेवा प्रदान करने वाले मुक्त रूप से आने-जाने लगें। यह सेवा में व्यापार को जोड़ने का तार्किक परिणाम है। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं वह सेवा उपलब्ध कराने वालों के बारे में है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विससित देशों ने 'गैट' समझौते के अंतर्गत व्यापार समझौते के साथ सामाजिक मुद्दों को जोड़कर भारत जैसे विकासशील देशों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर भी महोदय, "गैट समझौता हो अथवा न हो" भारत बाल श्रम उन्मूलन, पर्यावरण संवर्धन

तथा मानवाधिकार जैसे मूल्यों की रक्षा करने हेतु पर्णतया वचनबद्ध है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम सुनिश्चित करते हुए विश्व में देश की विंश्वसनीयता का माहौल पैदा करने के लिए विशेष प्रयास करेगी, क्योंकि व्यापार से संबंधित मुद्दों की अपेक्षा देश की छवि अधिक महत्वपूर्ण है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : वास्तव में, एक प्रश्न के उत्तर में मैंने इस सभा में यह बताया था कि हमारे निर्यात को बढ़ावा देने वाले कुछ संगठनों ने अन्य देशों के ग्राहकों और खरीददारों को हमारे देश में आमंत्रित करके स्वयं यहां की स्थिति की जांच करने हेतु कहा है। जहां तक बालश्रम विरोध के बारे में हमारी वचनबद्धता का संबंध है, इस बारे में भी हम किसी से कम नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक सदस्य के रूप में भारत ने श्रम सें संबंधित मुद्दों को स्वीकार किया है। इस संबंध में हमें अपने उत्तरदायित्व की पूरी जानकारी है।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, मिर्जापुर में कालीन का सबसे बड़ा उद्योग है। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यह इंटर नेशनल प्रश्न है।

श्री राम निहोर राय : वहां पर बाल श्रमिकों का शोषण होता है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कालीन निर्यात से करोड़ों रुपये की विदेश मुद्रा मिलती है। जिस तरह से बच्चे को प्राईमरी शिक्षा दी जाती है, उसी तरह से कालीन उद्योग में काम करने वाले बच्चों को भी वहां शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर बच्चों को शिक्षित करके उनके खेल-कूद की व्यवस्था करेगें ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री वी॰ धनंजय कुमार : महोदय, अब यह बिलकुल स्पष्ट है कि अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी सदस्य देश प्रारंभिक कार्य समिति (प्रिपरेटरी कमेटी) का सदस्य बन सकता है। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रारंभिक कार्य समिति के एकल सदस्य को भी वीटो करने का अधिकार होगा। इसे देखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रारंभिक कार्य समिति में सामाजिक मुद्दों पर बहस की जायेगी। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि भारत प्रारंभिक कार्य समिति का सदस्य बनने के पश्चात ऐसे मुद्दों पर वीटो कर दे तथा प्रारंभिक कार्य समिति के अंदर ही एक अलग मजबूत लापी बनाले ताकि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू॰ टी॰ ओ॰) में संघर्ष किया जा सके अथवा आगे जारी रखा जा सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है कि जहाँ तक प्रारंभिक कार्य समिति का संबंध है जो कुछ हम मराकस में पहले ही कह चुके हैं उसके अलावा हम प्रारंभिक कार्य समिति में और कुछ नहीं कह सकते हैं। हम पहले से ही उक्त समिति के सदस्य हैं।

निर्यात संवर्धन

***684. श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन संबंधी प्रस्तावों को स्वत: स्वीकृति देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है और उत्तर वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपना प्रश्न संबद्ध मंत्रालय में भेजना पड़ेगा। यदि आप से भूल हुई है तो उसमें अब सुधार कर दिया गया है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मुझसे भूल नहीं हुई है। महोदय, इससे यह स्पष्ट होता है कि वित्त मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय में सामन्जस्य का आभाव है। इसलिए मैंने यह बात कही है।

हाल ही में सरकार ने निर्यात वृद्धि को 25 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया है। इसका देश की अर्थव्यवस्था का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। बहुत ही कम समय में इसे पुन: घटा दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण तालमेल का अभाव है।

इस तथ्य को देखते हुए मैं–माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक को एक समन्वय एजेन्सी के रूप में तैयार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि वे विदेशी मुद्रा के संबंध में अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय रिर्जव बैंक को और अधिक स्वायतता दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में और स्वायत्तता दी जा सकती है। .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन का समय बरबाद न करें। अभी तक मुश्किल से तीन प्रश्न लिए जा सके हैं।

श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय 1990-91 की आयात-निर्यात नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिंगल विंडो क्लीयरेन्स का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत प्रस्तावों का स्वत: निपटारा कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकतर मामलों में जहाँ कुछ ठोस निवेश किया गया हो, यह काम एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया

जाएगा। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देश अभी तक नहीं बनाये गये हैं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को प्रक्रिया संबंधी अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : कितने को स्वयतता प्राप्त है ? ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्य समितियां तथा उधार का लिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान जैसे देश ने भी अपने सेन्ट्रल बैंक को स्वायतता दी है। हमारी सरकार को इसमें क्या हिचकिचाहट है।

अध्यक्ष महोदय : उनके पूरक प्रश्न का आशय यह है कि हम पाकिस्तान का अनुसरण क्यों कर रहे हैं ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : नहीं। यह मेरा दूसरा पूरक प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है। यदि किसी अन्य देश में कुछ कार्य किया गया हो तो क्या वह हमने देश के लिए भी उपयोगी हो सकता है ?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैंने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि इस वर्ष की शुरूआत से हम लोग भारतीय रिर्जव बैंक से 6000 करोड़ सीमा तक की राशि का केन्द्रीय ऋण के रूप में प्रावधान किया जाएगा। यदि कभी भी पूरी रकम की सीमा 6000 करोड़ रुपए को दस दिनों तक के लिए पार कर जाएगी, तब भारतीय रिजर्व बैंक स्वत: इसे बाजार में बेच सकती है। यह बाजार नीति प्रबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक स्वायत्तता देने की शुरूआत है। हम लोग परिणाम की प्रतिक्षा करेंगे।

मैं सदन को यह आश्वस्त कर सकता हूँ कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को गंभीरता से लेती है। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। और सरकार इस उच्च वित्तीय प्राधिकार वाली संस्था की सलाहों को महत्व देगी।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : भारतीय वैज्ञानिकों ने उद्योग एवं विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रौद्योगिकीय विकास किए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों एवं प्रविधिज्ञों के नाम अनेक आविष्कार पेटेंट किए गए हैं। जैसा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को बाहर के देशों के लिए खोल दिया है, सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता तथा ज्ञान को तीसरी दुनिया एवं अन्य विकासशील देशों को उपलब्ध कराने एवं उसे बढ़ावा देने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उटाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31.3.94 तक कितनी परियोजना सेवाओं को बाहर भेजने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ?

श्री मनमोहन सिंह : इस प्रश्न के लिए अलग से सूचना देने की आवश्यकता है क्योंकि यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री एम॰ आर॰ कादम्यूर जनार्दनन : चमड़ा, हौजरी तथा इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात करके तमिलनाडु 10,000 करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा देश के लिए अर्जित करता है। क्या सरकार तमिलनाडु में तारपुर तथा पानिअमपादि आदि में निर्यात क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बढ़ाने हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी ?

श्री मनमोहन सिंह : यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री को सम्बोधित किया जाना चाहिए।

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर दूँ। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक ढांचागत केन्द्र स्थापित करने हेतु सहमत हो गई है जो कि एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। 75 प्रतिशत पूंजीगत माल केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य सरकार शेष 25 प्रतिशत सामग्री एवं भूमि उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को 2 प्रतिशत लेवी मिलेगी जिसका भार सुविधा भोगियों को वहन करना पड़ेगा ताकि राज्य सरकार को निर्यात के लिए अपने संसाधनों ने वृद्धि करने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

भारत-जापान पर्यटन व्यापार

***685. श्री भीम सिंह पटेल :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान पर्यटन व्यापार को बढ़ाया देने संबंधी मामले पर हाल ही में नई दिल्ली में भारत-जापान अध्ययन समिति की हुई 24वीं संयुक्त बैठक में विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्यमंत्री (श्री सुखबंश कौर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संयुक्त समिति ने, अक्तूबर, 1993 के टोक्यों में स्थापित पर्यटन उप-समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर ध्यान दिया और यह महसूस किया कि भारत में पर्यटन के विकास तथा भारत-जापान पर्यटक व्यापार संवर्धन को विकास हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चूंकि, दोनों देशों के बीच व्यापार एवं पूंजीनिवेश के विकास हेतु पर्यटन का विकास अग्रगामी है।

श्री भीम सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में पर्यटन व्यापार और पर्यटन विकास बहुत प्रभावित हुआ है। इसको देखते हुए पिछले दिनों भारत का प्रतिनिधिमंडल, अध्ययन समिति जापान गये थे और जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहां का भी अध्ययन दल यहां आया। पिछले दिनों अप्रैल में ही उन्होंने विचार-विमर्श किया। किन-किन बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ ? प्रश्न के जवाब को बताया गया है कि टोक्यो में स्थापित पर्यटन उपसमिति की सिफारिशों पर गौर किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या गौर किया गया ? सारी सिफारिशें) स्वीकार कर ली या कुछ को छोड़ दिया ? आपने यह कबूल किया है कि आतंकवाद के कारण और विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण पर्यटन को बहुत घाटा हुआ।

उसके संवधर्न के लिए, उसमें वृद्धि के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या इन चीजों पर भी सहमति हुई है, चर्चा हुई है ? अगर हुई है तो आप उसके बारे में तत्काल इन वर्षों में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्रीमती सुखबंस कौर : व्यापार और उद्योग संबंधी अन्य चर्चाओं के अतिरिक्त पर्यटन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गए थे कि जापान से भारत का विमान किराया कम किया जाना चाहिए, भारत में जापानी भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए; वीजा की आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए; जापानी भाषा जानने वाले पर्यटक गाइडों की नियुक्ति की जानी चाहिए; सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए जहाँ तक पुलिस का सम्बन्ध है, उसमें सुधार लाया जाना चाहिए और अस्वास्थकर हालत यानी सार्वजनिक शौचालयों में भी सुधार किया जाना चाहिए ये कुछ सुझाव दिए गए थे। मैं चाहती हूँ कि इस संबंध में और सुझाव दिए जाए।

श्री भीम सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, हमने यह पूछा है कि पिछले दिनों जो घाटा हुआ है, उसके बारे में मंत्रालय ने महसूस किया ?

मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी है कि भारत बहुभाषा भाषी देश है और जापान जैसे जो बौद्ध राष्ट्र हैं, बौद्ध राष्ट्रों का यह जन्मदाता गुरु है। बौद्ध धर्म यहां पैदा हुआ, यहां बौद्ध धर्म ने जन्म लिया और 40 राष्ट्रों में बौद्ध धर्म फैला। भारत में जापान की विशेष रुचि नहीं है। यहां ऐतिहासिक महत्व के जो बौद्ध स्तूप हैं और जो सारे स्थल हैं और प्राकृतिक रूप से भी भारत सम्पन्न हैं तो ऐतिहासिक महत्व के जो बौद्ध स्थल उपेक्षित पड़े हुए हैं, उनके बारे में कोई कार्य योजना बनाकर उनको विकसित करने का काम किया जाय...

अध्यक्ष महोदय : टाइम बहुत थोड़ा है।

श्री श्रीम सिंह पटेल : आपने उत्तर प्रदेश और बिहार को तो लिया है लेकिन मध्य प्रदेश छूटा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के सतना और रीवा जिले के मरहुत और देऊर गांवों को, जो प्रयासों के नजदीक है और प्रयागराज और चित्रकूट के बीच में हैं, पर्यटन स्थल के रूप से विकसित करने के लिए क्या आप उसके बारे में विचार करेंगे ? उन्हें बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आपकी कोइं योजना है ?

श्रीमती सुखबंस कौर : हमने उत्तर प्रदेश में पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक भ्रमण किए जाने वालों स्थलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है राज्य संरकारों ने कुछ परियोजनाए शुरू की है। केन्द्रीय सरकार ने कुछ परियोजनाओं के लिए सहायता दी है और जापान सरकार ने हमें ऋण भी दिया है। मध्यप्रदेश के जो भी प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत किए जायेंगे हम उन पर निश्चित तौर विचार करेंगे।

श्री मृत्युंजय नायक : हाल ही में भारत जापान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार हमारे राष्ट्रीय कोष हेतु राजस्व अर्जन के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सता है। इसी प्रकार, चीन, जापान, बर्मा, इण्डोनेशिया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव है। अतएव मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने हेतु ऐसे ही और अध्ययन् किए जा सकते हैं या ऐसी ही समितियां गठित की जा सकती हैं। कि इन देशों के पर्यटक यहाँ आयें और हमारे राजकोष में योगदान दें।

श्रीमती सुखबंस कौर : इस संबंध में चर्चाएं और समझौते हो रहे हैं और इसके लिए हमारी इन देशों के साथ बातचीत होती रहती है कि वहाँ के पर्यटक भारत आयें।

श्री श्रीकान्त जैना : माननीय मंत्री महोदया को ज्ञात है कि विशेष रूप से जापान से भारत आने वाला पर्यटक सामान्यत: बौद्ध स्थानों को देखना पसन्द करते हैं। इस संबंध में मैंने रत्नागिरी, ललित गिरि और उदयगिरि बौद्ध परिसरों की ओर मंत्री महोदया का ध्यान अनेक बार आकर्षित किया है। यहाँ तक कि जापान के पर्यटक इन स्थानों के भ्रमण हेतु भुवनेश्वर तक विशेष विमान लेकर आते हैं। परन्तु वह उपलब्ध आधारभूत ढाँचे का विकास नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदया इस संबंध में विशेष रुचि लेंगी ताकि और अधिक जापानी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

श्रीमती सुखबंस कौर : माननीय सदस्य यह मानेंगे कि पर्यटन विकास मूल दायित्व राज्य सरकार का है लेकिन हम फिर भी उन्हें सहायता देते हैं। उन्होंने जो परियोजनाएँ प्रस्तुत की हैं हमने उन्हें सहायता दी है। परन्तु राज्य सरकारें परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में सुस्त हैं और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगी कि वे राज्य सरकारों से तेजी से कार्य करने का आग्रह करके हमारी सहायता कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, जापान, चाइना और श्रीलंका के लिए बौद्धगया सबसे बड़ा स्थान है। इसके विकास के लिए वहां से पर्याप्त धन भारत सरकार को दिया जाता है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं, क्या उस धन का सदुपयोग आप कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं, तो उसमें से कितनी लागत आपने लगाई है ?

[अनुवाद]

श्रीमती सुखबंस कौर : धन राज्य सरकारों को दिया जाता है और हम तो परियोजना की प्रगति की निगरानी करते हैं। मैं तो जापान सरकार से प्राप्त हुए धन के बारे में ही बता सकती हूँ। ये धनराशि 219 करोड़ है और अभी तक केवल 51 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। हम इस कार्य में तेजी से लाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

काली मिर्च और लौंग

*686. **श्री के॰ जी॰ शिवप्पा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च और लौंग का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या इनका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई काली मिर्च की मात्रा नीचे दी गई है :-

वर्ष	मात्रा (मी. टन)
1991-92	20,535
1992-93	23,752
1993-94	46,650

भारत लवंग का आयात करता है क्योंकि इस मद का हमारा उत्पादन हमारी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा मसालों (जिनमें प्रमुख मसाला-काली मिर्च शामिल है) के निर्यात संवर्धन हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) निर्यात योग्य बेशी मात्रा पैदा करने के लिए उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम;

(2) प्रसार कार्य कराना, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को लोकप्रिय बनाना, आदि उपायों से निर्यात हेतु मसालों की क्वालिटी में सुधार करना ; और

(3) विदेशों में लोगों संवर्धन, ब्राण्ड संवर्धन, प्रचार कार्य और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता, आदि के जरिए भारतीय मसालों को लोकप्रिय बनाना।

[हिन्दी]

निवेश गारंटी समझौता

***687 श्री राम सिंह कस्वां :**

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मनी के साथ निवेश गारंटी समझौता करने के लिए पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और दोनों देशों ने क्या-क्या विचार व्यक्त किये हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक समझौता हो जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जर्मन सरकार के साथ अब तक जनवरी, 1994 से आरम्भ हुई चर्चाओं के दो दौर किए जा चुके हैं। समझौते की दिशा में काफी प्रगति की जा चुकी है।

[अनुवाद]

असंगठित श्रमिक

***688. श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के लिए 2,700 करोड़ रुपये के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

1. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 :

सभी ग्रामीण कर्मकारों को शामिल किए जाने के लिए "कर्मकार" को परिभाषा में संशोधन।

2. वृद्धावस्था पेंशन :

60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों तथा महिलाओं को निर्धारित आय सीमाओं के अधीन प्रतिमाह 100/-रु. वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जाए। बेसहारा तथा विकलांग व्यक्ति, यद्यपि उनकी आयु 60 वर्ष से कम है, इस समय अनेक राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। इसे जारी रखा जाए। जबकि यह मूल्यांकन किया जाता है कि विधवाओं/परित्यक्ताओं को दी गयी छूट को वापस लिया जाना व्यवहार्य नहीं हो सकता आयोग का मत यह है कि उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए समर्थ बनाया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त पुनर्वास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

3. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा :

साधारण बीमा निगम (जी आई सी) द्वारा संचालित वैयक्तिक दुर्घटना बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत व्याप्ति का और विस्तार किया जाए। इसके अतिरिक्त, जहां तक असंगठित श्रमिकों का संबंध है, सामूहिक जीवन बीमा योजना पर विचार किया जाना चाहिए जिसके प्रीमियम को राज्य द्वारा पूरा किया जाए।

4. प्रसूति लाभ

18 वर्ष से अधिक आयु वाली तथा ऐसे परिवारों से संबंधित सभी ग्रामीण महिलाएं अधिकतम दो जीवित बालकों तक प्रत्येक प्रसव के लिए 12 सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी जिनकी कुल वार्षिक आय 1990-91 की कीमतों पर 6,400 रु. से अधिक नहीं होगी तथा लाभ से संबंधित धनराशि कृषि क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से होगी।

5. विकलांगता लाभ

10 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच के सभी पात्र व्यक्तियों को 70% अथवा इससे अधिक अर्जन क्षमता का ह्रास होने के सभी मामलों के संबंध में, और आवश्यक नहीं है कि वह व्यावसायिक अथवा रोजगार से संबद्ध हों, वृद्धावस्था पेंशन के बराबर तथा समान आय मानदण्डों के अधीन विकलांगता लाभ प्राप्त होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विद्यमान प्रयासों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाना होगा। विकलांगता तथा कार्य करने में असमर्थता की सीमा निर्धारित करने के ढंग तथा उनके लिए आवश्यक सहायता योजना से संबंधित प्रश्नों पर एक विशेषज्ञ दल विचार कर सकता है।

6. रुग्णता लाभ

रुग्णता के कारण उत्पन्न होने वाले आय के नुकसान की भरपाई करने के लिए रुग्णता लाभ योजना की

सिफारिश की गयी है जिसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर आने वाले सभी ग्रामीण व्यक्ति मान्यता प्राप्त अस्पताल में भर्ती होने पर कृषि में अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से अधिकतम 90 दिन के लिए लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह लाभ केवल उन्हीं परिवारों को प्राप्त होगा जिनकी वार्षिक आय 1990-91 की कीमतों पर 6,400 रु० से कम होगी।

7. सामूहिक बीमा योजना

व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी राज्यों तथा सभी फसलों को शामिल किया जाना चाहिए। इस योजना में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किये जाने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया जाना चाहिए जो सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेते हैं। वर्तमान ग्राहकों के लिए निम्नतर स्तर पर तथा उन ग्राहकों के लिए जो सहकारी समितियों आदि में अपने धन का निवेश नहीं करते कुछ उच्चतर स्तर पर पृथक प्रीमियम दरों की व्यवस्था निश्चित की जा सकती है।

आयोग ने अनुमान लगाया कि इसके द्वारा एक वर्ष में लगभग 2700 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तथापि आयोग ने स्वयं आगे कहा कि इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधि की राशि का एक संक्षिप्त आंकलन करना सरल नहीं है। प्रत्येक दस वर्ष या ऐसी ही अवधि के लिए सकल अथवा राज्य-वार व्यय के बारे में सूचित करना और भी कठिन है। दूसरा कार्य कई कारकों पर निर्भर है जिसमें जनसंख्यात्मक कारक भी शामिल है। बीमा के तरीके की योजनाओं अथवा नियोक्ता दायित्व योजनाओं का प्रारूपण करना सरल कार्य नहीं है और निम्न आय और रोजगार एवं नियोक्ता की अनिश्चितता एवं परिवर्तनशील प्रकृति के कारण कई बार ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के लिए यह व्यवहार्य भी नहीं हो पाता है।

अगस्त, 1992 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की विशिष्ट सिफारिशों पर विचार-विर्मश किया गया था जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित इन सिफारिशों की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 13 राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया। प्रथमतः महाराष्ट्र सरकार राज्य सरकारों से इस मामले में अपनी टिप्पणियां देने के लिए अनुरोध कर रही है।

बैंक ऋणों की वसूली

***689. डा० के० वी० आर० चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित किये गये बैंक ऋणों तथा कृषि प्रयोजनों हेतु दिये गये अन्य ऋणों की राज्यवार कितने-कितने प्रतिशत वसूली हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : जून, 1990, 1991 तथा 1992 (अद्यतप उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत क्रमशः 48.8, 58.0 तथा 54.1 था। राज्य-वार ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के तहत जून 1990, 1991 तथा 1992 (अद्यतन

उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत क्रमशः 30.8, 41.4 तथा 31.8 था। जून 1990, जून 1991 तथा जून 1992 को समाप्त वर्षों के लिए राज्य-वार ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना (एस ई ई यू वाई) के तहत जून 1990, 1991 तथा 1992 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत क्रमशः 28.82, 21.90 तथा 23.92 था। उपर्युक्त योजना के तहत वसूलियों के लिए राज्यवार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है। उन्हें एकत्रित किया जा रहा है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कृषि अग्रिमों (प्रत्यक्ष वित्त) के संबंध में मांग की तुलना में वसूली के राज्यवार प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण :-

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत		
		जून 1990	जून 1991	जून 1992
1.	उत्तरी क्षेत्र	51.2	57.4	58.2
2.	हरियाणा	48.7	58.1	62.3
3.	हिमाचल प्रदेश	37.3	48.9	57.2
4.	जम्मू व कश्मीर	37.8	40.9	38.1
5.	पंजाब	64.0	63.7	65.5
6.	राजस्थान	38.0	50.5	43.0
7.	चंडीगढ़	24.8	45.0	47.8
8.	दिल्ली	31.6	42.6	46.9
9.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	21.9	49.4	22.3
10.	असम	24.1	45.0	23.0
11.	मणिपुर	9.4	40.4	17.7
12.	मेघालय	18.2	58.5	16.7
13.	नागालैण्ड	19.7	52.9	18.7
14.	त्रिपुरा	16.5	54.9	25.5
15.	अरुणाचल प्रदेश	56.2	66.9	33.6
16.	मिजोरम	20.9	42.4	13.6

1	2	3	4	5
17.	सिक्किम	35.1	84.8	45.1
18.	पूर्वी क्षेत्र	40.3	60.0	43.1
19.	बिहार	42.5	59.7	42.0
20.	उड़ीसा	37.0	57.0	45.0
21.	पश्चिम बंगाल	40.7	62.9	43.3
22.	अंडमान व निकोबार	17.1	53.3	15.5
23.	केन्द्रीय क्षेत्र	46.2	57.3	53.7
24.	मध्य प्रदेश	42.5	51.2	44.9
25.	उत्तर प्रदेश	48.5	61.5	59.2
26.	पश्चिमी क्षेत्र	45.6	55.8	47.7
27.	गुजरात	48.0	59.1	54.3
28.	महाराष्ट्र	43.8	54.0	43.6
29.	दमन व द्वीप	45.3	53.2	27.2
30.	गोवा	48.3	45.2	50.2
31.	दक्षिणी क्षेत्र	52.3	59.5	57.8
32.	आंध्र प्रदेश	48.3	56.2	56.6
33.	कर्नाटक	42.9	51.1	44.2
34.	केरल	57.6	64.8	64.4
35.	तमिलनाडु	61.4	69.4	66.6
36.	पांडिचेरी	51.5	59.7	57.7
	अखिल भारत	48.8	58.1	54.1

विवरण II

जून 1990, जून. 1991 और जून. 1992 को समाप्त वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये आई आर डी पी ऋणों के संबंध में मांग की तुलना में वसूली की राज्यवार प्रतिशतता का विवरण:

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता		
1.	आन्ध्र प्रदेश	31.67	41.89	28.29
2.	अरूणाचल प्रदेश	22.73	40.48	29.00

विदेश व्यापार में बाधक तत्व

*690. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेश व्यापार में बाधक तत्वों के सम्बन्ध में अमरीका की उस वार्षिक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है, जिसमें शुल्क दरों, आयात निषेध सूची के अंतर्गत परिमाणात्मक पाबन्दियों और भारत-अमरीका व्यापार में अन्य बाधाओं को दूर करने तथा इन्हें कम करने की आवश्यकता की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा वर्ष 1994 के लिए विदेश व्यापार अवरोधों की राष्ट्रीय व्यापार प्राक्कल रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च को रिलीज की गई थी। भारत से संबंधित अध्याय में निषेधात्मक उल्लेख के लिए जिन नीतियों/पद्धतियों को सूचीबद्ध किया गया है वे हैं : आयात पर ऊंचे टैरिफ तथा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों का जारी रहना, प्रभावी एवं पर्याप्त पेटेंट संरक्षण की कमी, प्रतिबन्धात्मक ट्रेड-मार्क पद्धतियां, घरेलू बीमा बाजार में पहुंच का अभाव, विदेशी बैंकों तक सीमित पहुंच और सरकारी खरीद पद्धतियां।

(ग) सरकार की यह सतत् नीति रही है कि व्यापार के मामलों में एकपक्षीय निर्णय अथवा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और इन्हें बहुपक्षीय आधार पर हल किया जाना चाहिए।

पटसन नीति

*691 **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन से बने थैलों और अन्य वस्तुओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक पटसन नीति तैयार की है अथवा तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह वस्तुओं के मामले में पटसन से बने थैलों का उपयोग अनिवार्य रूप से करने हेतु विशेष प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी संबंधित लोग इन प्रावधानों का पालन करते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पटसन उद्योग के विकास के लिए सरकार का प्रस्ताव पटसन वस्तुओं के पारिस्थिति की अनुकूलन गुणों के कारण उनकी मूल्यवर्धित तथा विविधीकृत

मदों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मांग में सम्भावित वृद्धि को लाभ लेने के लिए आधुनिकीकरण की नीति को तेज करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विविधीकरण करना है। आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के. लिए नीति समर्थन उपायों में उत्पादन विकास बाजार, सहायता तथा मानव संसाधन के विकास के माध्यम से निर्यातों में वृद्धि करने पर बल देना है।

(ग) से (च) पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी किए आदेशों के अनुसार देश में पैदा होने वाले तथा देश के भीतर सप्लाई किए जाने वाले सभी अनाज, चीनी, तथा यूरिया में पटसन के बोरों का प्रयोग आवश्यक कर दिया गया है जबकि सीमेंट के मामले में उन इकाइयों को छोड़कर जो कलकत्ता से 1200 किलोमीटर से आगे अवस्थित हैं, उत्पादन तथा प्रेषण की प्रतिशतता 65 प्रतिशत निर्धारित की गई है और अन्य के लिए निर्धारित प्रतिशतता 70 प्रतिशत है।

अनाज तथा चीनी के क्षेत्र में इस उपबन्ध का संतोषजनक ढंग से पालन कर रहे हैं जबकि पिछले दो वर्षों के दौरान सीमेंट क्षेत्र तथा यूरिया विनिर्माण एककों द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है। इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया है ताकि इन आदेशों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

[हिन्दी]

पेंसिल और स्लेट उद्योग

***692. डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलिका पत्थर से स्लेट और पेन्सिल बनाने वाले उद्योग में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सिलिका पत्थर की धूल से इन श्रमिकों के फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे सिलिकोसिस नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं;

(ग) क्या इस उद्योग में बाल श्रमिकों को भी काम पर लगाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) श्रम मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्लेट तथा स्लेट पैंसिल बनाने वाले उद्योग में 2469 श्रमिक नियोजित हैं। धूल में उन्मुक्त सिलिका के सूक्ष्म कणों के श्वांस के साथ अन्दर जाने से कर्मकार को सिलिकोसिस नामक रोग हो सकता है। स्लेट तथा पैंसिल बनाने वाले उद्योग में बाल श्रमिक भी लगे हुए हैं।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुपालन का दायित्व कारखाने के अधिष्ठाता का है और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उक्त अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन करता है।

3. अन्य बातों के साथ-साथ, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्लेट पेंसिल बनाने (पैकिंग सहित) में बाल श्रम प्रतिषिद्ध है।

खान अधिनियम, 1952 सहित विभिन्न अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत भी बाल श्रम प्रतिषिद्ध है। इस उद्योग में नियोजित बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत दो परियोजनाएं हैं एक

मध्य प्रदेश के मंदसौर में तथा दूसरी आन्ध्र प्रदेश के मार्कापुर में, शुरू की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तन प्रभार

*693. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद और तिरूवनन्तपुरम आने वाली प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान पर विमान से माल उतारने के प्रभार, विमान पत्तन टर्मिनल कर और विमान क्षेत्र में उड़ान भरने के प्रभार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सभी प्रकार प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय यात्री टिकट में सम्मिलित किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और आने वाले पर्यटकों की संख्या पर इसके प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

*694. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक परियोजना के अतंर्गत महिलाओं के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस विशेष योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के बाद अब तक कितनी महिलाओं को रोजगार दिया गया, और

(ग) सरकार का इन प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देने के लिए चालू वर्ष के दौरान क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) विश्व बैंक परियोजना के अधीन महिलाओं हेतु खोले जाने के लिए प्रस्तावित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या निम्न प्रकार है :—आन्ध्र प्रदेश-13; असम-3; गुजरात-4; हरियाणा-5; केरल-5; मध्य प्रदेश-10; उत्तर प्रदेश-9; पश्चिम बंगाल-4; महाराष्ट्र-9; बिहार-8; कर्नाटक-10; तमिलनाडु-5; राजस्थान-4; उड़ीसा-6; और पंजाब-5

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा प्राप्त कौशलों के अनुरूप वैतनिक रोजगार या स्वरोजगार के अनुसार स्वयं रोजगार प्राप्त करना होता है। सरकार प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।

[अनुवाद]

अखबारी कागज

***695. प्रो॰ मालिनी भट्टाचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज के आयात को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सरकारी क्षेत्र में उत्पादित अखबारी कागज की खरीद में कोई कमी आई है;

(ग) क्या अखबारी कागज का निर्यात करने वाले देशों द्वारा भारत में सस्ते मूल्यों पर अखबारी कागज बेचे जाने के आरोप लगाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। अखबारी कागज के आयात से संबंधित मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वाणिज्य मंत्रालय में पदनामित प्राधिकारी को भारत में अखबारी कागज की डंपिंग से संबंधित कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सूती धागा

***696. श्री गुमान मल लोढा :**

डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्यों पर सूती धागा उपलब्ध न होने के कारण कई हथकरघा और विद्युतकरघा एकक धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं;

(ख) यदि यदि हां, तो आज तक देश में ऐसे कुल कितने एकक बंद हो गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूती धागे की कमी को देखते हुए इसके आयात में छूट देने की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूती धागे के निर्यात पर प्रतिबंध न लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अगस्त, 1993 से मार्च, 1994 तक की अवधि में देश से कुल कितने मूल्य का सूती धागा निर्यात किया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई है। तथापि, अप्रैल, 1994 के मध्य से यार्न की कमीतों में गिरावट आई है। जबकि यार्न की कीमतों में वृद्धि होने के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी नहीं हुई है, फिर भी देश के कुछ भागों से करघों

के बन्द होने के संबंध में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं।

(ग) और (घ) हालांकि यार्न की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कतिपय समय में कुछेक काउंटों की कमी की रिपोर्ट है, कुल मिलाकर यार्न की कमी नहीं है। चूंकि सूती यार्न का निर्यात कुल सूती यार्न के कुल उत्पादन का 11 प्रतिशत है, इसलिए यार्न के निर्यात को प्रतिबन्धित करने से सूती यार्न की कीमतों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) अगस्त, 1993 से मार्च, 1994 की अवधि के दौरान सूती यार्न का निर्यात 117.21 मिलियन किग्रा॰ था जिसकी कीमत 1065.66 करोड़ रु॰ थी।

[अनुवाद]

सम्पत्तियों का अग्रक्रय

***697. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई शहरों में अचल सम्पत्तियों के अग्रक्रय सम्बन्धी योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दस लाख रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) अचल सम्पत्तियों के अग्रक्रय की स्कीम कुल 28 शहरों में लागू है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस स्कीम की प्रयोज्यता के लिए आभासी निर्धारण की 10 लाख रु॰ की वर्तमान सीमा बढ़ाने के तर्क के साथ अनेक प्रत्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	शहर
1.	दिल्ली
2.	बम्बई
3.	कलकत्ता
4.	मद्रास
5.	बंगलौर
6.	अहमदाबाद

7.	चण्डीगढ़
8.	जयपुर
9.	पुणे
10.	नागपुर
11.	भुवनेश्वर
12.	कटक
13.	कानपुर
14.	कोयम्बटूर
15.	मदुरै
16.	त्रिवेन्द्रम
17.	कोचीन (एर्नाकुलम और मेटेन्डचारी सहित)
18.	हैदराबाद
19.	सूरत
20.	इन्दौर
21.	भोपाल
22.	लखनऊ
23.	पटना
24.	गुड़गांव
25.	फरीदाबाद
26.	गाजियाबाद
27.	नोएडा
28.	बड़ौदा

थर्ड पार्टी बीमा योजना

*698. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थर्ड पार्टी बीमा योजना के अन्तर्गत इस समय देश में औसतन कितने वाहनों का बीमा किया गया है;

(ख) क्या थर्ड पार्टी बीमा योजना के कारण बीमा निगमों को घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार थर्ड पार्टी बीमा योजना के समाप्त तथा एक व्यापक बीमा योजना के अतंर्गत वाहनों का बीमा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1992-93 में थर्ड पार्टी बीमा के अंतर्गत देश में वाहनों की अनुमानित संख्या लगभग 91 लाख है।

(ख) जी, हां।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीमा दावे

***699. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा दावों (वाहनों को चोरी अथवा अन्य क्षतिपूर्ति) से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए पुलिस विभाग की अंतिम रिपोर्ट आवश्यक होती है;

(ख) क्या उपभोक्ता-न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि पुलिस विभाग द्वारा अंतिम रिपोर्ट न दिये जाने पर भी दुर्घटना के साठ दिनों के भीतर बीमा दावे प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए;

(ग) क्या पुलिस विभाग द्वारा अंतिम रिपोर्ट न दिये जाने के कारण देश में हजारों बीमा दावे लम्बे अर्से से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में बीमा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि पूरे वाहन के चोरी होने के दावों अथवा नकदी और बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी के दावों के निपटान के लिए पुलिस की अंतिम रिपोर्ट आवश्यक है। निजी स्वामित्व वाले यात्री वाहनों के ऐसे मामलों में, जिनमें बीमा कम्पनियों के पास हानि के संबंध में निश्चित प्रमाण होते हैं, अंतिम पुलिस रिपोर्ट पर जोर नहीं दिया जाता । सहायक मशीनी पुर्जों की चोरी अथवा वाहन के क्षतिग्रस्त होने जैसे अन्य मुआवजे के दावों पर आगे कार्रवाई की जाती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों की प्राप्ति पर ही उन्हें निपटाया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर जोर नहीं दिया जाता।

(ख) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि ऐसा कोई विशेष निर्णय उनकी जानकारी में नहीं आया है।

(ग) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि पुलिस से अंतिम रिपोर्ट के प्राप्त न होने के कारण लम्बे अर्से से लम्बित पड़े दावों की संख्या कुल लम्बित दावों के मुकाबले में बहुत कम प्रतिशत बैठता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं इस संबंध में किसी प्रकार के अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें

*700. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में श्रम संबंधी जोखिमों पर नियंत्रण रखने के लिए किन्हीं कन्वेंशनों और सिफारिशों को अंगीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कोई दल भारत आया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने पूरे विश्व के श्रमिकों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अन्य बातों के साथ कई अभिसमयों तथा सिफारिशों को आत्मसात किया है। इन अभिसमयों तथा सिफारिशों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

(i) दुर्घटनाओं तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विकारों को रोकने और कार्य के वातावरण में निहित जोखिम-कारी कारकों को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अपनाया;

(ii) निवारण सम्बन्धी सेवा प्रदान करके, सभी श्रमिकों के शारीकिर एवं मानसिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करने के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं सुव्यवस्थित कार्य के वातावरण को बनाए रखना;

(iii) विषैले तत्वों, पदार्थों एवं मशीनों अधिकतम भार; वायु प्रदूषण, ध्वनि तथा कम्पन से उत्पन्न विशेष जोखिमों में श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना;

(iv) आर्थिक क्रिया-कलाप की महत्वपूर्ण शाखाओं, जैसे भयन उद्योग, उत्तन और गोदी सम्बन्धी कार्य, वाणिज्य एवं कार्यालय संबंधी कार्य, में श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिकारी श्रम से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर भारत का दौरा करते हैं। श्रम सम्बन्धी जोखिमों के नियंत्रण के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किसी दल ने भारत का दौरा नहीं किया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रुग्ण कंपनियों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपना

7449. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण कंपनियों को औद्योगिक ओर वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का विचार इन मानदण्डों को संशोधित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए) की परिभाषा के अनुसार कोई औद्योगिक कम्पनी (जो कम से कम पांच वर्षों से कम्पनी के रूप में पंजीकृत है) जिसने किसी वितीय वर्ष के अंत में अपनी शुद्ध मालियत के बराबर या उससे अधिक घाटा अर्जित किया हो, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी है।

1993 में एस आई सी ए में किए गए संशोधन के अनुसार, किसी रुग्ण कम्पनी को शामिल करने के लिए पंजीकरण के वर्षों की संख्या को 7 वर्ष से कम करके पांच वर्ष कर दिया गया है और नकद हानियों संबंधी पहले की शर्तों को समाप्त कर दिया गया है।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

7450. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक अध्ययन दल ने हाल ही में महाराष्ट्र में प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में विश्व बैंक से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) विश्व बैंक पर्यवेक्षण मिशन ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त महाराष्ट्र आपातकालिक भूकम्प पुनर्वास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रबन्धों, उनकी प्रगति और अन्य उपेक्षित कार्यवाईयों की समीक्षा करने के लिए 22 अप्रैल से 7 मई, 1994 तक महाराष्ट्र के भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। मिशन के लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् ही पर्यवेक्षण रिपोर्ट की विशेषताओं का पता चलेगा।

[हिन्दी]

कृषि पर "गैट" के प्रभाव

7451. श्री भोगेन्द्र झा :

श्री परशुराम गंगवार :

श्री आर॰ अम्बारासु :

श्री दत्ता मेघे :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि नीति पर "गैट" समझौते के क्या प्रभाव पड़े हैं; और

(ख) कृषकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कृषि संबंधी उरुग्वे दौर करार से अपनी कृषि नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में भारत की स्वतंत्रता तथा लोचशीलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रबर का सुरक्षित भंडार

7452. **श्री पी॰ सी॰ थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा "गैट" संधि के परिणाम स्वरूप रबर का सुरक्षित भंडार रखने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक रबर का "बेंचमार्क" मूल्य घोषित करना बन्द करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रबर के मूल्य में भारी गिरावट होने को स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 1986 से एक बफर स्टॉकिंग योजना इस उद्देश्य से चलाई जा रही है ताकि रबड़ उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके और उपयोगकर्ता उद्योग को उचित मूल्य पर प्राकृतिक रबड़ उपलब्ध हो सके। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में सरकारी अभिकरणों द्वारा उचित समय पर बाजार हस्तक्षेप किये जाने की व्यवस्था भी है। इस योजना के तुरंत खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में हथकरघा क्षेत्र का विकास

7453. **श्री एन॰ जे॰ राठवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का योजनावार ब्यौरा क्या है और गुजरात में, विशेष रूप से राज्य के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में, जिन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान नहीं दिया गया था, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में योजनावार दी गई राशि और सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार अथवा सम्बद्ध राज्य निकायों ने 1992-93 के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 1991-92 में 3 नई योजनाएं अर्थात निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी, प्रोजैक्ट पैकेज योजना और एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना आरम्भ की गई थी। कार्यशाला-सह-आवास और थ्रिफ्ट फंड की वर्तमान योजनाओं में भी संशोधन किया गया।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को निम्नलिखित राशि जारी की गई।

	(राशि लाख रु॰ में)
1. जनता कपड़ा योजना	118.12
2. एमडीए/छूट योजना	23.72
कुल :	141.84

(ग) और (घ) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 1992-93 के दौरान निम्नलिखित राशि जारी की गई :-

	(राशि लाख रु॰ में)
1. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को अंश पूँजी सहायता	9.00
2. जनता सब्सिडी	165.03
कुल :	174.03

राजस्थान में किसानों को ऋण

7454. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किसानों को "नाबार्ड" के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी ऋण राशि का वितरण किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान फसलों के लिए कितने किसानों को ऋण दिये गये;

(ग) इन ऋणों की वसूली किस सीमा तक हुयी है;

(घ) "नाबार्ड" की गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ङ) "नाबार्ड" द्वारा राजस्थान हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनके लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह योजनाबद्ध ऋण प्रदान करने के अन्तर्गत बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। गत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा संवितरित ऐसी पुनर्वित्त (उद्देश्य-वार) की राशि विवरण-I में दी गई है। आंकड़ा सूचना प्रणाली से फसल ऋण के अन्तर्गत लाभान्वित किसानों के बारे में पूछे गए ढंग के अनुसार अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ग) जून 1991 और 1992 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त हुए वर्षों के लिए राजस्थान के बारे में मांग वसूली और मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है ;–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मांग	वसूली	मांग की तुलना में वसूली का %
जून 1991	405.78	201.38	49.63
जून 1992	452.01	193.37	42.78

(घ) और (ङ) नाबार्ड ने राजस्थान के पांच चुनिंदा जिलों में ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के गहन विकास के लिये जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना प्रारम्भ की है। उसने पांच वर्ष की अवधि में प्रत्येक जिले में 25 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित कर लिया है। नाबार्ड ने अपनी सहकारी विकास निधि से कम्प्यूटरीकरण के लिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को 60 लाख रुपए (36 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 24 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में) की राशि भी मंजूर की है।

वर्ष 1994-95 में राजस्थान राज्य के लिए योजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य-वार आबंटन विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों अर्थात् 1991-92 से 1993-94 के लिए राजस्थान राज्य में नाबार्ड द्वारा उद्देश्य-वार संवितरित (योजनाबद्ध रूप से ऋण प्रदान करना)।

	पुनर्वित्त की राशि (लाख रुपए)		
उद्देश्य	1991-92	1992-93	1993-94
लघु सिंचाई	3021	3237	3553
भूमि विकास	13	11	20
कृषि यंत्रीकरण	2586	3641	5300
बागान/बागवानी	34	9	15
मुर्गीपालन-भेड़/सुअर पालन	156	71	29
मछली पालन	2	8	8
डेरी विकास	136	194	424
गोदाम और बाजार स्थान	299	503	207
वानिकी	-	-	1
गोबर गैस संयंत्र	1	1	1
गैर कृषि क्षेत्र	599	1185	1385

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3493	3932	1202
अन्य	51	60	49
जोड़	10361	12852	14195

विवरण-II

1994-95 के दौरान राजस्थान राज्य को योजनाबद्ध रूप से (उद्देश्य-वार) ऋण प्रदान करने के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित पुनर्वित्त(करोड़ रुपए)

उद्देश्य	आबंटन
लघु सिंचाई	27.15
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/कृषि प्रगति	
हेतु विशेष परियोजना	3.76
भूमि विकास	0.39
कृषि यंत्रीकरण	54.10
बागान/बागवानी	0.59
डेरी विकास	3.61
मछली पालन	0.17
गोदाम/बाजार स्थान	4.98
वानिकी	0.10
मुर्गी पालन	0.94
भेड़/बकरी/सुअर पालन	0.44
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	16.65
गैर कृषि क्षेत्र	18.00
अन्य	1.34
योग :	132.22

[अनुवाद]

गुजरात में औद्योगिक एककों को सहायता

7455. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एककों के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि मंजूर की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन एककों को वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय वित्तीय और निवेश संस्थाओं, नामत: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिकवित्त निगम लि॰ (आईएफसीआई), भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि॰ (आईसीआईसीआई), भारतीय औद्योगिक पुर्निर्माण बैंक (आईआरबीआई), टैक्नोलोजी डेवलपमेंड एण्ड एन्फार्मेशन कम्पनी आफ इंडिया लि॰ (टीडीआईसीआई), जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि॰ (आरसीटीसी), भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम लि॰ (एससीआईसीआई), भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि॰ (टी एफ सी आई), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को मंजूर और संवितरित की गई सहायता राशि निम्नानुसार थी :-

(करोड़ रुपए में)

	मंजूरी	संवितरण
1990-91	870.5	269.4
1991-92	533.9	499.2
1992-93	1062.2	745.3

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास वर्ष 1993-94 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नागर विमानन में विदेशी इक्विटी भागीदारी

7456. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन के क्षेत्र में विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक स्वीकृत किये गये ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार के विचाराधीन ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन मामलों में विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी गई है :-

(1) मैसर्स जेट एयरवेज प्रा॰ लि॰

(2) मैसर्स इण्डो-कनेडियन एयरवेज लि॰

(3) मैसर्स ऐलास एविएशन प्रा॰ लि॰

(ग) विवरण निम्नलिखित हैं :-

(1) मैसर्स जेट एयरवेज प्रा॰ लि॰

मैसर्स जेट एयरवेज प्रा॰ लि॰ ने जो एक एअर टैक्सी प्रचालक है, प्रस्ताव किया था कि उन्हें "आइल आफ मैन" में निगमित कंपनी टेल विंडस लि॰ द्वारा अपने स्वामित्व में ले लिया जाए जिसमें दो विदेशी एयरलाइनों की 40 प्रतिशत तक की इक्विटी शेयर धारित होगी।

(2) मैसर्स इण्डो-कनेडियन एयरवेज लि॰

मैसर्स इण्डो-कनेडियन एयरवेज लि॰ का एक एअर टैक्सी सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव था। कंपनी की चुकता पूंजी 2127.50 लाख रु॰ होगी जिसमें से अनिवासी भारतीयों का अंशदान 26.5 प्रतिशत तथा विदेशी राष्ट्रकों को 13.5 प्रतिशत है।

(3) मैसर्स ऐलास एविएशन प्रा॰ लि॰ :

मैसर्स ऐलास एविएशन प्रा॰ लि॰ का हवाई विमानचालक अकादमी/हवाई चार्टर सेवा/कूरियर सेवा कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित पूंजी परिव्यय 600 लाख रुपए है जिसमें से 75 प्रतिशत विदेशी भागीदारी होगी।

विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव, विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) कोई अन्य प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं हैं।

निर्यात संवधर्न पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत निर्यात सुविधाएं

7457. डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार से पूंजीगत माल क्षेत्र को भी निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत निर्यात सुविधा प्रदान करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई॰ पी॰ सी॰ जी॰) योजना में, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, निर्यात दायित्व से सम्बद्ध 15% की सीमाशुल्क की रियायती दरों पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है। ई॰ पी॰ सी॰ जी॰ लाइसेंस धारक के पास उन घरेलू विनिर्माताओं से आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, को प्राप्त करने का विकल्प होता है जिन्हें 15% के सीमाशुल्क की रियायती दर पर आवश्यक संघटकों का आयात करने की सुविधा दी गई है। इस प्रकार के घरेलू सप्लायरों को माने गए निर्यातों के लाभ नहीं दिए हैं क्योंकि इससे शून्य शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति करनी होगी जो इस योजना की मूल संकल्पना के विपरीत है।

केन्द्र सरकार के उपक्रमों को ऋण

7458. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केन्द्र सरकार के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों को दिए गए ऋणों का वर्गीकरण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए निर्देश ठीक नहीं हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1994 तक इस प्रकार के बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ऋण के मामले में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों को गारंटी देता है कि केन्द्र सरकार के उपक्रमों को कोई हानि नहीं हो; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को जमानत दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको से कहा है कि भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा गारंटी शुदा अग्रिमों को, चाहे वे "पुराने देय क्यों न हों", निष्क्रिय परिसम्पत्तियों, अर्थात, अवमानक, संदिग्ध या हानि वाली परिसम्पत्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

अव-मानक परिसम्पत्ति वह परिसम्पति है, जिसे दो वर्षों से अनधिक की अवधि से निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निष्क्रिय परिसम्पत्ति यह परिसम्पति है, जिसमें ब्याज 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए 3 तिमाहियों से और 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष और इसके बाद के वर्षों के लिए 2 तिमाहियों की अवधि से "पुराना देय" रहा हो। केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को दिए गए ऋण भी इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इन अग्रिमों के लिए अलग से कोई मानदंड नहीं है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा गारंटियां अलग-अलग मामलों के आधार पर या तो प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत या वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी जाती हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा गारंटियों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी गई बैंक गारंटियों से संबंधित सूचना एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

विमान की खरीद

7459. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम यातायात वाले फीडर एवं अन्य मार्गों के लिए, विशेषत: वायुदूत के पुराने विमानों के बदले, छोटे विमान खरीदने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में जिन फर्मों के साथ वार्ता चल रही है उनका विवरण क्या है और किस प्रकार के विमानों के बारे में इस प्रकार की वार्ता चल रही है; और

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विमान सेवाएं

7460. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान यात्री विमान सेवाओं, विमान बेड़े बेहतर उपयोग, विमानों के रख-रखाव ओर विमान सेवा संचालनों में सुधार करने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में सरकार द्वारा इन कार्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन कार्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप आगामी तीन वर्षों के दौरान विमानन क्षेत्र में आय-व्यय संबंधी स्थिति में किए गए सुधार का ब्यौरा और इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सलग्न है।

विवरण

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपनी सेवाओं में सुधार करने और विमानों की उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए पिछले दो वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :-

(1) एयर इंडिया द्वारा अपने विमान बेड़े में नए बोइंग 747-400 विमान शामिल करना (तीन विमान पहले ही बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं और एक विमान जून, 1994 में शामिल किया जाएगा)।

(2) एयर इंडिया द्वारा जोहन्सवर्ग, डरबन, दार-ए-स्लाम और जकार्ता जैसे नए स्टेशनों के लिए प्रचालन करना।

(3) इंडियन एयरलाइंस द्वारा शारजहा, दुबई, आबूधाबी और मस्कट के लिए प्रचालन करना।

(4) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा भू सेवा, भोजन सेवा तथा उड़ानगत सेवा सहित सेवा में सुधार करना।

(5) अहमदाबाद, हैदराबाद और अमृतसर को अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए सुविधाजनक संयोजी सेवाओं से जोड़ने के लिए हब एण्ड स्पोक सेवाएं प्रचालित करना।

(6) इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों और उड़ान कर्मीदल का बेहतर उपयोग किया जाना।

(ख) एयरलाइनों के निष्पादनों में सुधार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(ग) ईंधन की कीमतें, आन्तरिक परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, दूसरी वाहक कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा आदि जैसी बड़ी संख्या में परिवर्तनशील स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर एयरलाइनों की आय और व्यय सम्बन्धी कोई ऐसी दीर्घकालीक योजनाएं नहीं बनाई जा सकती जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के वित्तीय निष्पादनों पर प्रभाव डाल सके।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों का शोषण

7461. डा॰ रवि मल्लू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 109 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बाल श्रमिकों को काम में लगा कर उनके शोषण को समाप्त करने हेतु कोई संघ बनाया है जैसा कि 15 अप्रैल, 93 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समयबद्ध योजना बनायी है;

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों को पर्याप्त पोषाहार उपलब्ध कराने जिसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अन्तर्गत समर्थन किया है के सहित बच्चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए कोई स्वतंत्र आयोग बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(क) और (ख) प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा, बालकों का शोषण समाप्त करने हेतु एक मंच बनाये जाने की सरकार को जानकारी है। सरकार को उन सामाजिक-आर्थिक विषमताओं की भी जानकारी है जिनसे बाल श्रम प्रथा प्रचलित है और उसे इस बात पर विश्वास है कि बाल श्रम का क्रमिक उन्मूलन एक व्यावहारिक और अनुकरणीय दृष्टिकोण है। इसे विधायी प्रावधानों, निवारक उपायों और कल्याण उपायों के प्रवर्तन के माध्यम से किया जाना है। चूंकि इनके संबंध में कारवाई मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और जहां संभव है बाल श्रम के उन्मूलन हेतु समयबद्ध कार्रवाई योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय नीति के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की टिप्पणी

7462. श्री गुरूदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश की कमजोर वित्तीय नीति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 में वित्तीय घाटे की स्थिति में जो गिरावट आई है उसमें सुधार लाने के कार्य को वित्त मंत्री ने एक प्रमुख कार्य माना है जिसका उल्लेख उन्होंने 1994-95 के बजट प्रस्तावों में भी किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत संबंधी अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद II में भी यह कहा है कि वित्तीय नीति को सुदृढ़ बनाया जाना जरूरी है।

(ख) 1994-95 के बजट प्रस्तावों का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था के संवर्धन को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा उसका झुकाव औद्योगिक उत्पादन की ओर करना है। वित्तीय सुधार संबंधी प्रयासों को इस आर्थिक समुत्थान के समर्थन प्राप्त होगा और बजट में घोषित एकमुश्त कर सुधार उपायों के जरिए इन्हें सफल बनाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र का विकास

7463. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न हथकरघा योजनाओं के लिए 755 लाख रुपये की राशि जारी की है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

	परियोजना का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु॰ में)
	गैर-योजना	
1.	हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट/एमडीए	103.70
2.	जनता कपड़े पर सब्सिडी योजना	579.20
3.	निस्सहाय बुनकरों के मार्जिन मनी अनुदान की योजना	0.50
4.	एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	11.60
5.	हथकरघा विकास केन्द्र	20.00
6.	हथकरघा बुनकरों के लिए कार्याशाला-सह आवास योजना के लिए अनुदान	340.00
	कुल :	755.00

विदेशी क्रेताओं से प्राप्त शिकायतें

7464. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी, व्यापार महानिदेशालय को भारत से माल की आपूर्ति के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी क्रेताओं से कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) शिकायतों के स्वरूप तथा जिस चैनल के माध्यम से ये शिकायतें प्राप्त हुई इत्यादि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; .

(ग) क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इन शिकायतों के संबंध में जांच करने हेतु क्षेत्रीय स्थाई समितियां गठित की गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधियों को भी इन समितियों में सम्मिलित किया गया है; और

(च) इन समितियों द्वारा अपना जांच कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1991-92 से 31.3.1994 तक विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय में स्थापित व्यापार विवाद प्रकोष्ठ में कुल 371 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) इन शिकायतों में गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, विलम्ब और संबंधित दावे, करार के निष्पादन न होने/उनके पूरा न होने/एजेंसी कमीशन का भुगतान होना/देर से भुगतान होना और भारत में की गई खरीदों के संबंध में विदेशी पर्यटकों से मिली शिकायतें आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। व्यापार शिकायतों तथा विवादों से संबंधित सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा रही है। विभिन्न संगठनों/विभागों जैसे-विदेशों में भारतीय मिशन, वाणिज्य मंत्रालय, निर्यात संवर्धन परिषदें, वस्तु बोर्ड, निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरण, वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता तथा भारतीय रिज़र्व बैंक आदि से भी सूचना प्राप्त हुई है। वर्ष 1991-92 में 71 शिकायतें, वर्ष 1992-93 में 131 शिकायतें तथा वर्ष 1993-94 में 31.3.1994 तक 169 शिकायतें व्यापार विवाद प्रकोष्ठ में प्राप्त हुई।

(ग), (घ) और (ङ) जी, हां। बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास अहमदाबाद, बंगलौर, कानपुर, लुधियाना, और हैदराबाद में गुणवत्ता शिकायतों से संबंधित क्षेत्रीय स्थायी समिमियां गठित की गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता संबंधित संयुक्त विदेश व्यपार महानिदेशक करते हैं और भारतीय मानक ब्यूरो, कृषि विपणन सलाहकार का कार्यालय, लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारतीय रिज़र्व बैंक, तथा निर्यात निरीक्षण परिषद्/वस्तु बोर्ड/व्यापार संघ के आमंत्रित लोग इस समिति के सदस्य होते हैं। निर्यात निरीक्षण अभिकरण का प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य-सचिव होता है।

(च) क्षेत्रीय समितियों से शिकायतों के प्राप्त होने से 3 मास के भीतर विवादों की जांच करने तथा उन्हें सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने हेतु प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है।

बागान श्रम अधिनियम, 1952

7465. श्री द्वारकानाथ दास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारिश्रमिक सीमा को वर्तमान मूल्य सूचकांक के स्तर तक बढ़ाने हेतु बागान श्रम अधिनियम, 1952 में संशोधन करने हेतु विधेयक पुरः स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक पुरःस्थापित कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र

7466. प्रो॰ (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थ्रिवकाकारा कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किये गये एककों में उत्पादन एवं निर्यात कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन एककों में कब तक उत्पादन और निर्यात आरंभ हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) कुल 31 एककों ने वर्ष 1993-94 में 83.81 करोड़ रुपए का निर्यात किया।

तम्बाकू नीलामी केन्द्र/प्लेटफार्म

7467. श्री अमर रायप्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्य-वार कितने स्थानों पर तम्बाकू नीलामी केन्द्रों/प्लेटफार्मों की सुविधा प्रदान की है;

(ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार तम्बाकू उत्पादकों के लिए किन-किन स्थानों पर ऐसे तम्बाकू नीलामी केन्द्र/प्लेट फार्म लगाए जाने का विचार है;

(ग) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार तम्बाकू केन्द्रों द्वारा खरीदे जा रहे तम्बाकू की किस्मों के क्या नाम हैं;

(घ) भारत में उत्पादित, पर इन नीलामी केन्द्रों द्वारा नहीं खरीदी जा रही तम्बाकू की किस्मों के क्या नाम हैं;

(ङ) इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) आंध्र प्रदेश-19 मंच (1994 की नीलामियां) कर्नाटक (1993-94 की नीलामियां)-7 मंच।

(ख) नीलामी मंचों की संख्या तथा स्थानों का निर्णय फसल के आकार तथा पंजीकृत उपजकर्ताओं की संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्जीनिया तम्बाकू विपणन मौसम के शुरू होने से पहले लिया जाता है। दिनांक 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार आंध्रप्रदेश में निम्नलिखित नीलामी मंच कार्य कर रहे थे :–

1. भद्राचलम
2. नंदीगामा
3. कांचीकचेरला
4. गुंटूर
5. थोरेड्डू
6. कापावरम
7. देवरापल्ली
8. जे॰ आर गुडेम
9. बेल्लामपल्ली
10. ओंगोले-I
11. ओंगोले-II
12. पोडीली
13. तुंगुटुर-I
14. तंगुटुर-II
15. कांडुकुर
16. कालीगिरी
17. डी॰ सी॰ पल्ली
18. कोयालागुडम
19. चिलकालुरीपेट

(ग) फ्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू।

(घ) बीडी, बर्ली, एच॰ डी॰ बी॰ आर॰ जी॰, च्यूईंग, सब-क्यूरड, कंट्री (नाटू) हुक्का, सिगार और चुस्ट, स्नफ तम्बाकू।

(ङ) और (च) इस समय, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में तम्बाकू बोर्ड द्वारा स्थापित नीलामी मंचों पर केवल वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद की व्यवस्था है।

ब्लेडों का निर्यात

7468. श्री मृत्युंजय नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में ब्लेडों के निर्यात में भारत का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या सरकार ने ब्लेडों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और अप्रैल-दिसंबर, 1993 में भारत से रेजर ब्लेडों का निर्यात क्रमशः 23.65 करोड़ रुपये, 25.62 करोड़ रुपये और 31.81 करोड़ रुपये का हुआ। वर्ष 1986-87 में भारत से ब्लेडों सहित इंजीनियरी माल का निर्यात विश्व व्यापार का 0.11% हुआ।

(ख) तथा (ग) ब्लेडों सहित निर्यात-संवर्धन करना, सरकार का सतत प्रयास रहा है। ब्लेडों सहित निर्यात को बढ़ावा देने की सरकार की कार्यनीति के महत्वपूर्ण घटकों में से कुछ ये हैं :– अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात-उत्पादन के लिए निविष्टियां उपलब्ध करना, निर्यात-दायित्व के बदले रियायती आयात शुल्क पर

निर्यात-उत्पादन के लिए पूंजीगत माल के आयात की अनुमति, निर्यात से प्राप्त आय को आय कर से छूट, निर्यात-आय की बाजार विनिमय दर पर पूर्ण परिवर्तनीयता, निर्यात संवर्धन के लिए बाजार विकास निधि से सहायता तथा निर्यात को सुकर बनाने के लिए आस्थगित ऋण और अन्य ऋण उपलब्ध कराना।

स्टाफ कार

7469. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी उद्यमों में पूर्णकालिक निदेशकों को जिनकी नॉन ड्यूटी यात्रा 500 कि० मी० प्रति मास से ज्यादा न हो, अतिरिक्त वरिष्ठ प्रबंधकों/कार्यापालकों को स्टाफ कारों के विशेष उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती है;

(ख) शोफरों द्वारा चलाई जाने वाली उन स्टाफ कारों का ब्यौरा क्या है जिनका गत तीन वर्षों से भारत पर्यटन विकास निगम और उनके मंत्रालय द्वारा उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करते हुए स्टाफ कारों/शोफर द्वारा चलाई जाने वाली कारों के उपयोग के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, पूर्णकालिक निदेशक, दिल्ली/बम्बई में 1000 कि० मी० प्रतिमाह तथा अन्य शहरों में 750 कि० मी० प्रतिमाह तक अपने निजी इस्तेमाल सहित स्टाफ कार का अनन्यत: इस्तेमाल करने के पात्र हैं अन्य वरिष्ठ कार्यपालक स्टाफ कारों का अनन्यत: इस्तेमाल करने के हकदार नहीं हैं। तथापि, प्रधानप्रबंधकों/घटक इकाइयों के प्रभारी कार्यपालक जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों को सरकारी उपयोग हेतु स्टाफ कारों की सुविधा अनुमत की जा सकती है।

(ख) पिछले 3 वर्षों से भारत पर्यटन विकास निगम 27 कार चला रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

परिधान निर्यात कोटा

7470. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या वस्त्र मंत्री 4 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1586 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं; तो यह रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने

सूचित किया है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में कोई भ्रष्टाचार रोधी दृष्टिकोण शामिल नहीं है और उन्होंने मंत्रालय से आगे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने इस पर अपने ही अधिकारियों से एक और जांच करवाने का फैसला किया है जिसके परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के विरुद्ध दावे

7471. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निमग (आई॰ टी॰ डी॰ सी॰) के विरुद्ध आकस्मिकता निधि संबंधी ऐसी कितनी राशि के दावे हैं जिन्हें ऋण नहीं माना गया है;

(ख) क्या आकस्मिमताएं पड़ने पर इन्हें निपटाने के लिए आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ द्वारा कोई प्रावधान रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सभी वित्तीय देयताओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है, जिनके लिए प्रावधान नहीं लिया गया है;

(घ) क्या ऐसी देयताओं के लिए आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ अधिकारियों को जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताओं की संचयी राशि नीचे दी गई है :–

	(रु॰ करोड़ों में)
31.3.1991 के अनुसार	43.71
31.3.1992 के अनुसार	52.89
31.3.1993 के अनुसार	66.41

(ख) जी, नहीं। लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, लेखा पुस्तकों में ऐसे दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं करना होता है। तथापि भारत पर्यटन विकास निगम ने वार्षिक लेखाओं में एक टिप्पणी देकर इन देयताओं को दर्शाया है।

(ग) ऐसी देयताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

	आकस्मिक देयताओं का स्वरूप	(रु॰ करोड़ों में)
1.	सम्पत्तिकर	47.09
2.	कर, ई एस आई भविष्य निधि सीमा शुल्क, किराया, सम्राट होटल भूमि से संबंधित विवादास्पद दावे सहित लाइसेंस शुल्क के दावे।	5.76
3.	भूतपूर्व अकबर होटल से संबंधित एक होटल अतिथि को व्यक्तिक चोट का दावा	3.00

4.	ठेकेदारों और सप्लायरों के विवादास्पद दावे जिनमें कानूनी मामले भी शामिल हैं।	10.55
	जोड़ :	66.41

(घ) और (ङ) व्यापारिक आकस्मिक देयताएं कार्यकलापों के स्वरूप और व्यापारिक लेन-देन के भार के कारण उत्पन्न हुई हैं। ऐसा कर्मचारियों की लापरवाही/मिली भगत के कारण नहीं हो सकता।

सीधे विदेशी निवेश

7472. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीधे विदेशी पूंजी निवेश संबंधी परियोजनाओं की समय-समय पर वास्तविक प्रगति की समीक्षा करने हेतु कोई निगरानी तंत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं में शुरू के वर्षों में किए गए पूंजी निवेश को अलग करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या 1993 में किए गये पूंजी निवेश को दो संघटकों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का पूंजी निवेश

7473. श्री पी॰ कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने तमिलनाडु में कितना पूंजी निवेश किया; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान बैंक द्वारा चलायी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न प्रयोजनों के लिए योजनाबद्ध ऋणों के अंतर्गत क्रमशः 136.42 करोड़ रुपए, 168.76 करोड़ रुपए और 215.07 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त संवितरित किया है। उसने इसी अवधि के दौरान तमिलनाडु स्टेट कोआपरेटिव बैंक को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए क्रमशः 200.60 करोड़ रुपए, 220.90 करोड़ रुपए और 253.05 करोड़ रुपए की अल्पावधि ऋण सीमाएं भी मंजूर की हैं।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान नाबार्ड द्वारा शुरू की गई योजनाएं ये हैं :-

(i) ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए विकासात्मक सहायता प्रदान करने हेतु सहकारी विकास निधि की स्थापना करना;

(ii) तमिलनाडु के सभी जिलों के लिए जिले की अर्थक्षमता से जुड़ी ऋण योजनाएं तैयार करना;

(iii) स्वावलम्बी समूहों को बैंकों के साथ संबद्ध करना; और

(iv) प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों को नाबार्ड की उद्यम पूंजी निधि से उच्च तकनीकी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

स्वायत्तशासी निकायों में सहायकों/आशुलिपिकों का वेतनमान

7474. डा॰ सुधीर राय :

श्री मुही राम सैकिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतनमान संशोधन से संबंधित मुद्दे पर सचिवों की समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करते समय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सहित कुछ स्वायत्तशासी कार्यालयों के सहायकों/आशुलिपिकों के वेतनमान में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्वायत्तशासी/अधीनस्थ कार्यालयों में यह वेतनमान संशोधन लागू है; और

(ग) सभी स्वायत्तशासी और अधीनस्थ कार्यालयों में इसी प्रकार सहायकों और आशुलिपिकों को संशोधित वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सहायकों/आशुलिपिकों के वेतनमान में संशोधन करने का निर्णय ले लिया है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सहायकों/आशुलिपिकों के वेतनमान संशोधित करने के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश स्वायत्त संगठनों पर लागू नहीं होते हैं। जहां तक भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में सहायकों/आशुलिपिकों का संबंध है, उच्चतर वेतनमान की मांग पर पांचवें वेतन आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

विदेशी बैंक

7475. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या ये विदेशी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तुलना में काफी अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक के लाभ/हानि संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस समय भारत में 23 विदेशी बैंक कार्य कर रहे है जिनकी 145 शाखायें हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, किसी भी एक विदेशी बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक से अधिक लाभ नहीं कमाया है।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी बैंकों के लाभ/हानि को भारतीय स्टेट बैंक से तुलनात्मक स्थिति विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष का निकला लाभ

(करोड़ रुपए)

क्रम सं॰	बैंक का नाम	1991	1992	1993
1.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि॰	22.42	46.40	38.56
2.	एबीएन आमरो बैंक	5.50	14.94	16.06
3.	अबू धाबी कमर्शियल बैंक	0.31	1.21	4.56
4.	एएनजेड गिंडलेज बैंक	34.10	92.01	33.04
5.	बैंक आफ अमेरिकन एनटी एंड एसए (कर से पूर्व लाभ)	22.08	136.10	129.46
6.	ब्रिटिश बैंक आफ द मिडल ईस्ट	5.42	7.29	13.67
7.	बैंक आफ तौक्यो लि॰	6.06	9.62	14.92
8.	बैंक नेशनल डी पेरिस	1.93	9.36	11.85
9.	मशरक बैंक पी॰ एस॰ सी॰	0.60	1.53	0.25
10.	बैंक इंडो-सूइज	2.76	7.92	6.80
11.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	1.72	1.58	3.15
12.	बैक आफ बेहरिन एंड कुवेत बी॰ एस॰ सी॰	1.50	2.80	3.39
13.	सिटी बैंक एन॰ ए॰	58.61	139.12	80.72
14.	क्रेडिट लयोनेस	4.46	6.62	9.94
15.	डयूश बैंक	6.67	15.48	0.22

16.	हांगकांग एण्ड शांगली बैंकिंग कार्पोरेशन	14.67	38.27	53.58
17.	समूरा बैंक लि॰	2.56	3.85	5.33
18.	ओमान इंटरनेशनल बैंक साओ	2.84	3.11	1.83
19.	सोशियट जनरेल	1.87	3.72	6.47
20.	स्टंडर्ड चाटर्ड बैंक	31.18	(-158.70)	(-1281.84)
21.	सोनाली बैंक	0.31	0.29	0.15
22.	बर्कले बैंक पीआईसी	(-0.81)	1.81	2.40
23.	सनवा बैंक लि॰	0.19	2.64	3.25
24.	भारतीय स्टेट बैंक	107.01	175.05	212.04

लौंग और तेजपत्ते का आयात

7476. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए लौंग और तेजपते के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1992-93 और 1993-94 के दौरान अब तक अग्रिम लाइसेंस द्वारा और अन्य प्रकार से लौंग तथा तेजपत्ते का कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयात किया गया; और

(घ) इनका आयात कौन-कौन से देशों से किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) एक्सिम नीति के अन्तर्गत डीजीएफटी आयात के देशवार/ब्यौरे नहीं रखता है।

सहकारी वस्त्र मिलें

7477. प्रो॰ एम॰ कामसन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी वस्त्र मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान बाजार विकास सहायता योजना के अन्तर्गत मिल मालिकों द्वारा राज्य-वार कितने प्रदर्शन-कक्ष स्थपित किये गये ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) 31.8.1993 की स्थिति के अनुसार देश में 12 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें सहकारी क्षेत्र में थी। सहकारी क्षेत्र की सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या का विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) सहकारी कताई मिलों को शोरूम स्थापित करने के लिए कोई बाजार विकास सहायता नहीं दी जाती है।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 13.5.94 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं॰ 7477 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र।

क्रम सं॰	राज्य	एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	हरियाणा	1
5.	कर्नाटक	9
6.	केरल	4
7.	महाराष्ट्र	40
8.	मध्यप्रदेश	2
9.	उड़ीसा	6
10.	पंजाब	6
11.	राजस्थान	3
12.	तमिलनाडु	19
13.	उत्तर प्रदेश	11
14.	प॰ बंगाल	1
15.	पाण्डिचेरी	1
16.	गुजरात	5
	कुल	121

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा सोने और चांदी को बिक्री

7478. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने सोने और चांदी की बिक्री की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) एमएमटीसी को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वह विनिर्माता निर्यातकों को सप्लाई हेतु सोना एवं चांदी आयात करें।

एमएमटीसी घरेलू बाजार में बिक्री हेतु भारत गोल्ड माइन्स लि॰ से भी सोना खरीद रहा है। ये क्रियाकलाप एमएमटीसी के वाणिज्यिक कार्यों का ही एक हिस्सा है।

गोमांस के निर्यात पर प्रतिबंध

7479. डा॰ ए॰ के॰ पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोमांस निर्यातक कम्पनियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गोमांस व्यापार को बन्द करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) निर्यात की निषेधात्मक सूची के भाग-I के अनुसार गोमांस के निर्यात पर पहले से ही प्रतिबंध है। अतः गोमांस निर्यात करने वाली कम्पनियों से शिकायतें मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

ऊन उत्पादकों का सम्मेलन

7480. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में विश्व भर के 400 से अधिक ऊन उत्पादकों, निर्माताओं और निर्यातकों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया;

(ग) सम्मेलन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(घ) इसमें क्या निर्णय लिए गए ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) भारतीय ऊनी वस्त्र मिल परिसंघ, बम्बई ने मार्च 1994 के माह में दिल्ली में 63वां अन्तर्राष्ट्रीय ऊन सम्मलेन आयोजित किया। इसमें 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ख) सम्मेलन में 26 देशों ने भाग लिया।

(ग) और (घ) भारतीय ऊन वस्त्र मिल परिसंघ से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई थी :-

(1) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेन्टीना, उरुग्वे और इंग्लैंड जैसे उपजकर्ता देशों की ऊन विपणन नीति।

(2) अपरिष्कृत ऊन विशिष्टियां तथा ऊन और ऊन की प्रोसेसिंग का मौलिक एवं रासायनिक पहलू।

(3) प्राथमिक प्रोसेसर्स ग्रुप जिसमें स्कोरिंग एवं काम्बिंग शामिल हैं।

(4) विश्व आधार पर यार्न और फैब्रिक्स में उत्पादन एवं व्यापार।

(5) संविदाएं एवं वाणिज्यिक विनियम।

(6) विश्व ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए आंकड़े।

वस्त्र निर्यात

7481. **श्री ए॰ वेंकटेश नायक :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1994 के "नई दुनिया" में "यूरोपीय संघ द्वारा एशियाई टेक्सटाइल आघात की जांच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी व्यापार नीति के अनुसार उक्त जांच को सही पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इससे निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) भारत में अन्य बातों के साथ-साथ ती फैब्रिक तथा सिन्थेटिक स्टेपल फाइबर फैब्रिक से संबंधित आयातों को आरंभ करने के संबंध में 20 जनवरी, 994 को यूरोपीय समुदाय ने एन्टी डंपिंग कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप बैड-लिनन आयातों से संबंधित 25 जनवरी, 1994 को कार्यवाही शुरू कर लिए जाने का एक नोटिस प्राप्त हुआ। गाट अनुच्छेद 6 (आमतौर पर एन्टी डंपिंग कोड के रूप में जाना जाता है) के कार्यान्वयन का समझौता यह उल्लेख रता है कि किसी कथित डंपिंग किए जाने, उसका स्तर तथा प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच सामान्यतः प्रभावित उद्योग द्वारा अथवा उस की ओर से लिखित अनुरोध पर शुरू की जाएगी। यूरोपीय समुदाय ने यूरो-काटन, संबंधित यूरोपीय वस्त्र विनिर्माता संघ से प्राप्त लिखित अनुरोध के परिणामस्वरूप भारत सहित कपास तथा सिन्थेटिक फैब्रिक एवं बेह लिमन के कुछ प्रमुख निर्यातक देशों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्ष 1994 के अंत अथवा 1995 के शुरू में कार्यवाही समाप्त होने की आशा है। कार्यवाही के प्रभाव अथवा निष्कर्ष के विषय में पहले से ही कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार यूरोपीय समुदाय में भारत के स्थायी मिशन के माध्यम से यूरोपीय समुदाय तथा भारतीय उद्योग के साथ इस मामले पर संपर्क किए हुए हैं।

हथियारों की तस्करी

2. **श्री बी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में हथियारों और गोलाबारूद की तस्करी में पाकिस्तान आई॰ एस॰ आई॰ का हाथ है;

(ख) क्या हाल ही में कांडला बंदरगाह पर भारी यात्रा में ऐसे हथियार जब्त किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन तस्करियों में लिप्त संदिग्ध एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार देश में हथियारों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) हथियारों तथा गोला-बारूद की तस्करी में पाकिस्तान के आई॰ एस॰ आई॰ का हाथ होने का कोई विशेष मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है। निवारक कार्यालयों को जलयानों, वाहनों, आग्नेयास्त्रों और रात्रि में काम में लाई जाने वाली दूरबीनों से सुसज्जित किया गया है। जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है दूर-संचार संजाल की व्यवस्था की गई है। संदिग्ध आयात कार्गो की शत-प्रतिशत जांच की जाती है। हथियारों की तस्करी सहित तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने में लगी सभी केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

हेरोइन का व्यापार

7483. श्री चित्त बसु :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी स्टेट विभाग और ब्यूरो आफ इंटरनेशनल नारकोटिक मैटर्स ने भारत का वर्णन "मनी लांडरिंग एंड मनी मूवमेंट सेंटर फार हेरोइन ट्रेड" के रूप में किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) "मनी लांडरिंग" पर अमरीकी स्टेट विभाग के ब्यूरो आफ इंटरनेशनल नारकोटिक मैटर्स की वर्ष 1993 की रिपोर्ट के साथ-साथ यह उल्लेख है कि "जबकि भारत ने कई कार्रवाइयां की हैं, जैसे स्वापक अवैध व्यापार संबंधित मनी लांडरिंग का आपराधिकरण, अधिक मुद्रा के लेन देन पर बैंकों द्वारा अपेक्षित रिकार्ड रखना,

तथा प्रवर्त्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रबंध करना, परिसंपति समपहृत कानून अधिकतर अप्रभावी है, अदालत की प्रणाली कार्यकुशल नहीं है, और अन्यथा जहां बैंकिंग प्रणाली उदार है तथा लेखा और व्यवस्था के तरीकों से, जो दशकों पुराने हो गए हैं, कमजोर हो गये हैं।

(ग) सरकार का यह दृष्टिकोण है कि अमरीकी स्टेट विभाग के बी॰ आई॰ एन॰ एम॰ की टिप्पणियां बहुत सामान्य किस्म की और बढ़ा-चढ़ा कर की गई हैं। सरकार मनीलांडरिंग की संभावना को समझती है। एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ एक्ट में संपति की समपहरण और जब्तियों का प्रावधान है तथा सरकार ने पहले से ही कानून में, उपयुक्त संशोधन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है ताकि उसे और अधिक प्रभावी बनाया जा, सके।

करेंसी नोटों का मुद्रण

7484. **प्रो॰ एम॰ कामसन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा सभी मुख्य वर्गों के नये करेंसी नोटों का मुद्रण करनेके संबंध में कुछ मानदंड/दिशा निर्देश विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा नये सिक्कों की ढलाई के संबंध में भी कुछ मानदंड/दिशानिर्देश विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिर्जव बैंक का विचार 1994 के दौरा कुछ मूल्यवर्गों के नये करेंसी नोट छापने वाली नयी सीरीज तथा आकार प्रकार के सिक्के ढालने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) मूल्यवर्ग जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी/बैंक नोटों को जारी किया जा सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सिक्कों को भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक नए नोटों की श्रृंखला मुद्रित किए जाने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इन नई श्रृंखलाओं के रूप को अभी अन्तिम रूप देना है।

किसानों को ऋण

7485. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि उत्पादन हेतु और अधिक ऋण देने की आवश्यकता और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए 40% ऋण देने के लक्ष्य को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा "नाबार्ड" से किसानों को पर्याप्त ऋण देने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो बैंकों को इस संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बैंकों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दें और 18 प्रतिशत का उप लक्ष्य प्रत्यक्ष कृषि ऋण के लिए निर्धारित किया गया है। अलबत्ता, अक्तूबर 1993 से कृषि अग्रिमों के "प्रत्यक्ष" और "अप्रत्यक्ष" श्रेणियों के अंतर्गत ऋण के 18% के लक्ष्य का परिकलन करने के उद्देश्य से दिये जाने वाले ऋणों को आपस में मिला दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि अग्रिमों की प्रत्यक्ष श्रेणी पर से बैंकों का ध्यान कम नहीं होता है, ये अनुदेश जारी किये गये हैं कि 18% को उपलक्ष्य के उद्देश्य से कार्यनिष्पादन का अभिकलन करने में कृषि ऋण अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

कृषि सहित प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में बैंकों के कार्यनिष्पादन को भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21.10.93 के अपने परिपत्र के तहत सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य और उपलक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करने की सलाह दी है। बैंकों को यह चेतावनी दी गई है कि निर्धारित लक्ष्यों और उपलक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी चूक के लिए उनके विरुद्ध बैंक विशेष नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं जिनमें प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं को बढ़ाना या पुनर्वित्त सुविधा का वापस लिया जाना या ऐसे ही अन्य अनिवार्य उपाय शामिल हैं। दिसम्बर 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र/कृषि के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अद्यतन उपलब्ध आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

		बकाया शेष (करोड़ रुपए में)
I.	निवल बैंक ऋण	136771.95
II.	कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	49821.85
III.	कुल कृषि (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)	20513.41

कृषि विकास

7486. श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से "ओपेक" की सहायता से राज्य में विस्तार कृषि विकास

योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। वर्षा सिंचित खेती के विकास की परियोजना के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह परियोजना केरल राज्य के कुछ जिलों में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए खेती के प्रयोजन हेतु वर्षा के जल को अत्यधिक कारगर तरीके से प्रयोग करने, और अधिक रोजगार सृजित करने और भूमि पर आधारित अन्य आय सृजन करने वाले कार्यकलापों का समेकन करने के उद्देश्य से तैयार किए गए कार्यक्रम का प्रारम्भिक चरण है।

(ग) सरकार ने इस परियोजना के लिए ओपेक निधि से 10 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के एक ऋण करार पर 27.6.1991 को हस्ताक्षर किए हैं।

पीयरलेस फाइनेंस एण्ड जेनरल इन्वेस्टमेंट कम्पनीज लिमिटेड

7487. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पीयरलेस फाइनेंस एंड जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड" के कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार से इसके राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य वित्तीय कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पीयरलेस जरल फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों से राष्ट्रीयकरण के संबंध में हाल ही में सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

स्वापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामले

7488. श्री सी॰ श्रीनिवासन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अनेक मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे ही मामले मद्रास उच्च न्यायालय में भी लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मामलों का तेजी से निपटारा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत पंजीकृत मामले, स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत संगठित विशेष अदालतों के समक्ष मुकदमे हेतु आते हैं और यदि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ है तो उन्हें सत्र न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मात्र अपीलें उच्च न्यायालय में आती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.3.94 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 7754 मामले और 2389 मामले तमिलनाडु में लंबित पड़े हैं। लंबित पड़े मामलों की इतनी बड़ी संख्या विशेष अदालतों/सत्र अदालतों की पर्याप्त संख्या में कमी के कारण हैं।

राज्य सरकारों को बार-बार यह अनुरोध किया जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतों का गठन किया जाए। राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे अदालतों और अभियोजकों को अनुरोध करें कि मामलों के निपटान के लिए कदम उठाएं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

7489. श्री राम बदन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार युवाओं को एक लाख रुपये तक का ऋण दिया गया है या दिये जाने की संभावना है, और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के तहत, वर्ष 1994-95 के वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 27,400 हिताधिकारियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य 31 मार्च, 1995 तक प्राप्त किया जाना है। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

(i) 18 और 35 वर्ष के बीच के वे सभी शिक्षित बेराजगार युवक, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय कुल 24,000/-रुपए से कम हो, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ii) इन सभी शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को माइक्रो उद्यम आरम्भ करने के लिए प्रत्येक को 7500/-रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की सब्सिडी दी जाएगी।

(iii) उन्हें मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5% प्रस्तुत करना होगा।

(iv) प्रत्येक उद्यमी एक लाख रुपए की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा और इस ऋण के निए संपार्श्विक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

(v) जिन उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत चुना जाएगा, उन्हें ऋण संवितरित किए जाने से पहले प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(vi) मैट्रिक (उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण) विद्यार्थी, आई. टी. आई. उत्तीर्ण युवक और वे सभी व्यक्ति जिन्होने कम से कम छ: महीने तक सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम में भाग लिया है, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(vii) इस योजना के कार्यान्वयन में ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को भी शामिल किया जाएगा।

(viii) इस योजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

अन्य देशों के साथ व्यापार

7490. श्री बी. देवराजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से कितना आयात एवं निर्यात किया गया ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) विभिन्न देशों को भारत के निर्यात और वहां से आयात की मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाए गए हैं। तथापि, मांगे गए ब्यौरे बहुत विस्तृत हैं और डी. जी. सी. आई. एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टैटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया (1990-92 और 1992-93 के वार्षिक अंकों) के खंड-1 में उपलब्ध हैं। ये प्रकाशन लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध कराए गए हैं।

विवरण

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	निर्यात			आयात		
	1990-91	1991-92	1992-93	1990-91	1991-92	92-93
जापान	1693.9	1641.9	1433.88	1808.3	1367.1	1409.05
इंडोनेशिया	108.9	147.3	138.00	80.7	65.4	59.0
मलेशिया	149.22	201.36	187.04	556.71	389.23	405.23
सिंगापुर	378.46	387.28	587.00	797.23	690.46	629.00
फिलीपीन्स	27.38	64.25	54.65	5.55	31.34	9.77
आस्ट्रेलिया	179.05	201.60	232.57	815.67	584.03	832.54
न्यूजीलैन्ड	22.33	24.00	30.77	66.43	68.00	59.45

(डी. जी. सी. आई. एस. के आंकड़ों पर आधारित)

अखबारी-कागज का भंडार

7491. डा॰ मुमताज अंसारी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों ने कलकत्ता में कान्तानपुर और मायेहाट स्थित राज्य व्यापार निगम के अखबारी कागज के भंडार को कब्जे में ले रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बकाया आयकर

7492. डा॰ साक्षी जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन फिल्मी सितारों पर आयकर की अधिकतम राशि बकाया है और इनमें से प्रत्येक पर कितना-कितना आयकर बकाया है;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से कुछ फिल्मी सितारों पर बकाया आयकर राशि माफ कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन सितारों पर बकाया दस लाख या इससे अधिक की राशि माफ की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जिन फिल्मी सितारों की तरफ 10 लाख रु॰ से अधिक की आयकर की मांग बकाया है, उनकी सूची विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) फिल्मी सितारों के संबंध में बकाया राशि को बट्टे खाते डाले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्र॰ सं॰	नाम	दिनांक 31.12.93 की स्थिति के अनु-सार बकाया मांग (लाख रु॰ में)
1.	सुश्री जी॰ माधवी	18.75
2.	स्व॰ श्री अमज़द खान	35.88
3.	स्व॰ श्री किशोर कुमार	19.75
4.	श्री राजेश खन्ना	100.30
5.	श्री गोविन्दा आहूजा	23.39
6.	श्री नसुरूद्दीन शाह	19.45
7.	श्रीमती हेमा मालिनी	11.60
8.	श्री अकबर अली खान	25.82

1	2	3
9.	श्री अमिताभ बच्चन	318.52
10.	श्रीमती आर० जयप्रदा	214.96
11.	सुश्री ए० श्री देवी	52.16
12.	श्री आर० रजनीकांत	13.34
13.	श्रीमती ई० वी० सरोज	12.01
14.	श्री कमलहसन	12.60
15.	सुश्री स्मिता	13.84
16.	स्व० प्रेम नजीर	10.35
17.	श्रीमती चन्द्रलेखा	13.46
18.	श्री ए० विजयकांत	13.33
19.	श्री के० एस० दत्तात्रे	289.34

बाल श्रमिक

7493. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में अन्य विकासशील देशों की तुलना में देश में बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है;

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों की संख्या के संबंध में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व श्रम रिपोर्ट, 1992 में उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्भवत: भारत में कामकाजी बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में सकल श्रम बल में बालकों की प्रतिशतता 5.03 थी जबकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कई एशियायी और अफ्रीकी देशों में बाल श्रमिकों की प्रतिशतता उनके सकल श्रम बल का 17% तक है।

(ग) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 में यथा परिकल्पित विधायी, प्रवर्तन एवं पुनर्वास सम्बन्धी उपायों को उक्त समस्या के निवारण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1993-94 के अध्याय 9, (पैरा 9.3 से 9.15) में तत्सम्बन्धी उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

अमरीका के लिए वस्त्र बाजार

7494. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत से अमरीकी व्यापार हेतु अपने वस्त्र बाजार खोलने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अमरीकी वस्त्र खरीदने हेतु भारत को बाध्य करने के लिए उसके विरुद्ध सुपर 301 प्रावधानों का प्रयोग करने की धमकी दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अमरीकी मांग से किस प्रकार निपटने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) उरुग्वे दौर की बाजार प्रवेश वार्ताओं में अमरीका भारतीय बाजार में अपने वस्त्र तथा क्लोरिंग उत्पादों को प्रवेश देने के लिए भारत से अनुरोध करता रहा था। प्रवर्द्धित बाजार प्रवेश के लिए दोनों देशों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मार्च, 94 के दौरान जनेवा में भारत तथा अमरीका के बीच वार्ताएं हुई। तथापि इन वार्ताओं के दौरान कोई समझौता नहीं हुआ। इस संबंध में एक परस्पर स्वीकार्य व्यवस्था प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने के लिए शीघ्र ही अधिकारिक स्तर पर वार्ताएं पुन: आरंभ होने की आशा है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लाभ/हानि

7495. **श्री राम निहोर राय :**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की ऐसी बैंकवार कितनी शाखाओं का पता चला है जो घाटे में चल रही हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान, बैंक-वार इन शाखाओं को कितनी राशि का घाटा हुआ,

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) घाटा रोकने और इन बैंकों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) बैंक-वार मुनाफे की राशि सहित 1993-94 के दौरान मुनाफा कमाने वाले बैंको का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपने वार्षिक खातों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए, वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात कोटा

7496. प्रो० राम कापसे : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित गामी श्रेणियों हेतु "पहले आओ, पहले पाओ" निपटाने के अंतर्गत सिले सिलाए कपड़ों के लिए खुला कोटा प्रणाली आरंभ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात कोटा परिधान निर्यात हकदारी आबंटन नीति (कोटा नीति) के उपबंधों के अनुसार आबंटित किया जाता है। 1994-95 की नीति में यह निर्धारित किया गया है कि अभ्यार्पणों, लोचशीलताओं या अन्यथा के कारण समय-समय पर उपलब्ध होने वाली मात्राओं को पहले आओ, पहले जाओ की पद्धति के अंतर्गत आबंटित किया जाएगा।

वायुदूत के कर्मचारी

7497. श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत के कितने कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स में समाहित कर लिया गया है;

(ख) वायुदूत के कितने कर्मचारियों को अभी भी इंडियन एयरलाइन्स में समाहित किया जाना बाकि है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) वायुदूत के सभी कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइन्स में कब तक समाहित कर लिया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अभी तक इंडियन एयरलाइन्स में किसी भी कर्मचारी को नहीं खपाया गया है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स में समाये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में अभी कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) फिलहाल कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग

7498. श्री सुधीर गिरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के क्षेत्रों के विकास में ढांचागत कमियों को दूर करने के लिए अनुमानतः कुल कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी; और

(ख) इन संसाधनों को किन स्रोतों से जुटाया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) ऐस्कैप सचिवालय ने इस बात का आकलन करते हुए एक अध्ययन किया है कि एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ऐस्कैप) के विकास हेतु अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की कमियों को पूरा करने के लिए कितने संसाधनों की जरूरत होगी। अनुमान है कि समूचे ऐस्कैप क्षेत्र के लिए अभिज्ञात अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं पर सन 2000 तक कुल लगभग 1,425 बिलियन अमरीकी डालर की धनराशि की जरूरत होगी जिसमें से 507 बिलियन अमरीकी डालर की ऐसी राशि

अभिज्ञात की गई है जो उपलब्ध है अथवा जिसके बारे में पहले से ही वादा हो चुका है। अत: वित्तीय संसाधन अन्तर 918 बिलियन अमरीकी डालर का होगा, ऐस्कैप सचिवालय ने इन संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न स्रोतों का सुझाव दिया है, प्रथमत: उन्होंने सरकारी क्षेत्र के वित्तपोषण का सुझाव दिया है जिसमें अपेक्षतया बड़े वित्तीय प्रयासों जैसे केन्द्रीय सरकार का राजस्व और अधिक बढ़ाने हेतु अधिक कराधान की परिकल्पना है। दूसरे, स्ववित्तपोषण का सुझाव दिया गया है जिसमें यह प्रस्ताव है कि अतिभार पूंजी संबंधी विकास एवं अनुरक्षण कार्यक्रमों की वित्तीय क्षमता में और वृद्धि करने के लिए संगत सुविधाओं तथा सेवाओं पर युक्तिसंगत कीमतें और लेवियां वसूल की जा सकती हैं। तीसरे, एफ डी आई, वाणिज्यिक ऋणों और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के रूप में विदेशी वित्त पोषण का सुझाव दिया गया है। अन्त में, बौण्डों की बिक्री, प्रबन्धन ठेकों, लीजिंग, बीओटी को विशेषाधिकार देने, संयुक्त उद्यमों, इक्विटी भागीदारी और निजीकरण के रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से पूंजीनिवेश करके गैर-सरकारी क्षेत्र के वित्तपोषण का सुझाव दिया गया है।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970

7499. श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें संशोधन कब तक किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन एवं उतसादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

डायमन्ड पार्क

7500. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में किन-किन स्थानों पर डायमन्ड पार्क स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार और अधिक डायमन्ड पार्क स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) दि डायमन्ड एण्ड जेम डेवलपमेंट कारपोरेशन (डी जी डी सी) नामक एक गैर-सरकारी कम्पनी गुजरात के सचिन, राजस्थान के जयपुर, उत्तर प्रदेश के हल्दवानी और तमिलनाडु के त्रिची नामक स्थानों में अपने डायमन्ड पार्कों का संवर्धन करती रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी

7501. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1990 और मार्च, 1993 के अंत में कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ख) ढांचागत सुधार उपायों से किस हद तक रोजगार वृद्धि हुई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा रोजगार के कितने अवसर पैदा किए गए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार मार्च, 1990 तथा मार्च, 1993 के अंत में बेरोजगारी का बैकलॉग लगभग क्रमश: 12.7 मिलियन तथा 17.8 मिलियन था।

(ख) आरम्भिक एक या दो वर्षों में चालू संरचनात्मक सुधारों से रोजगार की वृद्धि दर में धीमापन आ सकता है किन्तु चूंकि उनसे मध्यम काल में पर्याप्त उच्चतर तथा विस्तृत वृद्धि होने की संभावना है, अत: रोजगार वृद्धि पर उनका प्रभाव सकारात्मक होगा।

(ग) संगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़े निम्न प्रकार हैं-

(मिलियन में)

वर्ष में 31 मार्च में अनुसार	सार्वजनिक	निजी
1990	18.8	7.6
1991	19.0	7.7
1992	19.2	7.8

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वस्त्र उद्योगों को ऋण

7502. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वस्त्र उद्योगों को इन उद्योगों की संपतियों पर ग्रहणाधिकार सुनिश्चित किए बिना ऋण वितरित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के ऋणों के वितरण के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उक्त अवधि में इन दिशा-निर्देशों का कोई उल्लंघन किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इसके द्वारा प्रदान किए गए सावधि ऋणों को औद्योगिक इकाइयों द्वारा अर्जित/अर्जित की जाने वाली अचल आस्तियों/चल आस्तियों तथा उनकी वर्तमान आस्तियों को, यदि कोई हों, साम्यिक बंधक/दृष्टिबंधक रखकर सामान्यतया प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। इसके साथ ही जहां कहीं आवश्यक होता है वहां सहायता की प्रतिभूति के लिए आई डी बी आई उपयुक्त वैयक्तिक और अन्य गारंटियां भी लेता है। परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम निर्धारित प्रतिभूति के सृजन होने तक, कभी-कभी आई डी बी आई अंतरिम/तात्कालिक ऋण के द्वारा ऋण के कुछ भाग का संवितरण करती है ऐसे मामलों में प्रतिभूति का सृजन यथा समय किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसकी अल्पाधिक अधिशेष निधियों में लाभप्रदता लाने की दृष्टि से आई डी बी आई ने प्रायोगिक आधार पर जुलाई 1993 में प्रतिभूति-रहित अल्पावधिक जमाराशियों की एक योजना आरंभ की है जिसके तहत अच्छी तरह काम करने वाली कंपनी को छः महीने से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिए एक करोड़ रु० से लेकर अधिकतम दस करोड़ रु० की प्रतिभूति-रहित अल्पावधिक जमाराशि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन राशि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी की सकल कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के 25% से अनधिक की सीमा तक प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत आई डी बी आई ने 1992-93 के दौरान टेक्सटाइल कंपनियों को ऋण मंजूर नहीं किया है। 1993-94 के दौरान, ऐसी सात कंपनियों को 27 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।

(ग) सरकार ने ऋणों के संवितरण के लिए मानदंडों के संबंध में आई डी बी आई को कोई मार्ग-निर्देश जारी नहीं किया है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

बाल श्रमिक

7503. श्री रवि राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विकसित देशों में बाल श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए भारत की उत्पादन सुविधाओं का निरीक्षण करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी सरकार बाल श्रम की सहायता से उत्पादित वस्त्रों और गलीचों के आयात पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो विकसित देशों द्वारा इस प्रकार के दबावों का विरोध करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): जी नहीं।

तथापि, सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य की सीनेट में एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसमें बाल श्रमिकों द्वारा बनाये गये उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह विधेयक सामान्य प्रकृति का है और यह न तो किसी देश विशिष्ट और न ही किसी उत्पाद विशिष्ट से संबंधित है।

काफी उद्योग को पूल से बाहर रखने की प्रणाली

7504. श्री वी० धनंजय कुमार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी उद्योग में काफी को पूल से बाहर रखने की प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काफी के आयात व निर्यात पर गैट समझौते का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि संबधी उरूग्वे दौर करार में व्यवस्थ है (1) सभी गैर-टैरिफ सीमा उपायों को "टैरिफ के अंतर्गत लाना", टैरिफ एवं मौजूदा सीमा शुल्कों में 36% की कमी करना तथा सभी कृषि शुल्कों को अनिवार्य रूप से एक नए स्तर पर लाना;

(2) सकल समर्थन पैमाने के रूप में अभिव्यक्त घरेलू उपायों में 20% की कमी करना; और

(3) निर्यात सब्सीडी के बजटीय परिव्यय में 36% कमी करना एवं सब्सीडाइज्ड एक्सपोर्ट की मात्रा में 21% की कमी करना। इन उपायों के अपनाये जाने से सभी विकसित तथा विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में काफी सहित सभी कृषि मदों की बाजार पहुंच के अवसरों में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

गुजरात में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण

7505. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रतिव्यक्ति बैंक ऋण तथा देश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण का औसत क्या था;

(ख) गुजरात में प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) इसमें सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च 1991, 1992 और 1993 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए 1991 के जनसंख्या के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अनुगानित प्रति व्यक्ति ऋण और समग्र रूप से देश के लिए औसत प्रति व्यक्ति ऋण राशि नीचे दी गई है:-

की स्थिति के अनुसार	प्रति व्यक्ति ऋण (रुपए)	
	गुजरात	अखिल भारत
मार्च 1991	1703	1569
मार्च 1992	1987	1684
मार्च 1993	2059	1964

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रति व्यक्ति ऋण राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। फिर भी, ऋण संवितरण, किसी क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो बाजार नैटवर्क, संचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। राज्यों में ऋण संवितरण से संबंधित मुद्दों पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

[अनुवाद]

हैंक यार्न का उत्पादन

7506. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1993 में भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार हथकरघा क्षेत्र के लिए हैंक यार्न की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान हैंक यार्न का अनुमानतः कितना उत्पादन किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विद्युत करघा क्षेत्र तथा हैंक यार्न के अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा हैंक यार्न का इस्तेमाल किये जाने के बारे में आंकड़े क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय के मार्च, 1993 के निर्णय के अनुसार हथकरघा क्षेत्र के लिए आठवीं योजना के अन्त तक लक्षित अत्पादन उपलब्ध करने के लिए 561 मिलियन किलोग्राम सूती हैंक यार्न की वार्षिक आवश्यकता होगी।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान सूती हैंक यार्न की अनुमानित डिलीवरी 370 मिलियन किलोग्राम है।

(ग) तथापि पावरलूम द्वारा हैंक यार्न विशेष रूप से क्रोस रील हैंक यार्न के प्रयोग की रिपोर्ट मिली है, पावरलूम क्षेत्र द्वारा कितनी मात्रा में हैंक यार्न प्रयोग किया जा रहा है। इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आर॰ ई॰ पी॰ लाइसेंस

7507. डा॰ परशुराम गंगवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1993-94 के दौरान आर॰ ई॰ पी॰ लाइसेंसों तथा आयात-निर्यात स्क्रिप्स की चोरी के और जाली आयात-निर्यात स्क्रिप जारी किए जाने के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) ऐसे मामलों में कितने व्यक्ति शामिल पाए गए हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालयों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

नेशनल ट्रेड एस्टिमेंट रिपोर्ट

7508. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अमरीका के व्यापार प्रतिनिधियों के कार्यालय द्वारा विदेशी व्यापार प्रतिबंधों के संबंध में जारी की गई नेशनल ट्रेड एस्टिमेंट रिपोर्ट, 1994 में भारत द्वारा विश्व के वस्त्र उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने में अनिच्छा जताने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (ख) जी, हां। विदेश व्यापार प्रतिबंधों पर अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में 1991 से आर्थिक नीति के उदारीकरण पर विचार किया गया है तथापि इसमें यह भी उल्लेख है कि भारत अभी भी वस्त्रों तथा अपैरल सहित उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करता है तथा अभी भी भारत में शुल्क की अपेक्षाकृत अधिक दरें विद्यमान हैं।

हाल ही में अमरीका तथा भारत प्रवर्द्धित बाजार प्रवेश की दोनों देशों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए वस्त्र क्षेत्र में बाजार प्रवेश के मामले पर वार्ता करते रहे। अधिकारिक स्तर पर शीघ्र ही वार्ताएं पुनः आरंभ की जा रही हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण

7509. प्रो॰ प्रेम धूमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान विश्व बैंक ने देश को कुल कितना ऋण दिया;

(ख) यह ऋण किन-किन परियोजनाओं को दिया गया और इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा दिए गए पूरे ऋण का उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इसकी शिकायतें मिली हैं कि इस धनराशि का उपयोग निर्धारित परियोजनाओं के लिए नही किया गया है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(छ) क्या 1992-93 की तुलना में 1993-94 में ऋण बढ़ा दिया गया था; और

(ज) यदि हां, तो कितना ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित ऋणों की कुल धनराशि 1104.10 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ख) परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-क में दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों की वापसी 7.43 प्रतिशत ब्याज की दर पर 20 वर्षों में की जाती है जिसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। आई॰ डी॰ ए॰ ऋण ब्याज-मुक्त उदार शर्तों वाले ऋण हैं जिनकी वापसी 30 वर्षों में की जाती है जिसमें 5 वर्ष की स्थगन अवधि भी शामिल है।

(ग) और (घ) ऋणों का उपयोग अलग-अलग परियोजनाओं की समयावधि के अनुरूप होता है और इसीलिए उपयोगिता की दर प्रत्येक परियोजना की समयावधि पर निर्भर करती है। तथापि, विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं के संबंध में उपयोग न की गई कुल शेष धनराशि 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार 1084.508 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(ङ) और (च) सरकार ने ऋणों के संवितरण को सरल एवं कारगर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि राज्यों को 100 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देना, अग्रिम केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करना, एक परियोजना मानीटर एकक की स्थापना करना और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों की देखभाल हेतु केन्द्रीय अधिकारियों की नियुक्ति करना।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नही उठता।

विवरण

1993-94 में अनुमोदित विश्व बैंक परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	दाता ऐजेंसी	उधार/ऋण	उपयोग में लाई गई धन राशि (मिलियन डालर में)	निकाली न गई शेष धनराशि (31.3.94 की स्थिति के अनुसार)
1.	कर्नाटक जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता	आई० डी० ए०	92.00	5.259	86.741
2.	उ० प्र० सोडिक भू-सुधार	आई० डी० ए०	54.70	2.676	52.024
3.	उ० प्र० मौलिक शिक्षा	आई० डी० ए०	165.00	8.157	156.843
4.	रबड़ परियोजना	आई० डी० ए०	92.00	-	92.00
5.	झरिया खान अग्नि नियंत्रण	आई० डी० ए०	12.00	0.50	11.50
6.	एन० टी० पी० सी० बिजली उत्पादन	आई० बी० आर० डी०	400.00	-	400.00
7.	कोढ़ उन्मूलन	आई० डी० ए०	85.00	3.00	82.00
8.	परिवार कल्याण (शहरी गंदी बस्तियां)	आई० डी० ए०	79.00	-	79.00
9.	आन्ध्र प्रदेश वानिकी	आई० डी० ए०	77.40	-	77.40
10.	वन अनुसंधान शिक्षा विस्तार (एफ आर ई ई)	आई० डी० ए०	47.00	-	47.00

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

7510. श्री बीर सिंह महतो :

श्री हरचन्द सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कितना निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में उसे हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान एम एम टी सी ने 1309.81 करोड़ रू० का निर्यात किया।

(ख) वर्ष 1993-94 में अनंतिम रुप से 70.23 करोड़ रुपए के कर-पूर्व लाभ का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

पंजीकृत भर्ती एजेंन्ट

7511. श्री हरिन पाठक :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने पंजीकृत भर्ती एजेन्ट हैं;

(ख) क्या सरकार को इन भर्ती एजेन्टों द्वारा कथित धोखाधड़ी किये जाने की कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार दर्ज कराई गई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 12.5.1994 की स्थिति के अनुसार श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों की राज्यवार एवं संघ शासित प्रदेशवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) विभिन्न भर्ती एजेंटों के विरुद्ध उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के विभिन्न प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने सम्बन्धी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर उक्त शिकायत की प्रकृति के आधार पर पुलिस तथा विदेश स्थित सम्बन्धित भारतीय मिशन की सहायता से उनके बारे में जांच की जाती है।

वर्ष 1992 और 1993 के दौरान 16 भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये गये थे। निरस्ता की अवधि के दौरान इन एजेंटों को विदेश रोजगार के लिए भर्ती करने से सम्बन्धित व्यापार करने के लिए अनुमति नहीं दी गई।

पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत शिकायतों के राज्य-वार तथा संघ शासित प्रदेश वार विवरण संकलित किए जा रहे हैं, और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

विवरण

	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	भर्ती एजेन्टों की संख्या
1,	महाराष्ट्र	1199
2.	दिल्ली	489
3.	तमिलनाडु	116
4.	पंजाब	72
5.	केरल	87
6.	आन्ध्र प्रदेश	52

7.	चण्डीगढ़	47
8.	उत्तर प्रदेश	31
9.	राजस्थान	23
10.	हरियाणा	13
11.	कर्नाटक	22
12.	गोवा	11
13.	गुजरात	10
14.	पश्चिम बंगाल	9
15.	उड़ीसा	5
16.	जम्मू और कश्मीर	5
17.	बिहार	3
18.	मध्य प्रदेश	2
19.	दादरा और नागर हवेली	1
	कुलः	2197

एयरलाइनों द्वारा "यूरो-इसूज" जारी करना

7512. **डा॰ लाल बहादुर रावल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी एयरलाइनों को "यूरो-इसूज" के माध्यम से धन एकत्रित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये "इसूज" कब तक जारी किए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वस्त्र निर्यात

7513. **डा॰ असीम बाला :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश के वस्त्र निर्यात की स्थिति क्या है;

(ख) वस्त्र निर्यात में किन-किन मुद्दों को रखा गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र निर्यात से मदवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) इस समय उपलब्ध गांठ आंकड़ों के अनुसार विश्व के वस्त्र तथा क्लोदिंग निर्यातों में से भारत से लगभग 2% निर्यात होता है।

(ख) वस्त्रों तथा क्लोदिंग की सभी मदों अर्थात यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स तथा सिले सिलाए परिधानों का निर्यात किया जा सकता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों तथा क्लोदिंग के मदवार निर्यात निम्न प्रकार थे:-

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	1991-92	1992-93	1993-94 (फरवरी, 94 तक अन्तिम)
1. सूती वस्त्र	1542.40	1681.03	1800.86
2. ऊनी वस्त्र	100.74	146.00	173.84
3. रेशम वस्त्र	270.78	248.60	178.54
4. मानव निर्मित फाइबर वस्त्र	441.98	488.00	520.27
5. सिले सिलाए परिधान	2525.07	3052.62	3335.74
जोड़:	4880.97	5616.25	6017.25

स्रोत : निर्यात संवर्धन परिषदें।

नागर विमानन कर्मियों के लिए जन शक्ति योजना

7514. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दशक में विभिन्न श्रेणियों के नागर विमानन कर्मियों के लिए क्या जन शक्ति योजना बनाई गई है;

(ख) क्या टाटा समिति अथवा किसी अन्य समिति ने भी इस संबंध में कोई अध्ययन किया था;

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आगामी दशक में नागर विमानन के कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) सन् 2000 ई॰ के परिदृश्य में परिवहन विकास के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित संचालन समिति द्वारा वर्ष 1985 में स्वर्गीय जे॰ आर॰ डी॰ टाटा के नेतृत्व में बनाए गए नागर विमानन से संबंधित योजना दल ने अगली शताब्दी के आरंभ में नागर विमानन के बारे में अपनी रिपोर्ट में नागर विमानन सेक्टर की मानवशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया था। योजना दल की रिपोर्ट संचालन समिति के कार्य के लिए आदान किस्म की है।

विदेशों के साथ व्यापार समझौता

7515. श्री हरचंद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान केन्द्र सरकार ने विदशों के साथ कितने व्यापार समझौते किए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों से भारतीय वस्तुओं के निर्यात में अनुमानत कितनी वृद्धि होगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

1. 14.5.93 को बेलारूस के साथ
2. 14.5.93 को स्लोवाक के साथ गणराज्य
3. 24.5.93 को उज़बेकिस्तान के साथ
4. 15.6.93 को ओमान सल्तनत के साथ
5. 2.7.93 को लिथुआनिया के साथ
6. 18.9.93 को लातविया के साथ
7. 15.10.93 को एस्टोनिया के साथ
8. 7.12.93 को स्लोवासिया के साथ
9. 21.1.94 को म्यांमार के साथ
10. 20.12.93 को भारत-यूरोपीय समुदाय सहयोग करार

भारत-म्यांमार को छोड़कर सभी करार 5 वर्षों के लिए किए गए हैं। भारत-म्यांमार करार पर दो वर्ष के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) इन करारों के अन्तर्गत कोई व्यापार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। इसलिए इन करारों की वजह से भारतीय सामान के निर्यात में कितनी वृद्धि होगी इसका पूर्व निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेन्ज का कार्यकरण

7516. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनियय बोर्ड को संसद सदस्यों और लोगों से भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज के असंतोषजनक कार्यकरण के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकरण को नियमित करने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) अखिल उड़ीसा निवेशक मंच, भुवनेश्वर से सरकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें भुवनेश्वर स्थित स्टॉक एक्सचेंज में लेन-देनों के विशेष निपटान में हुई अनियमितताओं के संबंध में कतिपय आरोप लगाये गये थे और उस निपटान में हुए लेन-देन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) और (घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि स्टॉक एक्सचेंज ने 11

सदस्यों को एक्सचेंज में अपनी वचनबद्धता को सम्मान देने में असफल रहने के कारण चूककर्ता घोषित कर दिया है। इसके अलावा, स्टाक एक्सचेंज ने अब कठोर मार्जिन लेवी प्रणाली शुरू की है और स्टाक बाजार में जोखिमों को कम करने के लिए साप्ताहिक निपटान चक्र (साईकिल) की व्यवस्था भी प्रारम्भ की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और पोलैंड के बीच संयुक्त उद्यम

7517. **डा॰ कृपासिंधु भोई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोलैंड के सहयोग से किसी अन्य तीसरे देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने को कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार का फिलहाल पोलैंड के सहयोग से तीसरी दुनिया के देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वार्ता में दिनांक 7 अक्तूबर, 1993 को हुई भारत-पोलैन्ड संयुक्त व्यापार परिषद् को पांचवी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि भारत और पोलैन्ड दोनों देशों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा पोलैन्ड और भारत को छोड़कर अन्य देशों अर्थात तीसरे देशों में सहयोग का भी निर्णय लिया गया है।

कुवैत द्वारा सहायता

7518. **श्री के॰ प्रधानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुवैत सरकार से देश के आधारभूत क्षेत्र में कुछ और परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कुवैत द्वारा आधारभूत क्षेत्र में किन-किन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा; और

(ग) कुवैत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (ग) अप्रैल, 1994 में अपने दौरे के दौरान एक कुवैती शिष्टमण्डल ने आधारभूत क्षेत्र में संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए कुवैती निधि की इच्छा व्यक्त की थी। अभी तक विशिष्ट परियोजनाएं सुनिश्चित नहीं की गई हैं।

प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना

7519. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी यूरोपीय संघ में बाजार की मांग पूरी करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यूरोपीय संघ की मांग को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत ने यूरोपीय संघ के होने वाले निर्यात में पिछले दो

वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है। आयात एवं निर्यात तथा औद्योगिक नीतियों में की गई पहल और हाल के संघीय बजट में अन्य बातें के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के उन्नयन को सुकर बनाने; उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने तथा निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत-मैक्सिको व्यापार संबंध

7520. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैक्सिको के साथ व्यापार बढ़ाने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) दोनों देशों के बीच कोई बहुत अधिक व्यापार नहीं होता है। फिर भी, हाल के वर्षों में मैक्सिकों को किए गए भारतीय निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
1991-92	68.85	155.03	223.88
1992-93	124.65	140.72	265.37
1993-94 (अप्रैल-जनवरी)	140.35	125.79	266.14

(ग) मैक्सिको के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापार बढ़ाने के उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता एवं विक्रेताओं की बैठकों का आयोजन, बाजार जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञता प्राप्त शिष्टमंडलों के दौरे। इसके अलावा, भारत-मैक्सिकन संयुक्त आयोग है जो समय-समय पर द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करता है और इसके लिए सुझाव देता है।

[हिन्दी]

गुजरात में भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाएं

7521. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गुजरात में भारतीय जीवन बीमा निगम की कितनी नई शाखाएं खोले जाने का विचार है; और

(ख) ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जीवन बीमा निगम ने यह रिपोर्ट

दी है कि नई शाखाएं खोलना एक वार्षिक कार्य है, जो उनके द्वारा व्यापार क्षमता, परिशोधन आवश्यकताओं और अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अत: आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गुजरात में खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की संख्या बताना सम्भव नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, जीवन बीमा निगम ने गुजरात में 1992-93 और 1993-94 के दो वित्तीय वर्षों के दौरान अभी तक 16 नई शाखाएं खोली हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अभी तक खोले गए नये शाखा के कार्यालयों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं ?

विवरण

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात में खोली गई शाखाओं और उनके स्थानों का ब्यौरा

क्रम सं॰	शाखा का नाम	स्थान/जिला	प्रभाग	खोलने का वर्ष
1.	सांनद	अहमदाबाद शहर	अहमदाबाद	
2.	साबरमती	अहमदाबाद शहर	अहमदाबाद	
3.	चांदखेडा	गांधीनगर	गांधीनगर	1992-93
4.	चान्नी	वदोदरा	वदोदरा	
5.	लिमखेडा	पंचमहल	वदोदरा	
6.	रियो रोड	राजकोट	राजकोट	
7.	चित्रा	भावनगर	भावनगर	
8.	जम्बूसर	बारूच	सूरत	
9.	इसनपुर	अहमदाबाद शहर	अहमदाबाद	
10.	धनेरा	पालनपुर	गांधीनगर	
11.	वालसी नोर	खेडा	नदियाड	1993-94
12.	गोत्री रोड	वदोदरा शहर	वदोदरा	
13.	उना	जूनागढ़	राजकोट	
14.	जूनागढ़-II	जूनागढ़	राजकोट	
15.	लिम्डी	सुरेन्द्रनगर	भावनगर	
16.	संजन	वलसाड	सूरत	

स्वापक औषधियों की तस्करी

7522. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वापक औषधियों की तस्करी तेजी से हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत चार माह के दौरान किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अधिकारियों ने स्वापक औषधियां जब्त की थी;

(ग) स्वापक और मनप्रभावी औषधियों के अवैध उत्पादन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) जब्त की गई स्वापक औषधियों के निपटान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत चार माह के दौरान राजस्थान सीमा पर कितने नशीली औषधियों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया; और

(च) इन नशीली औषधियों के तस्करों को पकड़ने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) चूँकि स्वापकों की तस्करी एक गुप्त गतिविधि है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह देश में तेजी से बढ़ रही है अथवा नहीं। पिछले 4 महीनों के दौरान वे मुख्य क्षेत्र जहां विभिन्न स्वापक वस्तुएं विभिन्न अधिकारियों द्वारा जब्त की हैं; का ब्यौरा विवरण पत्र में संलग्न है।

स्वापक औषधों का मूल्यांकन जो प्राय: अनिर्धारित मात्रा और मिश्रण के होते है तथा नष्ट किए जाने योग्य होते हैं, आसानी से संभव नहीं है।

(ग) एसेटिक एन्हाइड्राइड, हेरोइन के विनिर्माण के लिए एक पूर्वगामी रसीयन है, जिसे एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ एक्ट के अन्तर्गत एक 'नियंत्रित पदार्थ' घोषित किया गया है तथा एसेटिक एन्हाइड्राइड की खपत, निर्यात, आयात, बिक्री, परिचालन, विनिर्माण के नियमन के लिए एक नियमन आदेश जारी कर दिया गया है। भारत-पाक सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर और भारत म्यांमार सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर रसायनों की गतिविधि पर सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण लगा दिया गया है।

सभी प्रवर्त्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि विभिन्न अधिनियमों में निहित कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्त्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान किए गए हैं। पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के एक भाग की घेराबंदी की गई है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1994 के पहले चार महीनों के दौरान 25 किलोग्राम हेरोइन, 33 किलोग्राम गांजा और 614 किलोग्राम हशीश को नष्ट किया गया।

(ङ) पिछले चार महीनों के दौरान राजस्थान सीमा पर औषधों की तस्करी करते हुए 6 व्यक्ति (5 भारतीय और एक पाकिस्तानी) गिफ्तार किए गए।

(च) प्रवर्त्तन अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजना पुनर्सक्रिय की गई है।

विवरण पत्र

मुख्य क्षेत्र जहां पिछले 4 महीनों (जनवरी से अप्रैल, 1994) के दौरान स्वापक वस्तुएं जब्त की गईं

(मात्रा किलोग्राम में)

राज्य	अफीम	मारफीन	हेरोइन	गांजा	हशीश	कोकीन	मैथाक्वालोन/ मैन्ड्रैक्स
दिल्ली	4.800	–	43.159	–	81.900	–	–
गुजरात	–	–	–	8.850	0.083	–	1986.000
जम्मू और कश्मीर	–	–	2.125	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	1.000	413.000
मध्यप्रदेश	22.960	–	1.107	11.112	–	–	–
महाराष्ट्र	–	–	79.982	1020.414	37.448	–	5539.400
नागालैंड	–	–	–	431.500	–	–	–
पंजाब	16.610	–	0.060	–	4.520	–	–
राजस्थान	41.452	0.070	16.270	35.000	15.520	–	–
तमिलनाडु	1.146	–	8.387	2198.300	–	–	–
उत्तरप्रदेश	–	–	1.792	104.100	9.145	–	–

[अनुवाद]

वेणुगोपाल रेड्डी समिति

7523. श्री राम नाईक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात और निर्यात प्रक्रियाओं में सुधार संबंधी सुझाव देने हेतु गठित डा. वाई वेणुगोपाल रेड्डी समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है, की जाएगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) समिति की सिफारिशों में शामिल हैं–विनिमय नियंत्रण, वाणिज्यिक बैंकिंग एवं निर्यात–आयात संलेखन के मामलों से संबंधित एक्जिम नीति कार्य-विधि सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क क्रिया-विधि/बैंकिंग कार्य-विधि। सरकार ने 1.4.1994 को नयी एक्ज़िम नीति की घोषणा की है जिसमें इस समिति द्वारा की गई कई सिफारिशों को शामिल किया गया है।

समन्वित हथकरघा ग्राम विकास योजना

7524. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में समन्वित हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किसी गांव का चयन किया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों में क्या कार्य किए गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में एकीकृत हथकरघा ग्राम विकसित योजना के कार्यान्वयन के लिए छिन्दवाड़ा जिले में ग्राम धोती और बालाघाट जिले में ग्राम बेनी को चुना गया है। इसके क्रमशः 25 लाख और 23.20 लाख रुपये का परिव्यय है। अब तक इन दोनों ग्रामों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को क्रमशः 10.00 लाख और 11.30 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को बकाया राशि का भुगतान न किया जाना।

7525. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में अप्रैल, 1994 के दौरान कई उद्योगपतियों को पटसन मिलों के कर्मचारियों की भविष्य निधि की लाखों रुपये की बकाया राशि कथित का भुगतान न किए जाने के कारण गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों की कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बकाया राशि के संबंध में भी इसी प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाया है;

(ग) यह हां, तो क्या भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राधिकारियों द्वारा कोई छापे मारे गए हैं और इस संबंध में कोई संयुक्त नीति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कोई जांच कराई गई है और जांच पूरी कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंध में इसी प्रकार की चूक देश के अन्य भागों में भी किए जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार ने नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बकाया राशि के दुरुपयोग को रोकने हेतु जो उपाय किए हैं अथवा करने का विचार किया है उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ज) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा देय राशि के रूप में जूट क्षेत्र की बकाया 42.86 करोड़ रुपये की राशि में से 39.80 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल की विभिन्न जूट मिलों से संबंद्ध हैं। इसी प्रकार जूट क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि की 83.98 करोड़ रुपये की देय राशि में से 79.40 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल की जूट मिलों से संबद्ध हैं। शेष राशि देश के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध हैं। कर्मचारी राज्य बीमा संगठन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने संयुक्त रूप से कोई छापा नहीं मारा है। तथापि देय राशि वसूल करने हेतु क॰ रा॰ बी॰ और क॰ भ॰ नि॰ प्राधिकारी जहां आवश्यक है और जैसा संबद्ध अधिनियम में निहित है, हर्जाना लगा रहे हैं और अभियोजन मामले दायर कर रहे हैं।

दार्जिलिंग चाय का निर्यात

7526. श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान रूस को दार्जिलिंग चाय का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त चाय को अवस्वास्थ्यकर पैकिंग के कारण इसकी कुछ मात्रा वापिस भारत भेज दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृतिं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान रूस को किए गए चाय के समग्र निर्यात में दार्जिलिंग में उत्पादित चाय की मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश मामलों में चाय का निर्यात मिश्रित रूप में किया जाता है।

(ख) से (ङ) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि रूस को निर्यात की गई चाय वापस लौटायी गयी है। किन्तु चाय बोर्ड को ऐसे कुछ भारतीय निर्यातकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने रूस तथा सी आई एस देशों को मानक स्तर से कम तथा घटिया किस्म की चाय का निर्यात किया। चाय बोर्ड ने इन शिकायतों को जांच की है और ऐसे निर्यातकों के खिलाफ चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की है। विश्वास जगाने के उपायों के एक भाग के रूप में चाय बोर्ड कार्यालय का प्रतिनिधि क्रेताओं की समस्याओं को हल करने और भारतीय चाय की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता बारे में उन्हें आश्वस्त करने के लिए उनसे मुलाकात करता रहा है। इसके अलावा चाय बोर्ड के मास्को स्थित कार्यालय द्वारा प्रचार माध्यम (प्रेस तथा दूरदर्शन) चाय नमूना प्रदर्शन, उपभोक्ता प्रदर्शनियों में भागीदारी, आदि के जरिए भारतीय चाय के लिए संवर्धानात्मक अभियान की योजना भी बनाई है।

भारत पर्यटन विकास निगम में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

7527. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना और मृत्यु होने, नौकरी छोड़ने, सेवा निवृत्ति, सेवाएं समाप्त किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण भारत पर्यटन विकास निगम का पारिश्रमिक व्यय में कितनी कमी आयी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए आई० टी० डी० सी० को कोई अनुदान/मुआवजा अथवा अन्य कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष-वार, डिवीज़न-वार गतिविधि-वार और यूनिट-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप वेतन (वेज) बिल में आई कमी निम्नानुसार है :–

वर्ष	राशि (रू० लाखों में)
1992-93	290.00
जुलाई 92 से मार्च 93 तक	
1993-94	390.00

मृत्यु, नौकरी छोड़कर जाने, सेवा निवृत्ति, सेवा समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप वेतन बिल में आई कमी का प्रभाव, उनके स्थान पर दूसरे कार्मिकों के रखे जाने से काफी हद तक बेअसर हो जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न एककों में 973 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण कुल मिलाकर 864.30 लाख रू० प्रतिपूर्ति की थी।

भुगतान संतुलन

7528. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार अनुमानित भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन/अप्रत्यक्ष व्यापार संतुलन, चालू खाता संतुलन तथा विदेशी मुद्रा का अनुमानित भण्डार कितना-कितना है और गत एक वर्ष में इनमें कितने-कितने प्रतिशत परिवर्तन आया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : देश का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार (सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों सहित) जो मार्च, 1993 के अंत में 9832 मिलियन अमरीकी डालर था, वह बढ़कर मार्च, 1994 के अंत में 19254 मिलियन अमरीकी डालर हो गया, जिससे लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। वाणिज्यिक सतर्कता तथा सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, 1993-94 के दौरान व्यापार घाटे का अनन्तिम अनुमान 1039 मिलियन अमरीकी डालर लगाया गया था जो 1992-93 के दौरान हुए 3305 मिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे के एक तिहाई से कम है। 1993-94 के लिए अदृश्य व्यापार

के भुगतान संतुलन और चालू खाता संतुलन के अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित नहीं किए गए हैं।

तमिलनाडु में आवास वित्त

7529. श्री पी॰ कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में वाणिज्यिक बैंकों ने आवास वित्त के अंतर्गत बहुत कम प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सभी बैंकों द्वारा दिये गये आवास ऋण निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	खातों की संख्या.	राशि (रु॰ लाख में)
1991	797	588.95
1992	1537	1604.87
1993	770	790.00

आवास वित्त के लिये कोई राज्यवार लक्ष्य नहीं हैं। तमिलनाडु सहित समूचे देश में आवास वित्त की उपलब्धि में धीमी प्रगति के कारण ये रहे हैं : निजी आवास वित्त कंपनियों की प्रतिस्पर्धा, कर्मचारियों का अपने प्रतिष्ठानों के माध्यम से आवास वित्त प्राप्त करना। 30% वाले मानदंड (अर्थात कुल किस्तों का भुगतान आय के 30% से अधिक न हो) के लागू होने के कारण वित्त की प्रमात्रा पर रोक, अन्य आवास वित्त एजेंसियों के मामले में 20 वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के मामले में वापसी अदायगी की अवधि को 15 वर्ष तक सीमित करना इत्यादि।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूहों, आवास बोर्डों इत्यादि को आवास वित्त देने के अनुदेश जारी किये हैं। वर्ष 1989-90 से इन बैंकों के वार्षिक आवास वित्त संबंधी लक्ष्य पिछले वर्ष के दौरान उनकी व्यक्तिगत वृद्धिशील जमा राशियों के 1.5% पर निर्धारित किये गये हैं। बैंकों से अपने संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सांविधिक प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए उचित स्तर तक अपने व्यक्तिगत आवास वित्त लक्ष्यों को बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

कालीकट हवाई अड्डा

7530. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट हवाई अड्डे पर विमानों की मरम्मत के छोटे और बड़े कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कालीकट हवाई अड्डे से इस समय कितनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं;

(ग) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर "हैंगरों" का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के लाइन रख-रखाव के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं हवाई अड्डे पर मुहैया कराई गई हैं।

(ख) कालीकट हवाई अड्डे के लिए/से प्रति सप्ताह 19 अंतरराष्ट्रीय और 33 अंतर्देशीय उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक इमारतों को होटलों में बदला जाना

7531. प्रो॰ एम॰ कामसन : क्या विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐतिहासिक इमारतों को होटलों में बदल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन सी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं और इन परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) सरकार ने एक स्वैच्छिक स्कीम प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत 1950 से पूर्व निर्मित भवनों जैसे किलों, महलों, दुर्गों, हवेलियों, आदि को होटलों में परिवर्तित किए जाने पर उन्हें हैरिटेज होटलों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, इससे देश में पर्यटन को एक नया आयाम मिला है। अब तक हैरिटेज श्रेणी के अन्तर्गत 22 होटलों को वर्गीकृत किया गया है। (राज्य-वार एक सूची संलग्न है)।

विवरण

हैरिटेज होटल श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत होटलों की सूची

राज्य	क्रम सं॰	हैरिटेज होटल का नाम	कमरों की संख्या
राजस्थान	1.	अजित भवन पैलेस होटल, जोधपुर	50
	2.	वेल्कम ग्रुप ऑयल कैसल, खिमसार	15
	3.	नारायण निवास पैलेस होटल, जयपुर	22
	4.	द रामगढ़ लॉज, जयपुर	11
	5.	राजमहल पैलेस, जयपुर	11
	6.	समोद हवेली, जयपुर	20
	7.	कैसल मांडवा, मांडवा	35
	8.	शिव निवास पैलेस, उदयपुर	31
	9.	होटल समोद पैलेस, समोद	30
	10.	होटल रोहेत गढ़, रोहेत गढ़	17

1	2	3	4
	11.	नीमराना फोर्ट पैलेस, नीमराना	18
	12.	पैलेस होटल, माऊण्ड आबू	38
	13.	सवाई माधोपुर लॉज, सवाई माधोपुर	16
	14.	होटल लालगढ़ पैलेस, बीकानेर	41
	15.	होटल सरिस्का पैलेस, सरिस्का	32
मध्य प्रदेश	16.	जहां नूमा पैलेस होटल, भोपाल	60
	17.	ऊषा किरण पैलेस होटल, ग्वालियर	28
उत्तर प्रदेश	18.	स्वाय होटल मसूरी	121
हिमाचल प्रदेश	19.	तारागढ़ पैलेस होटल, तारागढ़	15
	20.	चापसली होटल, शिमला	4
जम्मू और कश्मीर			
	21.	हरि निवास पैलेस होटल, जम्मू तवी	18
पश्चिम बंगाल	22.	विंडमेयर होटल, दार्जिलिंग	37

तम्बाकू के किसानों को भुगतान

7532. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने व्यापारियों द्वारा तम्बाकू के किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू बोर्ड किसानों के लिए ज्यादा ऊंची कीमतें और बेहतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य कार्यविधि पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) तम्बाकू बोर्ड द्वारा कर्नाटक में 1984 में और आन्ध्र प्रदेश में 1986 में शुरू की गयी नीलामी व्यवस्था से तम्बाकू उगाने वाले कृषकों को व्यापारी तुरन्त भुगतान करने लगे हैं। इससे काफी हद तक व्यापारियों द्वारा कृषकों के शोषण में कमी भी आयी है। इस व्यवस्था से खरीददारों में स्पर्धा की भावना विकसित हुई है जो पहले उनमें नहीं थी। कृषक को अपने उत्पादन की बेहतर अदायगी के अलावा उसे अब अपने उत्पाद की बिक्री की रकम मिलने का पूरा भरोसा है। जबकि विगत में कई अवसरों पर उसे अपने उत्पाद का भुगतान प्राप्त नहीं होता था।

(ग) और (घ) तम्बाकू उपजकर्ताओं को अपने उत्पाद का उचित एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए तम्बाकू बोर्ड जिस कार्यनीति का अनुसरण कर रहा है वह है अनुमानित मांग के आधार पर फसल के आकार को सीमित करना। इस संदर्भ में तम्बाकू बोर्ड को तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को भी कड़ाई से अनुपालन कराना होता है ताकि मांग एवं पूर्ति के बीच, असंतुलन की सम्भावनाएं कम की जा सकें खासकर विश्वव्यापी अधिक सप्लाई की हालत में। तम्बाकू बोर्ड ने विदेशी बाजारों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद के व्यापक विपणन के लिए अपने समर्थन में वृद्धि की है।

बैंक आफ बड़ौदा में जालसाजी

7533. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मार्च, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बैंक आफ बड़ौदा में करोड़ों रुपए की जालसाजी पकड़ी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी धनराशि की जालसाजी पकड़ी गई है और जालसाजी में किन उद्योगपतियों का धन लिप्त है;

(घ) इस जालसाजी में लिप्त व्यक्तियों और बैंक कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आफ बड़ौदा की वालकेश्वर शाखा में मूल हिताधिकारियों से भुगतान रसीद प्राप्त किए बगैर विभिन्न कंपनियों और अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर कुछ अल्पावधिक जमाराशियों की समय-पूर्व अनियमित भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। इन समय-पूर्व निकासियों की राशि को शाखा के दूसरे ग्राहक और उनसे संबंधित कंपनियों के खाते में जमा किया जाता था। इस तरह के अनियमित अंतरणों मार्च से दिसम्बर 1993 के दौरान अंतर्गत कुल राशि लगभग 59 करोड़ रुपए थी। इस धोखाधड़ी में शामिल पाए गए दो मुख्य प्रबंधक, तीन अधिकारी और एक लिपिकीय कर्मचारी को निलंबित किया गया है। बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में आपराधिक शिकायत दर्ज की है।

उद्यान कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर "अपेडा" की भूमिका

7534. श्री गुमान मल लोढा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेड) सामान्य कृषकों को फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए हतोत्साहित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्राधिकरण के इस कदम से देश में फलों और सब्जियों के बढ़ते उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त करना

7535. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों को समाप्त करने का निर्णय लिया है तथा सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के निर्देश पर अंतिम सुनवाई स्थागित कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 (1) में यह प्रावधान है कि जहां औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड का रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत जांच करने के बाद और सभी संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तथा सभी संबद्ध पार्टियों को सुनवाई का मौका देने के बाद यह मत हो कि कोई रुग्ण औद्योगिक कंपनी अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करते समय एक युक्तिसंगत समय के अंदर अपनी शुद्ध मालियत को अपनी संचित हानियों से अधिक नहीं बना सकती और इसके परिणामस्वरूप कम्पनी के भविष्य मे अर्थक्षम होने की सम्भावना नहीं है और यह यथोचित एवं न्यायसंगत होगा कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाए, वहां व अपनी राय को रिकार्ड कर सकती है और उसे संबंधित उच्च न्यायालय को प्रेषित कर सकती है।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार उन्होंने रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम की धारा 20 (1) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के चार कंपनियों अर्थात मैसर्स नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि॰, ए पी स्कूटर लि॰, कर्नाटक इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी कंपनी लि॰ और सयाद्रि ग्लास वर्क्स लि॰ का संबंधित उच्च न्यायालयों से परिसमापन करने की सिफारिश की है।

दक्षेस देशों के बीच स्वापक औषधि संबंधी समझौता

7536. डा॰ सुधीर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेस देशों के बीच स्वापक औषधियों पर नियंत्रण करने के लिए कोई समझौता किया गया है;

(ख) क्या सरकार को पंजाब और कश्मीर में स्वापक औषधियों की तस्करी के मामलों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं। तथापि, वर्ष 1990 में सार्क देशों द्वारा "स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थों पर सार्क अभिसमय" अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए ।

(ख) जी हाँ। वर्ष 1992 और 1993 के दौरान पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में जब्त किए गए ओषधों की मात्रा के संबंध में और पता लगे मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी निम्न प्रकार है :-

औषध	1992	1993
पंजाब		(मात्रा किलोग्राम में)
अफीम	134.000	612.000
हेरोइन	45.000	18.000
गांजा	14.000	78.000
हशीश	9.000	
मामलों की सं॰	103	401
जम्मू और कश्मीर		
अफीम	1.000	4.000
हेरोइन	4.000	13.000
गांजा		12.000
हशीश	116.000	11.000
मामलों की सं॰	41	36

(ग) सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि विभिन्न अधिनियमों में निहित कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। प्रवर्तन एजेंसियों को वाहन और संचार उपस्कर प्रदान किए गए हैं। सभी केन्द्रीय और राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों में प्रवर्तन कार्य में अन्तर-एजेंसी सहयोग बढ़ाने के लिए क्षेत्र स्तरीय सम्पर्क स्थापित किए गए हैं।

पत्तियों का निर्यात

7537. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में नीम की पत्तियों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नीम की पत्तियों का किस सीमा तक तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि नीम की पत्तियों को भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) में अलग से संहिता बद्ध नहीं किया गया है इसलिए इसके निर्यात के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

एशिया विकास बैंक की उत्तम शासन योजना

7538. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एशिया विकास बैंक की उत्तम शासन योजना पर हुए मतदान में भाग नहीं लिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एशिया विकास बैंक की उत्तम शासन योजना के प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक के कुछ अन्य विकासशील देशों सहित भारत सामान्य पूंजी वृद्धि-iv के अच्छे शासन सहित गैर-आर्थिक नीतिगत विषयों को जोड़ने का विरोध करने के लिए चौथे सामान्य पूंजी वृद्धि के मौके पर 30.3.94 को एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विचार किए गए प्रस्ताव के प्रारूप पर वोट देने के दौरान अनुपस्थित रहा था। तथापि, वह प्रस्ताव विकसित देशों के बहुमत से पास हुआ था और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 22 मई, 1994 तक उनके वोट प्राप्त करने के लिए सम्प्रेषित कर दिया था। भारत सामान्य-पूंजी वृद्धि-iv की समयबद्ध अधिकतम संभव वृद्धि का सदैव समर्थक रहा है लेकिन उसने सामान्य पूंजी वृद्धि-iv के साथ गैर-आर्थिक सशर्तों के उक्त सम्बंधन का विरोध किया था।

[हिन्दी]

आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात

7539. श्रीमती शीला गौतम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आस्ट्रेलिया से एक लाख टन कोयले का आयात करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन आधारों पर यह स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) इस आयात से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ब्रिटेन के साथ व्यापार

7540. श्री वी॰ देवराजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की ब्रिटेन की यात्रा के पश्चात् उस देश के साथ व्यापार में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री के दौरे से भारत तथा ब्रिटेन के बीच उच्चस्तर पर सरकारी तथा व्यापारिक संबंध कायम हुए हैं जिससे द्विपक्षीय व्यापार में और सुधार लाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

7541. श्री राम विलास पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सौंडा "डी" कोलियरी, मुरखुंडा कोलियरी, सेंट्रल सौंडा कोलियरी और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की सी॰ सी॰ एल॰ सौंडा के प्रबंन्धन और उनके मजदूरों के बीच औद्योगिक विवाद काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे अब तक हल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम

7542. डा॰ मुमताज अंसारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में चेयरमैन (प्रमुख) का पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो यह पद कब तक भरा जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक का पद दिनांक 3 अक्तूबर, 1993 से रिक्त पड़ा है। हालांकि आवश्यक अन्तरिम प्रशासनिक प्रबंध किये गये हैं लेकिन इस पद पर नियमित पदधारी के चयन के लिए इस सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पी ई एस बी) द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संयुक्त उद्यम

7543. श्री शंकरसिंह वाघेला :

श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला :

प्रो॰ प्रेम धूमल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन के पूर्व अध्यक्ष ने एक व्यापार प्रोत्साहन शिष्टमंडल के साथ नये उत्पादों के निर्यात और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी संयुक्त उद्यम के समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात में किस सीमा तक वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) पिओ के भूतपूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में 103 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 23.1.1994 से 1.2.1994 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीकी व्यापारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, तीसरे देश को निर्यात करना तथा दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी-अन्तरण था। किसी दक्षिण अफ्रीकी उद्यमी के साथ कोई संयुक्त उद्यम करार नहीं किया गया।

पिओ के आकलन के अनुसार, दौरे के समय 32 मिलि॰ अमरीकी डालर से अधिक मूल्य के द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बातचीत हुई और परिणामस्वरूप इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।

हथकरघा वस्त्र

7544. डा॰ साक्षी जी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ाने और बुनकरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हथकरघा बुनकरों के कल्याण और विकास के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 3921.64 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी की गई राशि का योजनावार ब्यौरा इस प्रकार है :–

योजना	जारी राशि (लाख रु. में)	
निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी	21.64	
प्रोजैक्ट पैकेज़ योजना	119.25	
एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना	32.50	
राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक योजना	54.00	
स्वास्थ्य पैकेज़ योजना	56.50	
समूह बीमा योजना	8.00	
कार्यशाला-सह-आवास योजना	182.00	
राज्यों में प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना	15.14	
	489.03	कुल : (प्लान)
विपणन विकास सहायता/रिबेट	496.51	
जनता कपड़े पर सब्सिडी	2936.10	
कुल गैर-प्लान	3432.61	
कुल प्लान व गैरप्लान	3921.64	

[अनुवाद]

बाहरी व्यक्तियों के रोजगार पर प्रतिबन्ध

7545. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने बाहरी व्यक्तियों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाया है और इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इस प्रकार का प्रतिबन्ध हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में विकास परियोजनाएं

7546. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायता से नई परियोजनाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) राज्य में विदेशी सहायता से वर्तमान परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या धनराशियों की अनुपलब्धता के कारण ऐसी कुछ परियोजनाएं संकट में पड़ गई हैं,

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं, और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के लिए विदेशी सहायता प्राप्त विचारार्थ (पाइपलाइन) परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण "ख" में दिए गए हैं।

(घ) से (च) राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य क्षेत्र की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध कराएं। तथापि, निधियों का उपयोग और कार्यान्वयन प्रत्येक परियोजना की समयावधि और प्रकृति के आधार पर अलग-अलग होता है।

विवरण I

आंध्र प्रदेश में पाइपलाइन परियोजनाओं की सूची

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण पूर्ति–कृष्णा जिला	नीदरलैंड
2.	पेय जल-पूर्ति–नालगौंडा जिला	–तदैव–
3.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल-पूर्ति–प्रकासन जिला	–तदैव–
4.	आंध्र प्रदेश नलकूप परियोजना	–तदैव–
5.	भू-तल जल लिफ्ट सिंचाई योजना	–तदैव–
6.	पेय जल-पूर्ति–आनन्तापुर	–तदैव–
7.	निजाम सागर जल पुनर्वास परियोजना (आर एण्ड एम) निर्माण कार्य	युनाईटिड किंगडम
8.	आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड (विजाग) शहरी जिला	–तदैव–
9.	आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड (खमाम) ग्रामीण जिला	–तदैव–
10.	आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड (महबूबनगर)	–तदैव–
11.	आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड (नालगौंडा)	–तदैव–
12.	हैदराबाद वितरण एस सी ए डी ए	–तदैव–
13.	सोमसिला जल रीट्रोफिट	–तदैव–
14.	आंध्र प्रदेश सिंचाई-III	विश्व बैंक
15.	आंध्र प्रदेश ए डी पी	–तदैव–

16.	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना	–तदैव–
17.	सिंगौर जल बिजली स्कीम	जर्मनी
18.	नागार्जुन सागर तेल पौंड डेम पावर हाऊस	–तदैव–
19.	व्यापक रेल परिवहन प्रणाली	फ्रांस
20.	आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	विश्व बैंक
21.	हैदराबाद और सिकन्दराबाद में जल-पूर्ति	विश्व बैंक
22.	ग्रामीण सड़कों का सुधार और कमजोर पुलों का पुन: निर्माण	ओ॰ ई॰ ई॰ सी
23.	कौथागौडम तापीय विद्युत केन्द्र की अवधि बढ़ाना	–तदैव–
24.	कूरनौल-कुडपह नहर (एम ओ एस सी) का आधुनिकीकरण	–तदैव–
25.	विशाख विजयवाडा पाइपलाइन, एच पी सी एल	–तदैव–
26.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का सिरीसेल्म लिफ्ट बैंक पावर हाऊस (सामान्य)	–तदैव–
27.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का सिरीसेल्म लिफ्ट बैंक	–तदैव–
	हाऊस (पार)	–तदैव–
28.	रेयलसीमा टी पी पी केन्द्र-II	ए डी बी

विवरण II

आंध्र प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की सूची

मिलियन

31.3.94 तक

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	ऋण/अनुदान			दाता एजेंसी		उपयोग
1.	श्रीम्प और मछली (बहुराज्यीय)	अम॰	डा॰	85.00	आईडीए		5.399
2.	आंध्र प्रदेश वानिकी	"	"	77.40	"	"	0.000
3.	आंध्र प्रदेश सिंचाई-II	"	"	174.11	"	"	154.977
4.	राष्ट्रीय जल-प्रबंध (बहुराज्यीय)	"	"	127.27	"	"	101.728
5.	तकनीशियन शिक्षा-II (बहुराज्यीय)	"	"	307.10	"	"	39.994
6.	जनसंख्या-VI (बहुराज्यीय)	"	"	75.30	"	"	37.838
7.	आई सी डी एस-I (बहुराज्यीय)	"	"	96.00	"	"	27.559
8.	राष्ट्रीय रेशम उत्पादन (बहुराज्यीय)	"	"	141.40	"	"	74.876

9.	हैदराबाद जल-पूर्ति और सफाई	" "	79.90	" "	37.915
10.	सड़क सुधार (बहुराज्यीय)	" "	198.00	ए डी बी	63.651
11.	उप-मार्ग (बहुराज्यीय)	" "	250.00	" "	57.570
12.	उप-पत्तन (बहुराज्यीय)	" "	129.00	" "	32.464
13.	रायलसीमा टी पी पी	" "	230.00	" "	120.810
14.	आंध्र प्रदेश जनजातीय विकास	" "	20.00	आईएफएडी	4.133
15.	सिरीसेल्म लिफ्ट बैंक पावर केन्द्र	येन	26.101	ओईसीएफ	6076.7
16.	सिरीसेल्म विद्युत पार प्रणाली	येन	3806	" "	0.0
17.	आंध्र प्रदेश कोयला परियोजना	पी डी एस	11.25	यू. के.	10.671
18.	आंध्र प्रदेश विद्यालय इमारत फेस-3	" "	27.90	" "	19.476
19.	आंध्र प्रदेश विद्यालय स्वास्थ्य	" "	6.69	" "	0.198
20.	हैदराबाद आवास में सुधार फेस-3	" "	14.94	" "	10.106
21.	विजयवाडा गंदी बस्तियों का सुधार	" "	16.25	" "	6.217
22.	विशाखापत्तनम आवास परियोजना	" "	9.19	" "	6.025
23.	चिनागादीली क्षेत्र का सुधार	" "	1.500	" "	1.424
24.	आंध्र प्रदेश-कृषि में महिलाओं को डीएफएल प्रशिक्षण	" "	3.358	नीदरलैंड	0.00
25.	आंध्र प्रदेश जल-पूर्ति करनौल	" "	11.00	" "	8.219
26.	आंध्र प्रदेश जल-पूर्ति-प्रकासम	" "	11.00	" "	8.538
27.	आंध्र प्रदेश जल-पूर्ति-मेडक	" "	9.50	" "	7.778
28.	आंध्र प्रदेश जल-पूर्ति-एम० नगर	" "	11.30	" "	9.360
29.	आंध्र प्रदेश जल-पूर्ति-दारसी एक्सटेंशन	" "	7.20	" "	5.861
30.	पर्यावरणीय दूषण प्रशि० और अनुसंधान संस्था	एसईके	50.00	स्वीडन	5.000
31.	पशु प्रजनन और चारा उत्पादन	रुपए	4.48	स्वीटजरलैंड	बिना बजट
32.	नागार्जुन सागर परियोजना	पीडीएस	12.93	यू० के०	12.930
33.	व्यावसायिक प्रशिक्षण (बहुराज्यीय)	अम० डा०	50.00	" "	64.101

[हिन्दी]

जमाराशि अर्जित करने वाले व्यक्ति

7547. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने जमाराशि अर्जित करने वाले व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सालबानी, पश्चिम बंगाल में मुद्रणालय

7548. श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री नीतीश कुमार :

श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मैसूर स्थित और पश्चिम बंगाल में सालबानी स्थित प्रस्तावित दो नोट मुद्रणालयों का कार्य लगभग ठप्प पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण कुछ देशों का सहायता कार्यक्रम अनिश्चय की स्थिति में पड़ गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक ये प्रेस कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आपूर्ति आदेश दिए जाने के 18 महीनों के बाद उत्पादन की प्रारंभिक खेप परिचालन में आने की संभावना है और आपूर्ति आदेश दिए जाने के 39 महीनों के बाद पूरी प्रेस सक्रिय धारा में आ जाएगी।

[हिन्दी]

पोस्त के चूरे का जब्त किया जाना

*7549. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वापक औषध विभाग के गत चार महीनों के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के किन-किन स्थानों से पोस्त का चूरा जब्त किया है और उसका मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार पोस्त के चूरे के व्यापार का लाइसेंस "नाफेड" को सौंपने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो ने जनवरी से अप्रैल, 1994 की अवधि के दौरान बागर बाई-पास अंकलेरा-पाटन रोड, तहसील जहलारापटन, जिला झालवाड़ (राजस्थान) और कोटा-रावत भाटा रोड, कोटा (राजस्थान) पर लगभग 60 लाख रुपये के मूल्य का पोस्त भूसी पाऊडर पकड़ा पोस्त भूसी पाऊडर की बिक्री और खरीद स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् विनियमित की जाती है।

[हिन्दी]

निर्यात संसाधन क्षेत्र के अन्तर्गत एकक

7550. **श्री नवल किशोर राय** :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संसाधन क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थापित किए गए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये एकक इन सुविधाओं का उपयोग करने के बावजूद अपने शत-प्रतिशत उत्पादन का निर्यात नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन एककों ने निर्यातित माल की कीमत से अधिक कीमत के माल का आयात किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) ई पी जेड इकाइयों द्वारा प्राप्त की जा रही सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :-पूँजीगत सामान, कच्चे माल, उपभोज्य वस्तुओं इत्यादि का नि:शुल्क आयात, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) से प्राप्त पूँजीगत सामान तथा उत्पादन सामग्री पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट निवेश, राज्य से बाहर की गई खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर अदायगी की प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष तक कर-अवकाश, औद्योगिक प्लाटों एवं शेडों पर रियायती लीज किराया, सरलीकृत अनुमोदित प्रक्रिया एवं उदारीकृत डी टी ए पहुँच।

(ग) और (घ) ये इकाइयां ई पी जेड योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्यात कर रही हैं। इस योजना के तहत उन्हें अस्वीकृत सामान एवं डी टी ए में स्वीकार्य बिक्री को छोड़कर अपने समग्र उत्पादन का निर्यात करना होता है।

(ङ) वर्ष 1993-94 के आंकड़ों के अनुसार कुल निर्यात कुल आयात से अधिक हुआ है।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी एकक

7551. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों (ईओयूज) को विशेषरूप से घरेलू क्षेत्र, तैयार वस्तुओं की बिक्री और सीमा/उत्पाद के मामले से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने से संबंधित शुल्क ढांचे के औचित्य स्थापन के मामले में शीघ्र राहत देने का कोई प्रस्ताव कि है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) निर्यातोन्मुख एकक योजना में सुधार लाने की आवश्यकता की आवधिक रूप में समीक्षा की जाती है। इस दिशा में हाल में जो कार्रवाई की गई है उनमें शामिल हैं : तैयार सामान की घरेलू बाजार में बिक्री पर लगने वाले शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, कतरन तथा अपशिष्ट माल के निपटान पर लगने वाले शुल्क में कटौती, सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क कार्यविधियों को सरल बनाना जैसे आयातित सामान की तेजी से निकासी और ढुलाई तथा भाण्डागार अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना। घरेलू बाजार में परिष्कृत उत्पादों की बिक्री पर शुल्क ढांचे की ओर अधिक युक्तिसंगत बनाने का मुद्दा राजस्व विभाग के साथ उठाया गया है।

बोइंग 737 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

7552. प्रो० राम कापसे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 जुलाई, 1993 को या उसके आसपास मद्रास हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष को अंडमान निकोबार द्वीपों के ऊपर उड़ रहे एक बोइंग 737 विमान की दुर्घटना के संबंध में कोई आपातकालीन संदेश प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त दुर्घटना की कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय और कुआलालमपुर स्थित उड़ान सूचना केन्द्र ने पुष्टि की थी कि इसमें कोई भी विमान अंतग्रस्त नहीं था और उक्त संदेश झूठा था। इसको देखते हुए, जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

होटलों पर विलासिता कर में कटौती

7553. **श्री चित्त बसु :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को होटलों पर से विलासिता कर और विक्रय कर कम करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) केरल तथा मेघालय के राज्यों ने अपने बजटों में विलासिता कर को 10% कम करने का प्रस्ताव किया है। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम की राज्य सरकारों से भी विलासिता कर 10% या इससे नीचे, कम कराने हेतु प्रयास जारी हैं। पश्चिम बंगाल ने बजट प्रस्तावों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर विक्रय कर 17.5% से 15% करने का प्रस्ताव किया है।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशाखापत्तनम

7554. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशाखापत्तनम ने विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से अधिक धन देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) 1993-94 के दौरान कितनी राशि का उपयोग किया गया और कौन-कौन सी नई परियोजनाएं आरम्भ की गई; और

(ङ) 1994-95 के दौरान कौन-कौन सी नई परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) विशाखापत्तनम निर्यात संसाधन क्षेत्र की चरण I के विकास के लिए 17 करोड़ रु० निर्धारित राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि की मांग नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, चरण-बद्ध विकास कार्यक्रम के आधार पर निधियों का वार्षिक आवंटन किया जाता है। वर्ष 1993-94 में 5.75 करोड़ रु० के बजट आवंटन का उपयोग विकास संबंधी कार्यों–जैसे–स्टैंडर्ड डिजाईन फैक्टरी (एस० डी० एफ०) भवन के निर्माण, सेवा-सह-प्रशासनिक ब्लॉक, मल-निकासी प्रणाली की व्यवस्था तथा आंतरिक सड़कों का निर्माण आदि करने के लिए किया गया है। वर्ष 1994-95 में आवंटित की गई निधियों का उपयोग चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

कृषि ऋण की अत्यधिक बकाया राशि

7555. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि ऋण की अत्यधिक बकाया राशि संबंधी समस्या गंभीर है;

(ख) क्या इस समस्या से ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं विशेषरूप से सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण विस्तार आर्थिक क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कृषि ऋण के प्रवाह

को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्या समस्त ऋणदाता संस्थाओं, अर्थात वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिदेय राशियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। पिछले दस वर्षों के दौरान विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण ढांचे में अतिदेय राशियों की मात्रा में न केवल मात्रा की दृष्टि से बल्कि मांग के संदर्भ में भी वृद्धि हुई। अतिदेय राशियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति न केवल ऋण के सुचारु प्रवाह और उसके विस्तार को अवरुद्ध करती है, बल्कि अंततोगत्वा ऋणदाता संस्थाओं की अर्थक्षमता को भी जोखिम में डालती है।

(ग) सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की स्थिति की निरंतर आधार पर निगरानी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंकों को अतिदेयों की राशि कम करने और उनकी वसूली के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे वसूली को सुधारने में बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए जिला/ब्लाक स्तरों पर अधिकारियों को पदनामित करके हर संभव सहायता प्रदान करें। राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों/जिला समन्वय समितियों/खण्ड स्तरीय बैंकर्स समितियों के संयोजकों से भी कहा गया है कि वे वसूली को सरल एवं कारगर बनाने के लिए विधान अधिनियम करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

रांची हवाई अड्डा

7556. श्री राम टहल चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची हवाई अड्डे पर बाड़ लगाने और हवाई पट्टी की मरम्मत कराने का भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) रांची हवाई अड्डे पर पहले ही फैंसिंग कर दी गई है। धावनपथ के सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है और इसके अक्तूबर, 1994 पूरा हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

कालीन उद्योग में बाल श्रमिक

7557. श्री रवि राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा कालीन उद्योग में बच्चों से कार्य कराया जाना समाप्त करने के लिए अपनाई गई स्वैच्छिक आचार संहिता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कालीन उद्योग ने इस आचार संहिता को लागू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) आचार संहिता सदस्यों पर इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालती है कि करघों पर जिस सदस्य के कालीन बुने जा रहे हैं उनमें बालकों को नियोजित नहीं किया जाता है और सदस्य संहिता के उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द करने को दाण्डिक धारा से सहमत होगा।

(ग) और (घ) संहिता को लागू करने को सुसंगत बनाने के लिए, करघों को पंजीकृत किया जा रहा है। निर्यात के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद का पंजीकरण तथा सदस्यता अनिवार्य है। 57,000 करघों को पंजीकृत किया गया है।

इंजीनियरिंग सामान की मूल्य भुगतान व्यवस्था

7558. **श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग सामान के निर्यात संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भुगतान योजना 1 अप्रैल, 1994 से समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्यातकों को हस्तांतरणीय आयात लाइसेंस कब तक मिल जायेगा; और

(घ) निर्यातकों के लम्बित दावों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना (आई पी आर एस) का वित्तपोषण इस्पात क्षेत्र के अन्दर ही एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित पिण्ड लोहा और कुछ प्रकार के इस्पात पर लगाए गए उपकर से निर्मित इंजीनियरी उत्पाद निर्यातक सहायता कोष (ई जी ई ए एफ) से होता था। उपकर से प्राप्त यह वसूलियां आई पी आर एस के वित्तपोषण के लिए धनराशि की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। आई पी आर एस को इसलिए वापस लेना पड़ा क्योंकि इस योजना के निधियन के लिए कोई अर्थक्षम व्यवस्था नहीं मिल सकी।

(ग) निर्यातकों को निर्यात उत्पादन के लिए पहले से ही शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा उपलब्ध है।

(घ) उपकर वसूली से प्राप्त धनराशि को बढ़ाने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं जिससे कि निर्यातकों के आई पी आर एस संबंधी बकाया दावों का निपटान किया जा सके।

कपड़ा क्षेत्र हेतु धनराशि

7559. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतिश कुमार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए कितनी-कितनी धनराशि नियत की गयी है; और

(ग) दोनों क्षेत्रों के लिए अब तक कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के पास वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं हैं। 8वीं योजना के दौरान हथकरघा के लिए 300 करोड़ रु॰ और विद्युत करघा के लिए 18 करोड़ रु॰ की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 849 करोड़ रु॰ की कुल परिव्यय से हथकरघा क्षेत्र में दस्तकारी का उन्नमूल करने के लिए सम्पूर्ण देशों में 3000 हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में 321 करोड़ रु॰ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। शेष राशि को वितीय संस्थानों के ऋण में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों के लिए अब तक निम्नोक्त राशि की गई है :-

(करोड़ रु॰ में)

	1992-93	1993-94	(रिलीज की गई राशि)
हथकरघा	29.81	50.35	
विद्युतकरघा	0.66	2.82	

[हिन्दी]

सिंगापुर के साथ भारतीय व्यापार को बढ़ावा

7560. श्री काशीराम राणा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ इंडिया" और "सिंगापुर मेन्यूफेक्चरिंग एशोसियेशन" के बीच भारतीय व्यापार के विकास, संवर्धन तथा प्रबन्धन पर हाल ही में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार को इस तरह की किसी बातचीत की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जर्मनी के साथ समझौता

7561. डॉ. ए. के. पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा जर्मनी ने 870 करोड़ रुपए के तीन विभिन्न वित्तीय सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 14.2.1994 को जर्मन संघीय गणराज्य के साथ वित्तीय सहयोग 93 के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, इसमें 230.2 मिलियन ड्यूश मार्क काा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था थी जिसे 10 वर्ष की छूट अवधि और 150 मिलियन ड्यूश मार्क की अनुदान राशि के साथ प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत की दर से 40 वर्षों में वापस करना होगा। इस ऋण राशि से लाभान्वित होने वाली परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

ऋण	राशि
(I) परियोजना	(मिलियन ड्यूश मार्क में)
1. नाबार्ड-VI	30.0
2. एफ. एस. ए. एल.	60.0
3. उर्वरक-III	60.0
4. आर. एस. पी. आधुनिकीकरण	27.3
5. एन. एल. सी.-I विस्तार	37.7
6. सिडबी-II	15.2
जोड़	230.2

अनुदान	राशि
परियोजना/कार्यक्रम	(मिलियन ड्यूश मार्क में)
1. प्राथमिक स्वास्थ्य, महाराष्ट्र	20.0
2. सामाजिक विपणन	15.0
3. "हुडको" की कम लागत की आवासीय परियोजना	35.0
4. ग्रामीण जल आपूर्ति, राजस्थान	55.0
5. महाराष्ट्र में भूक्षरण नियंत्रण (जलसंभर महाराष्ट्र)	25.0
जोड़	150.0

द्वितीय करार में, "हुडको" की कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण योजना के वित्तपोषण के लिए 25 मिलियन ड्यूश मार्क (लगभग 50 करोड़ रुपए) के अनुदान की व्यवस्था है।

तृतीय करार में, एच॰ डी॰ एफ॰ सी॰ की कम लागत वाली आवासीय योजना के लिए 30 मिलियन (60 करोड़ रुपए) की अनुदान व्यवस्था शामिल है। ये तीनों करार लगभग 870 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता के हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

7563. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अंशदान करने से बचने के लिए अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान राज्य में ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत शामिल होने से बचने के लिए कर्नाटक में अलग योजना चलाने के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जानकारी में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं आयी है। यह अधिनियम 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों/स्थापनाओं पर लागू होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यदि आवश्यक हो और योजना के अन्तर्गत अनुमेय हो तो ऐसे प्रतिष्ठानों को समामेलित करके भी दुकानों तथा प्रतिष्ठानों को शामिल करने की कार्रवाई करता है।

निर्यात लक्ष्य

7563. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान 20,000 करोड़ मूल्य के निर्यात के स्तर को प्राप्त करना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान अन्तिम रूप से लगभग 69,547 करोड़ रुपए (लगभग 22173 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य के निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1994-95 के लिए निर्यात के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश

7564. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इनके पास ऋण लेने वाले व्यक्तियों द्वारा गिरवी रखी गई आस्तियों

के संबंध में दुबारा परिवर्तन किये जाने संबंधी निर्देश दिए हैं जिससे व्यापार और उद्योग को दिए जाने वाले ऋण को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय संस्थाएं उक्त निर्देशों का पालन कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1986 में वित्तीय संस्थाओं से कहा था कि वे बैंकों के पक्ष में ऋणकर्ताओं द्वारा उनके पास गिरवी रखी गई आस्तियों पर द्वितीय प्रभार की अनुमति दे दें। यह प्रथम प्रभार धारकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य के लिए निर्धारित कुछ शर्तों पर बैंकों के सहमत हो जाने के अध्यधीन होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के इन निर्देशों का वित्तीय संस्थायें पालन कर रही हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

निजी एयरलाइनें

7565. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री विजय नवल पाटील :

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइनें शुरू करने से सरकार को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रत्येक एयरलाइन से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक विमानपत्तन पर एयर टैक्सी चालकों के लिए किन-किन सुविधाओं और आधारभूत ढांचे का विकास किया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) गत दो वर्षों की अवधि के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रत्येक विमान कम्पनियों से प्राप्त राशि विवरण में दी गई है।

(ग) एयर टैक्सी प्रचालकों के लिए अलग से कोई सुविधाएं और आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं किया गया है। फिर भी मौजूदा टर्मिनल भवन में आवश्यकता के आधार पर अपेक्षित काउंटर/कार्यालय के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी गई है जहां वहीं संभव है, एयर टैक्सी प्रचालकों को खपाने के लिए अतिरिक्त हैंगर के स्थान की व्यवस्था की जा रही है।

विवरण

गत दो वर्षों की अवधि के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रत्येक विमानकंपनी से अर्जित राजस्व :

(करोड़ रुपए में)

		राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्जित राजस्व		भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्जित राजस्व	
		1992-93	1993-94 (अन्तिम)	1992-93	1993-94
1.	एअर इंडिया	10.47	10.07	38.95	39.78
2.	इंडियन एयरलाइन्स	33.23	48.09	34.07	38.09
3.	वायुदूत	1.07	2.00	0.37	2.00
4.	दिल्ली-गल्फ	0.01	–	–	0.008
5.	इंडिया इंडरनेशनल	0.01	–	0.03	0.056
6.	ट्रांस भारत एविएशन	0.01	–	0.018	0.018
7.	कांटिनेंटल एविएशन	0.36	–	0.134	0.056
8.	जगसन एयरलाइन्स	0.05	0.01	0.031	0.025
9.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	2.95	9.56	2.745	6.097
10.	सीटी लिंक एयरवेज	0.28	–	0.215	0.158
11.	दमानिया एयरवेज	0.02	1.89	0.112	2.363
12.	अर्चना एयरवेज	–	0.08	–	0.046
13.	जेट एयरवेज	–	6.03	0.001	3.795
14.	राज एअर	–	0.02	–	0.097
15.	सहारा एविएशन	–	–	0.014	0.496
16.	साराया एविएशन	–	–	0.014	0.004
17.	मोदी लुफ्त	–	–	–	0.160
18.	कोस्मो एयरवेज	–	–	–	0.0004
19.	बोरेन उअर	–	–	–	0.003
20.	ओरियन्टल एयरलाइन्स	–	–	–	0.004

21.	एन॰ इ॰ पी॰ सी॰ एयरलाइन्स	–	–	–	0.009
22.	एरियल सर्विसिज	–	–	0.001	0.008

उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

7566. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये जाने वाले अल्कोहल-युक्त पेयों, सुगंधित द्रव्यों तथा प्रसाधन सामग्री की मात्रा की सीमा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में बहुत कम निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों को परेशान किये जाने से बचने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सीमा में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विभिन्न देशों द्वारा यात्री असबाब के रूप में अल्कोहल-युक्त पेयों, सुगन्धित द्रव्यों और प्रसाधन सामग्रियों के आयात के लिए कोई मानक यात्रा निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक देश ने अपनी आवश्यकता के अनुसार मात्रा संबंधी सीमाएं निर्धारित की हैं। जहां तक हमारी असबाब नियमावली का संबंध है, असबाब नियमावली, 1994 के अंतर्गत सुगन्धित द्रव्यों और प्रसाधन सामग्रियों के आयात पर मात्रा संबंधी कोई सीमा निर्धारित नहीं है बशर्ते कि आयातित मात्रा यात्री के वास्तविक असबाब का ही हिस्सा हो। तथापि, एक लिटर से अधिक अल्कोहलिक लिकर लाने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

प्रीमियम नोटिस

7567. डा॰ रवि मूल्लू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पॉलिसी धारकों से बीमा निगमों द्वारा प्रीमियम नोटिस भेजने में विलंब करने और इन निगमों के अधिकारियों तथा एजेंटों द्वारा उन्हें सहयोग न दिए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रीमियम नोटिस केवल भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ही जारी किए जाते हैं। 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार 566.13 लाख जीवन बीमा पालिसियां प्रवृत्त थीं। जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम नोटिस उन पालिसियों के लिए जारी किए जाते हैं जिन पर वार्षिक, अर्धवार्षिक या तिमाही प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, उन्हें प्रत्येक वर्ष करोड़ों प्रीमियम नोटिस जारी करने अपेक्षित होते हैं जिनमें से हो सकता है कि कुछेक नोटिस पालिसी धारकों को प्राप्त न हुए हों। जीवन बीमा निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्हें प्रीमियमों के समायोजन और प्रीमियम नोटिस जारी किए जाने में विलम्ब के संबंध में वर्ष 1992-93 में 1,319 शिकायतें और वर्ष 1993-94 में 1,314 शिकायतें प्राप्त हुई थी। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न हैं (विवरण) जीवन बीमा निगम से सूचित किया है कि पालिसी धारकों

की शिकायतों को दूर करने के कक्ष शाखा, मंडल, क्षेत्र और केन्द्रीय कार्यालय स्तरों पर प्रचालन में हैं। इन प्रत्येक कार्यालयों में पदनामित शिकायत दूर करने वाले अधिकारी पालिसी धारकों की शिकायतों को सुनने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उनसे नियमित रूप से मिलते हैं।

विवरण

1992-93 और 1993-94 की अवधि के दौरान प्रीमियमों के समायोजना और प्रीमियम नोटिस जारी किए जाने में देरी के संबंध में शिकायतें।

राज्य	1992-93	1993-94
आन्ध्र प्रदेश	20	24
असम	56	25
बिहार	53	59
गोवा	–	4
गुजरात	8	40
हरियाणा	21	10
हिमाचल प्रदेश	2	–
जम्मू व कश्मीर	–	–
कर्नाटक	20	23
केरल	7	10
मध्यप्रदेश	110	93
महाराष्ट्र	250	285
उड़ीसा	8	13
पंजाब	9	14
राजस्थान	113	103
तमिलनाडू	22	33
उत्तर प्रदेश	340	343
पश्चिम बंगाल	78	99
संघ राज्य क्षेत्र		
चण्डीगढ़	19	11
दिल्ली	183	125
जोड़	1319	1314

तुर्की के साथ व्यापार

7568. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तुर्की के साथ व्यापार में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में पता लगाई गयी व्यापार संभावनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत-तुर्की व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार का तुर्की सहित अपने सभी भागीदारों के साथ व्यापार बढ़ाने का सतत प्रयास है। प्रतिनिधिमंडलों का द्विपक्षीय आदान-प्रदान एवं व्यापार मेलों में भागीदारी के अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विकास का निरीक्षण करने के लिए भारत-तुर्की की मंत्री-स्तरीय संयुक्त आर्थिक समिति कार्य कर रही है। इस समिति की पिछली बैठक जनवरी 1992 में अंकारा में हुई थी। उसी समय, भारत और तुर्की के प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त व्यापार सहयोग समिति की भी स्थापना की गई थी।

विमान कम्पनियों के लिए हवाई अड्डों पर उपलब्ध स्थान

7569. श्री विजय नवल पाटील : क्या **नागर विमानन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों पर इंडियन एयरलाइंस को निजी विमान कंपनियों की तुलना में कुल कितना स्थान उपलब्ध कराया गया तथा प्रत्येक कंपनी ने वास्तव में कितने-कितने स्थान का उपयोग किया;

(ख) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक विमानन कंपनी से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है तथा उन्होंने वस्तुतः कितना-कितना स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात

7570. श्री हरचन्द्र सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात हुआ और उनका क्या मूल्य है;

(ख) चालू वर्ष में निर्यात के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनका कितना मूल्य होगा; और

(ग) सरकार ने अपना निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरीफेरल्स और सम्बद्ध मदों का अनुमानित निर्यात निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए)

1991-92	1992-93	1993-94
262.00294.39	427.00	

वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात के लिए 481 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्रोत : इलैक्ट्रानिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्द्धन परिषद।

(ग) सरकार द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्यात और अधिक बढ़ाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न उपायों में शामिल है: अनन्य भारतीय इलेक्ट्रोनिक प्रदर्शनियों में भाग लेना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण प्रायोजित करना, आदि। इसके अलावा, निर्यात बढ़ाने के लिए किए गये सामान्य उपायों में शामिल हैं :– इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नालाजी पार्क (ई एच टी पी) योजना, निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) और निर्यात संसाधन जोन (ई पी जेड) के एककों द्वारा विनिर्मित इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री बढ़ाना, बैंकों को निर्यात क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निर्देश देना, रुपया-ऋण पर ब्याज दर में कमी, मशीनरी के आयात पर टैरिफ स्तर घटाना तथा भारतीय मिशनों द्वारा विपणन सहायता दिया जाना।

बहरीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार

7571. डा॰ कृपासिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहरीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार बहरीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने और विविधीकृत करने के प्रयास जारी रखेगी। इनमें शामिल हैं : सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श जिससे भारतीय कम्पनियों तथा बहरीन की कम्पनियों के बीच सीधे सम्पर्क को सुविधाजनक बनाया जा सके, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारतीय व्यापारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपाय, आदि।

बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखाएं

7572. श्री के॰ प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार में बैंक आफ महाराष्ट्र की कोई शाखा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में इस बैंक की शाखाएं खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 30.6.1993 (अद्यतन उपलब्ध

स्थिति) के अनुसार बिहार में बैंक आफ महाराष्ट्र की एक शाखा कार्य कर रही थी। उड़ीसा में बैंक आफ महाराष्ट्र की कोई शाखा नहीं है।

(ख) से (घ) 1990-95 की शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत कार्यदलों द्वारा पता लगाए गए स्थानों के अनुसार और बैंकों द्वारा बताई गई वरीयता को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शहरी केन्द्र आबंटित किए गए हैं। जहां तक अर्धशहरी क्षेत्र में विस्तार का संबंध है, बैंकों को अखिल भारतीय आधार पर आबंटित कोटे के अंतर्गत अपनी पसंद के केन्द्रों में शाखायें खोलने की अनुमति दी गई है और इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार कोटा आबंटित नहीं किया गया है। नीति के अंतर्गत कोई बैंक अपने सेवा क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण केन्द्रों का पता लगा सकता है। पता लगाए गए केन्द्रों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उन्हें राज्य सरकार के संस्थागत वित्त निदेशालय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जाना अपेक्षित है। वर्तमान नीति के अंतर्गत उड़ीसा और बिहार में शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ महाराष्ट्र को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया है।

[हिन्दी]

रुई का निर्यात

7573. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक गुजरात से कितनी यात्रा में रुई का निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार ने रुई के निर्यात के लिए नए बाजार तलाशने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान गुजरात से निर्यात की गई कपास की मात्रा निम्न प्रकार है :-

मात्रा लाख गांठों म

वर्ष	गुजरात परिसंघ	सी सी आई	निजी व्यापार	जोड़
1990-91	0.40	0.1178	0.3209	0.8387
1991-92	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1992-93	0.671	0.583	शून्य	1.254
1993-94	शून्य	0.0305	शून्य	0.0305

(ख) सरकार का प्रयास यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स तथा सिले सिलाए परिधान जैसे मूल्य वर्धित मदों के निर्यात को प्रोन्नत करना रहा है। कपास का निर्यात करने योग्य अधिशेष को रिलीज करते समय सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरीकरण, कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद मूल्यों का प्रावधान करना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थाई सप्लाई कर्ता के रूप में भारत की उपस्थिति बनाए रखना है। निर्यात कोटे के आबंटी अर्थात सी सी आई, राज्य परिसंघ तथा निजी व्यापारी उनको मात्राओं को निर्यात करने के लिए बाजार तलाश रहे हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति

5774. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम कार्यकारी स्तर के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्तियों में आरक्षण में संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देशों का पूर्णत: पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार एकक-वार और मुख्यालयों पर कार्यकारी अधिकारियों के पदों की कुल संख्या की तुलना में सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के पदों की संख्या तथा उनके उम्मीदवारों से वास्तविक रूप से भरे पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों में सरकार के दिशा-निर्देशों की जानबूझकर उपेक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो संसद-सदस्यों और यूनियनों और अधिकारियों से प्राप्त शिकायतें, उनको प्राप्त करने की तिथि और उन पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

	कार्यरत कुल कार्यपालकों की संख्या	उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
होटल कार्यपालक	400	43	06	शून्य
मुख्यालय के कार्यपालक जिसमें अशोक ट्रैवल एंड टुअर्स, शुल्क मुक्त दुकानें और मुख्यालय के अन्य सेवा प्रभाग सम्मिलित हैं।	330	38	07	शून्य

विदेशी विमान कंपनियां

7575. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 तक की स्थिति के अनुसार कौन-कौन सी विदेशी विमान कंपनियाँ देश से अथवा देश के ऊपर से उड़ानें भर रही हैं और उनके निवंधन देशों के क्या नाम हैं;

(ख) उपरोक्त (क) में सम्मिलित किन-किन देशों में एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस को वैसे ही अधिकार प्राप्त हैं;

(ग) क्या विमानों की सीमित संख्या के कारण एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस अपने वैसे ही अधिकारों का पूर्ण उपभोग नहीं कर पाते हैं;

(घ) क्या सीमित प्रचालन के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया को कितने निवल मुनाफा/घाटा हुआ और सरकार ने एयर इंडिया के बेड़े में वृद्धि के क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मांगी गयी सूचना विवरण में दी गयी है।

(ख) सभी मामलों में भारतीय नामित विमान कंपनियों को पारस्परिक अधिकार उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) प्रचालनों की वाणिज्यिक साध्यता को दृष्टि में रखकर राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों द्वारा विदेशों में गंतव्य स्थानों के लिए सेवाएं प्रचालित की जाती हैं। यदि राष्ट्रीय विमान कम्पनियां विमान क्षमता की कमी अथवा किन्हीं अन्य कारणों से प्रचालन करने में सक्षम नहीं होती हैं तो वाणिज्यिक व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्यतया विदेशी विमान कम्पनियों को एकपक्षीय आधार पर प्रचालन की अनुमति दी जाती है जिसमें भारतीय नामित विमान कंपनियों को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय हवाई कंपनियों के हित पूर्णतया सुरक्षित हैं।

(ङ) एयर इंडिया को लाभ के आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं :-

1991-92	1992-93	1993-94 (अंतिम)
	(करोड़ रुपयों में)	
145.89	333.14	186.00

तीन आधुनिक बी 747-400 विमान वर्ष 1993 में एयर इंडिया के विमान बेड़े में पहले ही शामिल हो चुके हैं और चौथे विमान के जून, 1994 में डिलीवर किये जाने की आशा है।

विवरण

क्रम सं॰	पंजीकरण राष्ट्र	क्रम सं॰	एयरलाइन का नाम
	उत्तरी अमरीका		
1.	कनाडा	1.	एयर कनाडा
2.	यू॰ एस॰ ए॰	2.	डेल्टा
	यूरोप		
3.	आस्ट्रिया	3.	लोडा एयर
4.	बुल्गारिया	4.	बलकान एयरलाइंस
5.	चेकोस्लाबाकिया	5.	सी॰ एस॰ ए॰
6.	फ्रांस	6.	एयर फ्रांस
7.	जर्मनी	7.	लुफथानसा
8.	इटली	8.	एल॰ टी॰ यू॰ इन्टरनेशनल एअरलाइन्स
9.	नीदरलैंड	9.	एलिटालिया
10.	पोलैंड	10.	के॰ एल॰ एम॰
11.	रोमानिया	11.	मार्टिन एयर
12.	स्वीट्जरलैंड	12.	लॉट पॉलिस
13.	स्वीडन	13.	टेरम
14.	स्पेन	14.	स्वीश एयर
15.	यू॰ के॰	15.	एस॰ ए॰ एस॰
16.	रूस	16.	एयर यूरोपा
17.	फिनलैंड	17.	ब्रिटिश एयरवेज
		18.	व्रिजीन एटलांटिक एयरवेज
		19.	एयरोफ्लोट
		20.	फिन एयर
	खाड़ी और मध्य पूर्व		
18.	ओमान बहरीन कतार, यू॰ ए॰ ई॰ (दुबई को छोड़कर)	21.	गल्फ एयर
19.	यू॰ ए॰ ई॰ (दुबई)	22.	एमिरेटस

20. ओमान	23. ओमान एयर
21. ईरान	24. ईरान एयर
22. लेबनान	25. टी॰ एम॰ ए॰
23. जोर्डन	26. रॉयल जोर्डीयन
24. कुवैत	27. कुवैत एयरवेज
25. सऊदी अरबिया	28. सऊदिया
26. सीरिया	29. सीरियन एयरलाइंस
27. टर्की	30. टर्कीस एयरलाइंस
28. यमन अरब रिपब्लिक	31. येमिनिया
29. पीपुल्स डी॰ यमन	32. अलमेडा
30. इजरायल	33. ईल-एल-अल
31. ग्रीस	34. ऑलम्पिक एयरवेज

एशिया और प्रशांत

32. अफगानिस्तान	35. एरीना
33. आस्ट्रेलिया	36. क्वानटास
34. बंगलादेश	37. विमान बंगलादेश
35. भूटान	38. डूक एयर
36. हाँग काँग (यू॰ के॰)	39. कैथे पेसिफीक
	40. ड्रेगन एयर
37. इंडोनेशिया	41. गरूडा
38. मलेशिया	42. मलेशियन एयरलाइंस
39. नेपाल	43. रोयॅल नेपाल एयरलाइंस
40. पाकिस्तान	44. पी॰ आई॰ ए॰
41. फिलीपींस	45. फिलीपाइन एयरलाइंस
42. रिपब्लिक ऑफ कोरिया	46. कोरियन एयर
43. सिंगापुर	47. सिंगापुर एयर लाइंस
44. श्रीलंका	48. एयर लंका
45. थाईलैंड	49. थाई एयरवेज

46.	उजबेकिस्तान	50.	उजबेकिस्तान एयरवेज
47.	वीयतनाम	51.	बीयतनाम एयरलाइंस
	अफ्रीका		
48.	मिस्त्र	52.	मिस्त्र एयर
49.	इथोपिया	53.	इथोपियन एयरलाइंस
50.	कीनिया	54.	कीनिया एयरवेज
51.	मारशियस	55.	एयर मारशियस
52.	जाम्बिया	56.	जाम्बिया एयरवेज

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई॰ एफ॰ ए॰ डी॰) द्वारा वित पोषित परियोजनाएं

7576. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) आई॰ एफ॰ ए॰ डी॰ द्वारा देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं,

(ग) क्या निकट भविष्य में आई॰ एफ॰ ए॰ डी॰ से प्राप्त निधि से चलने वाली परियोजनाओं के संबंध में आई॰ एफ॰ ए॰ डी॰ के प्रेसीडेंट से मार्च, 1994 के दौरान कोई चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई॰ एफ॰ ए॰ डी॰) संयुक्त राज्य का विशिष्टता प्राप्त एक अभिकरण है, जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, कुपोषण में कमी और गरीबी को दूर करने में सहायता देने के लिए स्थापित किया गया।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के अध्यक्ष के हाल के दौरे के दौरान, इस बात पर बल दिया गया था कि देश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से सहायता प्राप्त और अधिक परियोजनाओं को हाथ में लिया जा सकता था।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के ब्यौरे:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमोदन/हस्ताक्षर की तारीख	समाप्त होने की तारीख	ऋण राशी
1.	आंध्र प्रदेश जनजाति विकास	15.5.91	31.3.1999	20 मिलि॰ अम॰ डालर
2.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	1.6.93	30.9.2000	29.2 मिलि॰ अम॰ डालर
3.	आंध्र प्रदेश भागीदारी जनजाति विकास परियोजना	बातचीत पूरी हो गई।	31.3.2002	26.5 मि॰ अम॰ डालर

बैंकों में मितव्ययता संबंधी उपाय

7577. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को मितव्ययता संबंधी उपाय करने के हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बैंकों, विशेष रूप से भारी घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा ऐसे उपाय किये जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) पैट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ (पी ओ एल), फर्नीचर मनोरंजन एवं यात्रा भत्ता आदि में व्यय को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र मे बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हाल ही में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसकी शर्तों के अनुसार, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके कार्यनिष्पादन के संबंध में प्रत्येक बैंक से वचन बद्धता ली गई है, जिनमें ये शामिल हैं:-

(i) संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार;

(ii) उत्पादकता स्तरों में सुधार;

(iii) आंतरिक लेखा कार्य एवं संस्थागत व्यवस्था (हाऊसकीपिंग) में सुधार;

(iv) लाभ योजना तथा लाभ स्तरो में सुधार;

(v) उपरि व्यय में कटौती ;

(vi) निष्क्रिय परिसम्पत्तियों में कमी तथा

(vii) पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंध।

तंबाकू मिशन

7578. **श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक व्यावहारिक तंबाकू नीति तैयार करने के लिए तंबाकू मिशन स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तंबाकू मिशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निगमित क्षेत्र की विदेशी देयता

7579. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित क्षेत्र की दीर्घावधि विदेशी देयता में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त धनराशि जुटाने हेतु यूरोपीय मुद्रा के बाजार में व्यापार फैलाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप ऐसी देयताएं भविष्य में बहुत अधिक बढ़ेंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां, विदेशों में धारित निगमित क्षेत्र की ऋण और इक्विटी दोनों को शामिल करते हुए दीर्घावधिक विदेशी देनदारियां बढ़ रही हैं

(ख) और (ग) चूंकि यूरो-निर्गम बाजार में निगमित क्षेत्र द्वारा विदेशी इक्विटी संबंद्ध निर्गमन ने मात्र ऋण साधनों पर ही निर्भरता को कम कर दिया है इसलिए विदेशी क्षेत्र के ऋण परिशोधन का बोझ समतुल्य रूप से कम हो गया है। इसके अतिरिक्त चूंकि निगमित क्षेत्र द्वारा यूरो निर्गम बाजार में इक्विटी संबंद्ध निर्गमन मूल घरेलू शेयर के अंकित मूल्य के पर्याप्त प्रीमियम पर है और चूंकि परिवर्तनीय बाण्डों पर ब्याज दरें वास्तविक ऋण पर ब्याज दरों की तुतना में काफी कम है इसलिए कुल विदेशी देन-दारियों के ऋण परिशोधन में मात्रात्मक वृद्धि दिखाई देने का अनुमान नहीं है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन

7880. **श्री मोहन रावले :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत व्यापार संवर्धन संगठन के विदेश स्थित कार्यालय किन-किन शहरों में हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन कार्यालयों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इन कार्यालयों को उन स्थानों पर रखने का उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या सरकार उन कार्यालयों को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन (इटपो) के विदेश स्थित कार्यालय न्यूयार्क, फ्रैंकफर्ट, दुबई तथा टोकियो में हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों के रखरखाव पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	व्यय (लाख रुपये में)
1991-92	272.36
1992-93	303.17
1993-94	349.70 (अनुमानित)

(ग) ये कार्यालय संवर्धनात्मक कार्य करते हैं जैसे ताजा पूछताछ करना, भेंट का समय तथा व्यापार बैठकें निर्धारित करना, उत्पाद-विकास में मदद करना, बाजार आसूचना प्राप्त करना तथा भारत में क्रेता मिशन प्रायोजित करना, विभागीय स्टोर श्रृंखलाओं में भारत संवर्धन आयोजित करना और सीधे तथा मुख्य कार्यालय के जरिए व्यापार जानकारी प्रदान करना।

(घ) और (ङ) इटपो के विदेश स्थित सभी कार्यालय बंद करने के लिए कोई आम निर्णय नहीं है। किन्तु, इटपो को यह आकलन करने की सलाह दी गई है कि क्या इन कार्यालयों को चलाने में काफी लागत आ रही है।

विमानपत्तनों का प्रबंधन

7581. **श्री अनंतराव देशमुख:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विमानपत्तनों का प्रबंधन राज्य सरकारों को सौंपने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 32 अलाभकर हवाई अड्डों को राज्य सरकारों के सुपुर्द करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को लिखा है। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

आम के गूदे

7582. **डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आम के गूदे का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार का इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आम के गूदे की निर्यात की गई मात्रा निम्नलिखित है:-

	(मात्रा मीट्रिक टन में)
1991-92	23212
1992-93	27506
1993-94* (अप्रैल-दिसंबर)	19978

*(अनन्तिम)

(स्रोत-डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता)

(ख) सरकार ने आम के गूदे का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(i) आठवीं योजना अवधि में आम का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, विकसित फसल पश्चात रखरखाव, विकसित पैकेजिंग आदि के लिए आमों के और आम-उत्पादों विकास के लिए व्यय में वृद्धि।

(ii) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा निर्यातकों को अधिकतम प्रदर्शन प्रदान करने के लिए विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के जरिए विपणन नीति अपनाना ताकि आम के गूदे सहित कृषि और अन्य मदों की मांग का सृजन किया जा सके।

(iii) एपीडा निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जानकारी प्रदान करता है ताकि वे निर्यात संबंधी उपयुक्त कार्यनीति बनाने में सक्षम हो सकें।

यूरोपीय देशों से कपड़े का आयात

7583. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी और यूरोपीय कपड़ा उद्योग अपने उत्पादों की बिक्री भारत में करने की अनुमति न मिल पाने के कारण अप्रसन्न है और जिसे ये "अपने देशों में कपड़े का एक दिशीय प्रवाह" कहते हैं, उसके विरुद्ध बढ़ने की कार्यवाही करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। जबकि यह सही है कि यूरोपीय संघ तथा अमरीका के वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधि अपने वस्त्र उत्पादकों के लिए बाजार प्रवेश के लिए अपने अनुरोध के संबंध में भारत के प्रतियुत्तर जिसे उन्होंने अप्रर्याप्त माना है से अप्रसन्न है, इस संबंध में वे बदले की कार्यवाई की योजना नहीं बनाएंगे वह कार्यान्वयन नहीं करेंगे। यूरोपीय संघों तथा अमरीका को भारतीय वस्त्रों

तथा क्लोदिंग उत्पादों का निर्यात क्रमशः इन्डो ई सी तथा इनडो यू॰ एस वस्त्र करार के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

भारत अधिकारिक स्तर पर वस्त्र क्षेत्र में बाजार प्रवेश के प्रश्न पर संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय संघ के साथ शीघ्र ही वार्ताएं आरम्भ करेगा।

[हिन्दी]

व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु समिति

7584. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलेंड और हंगरी के निर्यातकों ने भारत सरकार को द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या भारत को ऐसे आश्वासन अन्य देशों से भी मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पोलैण्ड और हंगरी के निर्यातकों ने कोई ऐसा औपचारिक आश्वासन नहीं दिया है जिसके बारे में भारत सरकार को जानकारी हो, फिर भी पोलैण्ड और हंगरी दोनों के बारे में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के लिए सभी प्रकार के सहयोग का आम समझौता है।

(ख) भारत सरकार को अन्य देशों से भी ऐसा कोई औपचारिक आवश्वासन नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक ऋणों की वसूली

7585. डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने उनके मंत्रालय के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि ऋणों की वसूली के लिए जिला स्तर पर बैंक की शाखाओं को सहायता दी जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस फार्मूला तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) बैंक निधियों के पुनः नियोजन के लिए बैंक ऋणों की वसूली बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकों द्वारा वसूली प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे अपने संगठनात्मक ढांचे के नियंत्रक कार्यालयों

और क्षेत्रीय स्तर, दोनों स्तरों पर मजबूत बनायें और उसमें सुधार करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे पर्यवेक्षण को सुकर बनाने के लिए ऋण देने के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाएं, ऋण देने से पूर्व मूल्यांकन प्रणाली और ऋण देने के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई को तेज करें, फसलों की कटाई के अनुसार वसूली अभियान की व्यवस्था करें और संबद्ध राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से ब्लॉक-वार वसूली अभियान आयोजित करें। बैंकों से यह भी कहा गया था कि वे शाखाओं के उस क्लस्टर के लिए अलग से वसूली कक्ष का सृजन करें जिसमें मांग के 50% से अधिक अतिदेय राशियां हों और जहां काफी अधिक कृषि अग्रिम हों, बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं के लिए हफ्ते में एक दिन गैर-बैंकिंग कार्य दिवस रखें और शाखा प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देय राशियों की वसूली के लिए फसलों की कटाई के मौसमों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। अग्रणी बैंकों से भी कहा गया है कि वे वसूली/अतिदेय से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस एल सी सी), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) आदि मंचों का कारगर ढंग से उपयोग करें। बैंक ऋणों की वसूली में सुधार करने की अनिवार्य और तत्काल आवश्यकता पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बार-बार राज्य सरकारों से जोर देने के लिए कहा जाता रहा है। कुछ राज्य सरकारें वाणिज्यिक बैंकों की देय राशियों की वसूली के लिए उनकी सहायता कर रही है। वे इन्हें बकाया भू-राजस्व के रूप में मान रही हैं। कुछ राज्यों में बैंक की देय राशियों की वसूली के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में विशेष वसूली तंत्र स्थापित किए गए हैं। कुछ और राज्यों ने अपने राज्यों में वसूली के लिए ऐसे विशेष तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि को ऋण देने से संबंधित राज्य अधिनियमों पर विशेषज्ञ दल (तलवार समिति) की सिफारिशों के आधार पर 16 राज्यों अर्थात असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने बैंकों की देय राशियों की वसूली के लिए पहले ही कानून लागू कर दिया है।

आन्ध्र प्रदेश में बैंक ऋण

7586. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 में दंगों के दौरान नष्ट हुई सम्पत्ति के लिए आंध्र प्रदेश में रियायती ब्याज दर पर कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस सबंध में कितनी ऋण राशि का वितरण किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की राहत से संबंधित अगस्त, 1984 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक के स्थायी दिशानिर्देश, जिन्हें आन्ध्र प्रदेश के दंगा प्रभावित लोगों पर लागू किया गया था में ब्याज की दर में रियायत प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। आन्ध्रा बैंक, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी), आन्ध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि वर्ष 1989 के दौरान दंगों से प्रभावित हुए चार तटीय जिलों, अर्थात पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी, में विभिन्न बैंकों द्वारा 1242 उधार खातों में 227.73 लाख रु॰ की राशि दी गई थी।

(ख) आन्ध्रा बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में संवितरित ऋण की राशि 304 खातों में 53.52 लाख रु॰ थी।

निर्यात संसाधन क्षेत्र

7587. श्री गुमान मल लोढा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सात निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है;

(ग) उनमें से कितनी इकाईयां रुग्ण हैं और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनमें कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने उनकी रुग्णता के कारणों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) इस समय देश में सात निर्यात प्रसंस्करण जोन हैं जो कांडला (गुजरात) सान्ताक्रूज (महाराष्ट्र) कोचीन (केरल) मद्रास (तमिलनाडु) फाल्टा (पश्चिम-बंगाल) नौएडा (उ॰ प्र॰) और विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) में हैं। इस समय इन जोनों में 442 इकाइयां कार्यरत में हैं।

(ग) रुग्ण एककों के बारे में नवीनतम जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी। फिर भी, इन एककों में वित्तीय संस्थाओं के निवेश जैसी जानकारी का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) से (च) रुग्णता के कुछ कारण हैं - टेक्नालोजी का अप्रचलन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, वित्तीय प्रबंधकीय समस्याएं और पूर्ववर्ती सोवियत संघ को किए जाने वाले निर्यात का विस्थापन। इन ई पी जेड इकाइयों के निष्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं - नीति संबंधी ढांचे का सरलीकरण, घरेलू बिक्री पर शुल्क में कमी, इलेक्ट्रानिक और कृषि पर आधारित उत्पादों की स्थानीय बाजारों में उच्चतर पहुंच और ई पी जेड के विकास आयुक्तों की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

[हिन्दी]

गुजरात में नागर विमानन योजनाएं

7588. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन के विकास के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) आठवीं योजना के दौरान अब तक नागर विमानन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि के ब्यौरे योजनावार विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में नागर विमानन के विकास के निए कार्यान्वित योजनाओं के ब्यौरे:

राष्ट्रीय विमानपत्त न प्राधिकरण

अहमदाबाद

1. सामान रखने वाले स्थान के ऊपर छत की व्यवस्था
2. प्रस्तान होल्डिंग क्षेत्र का वातानुकूलन
3. धावनपथ के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण
4. धावनपथ, टैक्सी पथ और एप्रन का सुदृढ़ीकरण
5. नए अंतर्राष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण
6. 1500 फुट तक धावनपथ का विस्तार
7. उपस्कर अवतरण प्रणाली का संस्थापन
8. ईटर टावर सिंगल साइड बैंड (एसएसबीओ संचार)
9. वायु/भू-संचार के लिए एस० एस० बी० उच्च आवृत्ति रेडियो टेलीफोनी
10. उपस्कर अवतरण प्रणाली के साथ संस्थापित दूरी मापक उपकरण

भावनगर

1. पहुंच मार्ग का निर्माण
2. क्रेश फायन टेंडर टीएटीआरए ठी-815 की व्यवस्था
3. ईटर टावर सिंगल साइड बैंड (एसएसबी) संचार व्यवस्था
4. सिंगल साइड बैंड (एसएसबी) उच्च आवृत्ति रेडियो टेलीफोनी (एचएफआरटी) वायु/भू संचार व्यवस्था
5. अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास के साथ संस्थापित दूरी मापक उपकरण

कांडला

1. ईटर टावर सिंगल साइड बैंड (एसएसबी) संचार व्यवस्था
2. क्रेश फायर टेण्डर टोएटीआरए टी-815

केशौड़

धावनपथ का पुनः सतह लेपन

पालनपुर (दिशा)

वायुदूत प्रचालनों के लिए विमान क्षेत्र का विकास

पोरबन्दर

1. धावनपथ का पुनः स्तह लेपन
2. पावर सप्लाई को बढ़ाना
3. ईटर टावर सिंगल साइड बैंड (एसएसबी) संचार व्यवस्था

राजकोट

1. क्रेश फायर टेण्डर, टीएटीआरएटी-815 की व्यवस्था
2. इंटर टावर सिंगल साइड बैंड (एसएसबी) संचार व्यवस्था

इंडियन एयरलाइन्स

1. बुकिंग कार्यालय का निर्माण/मरम्मत करना
2. स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण
3. भू-सहायक, डाटा संचार उपकरण और विविध परिसम्पतियों का सृजन

विवरण-2

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि का योजना-वार ब्यौरा

क्र०स०	योजना/परियोजना	दी गई राशि (लाख रुपए में)
	1992-93	
1.	टारनेटर के लिए कैम्पिंग उपकरण	8.00
	1993-94	
1.	नालसरोवर में पर्यटक काम्पलैक्स	10.00
2.	पोरबन्दर में कैफेटेरिया	7.50
3.	सोमनाथ मंदिर को परिप्रदीप्ति करना	8.00
4.	जल नात्र के लिए धार्मिक किस्म की दो नौकाएं	4.48
5.	नवरात्रि उत्सव	1.00
6.	टारनेटर मेला	1.50
7.	प्रचार सहायक सामग्री	3.00
	जोड़	35.48

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस का विश्लेषण

7589. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह विचार व्यक्त किया है कि किसी विदेशी एजेंसी के माध्यम से इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की संख्या, त्रुटियों, काम के अवसरों, खतरों का गहराई से विश्लेषण कराया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सूक्ष्म उपकरणों के संयोजना और उन्हें सामंजस्य पूर्ण निर्धारण हेतु किस प्रबंध परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं ली गई हैं;

(ग) उस संस्था को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा; और

(घ) एयर इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकरण जैसे प्रशासनिक, प्रबंधन, परिचालन, वाणिज्यिक, वित्तीय, मजदूर संघ तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों में ऐसा ही अध्ययन न कराने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सरकार इंडियन एयरलाइंस का गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक है जिससे कार्य प्रणाली में सुधार किया जा सके और यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके और अंतर्देशीय हवाई मार्केट की भावी चुनौतियों का सामना किया जा सके। परन्तु, इस प्रकार के अध्ययन के लिए अभी तक किसी बाहरी एजेंसी का पता नहीं लगाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एयर इंडिया के मामले में इसी प्रकार के अध्ययन को नकारा नही जा सकता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कृषकों को ऋण

7590. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कृषकों ने भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं में पानी की नहरों का निर्माण करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो कृषकों द्वारा कितनी बकाया धनराशि इन वित्तीय संस्थाओं को देय है;

(ग) क्या पहले विभिन्न राज्यों में ऐसे ऋण माफ किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाई की गई है और यदि कोई कार्रवाई नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा

रही है और यथा संभव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तांबे का आयात

7591. श्री हरचन्द सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तांबे का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उसका मूल्य कितना था; और

(ख) देश में ताबें की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) (तांबा सहित) विभिन्न मदों के आयात को दर्शाने वाले आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े खण्ड-2 (आयात) में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस प्रकाशन का नवीनतम अंक पुन: 1993 से संबंधित है।

(ख) चालू एक्सिम नीति के तहत तांबे का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति से देश में मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

फर्जी बैंक ड्राफ्ट

7592. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने देश के अनेक शहरों में फर्जी बैंक ड्राफ्ट भुनाने वाले देशव्यापी गिरोह का भंडाफोड़ किया है जैसा कि 9 अप्रैल, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस घोटाले में शामिल बैंकों का ब्यौरा क्या है, इसमें कितनी धनराशि की धोखाधड़ी हुई, इसमें कितने बैंक कर्मचारी लिप्त थे और इस गिरोह की कार्यप्रणाली क्या थी;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) उन कमियों को दूर करने के लिए की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिनकी वजह से बैंक कर्मचारी सहित अपराधी फर्जी बैंक ड्राफ्टों को भुना लेते हैं; और

(च) दोषी बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उसने देना बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा की गई शिकायत पर, जाली एवं कूटरचित ड्राफ्टों के माध्यम से बैंकों तथा लोगों को धोखा देने वाले एक देशव्यापी गिरोह को समाप्त कर दिया है। आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अपराध शाखा ने अब तक कथित रूप से देना बैंक की विभिन्न राज्यों में स्थित शाखाओं द्वारा जारी कुल 30 लाख रुपये से अधिक के 41 जाली मांग ड्राफ्टों का पता लगाया है। दोषी व्यक्तियों ने एक आपराधिक

षडयंत्र के तहत एक सैम्पल ड्राफ्ट से बनाए गए ब्लाक से तैयार किए गए जाली ड्राफ्टों को अनभिज्ञ व्यक्तियों को देकर उन्हें धोखा दिया। दिल्ली पुलिस ने आगे सूचित किया है कि इस गिरोह में कोई बैंक कर्मचारी अंतर्ग्रस्त नहीं पाया गया है।

हालांकि चैक बुक/ड्राफ्टों को जारी/सुरक्षित रखने/अदायगी करने के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों को बैंकों के मैनुअल/हिदायत पुस्तक में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक भी समय-समय पर इस बारे में बैंकों को सावधान करता है। घोष समिति ने भी कई सिफारिशें/सुझाव दिए हैं और बैंकों को इन्हें लागू करने के लिए कहा गया है। बैंकों को विशेष रूप से कहा गया है कि वे:-

(i) आहरणकर्ता के हस्ताक्षरों के सत्यापन, नमूना हस्ताक्षर कार्डों की सुरक्षा, चैक बुक जारी करने संबंधी पर्यवेक्षण और खाली चैक बुकों/पन्नों की सुरक्षा पर नियंत्रण आदि के बारे में पूर्ण सावधानी बरती जाए;

(ii) बड़ी धनराशियों के चैकों/ड्राफ्टों की जांच के लिए अल्ट्रा वायलेट रे लैम्पों को शुरू करने की प्रथा शुरू की जाए।

(iii) खाली ड्राफ्टों और डाक अंतरण फार्मों को प्रतिभूति मदें माना जाए और उन्हें रखने-तथा जारी करने के लिए सावधानी बरती जाए;

(iv) ड्राफ्ट/डाक अंतरण पर धनराशि, प्रोटेक्टोग्राफ मशीन या पिन प्वाईंट टाईपराइटर या अन्य ऐसी ही मशीनों से अंकित की जाए ताकि इन्हें रासायनिक तरीके से बदलने की गुंजाइश न रहे। छोटी शाखाओं में जहां ड्राफ्ट हाथ से लिखे जाते हैं लिखने की पिछली तरफ उल्टा कार्बन रखा जाए।

'नाबार्ड' द्वारा अनुदान

7593. डा॰ कृपासिंधु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) विभिन्न राज्यों को अनेक कृषि और गैर-कृषि कार्यों के लिए अनुदान देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में ऐसे कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा कितना अनुदान मंजूर किया गया; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), नाबार्ड के हित के क्षेत्रों में, जिसमें कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्र शामिल हैं, अनुप्रयोग अनुसंधान करने और अनुसंधान अध्ययन, सेमिनार आदि आयोजित करने के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) निधि से अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करते समय, राज्य-वार/क्षेत्र-वार आबंटन पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता। अनुदान उन प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं को दिया जाता है, जिनके पास इस प्रकार के अध्ययन करने की क्षमता होती है। इसके अलावा, नाबार्ड आर एण्ड डी निधि

के अंतर्गत राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में तकनीकी, निगरानी और मूल्यांकन (टी एम ई) कक्षों की स्थापना करने/उन्हें मजबूत बनाने के लिए भी सहायता प्रदान करता है ताकि कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण/मूल्यांकन/निगरानी के मामले में उनके कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि की जा सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में नाबार्ड की आर एण्ड डी निधि से मंजूर की गई अनुदान सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

नाबार्ड स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली गैर-कृषि गतिविधियों के विकास एवं संवर्धन के लिए प्रायोगिक आधार पर संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के लिए भी अनुदाना सहायता प्रदान कर रहा है। उड़ीसा राज्य में प्रदान की गई इस प्रकार की सहायता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

उड़ीसा राज्य के लिए नाबार्ड के आर एण्ड डी निधि से अनुदान सहायता

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी	मंजूरी की तारीख	मंजूर अनुदान की राशि (लाख रु॰)
		परियोजनाए		
1991-92				
1.	औद्योगिक कृषि के लिए प्रणाली के माध्यम से विकास के प्रवाह का प्रस्ताव	मीठे जल में मछली पालन का केन्द्रीय संस्थान, भुवनेश्वर	29.5.1990 (परियोजना 27.9.92 से प्रारम्भ हुई)	23.34
1992-93				
		-शून्य-		
1993-94				
1.	पुरी जिले में किसानों द्वारा यूरिया के साथ तिनकों को मिलाकर उसे अपनाना/उपयोग करना।	पुरी जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक युनियन लि॰	07.02.1994	2.67

सेमिनार/सम्मेलन

1991-92			
1. राष्ट्रीय मत्स्यपालन अर्थशास्त्र पर कार्यशाला	मीठे जल में मछली पालन का केन्द्रीय संस्थान, भुवनेश्वर	09.10.1991	0.10
1992-93			
1. कृषि इंजीनियरिंग पर सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन	इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स, भुवनेश्वर	07.11.1992	0.05
1993-94			
1. उड़ीसा आर्थिक संघ का रजत जयंती सम्मेलन	उड़ीसा आर्थिक संघ	11.5.1993	0.10
2. एनर्जी शाप"94	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	19.10.1993	0.25
	टीएमई कक्ष		
1991-92	- शून्य -		
1992-93	- शून्य -		
1993-94			
1. पुरी ग्रामीण बैंक टीएमई कक्ष		26.06.1993	1.00 (वार्षिक पांच वर्षों के लिए)

विवरण-II

उड़ीसा राज्य में गैर-कृषि कार्यों के विकास और संवर्द्धन के लिये स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को नाबार्ड की सहायता

क्रम सं॰	कार्यक्रम का प्रकार	हिताधिकारी का	(रु॰ लाख में) समाप्त वर्ष के दौरान जारी किया गया अनुदान		
			31.3.92	31.3.93	31.3.94
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र	नेशनल इंस्टिट्यूट आफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंस (एनआईएसडब्ल्यू ए एस एस)	0.77	-	-
2.	उद्यमवृति विकास कार्यक्रम	(क) उड़ीसा इंडस्ट्रियल एंड टेकनिकल कनसलटेंसी ओरगे-माइजेशन लिमिटेड	2.34	-	-
		(ख) औरगेनाइजेशन फार सोशल चेंज एंड रूरल डेवलेपमेंट (ओ एस सी ए आर डी)	-	-	0.80
3.	तकनीकी मानीटरिंग और मूल्यांकन कक्ष टी एम ई कक्ष	धनकनाल ग्राम्या बैंक	0.68	0.85	0.63

xx दिसम्बर, 1993 को समाप्त तिमाही तक के दावे।

एअर टैक्सी आपरेटरों को रात में विमान ठहराने की सुविधा

7574. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एअर टैक्सी ऑपरेटरों ने बंगलौर विमानपत्तन पर रात में विमान ठहराने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) मै॰ यू॰ बी॰ एअर को बंगलौर हवाई अड्डे पर रात को विमान ठहराने की अनुमति दी गई थी, जो उनका प्रचालन बेस है, परन्तु वे इस समय प्रचालन नहीं कर रहे हैं। अब तक किसी अन्य हवाई टैक्सी प्रचालक ने बंगलौर हवाई अड्डे पर रात में ठहरने के संबंध में अनुरोध नहीं किया है।

रत्न और जवाहरात का निर्यात

7595. श्री के॰ प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान सरकार ने रत्न-जवाहरात के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ख) भारत से रत्न-जवाहरातों की खरीद करने वाले मुख्य देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या 1993-94 के दौरान रत्न-जवाहरात के निर्यात के निए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने रत्न-जवाहरात के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा 12941.98 करोड़ रुपया (अनन्तिम) है।

(ख) भारत से रत्न और आभूषणों का क्रय करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं - यू॰ एस॰ ए॰, हांगकांग, बेल्जियम, जापान, थाईलैण्ड और यू॰ ए॰ ई॰।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	निर्यात
1993-94	10834.88	12941.98

(ङ) सरकार निर्यात-आयात नीति 1992-97 के अध्याय 8 में अधिसूचित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रत्न और आभूषण निर्यातकों को आयातित कच्चे माल की पहुंच प्रदान करती है।

अनुसूचित बैंकों की जमाराशि और ऋण

7596. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार बैंकवार अनुसूचित बैंकों की कुल जमाराशि और ऋण कितना था;

(ख) जमाराशि की दृष्टि से शीर्षस्थ 100 बैंक कौन-कौन से हैं;

(ग) बैंक ऋण की दृष्टि से शीर्षस्थ 100 बैंकों के नाम क्या हैं;

(घ) राष्ट्रीय और विदेशी बैंक तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में जमाराशि और ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यवार जमाराशि और बैंक ऋण की अन्तर वार्षिक वृद्धि दर कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिसम्बर, 1993 (अर्थात् 24 दिसम्बर, 1993) के अन्तिम पखवाड़े की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां और बकाया निवल बैंक ऋण क्रमश: 299876 करोड़ रुपए और 158340 करोड़ रु॰ थी। बैंकवार ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। उन्हें एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) जून 1993 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार जमाराशियों और ऋण-राशियों के आकार के अनुसार, 100 शीर्षस्थ केन्द्रों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जून 1993 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों और साथ ही उनके ग्रामीण और शहरी/महानगरीय शाखाओं की कुल जमाराशियां और सर्कल बैंक ऋण निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपए)

सरकारी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
जमाराशि	ऋणराशि	जमाराशि	ऋणराशि
34554	18497	-	-
153115	106877	21597	10711
237110	146620	21630	10705

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

जून 1993 के अंतिम शुक्रवार (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार 100 शीर्ष केन्द्रों की आकार अनुसार जमाओं और ऋणों की स्थिति को दर्शाता विवरण :

रैंक	केन्द्र का नाम	जमाराशि	रैंक	केन्द्र का नाम	ऋण
1.	बम्बई	51123	1.	बम्बई	34061
2.	दिल्ली	24288	2.	दिल्ली	21617
3.	कलकत्ता	15733	3.	कलकत्ता	9433
4.	मद्रास	8777	4.	मद्रास	8879
5.	बंगलौर	6153	5.	बंगलौर	4947

रैंक	केन्द्र का नाम	जमाराशि	रैंक	केन्द्र का नाम	ऋण
6.	हैदराबाद	4063	6.	हैदराबाद	4072
7.	अहमदाबाद	3646	7.	चंडीगढ़	2729
8.	पुणे	2524	8.	अहमदाबाद	2115
9.	लखनऊ	2339	9.	पुणे	1478
10.	चंडीगढ़	1902	10.	कानपुर	1063
11.	कानपुर	1835	11.	कोची	1054
12.	वडोदरा	1676	12.	वडोदरा	1052
13.	जयपुर	1565	13.	कोयंबटूर	1038
14.	पटना	1494	14.	लुधियाणा	1025
15.	लुधियाणा	1406	15.	जयपुर	1022
16.	जलंधर	1356	16.	लखनऊ	967
17.	सूरत	1334	17.	इंदौर	846
18.	कोची	1276	18.	श्रीनगर	783
19.	भोपाल	1141	19.	भोपाल	733
20.	अमृतसर	1138	20.	दोराहा	677
21.	तिरुवनन्त पुरम	1108	21.	नागपुर	606
22.	कोयंबटूर	1095	22.	आनन्द	604
23.	नागपुर	1088	23.	सूरत	527
24.	इंदौर	1046	24.	कोलम	522
25.	वाराणसी	940	25.	भुवनेश्वर	502
26.	देहरादून	844	26.	विशाखापटनम	499
27.	इलाहाबाद	831	27.	तिरुवनंतपुरम	494
28.	गुवाहाटी	798	28.	जबलपुर	478
29.	विशाखापटनम	797	29.	पटना	478
30.	भुवनेश्वर	749	30.	गुवाहाटी	422
31.	आगरा	736	31.	मदुरै	422
32.	मंगलौर	734	32.	त्रिपपुर	415

रैंक	केन्द्र का नाम	जमाराशि	रैंक	केन्द्र का नाम	ऋण
33.	जम्मू	687	33.	अमृतसर	408
34.	राजकोट	653	34.	मंगलौर	403
35.	श्रीनगर	640	35.	जलन्धर	482
36.	मेरठ	612	36.	मेरठ	375
37.	जमशेदपुर	604	37.	देहरादून	362
38.	थाणे	596	38.	फरीदाबाद	360
39.	पटियाला	583	39.	मैसूर	343
40.	गाजियाबाद	581	40.	गुंटूर	328
41.	रांची	567	41.	विजयवाड़ा	287
42.	मैसूर	556	42.	आगरा	286
43.	आनन्द	552	43.	कोयाली	282
44.	हावड़ा	535	44.	गाजियाबाद	279
45.	कल्याण	533	45.	इलाहाबाद	265
46.	जबलपुर	530	46.	ग्वालियर	260
47.	मदुरै	525	47.	भावनगर	241
48.	फरीदाबाद	507	48.	वाराणसी	241
49.	विजयवाडा	486	49.	राजकोट	234
50.	ग्वालियर	465	50.	थाणे	232
51.	त्रिसूर	428	51.	औरंगाबाद	222
52.	जोधपुर	424	52.	उदयपुर	222
53.	गोरखपुर	412	53.	गांधीनगर	217
54.	नवसारी	408	54.	तिरुचिरापल्ली	210
55.	हुबली धरवर	407	55.	रायपुर	201
56.	पणजी	399	56.	पणजी	208
57.	मारगोआ	399	57.	सेलम	207
58.	गुन्टुर	398	58.	कटक	206
59.	कालीकट	398	59.	पिपरी-चिनपाड	205

रैंक	केन्द्र का नाम	जमाराशि	रैंक	केन्द्र का नाम	ऋण
60.	जामनगर	386	60.	कोटा	204
61.	बरेली	385	61.	रांची	203
62.	तिरूचिरापल्ली	382	62.	कालीकट	198
63.	मुरादाबाद	366	63.	जमशेदपुर	193
64.	फगवाड़ा	361	64.	हुबली-धरवार	
65.	नासिक	353	65.	नासिक	190
66.	धनबाद	342	66.	जोधपुर	176
67.	बेलगॉम	338	67.	मुरादाबाद	176
68.	उदयपुर	336	68.	भदेही	170
69.	तिरूपुर	332	69.	कोल्हापुर	169
70.	शिमला	325	70.	थिसर	168
71.	पाँडिचेरी	324	71.	पटियाला	163
72.	दुर्गापुर	322	72.	दुर्गापुर	161
73.	अजमेर	319	73.	भिलाई नगर	155
74.	कोट्टायम	315	74.	जम्मू	150
75.	अलीगढ़	311	75.	पानीपत	149
76.	सेलम	310	76.	हतिया	145
77.	रायपुर	308	77.	अलापुजा	145
78.	होशियारपुर	308	78.	बेलगॉम	143
79.	भावनगर	306	79.	पाँडिचेरी	139
80.	शिलांग	304	80.	कट्टयम	138
81.	पोरबंदर	298	81.	न्यू बॉम्बे	137
82.	थिरूवाला	293	82.	कटकपल्ली	137
83.	भिलसीनगर	290	83.	हावड़ा	131
84.	कोलम	286	84.	काकीनादा	128
85.	कोटा	285	85.	इरोड	127
86.	कटक	283	86.	हिसार	127

रैंक	केन्द्र का नाम	जमाराशि	रैंक	केन्द्र का नाम	ऋण
87.	मापूसा	274	87.	बरेली	127
88.	औरंगाबाद	257	88.	मुजफ्फरनगर	126
89.	न्यू बॉम्बे	257	89.	भरूच	125
90.	भुज	254	90.	मोदीनगर	122
91.	कोल्हापुर	252	91.	उज्जैन	121
92.	रोहतक	251	92.	गोरखपुर	120
93.	गुडगांव	247	93.	शोलापुर	119
94.	उज्जैन	247	94.	कल्याण	117
95.	सहारनपुर	244	95.	जामनगर	110
96.	मुजफ्फरपुर	241	96.	यमुनानगर	109
97.	आसनसोल	239	97.	भटिंडा	109
98.	राउरकेला	237	98.	राउरकेला	108
99.	वारंगल	234	99.	भीलवाड़ा	108
100.	गांधीनगर	233	100.	अलुवा	107

रेशम का उत्पादन और निर्यात

7597. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय रेशम की कितनी मांग रही;

(ग) क्या भारी क्षमता के बावजूद रेशम का उत्पादन और निर्यात मांग से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो देश में रेशम के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक रेशम के उत्पादन और निर्यात का क्या लक्ष्य है;

(ङ) कम उत्पादन के क्या कारण हैं और फरवरी, 1994 में सूरत में मानव-निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा शुद्ध रेशम के प्रसंस्करण पर आयोजित विचारगोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा रेशम के अधिक उत्पादन में पता लगायी गयी कौन-कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं; और

(च) उत्पादन में आने वाली रुकावटों को दूर करने, रेशम उद्योग का आधुनिकीकरण करने और घरेलू एवं विदेशी बाजारों में भारतीय रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु रेशम के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि लाने

के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं। विश्व में भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित परिष्कृत रेशम और आयात की गई मात्रा निम्न प्रकार है जिसका घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था:-

(मिट्रिक टन में)

वर्ष	उत्पादन	आयात	कुल
1991-92	11863	2115	13978
1992-93	14169	2918	17087
1993-94	10037	3350	13387
(दिसम्बर 1993 तक)			

जबकि पिछले कुछ वर्षों से देश में रेशम के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ है। निर्यात क्षेत्र के साथ-साथ घरेलू दोनों क्षेत्रों की मांग में भी वृद्धि हुई है और यह सप्लाई से भी अधिक है। वार्षिक उत्पादन और रेशम के निर्यात का लक्ष्य 8वीं योजना अवधि के अन्त तक क्रमशः 21400 मिट्रिक टन और 3074 करोड़ रु॰ है।

(ङ) और (च) फरवरी 1994 में सूरत में मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा आयोजित "शुद्ध रेशम के प्रसंस्करण" पर सेमिनार के आंकड़ों पर प्रकाशित सूचना "कम उत्पादकता के कारण और अधिक उत्पादन प्राप्ति में मुख्य बाधाएं" कोई विशेष उल्लेख नहीं करती है। तथापि, देश में कोटि के रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विभिन्न कृषि मौसम स्थिति के लिए समुचित उच्च उत्पादन और रोग मुक्त खाद्य पौधों/रेशम कीट जाति सहित अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त कोटि रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में आधुनिक मूलभूत सुविधाएं सृजित कर विश्व बैंक/स्विस सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो कि देश से रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में सम्भवतः सहायक भी होगा।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाएं

7598. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा सहित कुछ कल्याण योजनाओं को लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) सरकार ने बीड़ी उद्योग में, खानों में (अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खानों) काम करने वाले श्रमिकों

तथा सिने कर्मकारों के लिए विशिष्ट अधिनियमों के द्वारा पांच अलग कल्याण निधियां स्थापित की हैं। इन निधियों के माध्यम से कर्मचारों तथा उनके परिवारों, जिसमें उनके बालक भी शामिल हैं को विभिन्न कल्याण सुविधाएं दी जाती हैं। ये सुविधाएं मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, आवास, मनोरंजन तथा जल आपूर्ति के क्षेत्र में दी जाती हैं।

[अनुवाद]

फूलों की खेती के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सहायता

7599. श्री एस० एम० लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए फूलों की खेती का विकास करने हेतु केन्द्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सहायता से फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में किसी क्षेत्र का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पुष्पोत्पादों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए यू० एन० डी० पी० के साथ दिनांक 12.4.94 को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य मंत्रालय इस परियोजना को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से तीन वर्षों यानी 194-95, 1995-96 और 1996-97 में कार्यान्वित कराएगा। कुल यू० एन० डी० पी० सहायता 6 लाख अमरीकी डालर प्राप्त होनी है। भारत सरकार का योगदान 40 लाख रुपया है।

(ग) और (घ) परियोजना के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति गठित की गई है और यह पुष्पोत्पाद उत्पादन के लिए संभावित उपयुक्त क्षेत्रों को अभिज्ञात करेगी।

हताहतों को मुआवजा

7600. श्री मनोरंजन भक्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवा अवधि के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए श्रमिकों के परिवारों को दी जाने वाली राहत राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इनमें वृद्धि करने का निर्णय लिया है:-

(i) कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की न्यूनतम राशि, मृत्यु के मामले में 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और पूर्ण स्थाई अपंगता के मामले में 24,000 रुपये से

बढ़ाकर 60,000 रुपये।

(ii) क्षतिपूर्ति की दर, मृत्यु के मामले में मासिक मजदूरी के 40% से बढ़ाकर मासिक मजदूरी के 50% और पूर्ण स्थाई अपंगता के मामले में मासिक मजदूरी के 50% से बढ़ाकर मासिक मजदूरी का 60% जिसको संबद्ध गुणक से गुणा किया जाये।

सोने और चांदी का आयात

7601. **श्री मोहन रावले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीय स्वर्ण तथा चांदी आयात योजना के अन्तर्गत सोने और चांदी के आयात की सीमा में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बन्धुआ मजदूर

7602. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्धुआ मजदूर को पुनर्परिभाषित करने हेतु गत वर्ष अगस्त में एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य-मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) "बंधित श्रम" की व्यवहारिक परिभाषा तैयार करने के लिए अप्रैल, 1993 में एक समिति नियुक्त की गयी थी।

(ख) समिति ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तंबाकू के लिए बाजार

7603. **प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश में भारतीय तंबाकू के लिए बेहतर और व्यापक बाजार प्राप्त करने के लिए सरकार के व्यापार आयुक्त की सेवाओं का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : हमारे विदेशी मिशनों में वाणिज्यिक प्रतिनिधि भारत के निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उनकी सेवाओं का निम्नलिखित के जरिए उपयोग किया जाता है–

(i) जानकारी का संग्रह एवं पारेषण (ii) व्यापार और निवेश के बारे में पूछताछ करना (iii) व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की सहायता करना, (iv) नए उत्पादों और बाजार-संवर्धन आदि के बारे में आयातकों/निर्यातकों को सलाह देना। (v) आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सरकारों अथवा क्रेता संगठनों के साथ निर्यात संबंधी मुद्दे उठाना।

[हिन्दी]

श्रमिक उत्पादकता

7604. श्री गुमानमल लोढा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार दशकों के दौरान देश में श्रमिक उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) 1950 से 1990 के अंत तक श्रमिक उत्पादकता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि का प्रतिशत विश्व के अन्त विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि मुख्यतः उनमें शिक्षा के प्रसार से की जा सकती है;

(च) यदि हां, तो शिक्षित श्रमिकों और अशिक्षित श्रमिकों की उत्पादकता संबंधी अलग-अलग आंकलन क्या हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा देश में किन-किन स्थानों पर ठोस कदम उठाये गये ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) श्रम उत्पादकता को शुद्ध मूल्य संवर्धन प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। 1950-51 से 1988-89 की अवधि के संबंध में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा दिये गये अध्ययन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उत्पादकता (1980-81 के मूल्यों पर) 1950-51 में 2898/रुपये प्रति कर्मकार से बढ़कर 1988-89 में 6169/रुपये प्रति कर्मकार हो गई है।

(ख) उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में श्रमिक उत्पादकता लगभग 1.58% प्रति वर्ष की विकास की साधारण दर से बढ़ी है।

(ग) और (घ) 1950-51 से 1990-91 की अवधि के दौरान विकासशील देशों में श्रमिक उत्पादकता का तुलनात्मक आंकलन उपलब्ध नहीं है। एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 80 दशक के दौरान विभिन्न एशियाई देशों में श्रमिक उत्पादकता में विकास दर की एक निम्नलिखित सारणी तैयार की है :-

देश	प्रतिशत विकास
भारत	3.18
बंगलादेश	2.27

पाकिस्तान	3.52
श्रीलंका	2.75
थाईलैंड	5.47
कोरिया	9.54
जापान	4.04

(ङ) और (च) ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

(छ) उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार विकास का सृजन करने और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय एक नया औद्योगिक संबंध कानून तैयार कर रहा है। उत्पादकता में सुधार लाने के कुछ अन्य उपाय इस प्रकार हैं :-

–प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

–कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।

–सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना।

–उत्पादकता से संबद्ध एक मजदूरी नीति प्रतिपादित करना, आदि।

1994-95 के बजट पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टिप्पणियां

7605. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री तारा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की केन्द्रीय सरकार को हाल में प्राप्त उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है, जिसमें 1994-95 के भारत के बजट पर टिप्पणियां की गई हैं;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में बजट घाटे के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मार्च, 1994 में अंतिम रूप दी गई भारत संबंधी रिपोर्ट के अनुच्छेद IV में यह कहा गया है कि 1994-95 के बजट प्रस्तावों में विशेषत: कर-सुधार क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। प्रस्ताव में दर्शाई गई कर सुधार को प्रगति पर्याप्त है और यह एक अधिक आमदन-सापेक्ष कर प्रणाली का आधार होनी चाहिए। लेन-देन प्रणाली को उदार बनाने के लिए उठाए गए कदम भी सराहनीय हैं। फिर भी, एक ठोस और संपोषक बजटीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक वित्तीय सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

निर्यात दर्जा

7606. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों को आदान सामग्री की सप्लाई करने वालों को मानद निर्यात दर्जा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका व्यापक प्रभाव क्या रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) निम्नलिखित संवर्गों के निर्यातकों को निवेशों की आपूर्ति माने गए निर्यात के अंतर्गत आते हैं :

(i) शुल्क छूट योजना के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंसों के अधीन वस्तुओं की आपूर्ति;

(ii) निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई पी जेड) या निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी) में स्थित एककों को वस्तुओं की आपूर्ति।

(ग) (i) यह विदेशी मुद्रा की बचत को कुछ हद तक सुकर बनाता है।

(ii) यह घरेलू उद्योग को अपने संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण एवं अद्यतन करने तथा अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के योग्य बनाता है।

(iii) यह उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पदार्थों का उत्पादन करने का मौका देता है जिससे कि वे इसे विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बना सकें।

(iv) यह आयात प्रतिस्थापन का एक उपकरण है।

(v) यह निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक निवेशों तक निर्यात की पहुंच को सुगम बनाता है।

(vi) इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

भारत और कनाडा के बीच व्यापार संबंध

7607. डा॰ कृपासिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने की व्यापक संभावनाएं हैं; और

(ख) सरकार द्वारा भारत-कनाडा संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) कनाडा के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संवर्धनात्मक उपायों में अन्य बातों के अलावा व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, बाजार जागरूकता पैदा करने के लिए विशेषीकृत प्रतिनिधिमंडलों के दौरे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त व्यापार परिषद् है जिसमें दोनों देशों के उद्योगों के प्रतिनिधि व्यापार बढ़ाने के लिए समय-समय पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

कर्नाटक में तंबाकू उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाना

7608. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कर्नाटक में तंबाकू उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से अच्छी मिट्टी और सही समय पर उपयुक्त वर्षा की अनुकूल स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एफ॰ सी॰ वी॰ तंबाकू के लिए 20.10 मिलि॰ कि॰ ग्रा॰

(ख) और (ग) निम्नलिखित कारणों से 1994-95 के दौरान कर्नाटक फसल के लिए एफ॰ सी॰ वी॰ तंबाकू के उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है :-

(1) विश्व बाजार में अधिकता की स्थिति।

(2) भारतीय व्यापारियों के पास बड़ी मात्रा में पहले से पड़ा हुआ भारी स्टाक।

(3) घरेलू मांग का लगभग स्थिर हो जाना।

(4) फसल का आकार सप्लाई-मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

भारतीय वित्तीय बाजार में जापानी सिक्योरटीज फर्में

7609. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सिक्योरटीज फर्मों को वित्तीय बाजार में प्रवेश करने, भारतीय वित्तीय बाजार में अपने क्षेत्रीय कार्यालय अथवा सहायक कम्पनियां स्थापित करने और दलालों का दर्जा प्राप्त करने से पहले केन्द्रीय सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापानी सिक्योरटीज फर्मों ने यह अनुमति मांगी है और उन्हें यह अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ फर्में पहले ही भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोल चुकी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मैसर्स नोमुरा सिक्युरिटीज़ कंपनी लि॰, जापान को, वित्तीय तथा पूंजी बाजारों के संबंध में सूचना एकत्र करने, भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास हेतु सहायता प्रदान करने तथा भारत में निवेश करने हेतु जापानी तथा विदेशी निगमों की मदद करने के लिए, भारत में एक सम्पर्क कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है।

समुद्री खाद्य

7610. श्री मोहन रावले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रान्स सरकार ने भारत से समुद्री खाद्य के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को फ्रान्स सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) फ्रांस की सरकार ने अपने मछुआरों द्वारा रूस, यू० के० इत्यादि की सस्ती मछली के आयात का विरोध किए जाने के कारण हाल में यूरोपीय समुदाय के मानकों के अनुरूप समुद्री खाद्य को छोड़कर सभी स्रोतों के समुद्री खाद्य के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

(ग) और (घ) भारत भी इस प्रतिबंध से प्रभावित हुआ था। भारत सरकार ने इस मामले को तुरन्त फ्रांस के संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया। अब प्रतिबंध हटा लिया गया है।

बन्धुआ मजदूर

7611. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के उद्देश्य से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 1978-79 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गयी थी। जिसके अन्तर्गत पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गए बंधुओं श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक श्रमिक को 6250/रु० की अधिक सीमा तक मैचिंग अनुदान (50:50) आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता का ढांचा लाभानुभोगी की अभिरूचि/दक्षता और वरीयता के आधार पर भूमि-आधारित, गैर-भूमि-आधारित अथवा दक्षता/हस्तकौशल पर निर्भर होगा।

(ग) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्य सरकारों के लिए 337.54 लाख रुपए की धनराशि निर्गत की गई थी।

तम्बाकू हेतु नए बाजार

7612. श्री एस० एम० लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने 1994-95 के दौरान विदेशों में तम्बाकू हेतू नए बाजार ढूंढने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी तम्बाकू उत्पाद निर्माताओं ने तम्बाकू खरीदने हेतु भारत में एककों की स्थापना का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के दौरे और भारतीय तम्बाकू के बारे में सूचना के आदान-प्रदान के जरिए मोरक्को, ट्यूनीशिया, स्पेन, फिलीपीन्स, फ्रांस, इण्डोनेशिया, मलेशिया इत्यादि जैसे संभावित नए बाजारों के साथ लगातार सम्पर्क बनाया गया।

(ग) और (घ) तम्बाकू के प्रसंस्करण तथा सिगरेट निर्माण के लिए मैसर्स आर॰ जे॰ रेनोल्डस टोबैको इण्टरनेशनल ने मोदीपोन के सहयोग से विदेशी निवेश का प्रस्ताव किया है। विदेशी निवेश 7 मिलियन अमरीकन डालर तक का है और उनके द्वारा स्थापित की जाने वाली उत्पादन सुविधाओं में 22700 टन भारतीय तम्बाकू की मांग का सृजन होगा। विदेशी निवेश बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा

7613. श्री मनोरंजन भक्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने से ही श्रमिकों के रूप में बच्चों के दुरुपयोग को कम किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार इस बात से भी सहमत है कि सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सर्वांगीण सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नीति भी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अंतर्गत सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। 94% जनसंख्या को एक किमी की दूरी के अन्दर-अन्दर प्राथमिक स्कूल सुलभ करवाए गए हैं। सरकारी स्कूलों में कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत अभी तक 4.71 लाख प्राथमिक स्कूलों को अतिरिक्त अध्यापक तथा सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। आठवीं योजना हेतु 704 करोड़ रुपए के परिव्यय से 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 63.75 लाख ऐसे बालकों को शामिल करके अनौपचारिक शिक्षा योजना चलाई जा रही है जो विभिन्न कारणों से औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते। चौदह राज्यों तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों ने शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए विधान अधिनियमित किए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

7614. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेषत: जनजातीय क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा गृह निर्माण, उद्योगों की स्थापना, अनाज का व्यापार और वाहनों की खरीद हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ख) क्या ऋण की राशि की वसूली कर ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि आवास ऋणों, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, खुदरा व्यापार और लघु सड़क तथा जल परिवहन परिचालकों के लिये मार्च 1990, 1991 और 1992 के अंत की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गुजरात में अनुसूषित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि निम्नानुसार है :–

(रू॰ लाख में)

		बकाया राशि	
	मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1992
1. आवास ऋण	883.71	797.55	890.64
2. औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना	0.18	–	0.29
3. खुदरा व्यापार	556.04	615.58	774.92
4. लघु सड़क और जल परिवहन परिचालक	1280.57	1316.67	1445.98

उपर्युक्त अग्रिमों की वसूली से संबंधित श्रेणी-वार/राज्य-वार जानकारी आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, अतिदेय राशियों में कमी लाने और विभिन्न क्षेत्रों को वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के संबंध में उनके वसूली कार्य में सुधार लाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न कदम उठाये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपायों का भी पालन किया जाता है :–

1. बैंकों से एक ओर जरूरतमंदों और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को बैंकों के दुर्लभ संसाधनों के निरंतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ओर ऋणदात्री बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता को सुधारने के लिए एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली की स्थापना करने के लिए कहा गया है।

2. उनकी प्रभावी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अलग-अलग अग्रिमों के स्वास्थ्य को दर्शाने के लिए एक विस्तृत और समान ग्रेड निर्धारण प्रणाली का प्रारम्भ।

3. शीर्ष अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगाह रखना।

4. जहां अग्रिम अवरुद्ध पाये गए हों, वहां उपचारात्मक कार्रवाई करना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निष्क्रिय परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए एक 'वसूली कक्ष' की स्थापना पर सहमति हुई है। कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय पर की जाएगी जो एक महाप्रबंधक के चार्ज में होगा। वसूली के लिए शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे और निष्क्रिय परिसम्पत्तियों में कमी और वसूली में विभिन्न शाखाओं के कार्यनिष्पादन की मुख्य कार्यपालक द्वारा आवधिक अन्तराल पर प्रधान कार्यालय स्तर पर जांच की जाएगी।

तम्बाकू विरोधी कानून

7615. श्री प्रकाश वी॰ पाटील :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को तम्बाकू उत्पादों तथा उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है;

(घ) क्या सरकार को प्रस्तावित तम्बाकू विरोधी कानून की दण्डात्मक धाराओं के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार ने लघु और सीमान्त तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) तम्बाकू के प्रयोग से स्वास्थ्य को होने वाली हानि को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ निर्धारित क्षेत्रों में तम्बाकू और उसमें उत्पादों को बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और साथ ही अभिज्ञात सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहा है। सरकार को प्रस्तावित कानून के पक्ष में और इसके विरोध में अनेक अभिवेदन मिले हैं। सरकार प्रस्तावित कानून को अन्तिम रूप देते समय सभी हितों एवं सरोकारों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखेगी।

सिगरेटों और तम्याकू के निर्यात के लिए किए गये सभी प्रोत्साहनों से तम्बाकू उपजकर्ताओं को निरन्तर लाभ मिलता रहा है।

[अनुवाद]

डंकल पश्चात् विश्व व्यापार व्यवस्था

7616. श्री तारा सिंह :

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य परिसंघ ने सरकार से डंकल पश्चात् विश्व व्यापार व्यवस्था में भारत के स्थापित होने हेतु एकमुश्त व्यापक नीति बनाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में वृद्धि होगी; और

(घ) ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अरुग्वे दौर के बाद का काम अन्तिम अधिनियम से पैदा हुए अवसरों की पहचान करना और उनका कार्यान्वयन करना होगा। एक संतुलित अनुमान के अनुसार विश्व व्यापार में करीब 240 बिलियन डालर प्रति वर्ष की वृद्धि होगी। भारत के लिए अतिरिक्त निर्यात के रुप में 1.2-2 बिलियन डालर प्रतिवर्ष तक की वृद्धि होने का अनुमान है।

गैट और सुपर 301

7617. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1994 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में "जापान अटैक्स यूएस ओवर 301; गैट टाक्स कानक्लूड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को अमरीका के प्रति जापान के संकोच के संबंध में जापान से कोई उपयुक्त संदेश प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में तम्बाकू का उत्पादन

7618. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में प्रति बैरेक कितने किलोग्राम तम्बाकू का उत्पादन होता है;

(ख) कर्नाटक में प्रति बैरेक तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तम्बाकू बोर्ड ने 1994 के फसल मौसम के दौरान कर्नाटक में एफ सी वी तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं को 1150 किग्रा॰ प्रति सिम्पलैक्स खते के उत्पादन करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

(ख) वर्ष 1994 फसल मौसम के लिए कर्नाटक में प्रति खत्ता उत्पादन कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कंटेनरों में रखे हुए बम

7619. श्री तारा सिंह :

श्री राम विलास पासवान :

श्री श्रीकान्त जैना :

श्री वी॰ देवराजन :

डा॰ रवि मल्लू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद में कंटेनरों में रखे हुए लगभग सौ बमों को अभी निष्क्रिय नहीं किया गया है जैसा कि 12 अप्रैल, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोई कार्यवाही न करके इन बमों को यहाँ रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन बमों को तुरंत सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने अथवा इन्हें हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) दिसम्बर, 1993 के मास के दौरान अन्तरदेशीय आधान डिपो, (आई॰ सी॰ डी॰) तुगलकाबाद में लुधियाना की दो पार्टियों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात से हैवी मैल्टिंग स्क्रैप की आयात की गयी दो खेपों में पुराने और जंग लगे 283 तोप के गोलों का पता लगाया गया था। 8.4.1994 को, सेना की सहायता से एक ट्रक में लादे गये 195 गोलों को नष्ट करने के लिए कोट फायरिंग रेंज में ले जाया गया था। अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान एक दुर्घटना हो गयी जिसके परिणामस्वरूप सेना के एक कार्मिक की मृत्यु हो गयी तथा दो अन्य घायल हो गये।

अन्तरदेशीय आधान डिपो, तुगलकाबाद से शेष गोलों को 16.4.1994 को हटा लिया गया है। अतः आज की स्थिति के अनुसार अन्तरदेशीय आधान डिपो, तुगलकाबाद में सक्रिय बम बोलों के सहित कोई आधान नहीं पड़ा हुआ है। सेना के विशेषज्ञों द्वारा नष्ट करने हेतु सभी गोलों को कोट फायरिंग रेंज में पहुचा दिया गया है।

जहाज में लदान हेतु लम्बित तम्बाकू

7620. **प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तम्बाकू संघ ने जहाज में लदान हेतु लम्बित 87 लाख किलोग्राम तम्बाकू की निकासी के लिए हाल ही में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 8777.3 टनों की संविदा की गई मात्रा में से बची हुई मात्रा के लिए साख-पत्र जल्दी प्रारंभ करने के लिए सरकार अपने दूतावास के मार्फत इस मामले को रूसी अधिकारियों के साथ पहले ही उठा चुकी है।

अमरीका को निर्यात किए जाने वाले वस्त्रों का कोटा

7621. **श्री नीतीश कुमार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के वस्त्र कोटा प्रणाली को समाप्त करने संबंधी गैट वार्ताओं के बावजूद अमरीका और पूर्वी यूरोप के देशों को वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके क्या प्रभाव होंगे; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अंतर्गत अमरीका को कपड़ों और वस्त्रों का निर्यात

7622. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उरुग्वे दौर व्यापार वार्ता समिति से अमरीका द्वारा वाशिंगटन के लिए विभिन्न देशों में अपने मनपसन्द बाजार का चयन करने की अनुमति दिए जाने संबंधी नोट पर अपना विरोध प्रकट किया है;

(ख) क्या यह नोट कपड़े और वस्त्र संबंधी करार के कतिपय उपबंधों का एकपक्षीय अवरोध है;

(ग) यदि हां, तो भारत की इस मांग को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है;

(घ) सरकार ने इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी टैरिफ अनुसूची के भाग I खण्ड-II में एक टिप्पणी शामिल की है इसके अनुसार इस सूची में वस्त्रों और पहनावा मदों के संबंध में दी गई रियायतों को प्रभावी बाजार पहुंच के उपबन्धों के साथ जोड़ दिया गया है। दिनांक 30 मार्च, 1994 को आयोजित टी एन सी की बैठक में अपने वक्तव्य में हमने इस बात का उल्लेख किया कि यह टिप्पणी वस्त्र एवं पहनावा संबंधी करार के कुछ निश्चित उपबन्धों की एक पक्षीय व्याख्या है और भारत इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है।

यूरो इश्यू के द्वारा धन की प्राप्ति

7623. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यूरो इश्यू के माध्यम से धन के अन्तर्वाह को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों से निधि का लाभ उठाने हेतु मुम्बई में पृथक विदेशी बाजार की स्थापना करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी ऋण बाजार की स्थापना का डालर की तुलना में रुपये की कीमत तथा विदेशी मुद्रा के अन्तर्वाह और अपवाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयात और निर्यात

7624. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान देश के आयात और निर्यात का रुपयों तथा डालरों में नवीनतम उपलब्ध मूल्य कितना-कितना है;

(ख) 1992-93 के दौरान वास्तविक आंकड़े क्या हैं;

(ग) गत वर्ष में रुपयों तथा डालरों के संदर्भ में वृद्धि अथवा गिरावट का प्रतिशत क्या है;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत औसत वृद्धि से अधिक रहा है; और

(ङ) किन-किन देशों के साथ हमारा भुगतान संतुलन नकारात्मक रहा है और कुल प्रतिकूल व्यापार संतुलन की तुलना में उसका प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) वर्ष 1993-94 में भारत के निर्यात और आयात, जिसके अनुमान अभी अनन्तिम आधार पर उपलब्ध हैं, वर्ष 1992-93 के तुलनात्मक आंकड़े और उनके अन्तर के प्रतिशत अनुपात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

करोड़ रुपये

	1992-93	1993-94	प्रतिशत अन्तर
निर्यात	53351	69447	+30.4
आयात	62923	72806	+15.7
मिलियन अमरीकी डालर	**1992-93**	**1993-94**	**प्रतिशत अन्तर**
निर्यात	18420	22173	+20.4
आयात	21726	23212	+6.8

(घ) अप्रैल-जनवरी 1993-94 की जिस अवधि के लिए अद्यतन अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार वर्ष, 1992-93 की तत्संबंधी अवधि की तुलना में डालर के रूप में जिन देशों को हमारे निर्यात 21.6% की औसत वृद्धि से अधिक हुए हैं वे हैं : बांग्लादेश, बेल्जियम, ग्रीस, हांगकांग, ईरान, जापान, मलयेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, और थाईलैंड।

(ङ) वर्ष 1993-94 के देशवार भुगतान संतुलन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिन प्रमुख देशों के साथ हमारा व्यापार संतुलन नकारात्मक है और जो कि भारत के कुल नकारात्मक व्यापार संतुलन का अधिकांश प्रतिशत बैठता है वे देश हैं : आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, नाइजीरिया, कोरिया गणराज्य, यू. के. आदि।

राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा प्रणाली

7625. **श्री अंकुशराव राव साहेब टोपे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा प्रणाली कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप प्रणाली स्थापित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, वित मंत्री ने 1994-95 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार का निक्षेपों की स्थापना हेतु कानून बनाने का इरादा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशों में नौकरी दिलाने में धोखाधड़ी

7626. श्री भीम सिंह पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में नौकरी दिलाने के बहाने धोखाधड़ी तथा जाली पासपोर्ट बनाने के कितने मामले केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आये;

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या विदेशों में नौकरी दिलाने के प्रस्ताव के मामले में की जाने वाली धोखाधड़ी में लगातार वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रुग्ण नौवहन कम्पनियां

7627. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 को रुग्ण नौवहन कम्पनियों में कम्पनीवार कितनी सरकारी धनराशि फंसी हुई थी;

(ख) क्या एस॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ लिमिटेड, जो नौवहन उद्योग का प्रमुख संस्था ऋणदाता है ने सरकारी धनराशि की वसूली के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) ऐसा किस प्रकार किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार 18 रुग्ण नौवहन कंपनियों के पास भारत सरकार के 827.12 करोड़ रुपए के बकाया ऋण हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : ऋणों के रूप में संवितरित 377.36 करोड़ रुपए, भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति/सरकार द्वारा दी गई गारंटियों/प्रतिगारंटियों के बदले अपनी देनदारियों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए रुक्का नोटों और नौवहन कंपनियों द्वारा ऋणों का भुगतान न करने के कारण 239.28 करोड़ रुपए और ब्याज की 210.48 करोड़ रुपए की राशि। कम्पनी-वार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) सरकार ने 1987 में तीन रुग्ण लेकिन संभावित रूप से अर्थक्षम नौवहन कंपनियों के लिए पुनरुद्धार योजनाएं मंजूर की थीं।

बांकी 15 कंपनियों के संघ में सरकार के पदनामित व्यक्ति के रूप में सरकार/एस सी आई सी आई लि॰ द्वारा सरकार की देय राशियों की वसूली के लिए नौवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 और/या नावधिकरण विषयक उपनिवेषक न्यायालय अधिनियम, 1890 के तहत कार्रवाई आरम्भ की गई है।

विवरण

रुग्ण नौवहन कंपनियों में फंसी राशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	कंपनी का नाम	राशि
1.	दामोदर बल्क कैरियर्स लि०	41.92
2.	डैम्पो स्टीमशिप्स लि०	88.83
3.	इंडोसीनिक शिपिंग कं० लि०	30.22
4.	नौलहट शिपिंग कं० लि०	25.76
5.	आर० ए० जे० लाइन्स लि०	2.34
6.	सेवेन सीज ट्रांसपोर्ट लि०	17.32
7.	सूजवाला शिपिंग कं० लि०	2.44
8.	ठाकुर शिपिंग कं० लि०	11.93
9.	दक्कन शिपिंग कं० लि०	3.58
10.	पंचशील शिपिंग कं० लि०	21.67
11.	सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कं० लि०	207.54
12.	मंगला बल्क कैरियर्स लि०	4.56
13.	स्ट्रीमलाइन्स शिपिंग कं० लि०	3.31
14.	हेड नैविगेशन कं० लि०	47.72
15.	निर्वाण शिपिंग कं० लि०	5.54
16.	गौउगुल स्टीमशिप्स लि०	58.40
17.	इंडिया स्टीमशिप कं० लि०	166.70
18.	सुरेन्द्र ओवरसीज लि०	87.34
	जोड़	827.12

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, गैट पर डिसकशन होना था, इसका क्या हुआ आज हाउस

खत्म हो रहा है। लिस्ट ऑफ बिजनेस में गैट पर डिसकशन लिखा हुआ नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं। उसका क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आज आप रात को यह डिसकशन काम खत्म होने के बाद लेना चाहते हैं तो डिसकशन ले लेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। इस मुद्दे का संबंध देश के माल डब्बे बनाने वाली एककों से है। ऐसे दस एकक हैं जिनमें पांच सरकारी क्षेत्र में और पांच निजी क्षेत्र में हैं। पर स्थिति यह है कि इस वर्ष रेलवे ने अब तक इन्हें कोई आर्डर नहीं दिया है। माल डब्बे बनाने वाले ये एकक पूर्णत: निष्क्रिय हैं। हजारों हजार कामगारों के पास काम नहीं है। पहले ही उनका तीन चार महीने के पारिश्रमिक का भुगताना बकाया है। वे किसी भी दिन काम बंदी या ताला बंदी की आशंका कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के टेक्समैको के सामने भी कठिनाइयां हैं।

कल भी मुझे इस आशय का एक दुखद तार मिला कि हम मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से बात करें क्योंकि कोई आर्डर अब तक नहीं मिले हैं। यह साढ़े चार हजार लोगों का मामला है। उनके समक्ष इन एककों के शीघ्र बंद हो जाने का खतरा है।

पता नहीं, सरकार क्या कर रही है। सरकार ने इस वर्ष अपेक्षित माल डब्बों की संख्या कम कर दी है। वह निजी क्षेत्र पर भी निर्भर होने जा रही है। रेलवे की स्थायी समिति की रिपोर्ट से भी इसका पता चला। सरकारी उद्यमों की तो बात बहुत दूर रही, निजीक्षेत्र के इन उद्यमों को भी कोई आर्डर नहीं दिए गए हैं। हजारों कामगार इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं।

यह तो तथ्य है ही कि हमारी रेलों के लिए माल डब्बे अत्यंत अनिवार्य हैं। जबकि हम माल ढुलाई द्वारा अधिक से अधिक धन के उपार्जन पर जोर दे रहे हैं अगर डब्बों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है तो ऐसी स्थिति में हमारी रेलों के काम-काज पर उनकी अर्जन क्षमता पर और साथ ही माल डब्बे बनाने वाले एककों और उनमें कार्यरत गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हजारों कामगारों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।

अत: आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से कुछ करने का अनुरोध करता हूं। हालांकि रेल मंत्री जी यहां नहीं हैं, पर वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और कई अन्य कैबिनेट मंत्री यहां बैठे हैं। मेरी समझ से यह सरकार का दायित्व है कि वह इस उद्योग को समाप्त न होने दे और उन श्रमिकों के लिए जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं और जो अपनी मजदूरी के अलावा और किसी चीज का दावा नहीं कर रहे, न्यूनतम जीविकोपार्जन का प्रबंध करे।

मैंने मंत्रियों की प्रतिक्रिया व्यक्त कराने के लिए आपके सद्प्रयासों के लिए अनुरोध किया था। रेल मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैंने श्री विद्याचरण शुक्ल जी से भी अनुरोध किया था। प्रतिदिन हमें तार, पत्र और टेलीफोन कॉल मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को यहां उठाने के बजाए कुछ किया जाए: हम उन्हें बता सकें कि कुछ हो रहा है, सरकार कुछ कर रही है।

गत वर्ष भी, हर तिमाही पर और तिमाही-वार हमें उनसे बात करनी पड़ी और हमारे जबाव पर कुछ आर्डर दिए गए। पर इस वर्ष इस तिमाही में अब तक कुछ नहीं किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि यह मुद्दा दलगत नीतियों से ऊपर रहेगा और क्योंकि इस सदन का हर तबका इसके बारे में चिंतित होगा और है।

अत: मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस मुद्दे पर कोई कार्यवाही करेंगे । **.....(व्यवधान).....**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) महोदय, पश्चिम बंगाल के माल डब्बा उत्पादन एककों में अत्यंत गम्भीर परिस्थिति बन रही है। **.....(व्यवधान).....**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) टेक्समैको ने पहले ही इस आशय का नोटिस जारी कर दिया है कि 15 मई तक वे 300 लोगों की छंटनी कर देंगे। पहली जून तक कुल संख्या केवल 4,000 होगी। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा है। आज 13 मई है और 15 मई तक वे 1300 लोगों की छंटनी कर देंगे। अत: सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा टेक्समैको कर रहा है। महोदय, सरकार को कृपया शीघ्र कार्यवाही करने को कहें। **.....(व्यवधान).....**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जिस स्थिति का सामना टेक्समैको के कामगरों को करना पड़ रहा है, वैसी ही स्थिति का सामना 30,000 कामगरों को करना पड़ेगा। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। महोदय, कृपया सरकार को कार्यवाही करने को कहें। **.....(व्यवधान).....**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, संसदीय कार्यमंत्री इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को सहमत हैं। **.....(व्यवधान).....**

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है। कृपया अपनी पार्टी के सदस्यों को पहले बैठ जाने को कहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री शुक्ल जी, जो बात आम तौर पर होती है, वह नहीं हो रही है।

.....(व्यवधान).....

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, जैसा कि आपको पता है, रेल मंत्री जी हज पर गए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वे यहां नहीं हैं। हम निश्चित ही यह मामला रेल मंत्री जी के ध्यान में लाएंगे। श्रम मंत्री जी भी यहां हैं। हम निश्चित ही इस विषय पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाएंगे। **.....(व्यवधान).....**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) **:** महोदय, रेल मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि वे कुछ नहीं कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि वे इस मामले पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाएंगे।

.....(व्यवधान).....

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, रेल मंत्री जी ने सदन में पहले ही बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है-"यदि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं माल डब्बे कहां से खरीदूंगा ? यदि मुझे डब्बों की जरूरत नहीं, तो भला मैं क्यों खरीदूं ?" उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन कारखानों को चलाने के लिए उनके पास कोई योजना

नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मंजय लाल बोलेंगे।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री मंजय लाल के भाषण को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।*

.....(व्यवधान).....

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मुक्तापुर में रामेश्वर जूट मिल वर्षों से कार्यरत है। दिनांक 6 मई, 1994 को मिल के प्रबन्धक और श्रमिकों के बीच कुछ झड़प हो गई। मिल के प्रबन्धक पहले से ही मिल में तालाबंदी की तैयारी कर चुके थे, 6 मई की सुबह से ही मिल में तालाबंदी कराकर प्रबन्धक वहां से बाहर चले गए। उस जूट मिल में लगभग 5000 श्रमिक कार्यरत हैं। कल दिनांक 11 मई, 1994 को बिहार सरकार के श्रम आयुक्त के समक्ष मिल के प्रबन्धक और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई किन्तु प्रबन्धक मिल को चालू करने पर राजी नहीं हुए फलस्वरूप इस जूट मिल के पांच हजार श्रमिक और उनके परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में पहल कर यथाशीघ्र रामेश्वर जूट मिल को चालू कराने की व्यवस्था की जाये ताकि मिल के पांच हजार श्रमिकों और उन पर आश्रित परिवारों को भुखमरी से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज सत्र का अंतिम दिन है। मैं अगली कतारों में बैठे सदस्यों और प्रश्न काल और अन्य चर्चाओं में भाग ले चुके सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अन्य सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने दें। आज मैं कुछ और अधिक समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के छोटा नागपुर से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होने के बावजूद भी रांची एवं सम्पूर्ण छोटा नागपुर में बिजली की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, रांची एवं संपूर्ण छोटा नागपुर में बिजली-पानी के लिये आन्दोलन चलता रहा है, परन्तु बिहार सरकार इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसमें हजारों उद्योग-धंधे बंद हो गये हैं और कई बंद होने वाले हैं।

.....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला स्टेट गर्वनमेंट के पास आता है।

डॉ॰ गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी के वक्तव्य की ओर और मध्य प्रदेश सरकार के कुछ चुनिंदा सरकारी कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहती

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूँ महोदय, भारत में रेप की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं वे आप और हमसे छिपी हुई नहीं हैं। अभी हाल ही में एक 28 वर्षीय लड़की का मध्य प्रदेश में रेप हुआ, ...(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कल उठाया गया था, कल इस पर चर्चा हुई थी।

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदय, आज भी इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : क्या रोज-रोज इस पर चर्चा होगी ?

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदय, यह ऐसा ज्वलंत प्रश्न है कि आए-दिन इस तरह के रेप के किस्से होते हैं। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा कि आप कोई अन्य मुद्दा उठा रही हैं।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास : कोई न कोई निर्णय तो आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या निर्णय आना चाहिए, जब इस सभा को निर्णय करने का अधिकार ही नहीं है। इस बारे में काम करने का अधिकार स्टेट लेजिसलेचर को है और कोर्ट को है।

डॉ. गिरिजा व्यास : सदन की भावना वहाँ तक पहुंचनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह बात गंभीर है, इस बारे में तो व्यक्ति अधिकार से काम कर सकते हैं, उनको बड़ा सोच-समझ कर काम करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है।

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद सिद्धार्थ नगर के नेपाल की सीमा से लगने के कारण यह क्षेत्र नदी-नालों से भरा हुआ है और यहां पर प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ आती है जिससे लाखों लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, धन-जन की भारी हानि होती है। इस वर्ष भी यहां पर भयंकर बाढ़ आई और सेना की मदद ली गई। यह जनपद उद्योग-विहीन है, जिसका कारण यहां पर बड़ी लाईन न होना है, जिसमें यहां पर कोई उद्योग-धंधे नहीं लगे हैं। यहां के लिए एक चीनी मिल 1990 में स्वीकृत की गई थी, जो अभी तक नहीं लगाई गई है। यहां बिजली का एक सब-स्टेशन 1989 में डुमरियागंज में शुरू हुआ है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस जिले को बाढ़ से बचाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए गोरखपुर-गोंडा मीटर गेज लाईन को ब्राडगेज लाईन में बदला जाए, नए उद्योग धंधे इस क्षेत्र में खोले जाएं। ताँकि इस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र नन्दरबार है जो महाराष्ट्र में है। वहां पर अक्कलुआ तहसील के एक गांव में नवोदय विद्यालय मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसका भवन निर्माण 1990 में नेशनल बिल्डिंग कांस्ट्रक्शन कार्पोरेशन दिल्ली द्वारा

अंडर गवर्नमेंट स्कीम किया जा रहा है। जिस पर 127 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से अभी तक 97 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी बिल्डिंग कंपलीट नहीं हुई है। मैंने दिनांक 2.2.1994 को भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इंजीनियर से बात करने के बाद पाया कि काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है कई जगह से प्लास्टर उखड़ रहा था, जिसके बारे में इंजीनियर से पूछने पर उसका बर्ताव अभद्र और गैरजिम्मेदाराना रहा। इस निर्माण कार्य की जांच होनी चाहिए तथा इस कार्य को कार्पोरेशन से लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप एक आफिसर के खिलाफ पार्लियामेंट मे शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, हाल ही में माननीय मंत्री ने सभा में यह स्वीकार किया था कि मणिपुर के बारे में लापरवाही हुई है। मैं, इस समय सभा के समक्ष इस राज्य के साथ लापरवाही बरतने की एक घटना रखता हूं। लोकटक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट नामक परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लम्बित है। यह प्रस्ताव इस समय माननीय पर्यावरण और वन मंत्री के पास है। मैं कुछ समय पहले उनसे उनके कार्यालय में मिला था। उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि वे इस मामले पर विचार करके इसे यथाशीघ्र स्वीकृति देंगे। परन्तु इसे अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। बात को दो वर्ष हो चुके हैं।

अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस पर विशेष मामला के रूप में विचार करते हुए इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करें। इससे राज्य में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

[हिन्दी]

"दूसरे फील्ड के लोगों को भेजने का काम किया जाता है। इस बार इस डेलीगेशन में लोकसभा में किसी भी सदस्य को नही चुना गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी, आपके लिए यह मुद्दा उठाना शोभनीय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, असली प्वाइंट अब हाथ से जा रहा है। आप सुन लें अपोजीशन की तरफ से भी किसी को नहीं लिया गया है। मान्यवर, जेनेवा में जरूरत पड़े तो अटल जी जा सकते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय बड़े अफसोस की बात है कि दोनों सदनों से अपोजीशन के सिर्फ एक आदमी को लेने का काम किया गया .....(व्यवधान).....**

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।

[अनुवाद]

महोदय : सभा में ऐसे मुद्दे उठाना सदस्य के लिए शोभनीय नहीं है।

[हिन्दी]

यह न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटि में कंट्रोवर्मियन मामला है बल्कि हिंदुस्तान से बाहर मैसेज जाएगा, वह ठीक नहीं है। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा कि आप अन्य सदस्यों के लिए बोल रहे हैं परन्तु आप तो अपने लिए बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के नक्सेलाईट प्रभावित क्षेत्र बस्तर, बालाघाट, मंडला आदि में पिछले चार सालों से वहां की जनता भय के आतंक से पीड़ित है। इस एरिया में नक्सेलाईट गतिविधियों पर काबू पाने में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कामयाबी हासिल की गई है। जब तक इस एरिया के विकास और बुनियादी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू पहल नहीं होगी तब तक नैक्सेलाईट गतिविधियां सम्पन्न नहीं हो पायेंगी। आज इस एरिया में आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन एवं सिचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से भड़काया जाता है और बरगलाया जाता हैं अत: इन सुविधाओं की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र शासन के एक विशेष योजना के तहत धनराशि मांगी गई है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि नैक्सेलाईट प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराई जाए जिससे नैक्सेलाईट गतिविधियों का समूल्य नष्ट हो सके। .....(व्यवधान).....

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) अध्यक्ष महोदय सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए 219 करोड़ रुपए की सहायता की है, खासतौर पर सर्किट के लिए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बौद्ध सर्किट के अन्तर्गत पर्यटन को बढ़ावा धनराशि उपलब्ध कराई जाए जिससे नैक्सेलाईट गतिविधियों का समूल्य नष्ट हो सके .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय, जापान सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए 219 करोड़ रुपए की सहायता की है, खासतौर पर उस सर्किट के लिए मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बौद्ध सर्किट के अन्तर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर और बौद्ध-गया के विकास के लिए आवश्यक है .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अभी प्रश्न आया था, आप यहां पर नहीं थे।

श्री विजय कुमार यादव : मैंने उठाया था .....(व्यवधान)..... वह मेरा इलाका है।

अध्यक्ष महोदय : अब इसको बोलने की जरूरत नहीं है, इसका प्रश्न आया था।

श्री विजय कुमार यादव : प्रश्न पर हमको मौका मिलना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : अब जल्दी से बोल दीजिए।

श्री विजय कुमार यादव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बख्तियारपुर-राजगीर रेलवे लाईन का बौद्ध-गया तक विस्तार करके उस क्षेत्र के पर्यटन हेतु बौद्ध-गया तक बढ़ावा दिया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सभा का ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर दिलाता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में कई सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गए हैं परन्तु इन केन्द्रों में लगाए गए सभी टेलीफोन खराब पड़े हैं। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन टेलीफोनों की जांच कराए और यह पता लगाए कि ये टेलीफोन कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं और उन्हें चालू कराए।

* **सी० के० कुप्पूस्वामी (कोयम्बटूर)** ; माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रेल मंत्री द्वारा कावेरी से पर्याप्त जल छोड़े जाने के सम्बन्ध में हमारे अनुरोध पर मजाक में की गई टिप्पणी की ओर दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने यह कहा है कि तमिलनाडु के लोगों का मैसूर में स्वागत है, और वे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हाल ही में शुरू की गई गाड़ियों से यात्रा करके यहां आकर कावेरी का पानी ले जायें। इस टिप्पणी से तमिलनाडु में रह रहे छ: करोड़ तमिल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है जिन्हें पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। वहां पानी की भारी कमी है। पीने के पानी के मामले में संयुक्त रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं, पांच पड़ोसी राज्यों के बीच आपस में यमुना के पानी के बंटवारे के बारे में दिल्ली और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों द्वारा शुरू की गई वार्ता के परिणामस्वरूप दिल्ली में हुए समझौते का स्वागत करता हूं। यमुना जल बोर्ड की तरह केन्द्र द्वारा कावेरी नदी के सभी सहभागी राज्यों के लाभार्थ पानी का बंटवारा करने हेतु एक प्रभावी संस्था स्थापित की जानी चाहिए। हमें प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है और इसलिए मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे पानी की समस्या को सुलझाने के लिए शीघ्र समाधान खोजें।

मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप रेल मंत्री पर दबाव डालें कि वह कावेरी जल के सम्बन्ध में हमारे अनुरोध पर मजाक में की गई अपनी टिप्पणी वापस लें और इस सभा में क्षमा मांगें।

मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि हमारे महान नेता स्वर्गीय श्री कामराज, जो इस सम्मानित सभा के सदस्य थे, का स्मारक बनाये जाने की आवश्यकता है। वे एक परोपकारी सांसद थे जिन्होंने संसद में बेहतर कार्य करने के लिए अन्य लोगों को सहयोग दिया। हालांकि वे मितभाषी थे तथापि नेहरू जी के मरणोपरांत दोनों प्रधान मंत्रियों को चुनने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। दो प्रधान मंत्रियों के चयन में उन्होंने तीन बार योगदान दिया। मैं, स्वर्गीय वाई० एस० चौहान की स्मृति में प्रतिमा बनवाने का स्वागत करता हूं। इसी तरह संसद के परिसर में हमारे महान नेता का भी एक स्मारक बनाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष इस पर विचार करें।

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, असम में, विशेषकर बराक घाटी में, पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई हो रही है। यदि साल, सेगम, सुंडी, गामैर, चैम्प जैसे कीमती पेड़ों की अगले दो वर्षों तक अन्धाधुन्ध कटाई जारी रही तो मुझे यह आशंका है कि असम अत्यधिक वन संसाधन वाला राज्य नहीं रह जाएगा। यह आश्चर्य की बात है कि रात के अंधेरे में लकड़ियां ट्रकों के द्वारा राज्य के बाहर भेजी जा रही हैं परन्तु वन प्रशासन इसे रोकने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार असम पारस्थितिकीय असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। जिससे इस क्षेत्र के पेड़ पौधों और जीव-जंतुओं को खतरा है। वन क्षेत्र का ह्रास होने के कारण हाथियों के समूह रिहायशी स्थानों पर धावा बोलकर वहां के लोगों के आवासों को ध्वस्त करना और कभी-कभी वहां के वासिंदों को मार डालना लगभग आम बात हो गई है। मैंने इस संबंध में केन्द्र के साथ-साथ राज्य प्राधिकारियों का ध्यान भी आकृष्ट किया है परन्तु आज तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

इन परिस्थितियों में, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह असम को तस्करों के शिकंजे से बचाने के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाए और उसके सदाबहार वनों की रक्षा करे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से फिर एक बार सदन में यह गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। मुम्बई शहर की मिलें बन्द होने जा रही हैं। हमारे कपड़ा मंत्री जी. वेंकट स्वामी ने राम विलास पासवान जी के इस प्रश्न पर कि क्या सरकार का इरादा इन मिलों को बंद करने का है या नहीं, यह उत्तर दिया था कि ये मिलें बन्द होने वाली नहीं हैं। मंत्रीजी ने कमेटी में भी कहा था कि ये मिलें बन्द नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया है उसमें मधुसूदन मिल का उल्लेख है जिसकी जगह 18.5 एकड़ है। उन्होंने कहा कि टोटल लैंड आफटर माडर्नाइजेशन रिक्वायर्ड मिल है और पूरी की पूरी मिल बेच रहे हैं। ऐसे ही सिताराम मिल है, एलविस्टल मिल है, कोहिनूर मिल नम्बर दो और तीन है। जो मर्जर के नाम पर सरप्लस लैंड के नाम पर वे बन्द करने जा रहे हैं। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सचमुच ये मिलें बन्द करने जा रहे हैं या नहीं ? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक करोड़ रुपया एन॰ टी॰ सी॰ को मरम्मत के लिए दिया है और तीन सौ करोड़ रुपया मू॰ आ॰ एस॰ के लिए दिया है, यानि लोगों को जाने के लिए ज्यादा दे रहे हैं और रा-मेटिरियल के लिए नहीं दे रहे हैं। आधुनिकीकरण के लिए 877 करोड़ रुपये दिये हैं इनमें से 765 करोड़ रुपये प्राईवेट मिलों के लिए दिये हैं, लेकिन मुम्बई में एक भी पैसा एन॰ टी॰ सी॰ की मिलों के लिए नहीं दिया है। जिन मिलों का मैंने नाम लिया है वे निर्यात भी कर रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि मंत्री को इसके बारे कुछ कहने के लिए आप कहें।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ कंट्रोवर्स है। ये कहते हैं कि मिल्स मर्ज करके बन्द होने जा रही हैं, आपका कहना है कि बन्द नहीं करने जा रहे हैं। अब आप क्या कहते हैं।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी) : कमेटी के अंदर विस्तार से डिसकशन हुआ है कि अगर आधुनिकीकरण करना है तो किसी वर्कर का रिटेचमेंट नहीं करेंगे। उसके ऊपर सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी का रिटेचमेंट नहीं करेंगे। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय उन्हें अब यह आश्वासन देना चाहिए कि वह आत्मदाह नहीं करेंगे। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : ब्यावर की राष्ट्रीय कपड़ा मिल से कई लोगों को निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : रासा सिंह जी डिस्टर्ब मत करिये।

श्री जी॰ वेंकट स्वामी : मेरे रिप्लाई को इन्होंने पढ़कर सुनाया है, इसको फिर सुना दें, यही बात है तो मैं मान लेता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आप अलाऊ करें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं, इन्होंने मेरे को लिस्ट दी है।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ रेलीवेंट पोर्शन पढ़कर बता दें।

.....(व्यवधान).....

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली जो लिस्ट उन्होंने दी है उनमें जो मिल्ज़ मर्ज़र करने जा रहे हैं, उनके नाम लेता हूं........

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आप बैठिए। उनका कहना है कि मर्जर होने का मतलब है कुछ मिल्ज का बंद होना : क्या ऐसा है ?

श्री जी॰ वैंकट स्वामी : अध्यक्ष जी, अगर माडर्नाईज़ेशन करना है तो........

अध्यक्ष महोदय : नहीं, तो मिल्ज़ अगर एक जगह लाना है..........

श्री जी॰ वेंकटास्वामी : अध्यक्ष जी, मैं उस बात पर आ रहा हूं कि टैक्सटाइल कमिशनर की जो रिपोर्ट है, उसे सारे लोगों ने एकसैप्ट किया है और अकार्डिंग टू दैट रिपोर्ट यह माडर्नाईजेशन होगा।

श्री मोहन रावले : मेरा सवाल यह है कि क्या आप मिल बंद करने जा रहे है या नहीं ?

श्री जी॰ वैंकटास्वामी : मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि किसी को नहीं निकाल रहे हैं।

श्री मोहन रावले : मेरा सवाल यह है कि आप मिल बंद करने जा रहे हैं या नहीं ? आप मिसगाइड नहीं करें। इन्होंने इसके कागज भी दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, मर्जर का मतलब एक मिल बंद करके दूसरा मिल शुरू करना, ऐसा नहीं है। वे कह रहे हैं कि जितने भी अलग-अलग मिल्ज में वर्कर्स काम कर रहे हैं, मर्जर होने के बाद भी किसी को रिट्रैंच नहीं किया जायेगा।

.....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, अब आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब उम्बे जी अपनी बात रखेंगे।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्वी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार तथा इस पवित्र सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहूंगा। महोदय, देश के पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश से आये कॉलेज तथा स्कूलों के 300 विद्यार्थी दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु सरकार पर दबाव डालने के लिए धरने पर बैठे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ता हूँ :

"अरुणाचल प्रदेश के चाकमा शरणार्थियों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है उसके बाद उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका पेश की। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने लुइस-डी राएइट बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए अपने पहले के विनिर्णय को उधृत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि विदेशियों के लिए मूल-भूत अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित है क्योंकि जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार इस देश में बसने का अधिकार नहीं देता जैसा कि अनुच्छेद 19 (1) (ङ) में दिया गया है जो अधिकार सिर्फ इस देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं।"

महोदय, यह उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय है और सरकार ने अब तक अस्थाई रूप से अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चाकमा सरणार्थियों के मान्यता दे दी है। जैसा कि विदित है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट 1873 की धारा 7 के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश से बाहर के लोग वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते तथा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। जहाँ एक तरफ भारत के अन्य प्रदेश के नागरिकों को ये सुविधायें कानूनन उपलब्ध नहीं है वहीं चाकमा सारणार्थी इन सुविधाओं को ले रहे हैं; और भारत सरकार भी उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर अड़ी हुई है।

महोदय, मैं सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने के मामलों में आपको तथा सम्पूर्ण सदन को हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि उचित कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान के अंदर शिप बेकिंग का काम गुजरात में भावनगर जिले के अनंत नाम जगह पर होता है लेकिन वहां पर लोहा ट्रकों द्वारा जाता है तो मेरी आपसे मांग है कि भावनगर से अंनत तक नयी रेल लाईन का निर्माण किया जाये ताकि सारे हिन्दुस्तान से आने वाला लोहा आसानी से यहां पहुंच सके और क्षेत्र का जो विकास कार्य रुक गया है, वह पूरा हो जाये।

मैंने रेल बजट के समय रेल मंत्री से कहा था कि यदि इस बार के रेल बजट में व्यवस्था नहीं हो सकती है तो अगले बजट में इसकी व्यवस्था हो जाये और मुझे आशा है कि मेरी इस मांग पर विचार कर शीघ्र ही भावनगर को अंनत से जोड़ा जायेगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील (नान्देड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जिस दिन माननीय वस्त्र मंत्री ने रावले जी के प्रश्न का उत्तर दिया था कि NTC की मिलों को बंद नहीं

किया जाएगा, मैं भी यहां थी। नान्देड़ की कपड़ा मिल जो NTC के नाम से विख्यात है जिसका कपड़ा विश्व भर में जाता था, आज वह मिल बंद हो रही है। माननीय कपड़ा मंत्री जी से मैंने पूछा था तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि मैं जिस्तरीय समिति में यह निर्णय करने जा रहा हूं जिसमें इन मिलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन वह मिल धीरे-धीरे बंद की जा रही है और वहां के दो विभाग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। उस मिल में नये विभाग खुलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है लेकिन पुराने विभाग भी बंद किये जा रहे हैं। नांदेड़ की मिलों के साथ-साथ बंबई की मिलों की भी वही स्थिति है। माननीय रावले जी आपका संरक्षण नहीं पा सके तो मैं आपका संरक्षण चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ अपने लिए बोलिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : नान्देड़ की जिस मिल के बारे में मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था वह मिल भी उन्होंने बंद कर दी है और BIFR में पैसा बांटा गया है। मिल के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं दिया है और उन्होंने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि मंत्री जी के आश्वासन की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।

[अनुवाद]

डा॰ असीम बाला (नवदीप) : महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे कर्मकारियों का ध्यान पूर्वी रेलवे के सियालदह प्रमंडल के अन्तर्गत उपेक्षित पड़े राणाघाट गाडे रेलवे लाइन की ओर दिलाना चाहूंगा। मैंने इस मुद्दे को कई बार उठाया है, लेकिन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उस क्षेत्र के लोग कल अर्थात 14 तारीख को धरने पर बैठेंगे और रेल रोको आन्दोलन करेंगे। उस क्षेत्र के लोगों की मांगों की पूर्ति नहीं की जा रही है जो कि रेलवे अधिकारियों के लिए एक बहुत ही अनुचित बात है। अब रेलवे अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देने का तथा उधर के लोगों से वार्ता करने का समय आ गया है। और राणाघाट गाडे सेक्शन का विद्युतीकरण, विद्युतीकरण कार्य पूरा होने तक डी॰ एम॰ जे॰ कोचों को उपलब्ध कराना, वर्तमान गाड़ियों के लिए समय सारणी का पालन किया जाना, प्रकाश तथा प्रत्येक गाड़ी में महिलाओं के लिए अलग कोच इत्यादि सुविधाओं का प्रावधान, सभी हाल्ट स्टेशनों का विधिवत स्टेशनों में परिवर्तन, बगुला स्टेशन के डाउन प्लेट फार्म पर यात्रियों के लिए रोड का निर्माण, बगुला तथा हरीश नगर हाल्टों पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करना, तथा बगुला में रेलवे केबिन के पास रेलवे फाटक का निर्माण इत्यादि मांगों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश में 16 जिलों में भूमि जल स्तर के नीचे जाने के कारण उत्पन्न संकट की ओर ले जाना चाहता हूं। इसके कारण पिछले तीन वर्षों में 100 से 150 फुट तक भूमि जल स्तर नीचे चला गया है और इसके कारण हैण्ड पंप सूख गए हैं। अब स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में बताया गया है कि वहां पीने के पानी की समस्या नहीं है पर वास्तविक स्थिति यह है कि भूमि जल स्तर नीचे जाने के कारण पीने के पानी की समस्या गंभीर हो गई है और इसके कारण उज्जैन, देवास, इंदौर, मंदसौर, खण्डवा, खरगोन, शिवपुरी, सागर, मुरैना, रायपुर, होशंगाबाद, बेतूल, बालाघाट और बस्तर

जिलों में यह संकट व्याप्त है। मेरा आपसे निवेदन है कि भूमि जल स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से उपाय किये जाने चाहिए और नर्मदा- शिप्रा लिंक योजना को कारगर दृष्टि से कार्यान्वित करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए और भूमि जल स्तर के संकट को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार पर्याप्त उपाय करे।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राजधानी के बगल में दादरी कस्बा है जहां पर केन्द्रीय सरकार की एक संस्था NTPC है जहां विद्युत उत्पादन होता है और यहां के लोगों की ज़मीन 1986 में अक्वायर की गई थी एक रुपए, दो रुपए, चार रुपए और छह रुपए गज के हिसाब से और दो साल बाद रेल विभाग ने जमीन अक्वायर की जो कि 120 और 130 रुपए प्रति गज के हिसाब से की है। इस मांग को लेकर कि हमें भी सही मुआवजा दिया जाए, 2000 गरीब मजदूर किसान 7 मार्च से धरना दे रहे हैं और 10 मई को औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने स्थानीय पुलिस से मिलकर जो कहर गांव वालों पर ढहाया और घरों में घुसकर लोगों को मारा जिससे दो लोगों की मृत्यु हो गई। एक ब्रहम सिंह मारा गया और दूसरी महिला है। यह भी हुआ कि पुलिस ने छह छह महीने के बच्चों को बाहर निकालकर फेंका है और कम से कम 50 आदमियों की टांगें तोड़ दी गई हैं।

लगभग 80-90 लोगो को जेल भेज दिया गया है और 300-400 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मामले की गम्भीरता को देखते हुये तुरन्त हस्तक्षेप करें और किसानों की मुख्य मांगे मानी जायें। जब रेलवे विभाग ने वहां उचित मुआवजा दिया है तो बिजली विभाग किसानों को उचित मुआवजा क्यों नहीं दे रहा है। किसानों के खेतों में राख के ढेर पहाड़ के रूप में खड़े हो गये हैं। उस गांव के किसान चाहते हैं कि उनके खेतों में राख हटाई जाये ताकि उनकी फसलें बर्बाद न हों और जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, उस बर्बादी को रोका जाये। इसलिए मान्यवर, मैं इस प्रश्न को सदन में उठाते हुये मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार वहां तत्काल हस्तक्षेप करे।

डा॰ रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष जी, एन टी पी सी, दादरी के गेट पर किसान अपनी जायज मांगों को लेकर 7 मार्च से धरना दे रहे है। उनकी मांगें हैं कि एन टी पी सी ने किसानों की जो जमीनें ली हैं, उनका समान मुआवजा दिया जाये। एक जगह तो जमीन का मुआवजा 4 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिया गया है और दूसरी जगह 130 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिया गया है। वे चाहते हैं कि दोनों जगह समान रेट पर मुआवजा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुआवजा डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर फिक्स करता है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है।

डा॰ रमेश चन्द्र तोमर : आगे क्या हुआ, पहले आप उसको तो सुन लीजिये, मैं वही बता रहा हूं। दूसरी उनकी मांग है कि जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गयी है, प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाये। तीसरी उनकी मांग है कि जिन गावों की जमीनें ली गई हैं, उनका विकास किया जाये। चौथी उनकी मांग है कि एन टी पी सी से जो राख निकलती है, उससे भारी प्रदूषण उस क्षेत्र में फैलता है, उसे रोका जाये। किसानों का धरना बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था कि अचानक 9 मई को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर, पुलिस के सहयोग से, एन टी सी पी के जनरल मैनेजर और सी आई एम एफ के कमांडेंट ने धरने पर बैठे किसानों

पर लाठियां चलाई। जब इससे भी उनकी संतुष्टी नही हुई तो उन पर गोलियां चलाई गयी। गोली चलाने से ब्रह्म सिंह नाम का पिछड़ी जाति का एक किसान मौके पर मारा गया। महिलाओं की भी पिटाई की गयी। अगले दिन 10 मई को अनुसूचित जाति की एक महिला शांति देवी जो कि वही रसूलपुर गांव की रहने वाली है, की भी पिटाई के कारण मृत्यु हो गयी। इससे भी सी आई एस एफ के लोगों को शांति नहीं मिली। उनकी बर्बरता बढ़ती गयी शाम को उन्होंने सलाहपुर गांव में जाकर अनेक घरों के दरवाजे तोड़े तथा महिलाओं, बूढ़ों और बच्चों को मारा, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। सी आई एस एफ का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है एन टी पी सी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उस क्षेत्र में आतंक मचा रखा है गांव के लोगों ने उस रास्ते से निकलना छोड़ दिया। मेरी मांग है कि किसानों की जो जायज मांगें हैं उन्हें माना जाये, पूरा किया जाये। इसके साथ-साथ जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, पिछड़ी जाति के श्री ब्रह्म सिंह तथा अनुसूचित जाति की महिला शांति देवी के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये। उनके परिवार से एक-एक व्यक्ति को नौकरी पर लिया जाये। अध्यक्ष जी, मेरी यह भी मांग है कि एन टी पी सी के जनरल मैनेजर और सी आई एस एफ के कमांडैंट को तुरन्त बर्खास्त करके, पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करायी जाये।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सर, लक्ष्मी भगत नाम का एक आदमी, जो कि मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है, कुछ समय से दिल्ली में, प्रकाश यादव, मकान नं॰ 34, सराय पीपरथला, नया आजादपुर में रहता था। मकान मालिक ने उसे मकान खाली करने को कहा। उसने मकान खाली करने के लिये 15 दिन का समय भी नहीं दिया। जब कुछ समय तक वह मकान खाली नहीं कर पाया तो उसके 5-6 वर्ष के बच्चे को छत से उठाकर फैंक दिया गया, जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। मकान मालिक को इससे ही संतोष नहीं हुआ। उसने लक्ष्मी भगत के दूसरे बच्चे को भी पकड़ लिया जिसे 2 दिन तक रखा और काफी पिटाई करने के बाद उसे वापस किया।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसमें कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति इन्वौल्व है, बच्चा फैंकने में, किसी गवर्नमेंट के आदमी का कोई दोष है।

श्री सूर्य नारायण यादव : दिल्ली का मामला है। गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। मैंने इस प्रकरण के बारे में गृह मंत्री जी को तथा पुलिस आयुक्त को पत्र लिखे, थाने में केस दर्ज हुआ लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मकान मालिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। एक गरीब आदमी के बच्चे को मार दिया गया.....

अध्यक्ष महोदय : आप कोर्ट में जाईये

.....(**व्यवधान**).....

अध्यक्ष महोदय : आप समझने की कोशिश कीजिये यह बिल्कुल बचपना हो रहा है।

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटमपुर–कानपुर देहात जनपद में, जो यू॰ पी॰ में है, गन्ने की पेराई से पहले ही चीनी मिलें बंद कर दी गयी हैं और दसियों हजार एकड़ जमीन में किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है।

कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं और करोड़ों रुपया किसानों का बकाया पड़ा हुआ है जिसके कारण इस समय किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। चीनी मिलें बन्द होने से जो गन्ना खेत से खड़ा है वह जलाया जा रहा है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि चीनी मिल पुनः चलाने की कृपा करें ताकि किसानों को राहत मिले और कर्मचारियों को रोजी-रोटी मिल सके। धन्यवाद।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में 1977 में जनता पार्टी की सरकार के समय में लोक बन्धु स्वर्गीय राजनारायण जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो हैल्थ स्कीम आरंभ की गई थी जिसमें एक हजार की आबादी पर प्रत्येक ग्राम में एक हैल्थ गाइड की नियुक्ति की गई थी जिसको 50 रुपए मानदेय तथा 50 रुपए की दवाइयां दी गई। 1977 से आज तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और तब से लेकर जो आज तक कि स्थिति है वह आपके सामने कई बार इस सदन में सरकार का ध्यान इस विषय की ओर खींचा है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक जो 50 रुपए मानदेय हैं, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस बात पर इस योजना का अन्तर्गत कार्य करने वाले देश भर के लगभग 5 लाख स्वास्थ्य गाइडों ने दिल्ली के अंदर बोट क्लब पर धरना भी दिया और अपनी मांगों को रखा, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि भारत सरकार इस हैल्थ स्कीम जो बहुत लाभप्रद योजना है, उसकी तरफ ध्यान दें और 50 रुपए के मानदेय को बढ़ाकर 500 रुपए करें तथा 500 रुपए की दवाएं मुहैय्या कराएं ताकि हैल्थ गाइड स्कीम सुचारु रूप से चल सके।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, भयंकर बेरोजगारी के बढ़ने के कारण अखबारों में नौजवानों को बड़े-बड़े विज्ञापन देकर गुमराह किया जा रहा है। कम्प्यूटर ट्रेनिंग के नाम पर हजारों रुपए फीस लेकर उनको यह कहा जा रहा है कि बेरोजगारी दूर करनी है तो आप कम्प्यूटर की ट्रेनिंग लीजिए और नौकरी कीजिए, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वे बेचारे वहां पैसे दे देते हैं। कम्प्यूटर पर ट्रेनिंग पाते हैं। जो सर्टिफिकेट आज यहां से मिलता है उसकी कोई मान्यता नहीं है और जब वे नौकरी के लिए जगह-जगह जाते हैं, तो चूंकि उस सर्टिफिकेट को कोई मान्यता नहीं मिली होती है, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती है। उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि एक तो वे बेचारे गरीब हैं दूसरे वे बेरोजगार हैं और फर्जी विज्ञापन के कारण मां-बाप को हजारों रुपया ले जाकर कम्प्यूटर की ट्रेनिंग के नाम पर वहां दे रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मानव संसाधन मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। ये अनधिकृत लोग गरीब और बेरोजगार लोगों का नाजायज फायदा उठाकर शोषण कर रहे हैं। उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कानूनी मुकदमा चलाकर उनको सजा मिलनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें अगर कुछ हो सकता है, तो गवर्नमेंट देखे।

श्री मोहन एस॰ डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली आदिवासियों का विस्तार है। वहां पर 80% लोग आदिवासी हैं। जहां आदिवासी रहते हैं। वहां उनके खेत हैं, उनकी जमीन

है। वहां पर भारत सरकार और वहां का प्रशासन तथा कुछ लोग मिलकर उनको वहां से हटाकर शुगर फैक्ट्री का प्रोजैक्ट लाने जा रहे हैं। अगर वह वहां पर जाएगा, तो बहुत बड़ी संख्या में वहां से आदिवासियों को हटाना पड़ेगा, बेघर होना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में कई बार वहां के आदिवासियों ने आंदोलन किया है और वहां की जो प्रदेश कोंसिल की अपैक्स बाडी है उसने भी यूनैनिमसली रिज़ोल्यूशन पास कर के भारत सरकार को यह अवगत करवाया है और बताया है कि वह प्रोजैक्ट से आदिवासियों को नुकसान होगा। उनको बेघर होना पड़ेगा। वहां से हटना पड़ेगा। इसलिए उसकी अपील किया है। आदिवासी विकास संगठन कर के एक एसोसिएशन है उसने भी आंदोलन करने की धमकी दी है। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि वहां की प्रदेश कौंसिल ने जो रिजेल्यूशन पास किया है, उस पर ध्यान देकर तुरन्त यह कार्रवाई रोकी जाए और भारत सरकार की तरफ से, केन्द्र सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी नियुक्त की जाए और वहां पर इन्क्वायरी की जाए। यह जो शुगर फैक्ट्री खोलने की कार्रवाई हो रही है, इसको तुरन्त बन्द किया जाए। धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अति लोक महत्व का विषय आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार के समक्ष उठाना चाहता हूं। प्रतिरक्षा विभाग की इकाई, वायु सेना, नौसेना, आवासीय बोर्ड रेस कोर्स, नई दिल्ली के द्वारा दूतावास का निर्माण होता है और उस परियोजना में जितने मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी जो सेवा-शर्तें एव न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, उनके विपरीत लोग काम कर रहे हैं।

उनकी सेवा-शर्तों के अनुसार बर्खास्त होने पर वेतन नहीं दे रहे हैं। इस तरह से मजदूर परेशान न्यायालय में भी भटक रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इसे देखे क्योंकि मजदूरों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।

उपर्युक्त आवासीय बोर्ड ने नोएडा सेक्टर 21 एम 25 में जो कुछ परियोजनाएं शुरू की गई थी, उसमें सरकार द्वारा 1989 से निर्धारित न्यूनतम वेतन 750 रुपये प्रतिमाह था, लेकिन मजदूरों को 650 रुपये ही मिले हैं। इसके अतिरिक्त गैर-तकनीकी पर्यवेक्षकों को 864 रुपए के बजाए 650 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया गया है। हम चाहेंगे कि सरकार इसकी जांच करवाए और उचित कार्यवाही करके मजदूरों की रक्षा की जाए।

डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जलगांव) : महोदय, जलगांव पुलिस ने 3 मई 1994 को हत्या के एक मामले की जांच के दौरान मुसावल शहर में करीब तीन करोड़ रुपये कीमत की ब्राउन सुगर जब्त की तथा साथ ही साथ मुंबई बम कांड से जुड़े एक दोषी व्यक्ति को भी पकड़ा। वह व्यक्ति मुंबई बम कांड में जुड़े दस फरार अभियुक्तों में से एक है और वह पिछले पांच माह से ...***... के साथ रह रहा था मैं सरकार से इस पूरे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विस्तार से जांच करवाये जाने की मांग करता हूँ। मुसावल एक संवेदनशील शहर है तथा महत्वपूर्ण गोला-बारुद की फैक्ट्रियां एवं विद्युत संयंत्र भी इसके आस-पास हैं। मुझे आशंका है कि मुसावल शहर तथा इसके आस पास के इलाकों में बड़ी मात्रा में 'ब्राउन शुगर' तथा आर॰ डी॰ एक्स॰ रखे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं हो रहा है। पहले आपको यह समझ लेना चाहिए।

***कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

[हिन्दी]

जो लोग यहाँ अपने को खुद डिफेंड नहीं कर सकते, उनका नाम लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। क्या आपको पूरी जानकारी है।

[अनुवाद]

डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : मुझे इस बारे में संदेह है।

अध्यक्ष महोदय : आपको संदेह है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : मैं सरकार से इस मामले की विस्तार से जांच करने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : किसी अन्य सदन में आपके ऊपर भी कोई आक्षेप कर सकता है। ऐसी बात की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बताऊँगा कि इस विषय को किस तरह से लिया जाए।

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान (अमरोह) : महोदय, वित्त मंत्रालय की उपेक्षा तथा अनिर्णय के कारण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पोबेसरी आफिसर्स के लिए चुने गए 371 अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अक्टूबर 1992 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 386 अभ्यर्थियों को प्रोबेसनरी आदिसर्स के रूप में अंतिम रूप से चयनित किया गया था। इसमें से 107 अम्यर्थी केवल बिहार से थे। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक को इसमें किसी अनियमितता की आशंका हुई और उन्होंने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। इसी बीच चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा जांच कर ली गई तथा भारतीय स्टेट बैंक के कुछ सर्किल कार्यालयों द्वारा अक्टूबर 1992 में उन्हें अंतिम रूप से चयन कर लिए जाने की जानकारी दी गई। आंतरिक जांच से पता चला कि 15 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनियमितता बरती थी। प्रबंधक 371 अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने पर राजी हैं। और उसने इसे वित्त मंत्रालय के पास प्रेषित कर दिया है जो कि नियुक्ति के मामले में पीछे हट रहा है। सभी चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनमें से कुछ ने अपने वर्तमान पदों से त्यागपत्र भी दे दिया है। इसके अलावा उन लोगों ने नवंबर 1992 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रोबेसनरी आफिसर्स के पद पर नियुक्ति हेतु अगली परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन भी नहीं किया साथ ही, ये चयनित अभ्यर्थी कोई अन्य नौकरी भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें बैंक द्वारा नौकरी हेतु कभी भी बुलाया जा सकता है। ये अभ्यर्थी करीब दो सालों से लंबित पड़े नियुक्ति के इस मामले के निपटारे के लिए इस संभव प्रयास कर रहे हैं।

अत: मैं वित्त मंत्रालय से यह मांग करता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन द्वारा नियुक्ति हेतु सिफारिस किए गए 371 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को स्वीकृति दी जाये ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके तथा अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो सके। माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थिति हैं। उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं ? अथवा आप इसकी छानबीन करना चाहेंगे।

श्री बी॰ अकबर पाशा (वेल्लोर) : महोदय, तीन साल पहले, चमड़ा, चमड़े के वस्तुओं तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था, बाद में इसके स्थान पर एग्जिम स्क्रिप लाया गया। अब तमिलनाडु सरकार एग्जिम स्क्रिप के बिक्री पर 1987-88 के पूर्व प्रभाव से अब तक बिक्री कर की वसूली किए जाने पर जोर दे रही है जिसका लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कुछ उद्योग रुग्ण हो गए हैं। कुछ लोग जिनका सोवियत रूस के साथ व्यापार होता था उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पहले के सोवियत रूस में उनके 25 प्रतिशत सामान की बिक्री होती थी। वह बाजार बिल्कुल समाप्त हो गया है। इन परिस्थितियों में इन लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ उद्योग रुग्ण हो गए हैं। उन्हें एग्जिम स्क्रिप्स तथा भराई लाइसेंस के मामले में 1987-88 के पूर्वप्रभाव से आगे तक की अवधि के लिए बिक्री की अदायगी करनी पड़ रही है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस अवधि के लिए बिक्रीकर की अदायगी से लोगों को मुक्त कर दें। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी 1992-93 से आगे 150 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान किया है, इसका भी लोगों पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं सरकार से इस संदर्भ में भी लोगों को सुविधा देने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री गया प्रसाद कोरी (जालौन) : अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र जालौन के केन्द्र उरई में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की एक कम्पनी कार्यरत है। उसमें लगे लगभग साढ़े तीन सौ कर्मचारी अपनी मांगों के लिये जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे। वहां की पुलिस और कम्पनी के प्रबन्धकों ने उनको वहां से हटा कर जेल में डाल दिया। जेल में उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए, उन पर होने वाले अत्याचार को रोकें और उन्हें तुरन्त काम पर लगायें।

[अनुवाद]

मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री को मेरे संसदीय क्षेत्र में बौद्ध सोनपुर में एक सेतु परियोजना के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। निविदा जारी करने में विलम्ब के कारण निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। वर्षा ऋतु भी आने वाली है। अतएव इस निर्माण कार्य के शुरू होने में अब और विलम्ब होगा। अत: इसके लिए संशोधित आकलन की आवश्यकता है। चूँकि भारत सरकार उसमें बड़ा वित्तीय निवेश करने के लिए भागीदार है। इसलिए मैं सरकार से माननीय मंत्री महोदय से जो यहाँ उपस्थित हैं, निविदा जारी करने और निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री डी॰ जे॰ टंडेल (दमन और दीव) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र शासित प्रदेश दीव और गुजरात के मछुवारे, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में जखो समुद्र में फीशिंग करने जाते हैं लेकिन पाकिस्तान की सरकार बड़ी

संख्या में हिन्दुस्तान के मछुआरों को पकड़ कर जेल में डाल देती है। वे जेल में पड़े-पड़े सड़ते रहते हैं। समुद्र में कोस्ट गार्ड्स के होने के बावजूद भी वह उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। पिछले दिनों ही पाकिस्तान की सरकार पांच जहाज पकड़ कर ले गई। मैंने कई बार आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे मछुवारे बिना किसी डर के मछलियां पकड़ सकें। सरकार के आश्वासन देने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे मछुवारों का सारा धंधा चौपट हो रहा है। जेल में जो मछुआरे बंद हैं, उनके परिवार वाले भूखों मर रहे हैं। जहाज के पकड़े जाने पर इंश्योरेंश कम्पनी भी कोई मुआवजा नहीं देती है। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे पानी के बीच में रेखा खींची जा सके। इससे मछुआरे अपने-अपने हिस्से में ही मछलियां पकड़ सकेंगे।

श्री राजेश कुमार (गया) : अध्यक्ष महोदय 4 मई को दिल्ली के कोण्डली गांव में आम्बेडकर जी की मूर्ति को जबरन हटा कर फेंक दिया गया। इसके विरोध में जो जुलूस निकाला गया, उसमें अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स को लाठियों से मारा गया। महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई गई। जो महिलायें आभूषण पहने हुए थी, उनको भी छीन लिया गया। मैं मांग करता हूं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति को वहां लगाया जाये और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री राम विलास पासवान : यह डी० डी० ए० का मामला है। मंत्री जी बैठी हुई है। दिल्ली में अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई। इस मामले की जांच करवायी जाये।

श्री राजेश कुमार : मेरी आपसे एक विनती है कि आज फ्राइडे है। अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के लोग आज के दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए एक बजे हाउस को भोजनावकाश के लिये स्थगित करना चाहिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष के 50 फीसदी इलाकों में भयंकर पेय जल की समस्या है। मैं पहले भी यह मामला सरकार के सामने रखता आया हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 25 जिले इससे प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश को दो नामों से जाना जाता है, भारत और इण्डिया। दिल्ली के आसपास जितने भी क्षेत्र आते हैं, दिल्ली के चकाचौंध में इण्डिया जब प्यासी मरती है तो आप देख लें, कल लोक सभा और राज्य सभा दोनों में इस तरीके की बात हुई और उसके बाद जल की प्राप्ति हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता इस वक्त प्यासी है, भयंकर समस्या इस वक्त वहां फैली हुई है, पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है......

अध्यक्ष महोदय : शहर का और देहात का झगड़ा लगाऐंगे ?

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष जी, इस वक्त भारत प्यासा है। ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं, बहनें 3-3, 4-4, किलोमीटर से पानी लेकर आ रही हैं। मेरी समस्या है.....

अध्यक्ष महोदय : अगले अधिवेशन में उसके ऊपर अच्छी चर्चा करेंगे। मैंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, अगले अधिवेशन में पेयजल पर चर्चा करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे आपको प्रसन्नता होनी चाहिए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये। जितना आपको नहीं मिल सकता था, उससे ज्यादा मिल गया। अब बैठ जाइये। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री बूटासिंह (लाहौर) : महोदय, मैं अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले को उठाने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूँ। यह महत्वपूर्ण मामला अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित नीति के बारे में है। ऐसा लगता है कि हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि भारत सरकार के दो विभाग आपस में ही लड़ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लाखों युवाओं को भारी नुकसान हो रहा है। कभी-कभी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है।

नया मुद्दा जिसे कल भी उठाया गया था, पिछड़े वर्गों के युवाओं को आयु में एक बार छूट देने से सम्बन्धित है। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि इसमे लिए भारत सरकार सक्षम है। एक मंत्रालय अर्थात समाज कल्याण मंत्रालय इस पर सहमत हो गया है। परन्तु श्रमिक मंत्रालय ने इसमें बाधा खड़ी की है। ऐसे हजारों युवक दिल्ली की गलियों में भटक रहे हैं इसका कोई हल नहीं है।

आपने सहृदयतापूर्वक एक बैठक का सुझाव दिया था दुर्भाय से हम भारत सरकार से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं। परन्तु इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस सत्र के अंत में इस मामले में हस्तक्षेप करें। अन्यथा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। आपको पिछड़े वर्गों के उन लोगों का मुद्दा उठाना चाहिए जिन्होंने इसमें विलंब के कारण नुकसान उठाया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद तीन साल गुजर चुके हैं। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। केवल आप ही ऐसे हितरक्षक हैं जो पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं।

शेष मामले पर हम बाद में विचार करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर शताब्दी की घटना के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। लगभग एक दर्जन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। उनमें से तीन परियोजनाएं भी पूरी नहीं हुई हैं। इस के लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। सरकार जिम्मेदार है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और विशेष रूप से पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कल्याण योजनायें भी यह शोचनीय स्थिति है। भारत सरकार को इस संबंध में कोई निर्णय लेना चाहिए और सत्र समाप्ति से पूर्व सदन में उससे अवगत कराना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, OBC के एज रिलैक्सेशन का मामला इस सदन में उठा था। आपने कहा था कि आप लोग मंत्री से मिलिए। परसों से हम लोग निरन्तर मिलने का प्रयास करते रहे। कल बड़ी मुश्किल से प्रधान मंत्री जी से बातचीत हुई राज्य से परसों हम लोगों ने बात की तो उनको समस्या ही समझ में नहीं आई। कल प्रधान मंत्री जी से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अमरीका जा रहा हूँ। अमेरिका से लौटकर आने के बाद मैं इसपर निर्णय लूंगा। लेकिन इस बीच हम लोगों ने उनको भी इस बात को पोइण्ट आउट किया है कि ओवर एज के नाम पर जो रिजैक्शन लैटर्स आ रहे हैं, वह आना बन्द होना चाहिए।

हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि बातचीत तो हो गई लेकिन कोई सामाधान नहीं निकला है। हम सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपसे इतना आग्रह जरूर करेंगे कि कार्मिक विभाग की तरफ से एक स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि रिजैक्शन लैटर्स इश्यू नहीं होंगे और उसके बाद एक निर्णय होगा ताकि लोगों को जून महीने में होने वाले प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठने का अवसर मिल सके। हम आपसे इतना जरूर आग्रह करेंगे कि आज सदन उठने जा रहा है, अगर इस सवाल पर कार्मिक राज्य मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा आकर सदन को कुछ बता सकें तो बेहतर होगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इतना जरूर करवा दें।

[अनुवाद]

डा॰ रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का विशेषरूप से स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा सम्पूर्ण राष्ट्र की चिन्ता का विषय है। विशेषरूप से इस देश की महिलाएं गत कुछ सप्ताहों से आन्दोलित हैं। यह मुद्दा नए प्रस्तावित गर्भ विरोधक उपाय अर्थात डिंब प्रोवेश शुरू करने से सम्बन्धित है जिसको इंजेक्शन के माध्यम से लम्बे समय तक प्रयोग में लाना पड़ता है। का निर्माण एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी कर रही है। और इसका देश में विपणन एक एजेन्सी के माध्यम से किया जाएगा।*

अध्यक्ष महोदय : एक कम्पनी के पक्ष या विरोध में प्रचार करने की सदन में अनुमति नहीं है।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कृपया आप बैठ जाइए।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : सदन का एक कम्पनी के पक्ष या विरोध में प्रचार करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। कृपया बैठे जाइए यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने कम्पनी का नाम न लिया होता तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे देता।

*कार्यावाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अरविंद त्रिवेदी (साबरकंठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहूंगा, सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आज जो मैं मुद्दा उठाने जा रहा हूं......

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए करते हैं या हमेशा के लिए करते हैं ?

श्री अरविंद त्रिवेदी : आज तो सच बोलूंगा मैं, सर। .....(व्यवधान)..... अध्यक्ष महोदय, राम जी की कसम खा कर कहता हूं कि सच कहूंगा। आज जब सदन उठने जा रहा है मैं यह मुद्दा उठाने जा रहा हूं, तब देरी हो गई है। जब फिर सदन बैठेगा, तब वह राइट टाइम होगा। यह मुद्दा मेरे क्षेत्र में रेलवे की असुविधा के कारण है। 16 साल पहले नडीयाद कपड़वंज-मुडासा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की नींव डाली गई थी, लेकिन आज तक यह कार्य पूरी नहीं हुआ है। .....(व्यवधान)..... 14 साल के बाद नडीयाद से कपड़वंज तक का कार्य पूरा हुआ है और कपड़वंज से मुडासा कार्य पूरा नहीं हुआ है। उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और आदिवासी लोग रहते हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार अहमदाबाद से खेड़ब्रह्मा 120 किलोमीटर की छोटी लाइन है। पूरे भारत में 120 किलोमीटर का यह अन्तर साबरकंठा क्षेत्र में 20 किलोमीटर की गति से छः घन्टे में पूरा होता है। इस लाइन को ब्राडगेज में कन्वर्जन के लिए भी मैं आपसे विनती करता हूं। मैंने रेल मंत्री जी से कई बार कहा है, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। अभी बूटा सिंह जी ने कहा है कि हमारे पास आपसे बड़ा कोई कस्टोडियन नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं कि साबरकंठा की नडीयाद कपड़वंज-मुडासा रेलवे प्रोजैक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करवायें।

[अनुवाद]

* **श्री रूप चन्द मुरमु** (झाड़ग्राम) : अध्यक्ष महोदय, मेरी भारत सरकार से छोटी सी माँग है। माँग छोटी है परन्तु मेरे और खड़गपुर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर और नई दिल्ली के मध्य हाल ही शुरू की गई नई राजधानी एक्सप्रेस खड़गपुर में नहीं रुकती है। परन्तु महोदय, खड़गपुर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्रसिद्ध भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है। सम्पूर्ण देश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने अति हैं। विद्या सागर विश्वविद्यालय मिदनापुर जिले में स्थित है। इसके अलावा खड़गपुर और मिदनापुर से अनेक लोग व्यापार के लिए भुवनेश्वर आते जाते हैं। इसी तरह भुवनेश्वर से अनेक लोग व्यापार के उद्देश्य से खड़गपुर और मिदनापुर आते-जाते है। अत: महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ट्रेन का खड़गपुर में स्टॉप होना चाहिए ताकि खड़गपुर आने-जाने वाले लोग लाभान्वित हो सकें।

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष एक अति गम्भीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। उड़ीसा सरकार को विशेष रूप से उड़ीसा के पिछड़े जिलों की आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता का कुछ पिछड़े जिलों जैसे बोलंगीर और कालाहांडी में समुचित उपयोग नहीं हुआ है। इन पिछड़े जिलों के लोग अपने गांवों को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए पड़ोसी राज्य में जा रहे हैं। वे आन्ध्र प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और उन्हें 10 रुपये से आसपास मजदूरी मिल रही है। विपक्ष दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस क्षेत्र का

*मूलत: बंगाली में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दौरा किया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर और अन्य नेताओं ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है।

मैं आपसे इस क्षेत्र में यह देखने के लिए कि आवंटित राशि का सदुपयोग होता है या नहीं, एक सर्वदलीय शिष्ट मंडल भेजने का अनुरोध करता हूँ।

श्री एम॰ आर॰ कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, कल यानि 14 मई की लिट्टे पर से प्रतिबन्ध समाप्त होने जा रहा है। अत: मैं आज गृहमंत्री महोदय से लिट्टे पर दो वर्षों के लिए प्रतिबन्ध और लगाने के लिए स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूँ। वहाँ उपचुनाव हो रहा है। स्थिति अति गम्भीर है। सारा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है।

श्री पी॰ जी॰ नारायणन (गोबिन्देट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, हमारे रेल मंत्री ने मैसूर और मद्रास के मध्य चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को झन्डी दिखाते हुए.......** मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ क्योंकि इससे तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : नारायणन जी क्या आपने मंत्री महोदय से यह पूछा है ?

.....**(व्यवधान)**.....

श्री एम॰ आर॰ कादम्बूर जनार्दन : उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए उन्होंने तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया है। यह अति गम्भीर बात है।

श्री पी॰ जी॰ नारायणन : महोदय, यह दि हिन्दू में प्रकाशित हुआ है। .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : आपको समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आप माननीय मंत्री से इसकी जांच कर सकते थे।

श्री पी॰ जी॰ नारायणन : उन्हें तमिलनाडु की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री से पूछ लें कि क्या उन्होंने यह वक्तव्य दिया है और तब हम इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री पी॰ जी॰ नारायणन : उन्होंने एक अपमानजनक ओर क्षति कारक टिप्पणी की है।

.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि किसने क्या कहा है और उनका क्या मन्तव्य है। मैं नहीं समझता कि मंत्री ने कोई ऐसी बात कही होगी, फिर भी, आपसे उनसे बात कर लें और पता लगाएं कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तब इस मामले को हल करने पर विचार किया जाएगा।

श्री पी॰ जी॰ नारायणन : महोदय, इस मुद्दे पर तमिलनाडू की जनता क्षुब्ध है।

श्री सुखेन्दु खान (विशनुपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री श्री सुखराम का ध्यान पश्चिम बंगाल के विशनुपुर में नया दूरसंचार सब डिविजन शुरु करने की ओर दिलाना चाहता हूं।

**अध्यक्षपीठ आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

माननीय महोदय, विशनुपुर और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं की ओर से मैं निम्नलिखित मांगों पर विचार करने और स्वीकृति देने हेतु आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

महोदय, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल के बांकुरा दूर संचार सब-डिवीजन में 28 टेलीफोन एक्सचेंज है जिनमें 2,650 से भी अधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं। एक दूरसंचार सब डिवीजन के अत्यधिक कार्य भार और लम्बे कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विभागीय मानदंडों के अनुसार विशनुपुर जोन केवल राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है बल्कि इसे 'सी' वर्ग का शहर भी घोषित किया गया है, एक अन्य दूरसंचार सब डिवीजन की स्थापना युक्ति संगत लगती है।

कृपया इस बात की ओर ध्यान दें कि 773 टेलीफोन कनेक्शन पहले से ही कार्यरत हैं और 208 टेलीफोन कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में हैं। इन एक्सचेंजों का लाभ लगभग 70 किलोमीटर क्षेत्र तक मिलेगा।

जून, 1993 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति के संबंध में एक्सचेंजवार विवरण माननीय मंत्री को भेजा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : गैर-सूची बद्ध मामलों के लिए आधे घंटे की चर्चा का समय निर्धारित था। इसे बढ़ाकर एक घंटा दस मिनट कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि अब इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

1.04 म॰ प॰

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वायुयान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिसूचना और पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा तथा 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (पर्यटन विभाग) (श्रीमती सुखबंस कौर) : श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 31 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 323 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5953/94]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धरा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ग 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5954/94]

भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्री श्रीमती शीला कौल : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) भवन सामग्री और प्रोद्योगिक संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भवन सामग्री और प्रोद्योगिकी संवधर्न परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5955/94]

काफी बोर्ड, बंगलौर के 1 जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के लिए पूल निधि लेखाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) काफी बोर्ड, बंगलौर के 1 जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के लिए पूल निधि लेखाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5956/94]

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : मैं कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 1994 जो 26 मार्च 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल रख रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5957/94]

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धरा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5958/94)

भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद, देहरादून का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर पर रखता हूँ :

(1) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 1992-93 के दो कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5959/94]

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोएडा तथा परियान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री जी॰ वेंकट स्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोएडा के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्, नोएडा के वर्ष 1992'93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5960/94]

(2) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सज्जा निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5961/94]

राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, आनन्द का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) राष्ट्रीय तम्बाकू उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5962/94]

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली अध्यादेश, 1993 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली अध्यादेश, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993, जो 20 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 564 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5963/94]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अन्तर्गत जारी आदेश, जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन फाइल करने के संबंध में धारा 32 क ख की उपधारा (5) की अपेक्षा में छूट के संबंध में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा आय की विवरणी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5964/94]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 317 (अ), जो 15 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 24 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 355/86-के॰ उ॰ शु॰ में कतिपय संशोधन करना है ताकि कटे हुए तम्बाकू के लिए मुजराई प्रक्रिया की व्यवस्था की जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5965/94]

(4) अधिसूचना संख्या 5(12) ई-111/93, जो 11 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पांचवें केन्द्रीय वित्त आयोग के नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5966/94]

(5) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा, 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मुम्बई के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य निधि के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 5967/94]

(6) (एक) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा निगम की आस्तियों और देनदारियों तथा लाभ और हानि लेखाओं की विवरणी का विवरण।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5968/94]

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1992-93 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

(एक) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5969/94]

(दो) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड (कर्नाटक)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5970/94]

(तीन) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5971/94]

(चार) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5972/94]

(पांच) कचार ग्रामीण बैंक, सिल्चर (असम)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5973/94]

(छः) पंचमहल वडोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5974/94]

(सात) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5975/94]

(आठ) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5976/94]

(8) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (1994 का संख्या 2)-(सिविल) के 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5977/94]

(9) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (iv) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) जम्मू-कश्मीर सरकार के वर्ष 1989-90 के वित्त लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5978/94]

(दो) जम्मू-कश्मीर सरकार के वर्ष 1989-90 के विनियोग लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5979/94]

(10) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गयी उद्घोषणा के खंड (ग) (IV) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (जम्मू-कश्मीर सरकार) के 31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 5980/94]

[अनुवाद]

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुखराम) : मैं राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 नामक एक पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5982/94]

.....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर एक बात कहनी है, इस पॉलिसी को लेकर पिछले कई महीनों से देश में चर्चा थी। इसके विरोध में कर्मचारियों ने अपनी बातें कही हैं, देश में अनेक जानकर लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और आपके मंत्रालय को आज तक संभालने वाले लोगों ने भी अपनी बातें रखी हैं।

व्यक्तिगततौर पर रखा है, सामूहिकतौर पर रखा है। हमें मालूम था कि प्रधान मंत्री जी के अमरीका जाने से पहले यह नीति आनी है, और आज आखिरी क्षण, जबकि प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शुरू होने से मुश्किल से एक घंटा बचा है, तब इस नीति को सदन में प्रस्तुत किया गया, आर्डर-पेपर में भी इसको नहीं रखा गया, जबकि इस नीति की चर्चा एक अरसे से चल रही है, हमें ऐसी आशा नहीं थी। मेरी प्रार्थना है कि जो नीति यहां पर प्रस्तुत की गई है, जब तक इस सदन में इस पर बहस न हो जाए, तब तक यह नीति अमल में नहीं आनी चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आज सुबह उनसे बात की थी।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, जार्ज फर्नान्डीज ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार पहले से तय नहीं कर सकती थी कि आज की कार्यसूची में इसका समावेश किया जाएगा, इसके लिए अतिरिक्त सूची निकालनी पड़ी। यदि सरकार रुक सकती है तो इसके लिए वक्तव्य देने की क्या जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति मत दीजिए। कभी-कभी तो आप अपने अधिकारों का जोर से इस्तेमाल करिए।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : प्रधानमंत्री अमरीका जा रहे हैं वहाँ वह दूरसंचार उद्योग के मालिकों के साथ बातचीत करेंगे परन्तु उससे पहले जो ये परिवर्तन किए जा रहे हैं अलोकतान्त्रिक बताकर देश में उनका विरोध किया जा रहा है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो मांग की है। उसका हम यह कहकर पूरा समर्थन करते हैं कि इस पर सभा में पूरी चर्चा होने से पहले इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह देश की सुरक्षा का प्रश्न है, केवल पैसे की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इस पर आप एक रूलिंग दीजिए। जब तक इस नीति पर सदन से बहस नहीं होगी, यह नीति लागू नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, सभी बातों पर मेरी रूलिंग नहीं हो सकती, आप जो बोलते हैं, आपकी बात भी बड़ी इफेक्टिव होती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमारी आवाज कौन सुनता है, हमारी आवाज को नहीं माना जाता। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पर भी बहस नहीं हो सकती है, इस रिपोर्ट पर अमल नहीं होता है, तो हमारी आवाज को यहां पर कौन पूछेगा। अध्यक्ष महोदय, देश की सुरक्षा का प्रश्न है, यदि इसको अमल में लाने की बात हुई तो यहां पर लड़ाई होगी, यह हम साफ कहना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रोपराइटी का सवाल उठाया है, मैं गुण-दोष में नही जा रहा हूं। इसके बारे में हमको विस्तार से बात करनी पड़ेगी यदि आज यह नीति संबंधी वक्तव्य सदन में न रखा जाए, नई नीति के बारे में सदन को परिचित न कराया जाए तो कौनसा आसमान टूटने वाला है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री सुखराम : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह 10 बजे केबीनैट मीटिंग में इसको अपूर्व किया गया था, इसलिए आर्डर-पेपर पर नहीं दिखाया जा सका। इसके लिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया और 450 प्रतियां भिजवा दी गई। यदि इस पर कल फैसला हो जाता तो आज आर्डर पेपर में भी इसको दर्शा दिया जाता आज चूंकि माननीय सदन का आखिर दिन है और मैं इस माननीय सदन का पूरा सम्मान करना हूं, इसकी गरिमा को जानता हूं, इसलिए इस नीति को सदन के पटल पर रखवा दिया है, ताकि माननीय सदस्यों को इसके बारे में मालमू हो। यदि इसका फैसला कल होता, तब भी तो इंप्लीमेंटेशन होता, तब भी तो सेशन के लिए नहीं रुकते। माननीय सदस्य इस पालिसी को पद लें, इसका एक-एक शब्द देश के हित में है। इसके अंदर देश की सुरक्षा के खतरे वाली कोई बात नहीं है, यदि देश को आगे बढ़ना है तो एक्सपेंशन करना ही होगा। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस पालिसी को पढ़ें। महज अखबारों की खबरों पर मत जाइए, प्रेस में तो पता नहीं क्या-क्या निकला है, लेकिन इसके विपरीत इसमें बातें हैं। आप इस पालिसी को पढ़ लीजिए, सदन की गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए। हमने इसको सदन के पटल पर रख दिया है और जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपकी आशंकाओं को निश्चितरूप से दूर करूंगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उन्होंने यह घोषणा की है कि इसे लागू किया जाएगा और तीन माह बाद इस पर चर्चा होगी। कुछ बातें पहले से ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार का यह दृष्टिकोण है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप कुछ कह रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहने में ही रुचि रखते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस बात को समझना चाहिए कि जब भी कोई गर्वमेन्ट पालिसी बनती है तो उस पालिसी को सदन में लाने के बाद ही इम्पीलमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल और बजट यहां से पास होना है तो उसको पालिसी बनाकर सदन में नहीं लाकर भी कर सकते हैं। अगर दो दिन के बाद निर्णय करते तो सदन में लाए बिना उसको इम्प्लीमेंट करते। वाजपेयी साहब ने जो कहा है उसमें तथ्य है तो उसका जवाब मिनिस्टर साहब को नहीं देना पड़ता बल्कि प्रिजाईडिंग आफिसर को देना पड़ता है। जब लास्ट मूवमेंट पर ऐसे पेपर आते हैं कि ऐसा नहीं करें तो हमें, आपसे मदद होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने जो कहा है उस बात को एक सीमा तक मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कह दिया कि उसको इम्प्लीमेंट न करें।

.....(व्यवधान).....।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने कहा कि सरकार जब चाहे नीति बदल सकती है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कुछ मामलों में एक जमाने की बदली हुई नीतियां हैं। इस सदन के द्वारा बनायी हुई नीतियां है इसलिए इस पर राय लेना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के द्वारा बनी हुई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस मामले में हमारा यह कहना है कि टेलीकम्युनिकेशन्स से जुड़े हुए मामले हैं। वे राष्ट्र की बनायी हुई नीतियां हैं, इनमें सदन की स्वीकृति दी हुई है। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मैं डिटेल्स में नहीं गया हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप भी और हम भी उसे नहीं देख पाए हैं। मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि 450 कापियां बनी हुई हैं, लेकिन हमने एक भी कापी नहीं देखी है। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) **:** इस नीति को नीति के रूप में प्रस्तुत करने के बजाए इसे नीति के प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बाद में उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार कानून और परम्परा के अनुसार कार्य करेगी। .....(व्यवधान).....

कांउसिल फार एडवान्समेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालॉजी का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) : मैं राज्यमंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) काउंसिल फार एडवान्समेंड आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेकनॉलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवान्समेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेकनॉलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 5981/94]

1.18 म॰ प॰

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(1) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने बुधवार, 10 मई, 1994 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नियुक्त करे और यह प्रस्ताव करती है कि सर्व श्री सुब्रहमण्यम स्वामी और शिव प्रताप मिश्र के राज्य सभा की सदस्यता से सेवा निवृत्त होने के कारण हुई रिक्तियों के स्थान पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के दो सदस्यों को चुनने की कार्यवाही करें।"

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति का सदस्य चुना गया है:-

1. श्री माखन लाल फोतेदार
2. श्री दिग्विज सिंह

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 11 मई, 1994 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 मई, 1994 को पारित किये गये बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक 1994 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 12 मई, 1994 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 10 मई, 1994 को हुई बैठक में, उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक 1993 में किये गये निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई।"

अधिनियम सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1.

"चवालीसवां" के स्थान पर "पैंतालीसवां"

प्रतिस्थापित किया जाए

खंड-1- संक्षिप्त नाम

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4-

"1993" के स्थान पर "1994"

प्रतिस्थापित किया जाए।

1.19 म॰ प॰

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 2 मई, 1994 को सभा को सूचित करने के पश्चात चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1994

(2) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1994

1.19 1/2 म॰ प॰

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री एस॰ मल्लिकारजुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई सत्ताईसवीं से बतीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.20 म॰ प॰

याचिका समिति

श्री पी॰ जी॰ नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं याचिका समिति की पहली से चौथी, छठी, आठवीं से दसवीं, बारहवीं से अठाहरवीं, बीसवीं से चौबीसवीं, छब्बीसवीं, उन्तीसवीं और तीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम भोजन अवकाश के बाद नियम 377 के अंतर्गत इन मामलों पर चर्चा करें?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, रिकार्ड पर कुछ नहीं है।

1.21 म. प.

सदन के समक्ष विचाराधीन संविधान (इकहत्तरवां) संशोधन विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक की वापसी के बारे में

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज): महोदय, मैं कुछ कहने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री एच. आर. भारद्वाज : आप समझ सकेंगे कि विपक्ष के सभी नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद हम चुनाव सुधारों के मामले पर थोड़े सर्वसम्मत हुए हैं। उसके बाद मैंने विचाराधीन विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार, उनको सदस्यों में परिचालित करने और सदस्यों को समय देने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। उन विधेयकों को वापस लेने के लिए मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। आप समझ सकेंगे कि यह विषय अत्यंत अविलम्बनीय है।

नए विधेयक तब तक पुन: स्थापित नहीं किए जा सकते जब तक मुझे विचाराधीन पहले के दो विधेयकों, अर्थात संविधान (इकहत्तरवां) संशोधन विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1993 वापस लेने की इस पुनीत सदन द्वारा अनुमति न दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पहले के विधेयकों की वापसी चाहते हैं तथा उनकी वापसी के साथ-साथ नए विधेयकों की भी पुन: स्थापना करना चाहते हैं ?

श्री एच. आर. भारद्वाज : मैं नए विधेयक भी पुन:स्थापित करना चाहता हूं। .....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूगा।

श्री एच. आर. भारद्वाज : मैं केवल एक मिनट और लूंगा। हम इस मामले में आगे बढ़े हैं क्योंकि सदन की चिंता चुनाव सुधारों को लेकर थी। पर यह सही है कि हमें संसदीय कानूनों और कार्यपद्धति के अनुरूप चलना होता है। इसी कारण मैंने पर्याप्त समय दिया। काफी समय से मेरे प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं। मैं आपसे सभा की भावना जानने का अनुरोध करता हूं ताकि मुझे पुराने विधेयकों को वापस लेने और नए विधेयक पुन: स्थापित करने की अनुमति मिल सके।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : माननीय विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने सभा से किए गए अपने अनुरोध के अतिरिक्त अन्य बहुत सारी बातें बताई हैं।

उन्होंने बताया है कि विचार-विमर्श में आपकी कृपा से सर्वसम्मति हुई, पर सच्चाई यह है कि कोई सर्वसम्मति हुई ही नहीं।

दूसरे, उन्होंने सुझाव दिया है कि उन्होंने लम्बित विधेयकों की वापसी के लिए सरकार का अनुरोध परिचालित कर दिया है। मुझे पता नहीं, उन्होंने यह अनुरोध किसे परिचालित किया और न ही हम राज्य सभा में जैसा हुआ, वैसा ही करने जा रहे हैं।

तीसरे, विचाराधीन विधेयक की वापसी का यह विशेष मुद्दा आज की कार्यसूची में उल्लिखित नहीं है। यह अनुपूरक कार्य सूची भी नहीं है जिसे हालांकि अनियमितता के बावजूद विलंबित शिष्टाचार में संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री जी ने सदन में प्रदर्शित किया। मुझे पता नहीं, माननीय मंत्री महोदय किस कार्य पद्धति या किस कार्यपद्धति को अपनाने कि चर्चा कर रहे हैं। वे अत्यंत विश्वास पात्र हैं। जब यह अनुपूरक कार्य सूची भी नहीं है, तो यह सर्वसम्मति का अंश भी नहीं है। हमें विधेयक की वापसी के लिए मंत्री महोदय या सरकार के किसी अनुरोध की जानकारी नहीं है। हमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि आखिर वे इसे क्यों वापस लेना चाहते हैं। अभी तक इस संबंध में सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में, वापसी पर अपकी मूल आपत्ति पर चर्चा करने के पहले मैं चाहता हूं कि कार्यवाही को आगे बढ़ाने के पहले सरकार के इस अनुरोध पर विचार विमर्श हो। निश्चित ही, मैं अपनी पार्टी की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया लम्बित विधेयक की वापसी के संबंध में सरकार का अनुरोध तब तक स्वीकार न करें जब तक कि इन सभी पहलुओं पर पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो जाती।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष जी, विधि मंत्रीयों ने दो प्रस्ताव इस सदन के सामने रखे हैं। दो बिल हैं जिनको वापस लेने की अनुमति दी जाये। इसके साथ कुछ नये बिल वे लाना चाहते हैं, उसकी भी अनुमति दी जाए। इन दोनों के बारे में आज की सूची में उल्लेख नहीं है और अभी तक किसी प्रकार की संशोधित सूची कार्यालय के द्वारा सर्कुलेट नहीं की गई है। इस प्रकार से किसी भी सदस्य या मंत्री को खड़े होकर सदन के सभी माननीय सदस्यों से अगर ये विशेष कारण से अनुमति चाहते हैं उनको अंकित करके, लिखित करके सूचना न दी जाये और उस सूचना पर गुणावगुण पर विचार करके निर्णय लेने का अवसर न दिया जाये तब तक वहां विचार करने की स्थिति नहीं बनती है।

आपके द्वारा आज्ञायें समय-समय पर प्रसारित की गई हैं, उनकी डायरेक्शन के चैप्टर 5 में 19क, 19ख, का प्रावधान है जो आपके द्वारा नियमों के अन्दर लागू किये गये हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर है:-

[अनुवाद]

19क. (1) विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने के इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा।

(2) इस निदेश के अधीन विधेयक के पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।

[हिन्दी]

श्रीमान्, इसके पश्चात् 19 ख की जो डायरेक्शन्स है :

"कोई विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हो:

परन्तु विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, और ऐसे गुप्त विधेयक जो कार्य सूची में नहीं रखे जाते, सदस्यों

को पहले प्रतियां बांटे बिना ही पुरःस्थापित किये जा सकेंगे:

परन्तु यह भी कि अन्य मामलों में जिन में मंत्री यह चाहता हो कि प्रतियां, परिचालित करने के पश्चात दो दिन पहले अथवा उस दिन के परिचालित किये बिना भी, विधेयक पुरःस्थापित किया जाये, तो वह अध्यक्ष के विचार के लिए एक ज्ञापन में, जिसमें यह बताया गया होगा कि सदस्यों को पहले से प्रतियां न दिये बिना विधेयक क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है, पूरे-पूरे कारण देगा, और यदि अध्यक्ष अनुमति दे तो विधेयक उस दिन की, जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विचार हो, कार्य-सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा।"

कृपया यहां प्रयुक्त "वह...देगा" (ही शैल) शब्दों पर ध्यान दें। यह अधिदेशात्मक है।

*[हिन्दी]

तो मान्यवर, सबसे पहले तो यह प्रश्न पैदा होता है कि नियमानुसार आपके सामने जो प्रीसीडेंटस है और विशेष तौर पर जब भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल, महान और गौरवमय है तो उसमें संशोधन करने के लिये इस अधिवेशन में दिया और वह भी एक कैजुअल तरीके से जबानी तौर पर, बिना किन्हीं कारणों से और ऐसा कौन से विशिष्ट कारण पैदा हो गया और बिना आपको किये दो दिन पहले सर्कुलेट नहीं किया गया और 7 दिन पहले नोटिस दिया है। आज भी अभी तक माननीय सदस्यों के सामने विशिष्ट कारण बताये आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान संशोधन का या अन्य किसी प्रकार का जो लोक प्रतिनिधित्व विधेयक के बारे में स्पष्ट रूप से अपने मुखारबिन्द से ज्ञान नहीं कराया है कि क्या संशोधन लाना है, कौन सा बिल लाना है और क्या धारायें हैं, केवल कैजुअल तरीके से, जनरल वे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर माननीय विधि मंत्री जी को आपसे अनुमति लेने कि अपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपने विवेक से उस प्रकार की अनुमति देने का कष्ट न करें और आप सदन को स्पष्ट रूप से यह बता दें कि संशोधन का प्रश्न अधिक गंभीर है यदि सरकार की ओर से इस संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है तो अवश्य करने के लिये प्रयास करें लेकिन नियमानुसार, विधान के अनुसार करें और यदि आवश्यकता हो तो अगले अधिवेशन में या फिर विशेष अधिवेशन बुलाकर भी किया जा सकता है। यदि सरकार आवश्यक समझती है तो नियमानुकूल कार्यवाही करने से पहले विदड्रा का प्रश्न पैदा होगा और यह शादी के पहले बच्चा पैदा करना चाहती है तो कैसे होगा ? अभी तक तो सगाई ही नहीं हुई है और भारद्वाज साहब यह सब पहले चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे शादी से पहले डाइवोर्स चाहते हैं और वह बिल को विदड्रा करके दूसरा लाना चाहते हैं।

श्री गुमान मल लोढा : वे डाइवोर्स कर रहे हैं, उसके बाद शादी कर रहे हैं, उसके पहले बच्चा पैदा कर रहे हैं और परिवार नियोजन का विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप विधान और नियमों के ज्ञाता हैं और केवल यह संसद ही नहीं, सारा देश आपकी तरफ देख रहा है। सरकार तो सारे संविधान और नियमों का खून करके इसको समाप्त करने का काम कर रही है क्योंकि जैसा पहले एमरजेंसी में हुआ था तो अब भी आपकी आज्ञा ली जा सकेगी। मेरी प्रार्थना है कि आप अनुमति न दें और नियमानुसार कार्यवाही करने

के लिये कहें और अगली बार इसको लेकर आयें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे आपसे इतनी प्रार्थना करनी है कि एक प्रकार से यह तो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस सदन के साथ तो है ही यह आपको नहीं होने देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, यह बताने के बजाय क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, यह बता दें ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बस आप इनको कहिए कि आप जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : रूल के मुताबिक क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है यह बताएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि जिस तरह से वह आए, बैठे, जिस तरह से उठकर यहां आए, उनका सारा व्यवहार ऐसा था कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि इलैक्टोरल रिफोर्म्स की जरूरत है। हम लोग इसके लिए एक अरसे से जब से यह चुनावी झमेला चल रहा है तब से उसमें क्या क्या सुधार चल रहा है हम कह रहे हैं। सदन के किसी भी तरफ हम बैठे हों लेकिन चुनाव की प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन उस चीज़ को वह जिस तरह से लाना चाहते हैं वह समाज को और देश को पसंद नहीं है। सारे देश के सामने उससे ऐसी बू आने लगी है कि लोग समझते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। आज आखिरी ठप्पा लगाने का जो कानून मंत्री का यहां प्रयास हो रहा है यह कामयाब नहीं होना चाहिए। नियमों का सवाल तो अपनी जगह पर है ही। मैं मानता हूं कि आप सारे नियमों को सस्पेण्ड करने का अधिकार रखते हैं जब आप वहां बैठे हैं, लेकिन नियम किस परिस्थिति में हटा दिये जाएं यह भी एक सवाल है और विशेषकर जब यहां एक नहीं दो बातें हैं। एक तो विदड्रॉल का नियम और दूसरा नोटिस का नियम और ये दोनों जब यहां उल्लंघित हो गए हैं तो मेरी प्रार्थना है कि कुछ नही बिगड़ेगा इस देश का, अभी तक जो चला है वह चलता ही रहेगा। और दो सवा दो महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए इस विधेयक को आज यहां किसी भी हालत में नहीं लाना चाहिए। इस पर सहमति है या नहीं यह भी एक विवाद का प्रश्न है लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आपसे में एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि अपने अधिकारों का प्रयोग सदन की और विधान की गरिमा बनाए रखने के लिए करें।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हम वास्तव में यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि आज की कार्य सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह कल की भी कार्य-सूची में नहीं था कि चुनाव सुधार विधेयक मंत्री महोदय द्वारा सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जायेगा।

काफी लंबे समय से हम इस मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की कई बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से विगत में नई गंभीर स्थितियां उत्पन्न हुई और हमें बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग के संबंध में सामान्य कानून पारित करने पड़े थे। अब, हमारी माँग है कि इस संबंध में एक विधेयक लाया जाये। हम सरकार से पुरजोर आग्रह

कर रहे हैं जिसमें इस संकट को दूर करने के लिये इसे संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। लेकिन हमें इस बारे में मालूम नहीं है कि सरकार इसमें पर्याप्त विलम्ब कर रही है।

अब मैं समझता हूं कि आज यह मामला तकनीकी है नियम भी काफी महत्वपूर्ण हैं तथा कभी-कभी वे अलंघ्य हो जाते हैं। लेकिन विगत में हमने यह भी किया है। हम अनुभव करते हैं कि यह अविलम्बनीय और आवश्यक है कि संविधान में संशोधन हेतु कुछ कानून बनाये जायें जिससे कि चुनाव आयोग, जो देश में चुनाव करवाता है, का प्रजातंत्रीकरण हो सके और जिसके बारे में अनुचित विवाद हो रहा है। दो चुनाव आयुक्त यहां हैं लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। हम इस स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस गतिरोध को कम करने के लिए कौन दिमाग लगाए, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। तब, उनका लोगों के प्रति क्या जवाब होगा ?

मुख्य समाचारों के रूप में यह आया कि विधेयक लाया जायेगा तथा कुछ उपाय किए जाएंगे। क्या हम उत्तरदायी सदस्य हैं या नहीं ? यदि यह तकनीकी मामला है तो हमें किसी कीमत पर इसका समर्थन करना चाहिए। इसे प्रजातंत्र के मूल्य पर पुरःस्थापित न करें। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि प्रजातंत्र की खातिर इस विधेयक को अवश्य पुरःस्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले, इसे वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप और ज्यादा स्पष्ट हों, तो आपकी बात मेरी समझ में आ जायेगी।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं आपकी मदद चाहता हूं क्योंकि यह समूचा मामला इतनी जल्दी हो गया कि मुझे दी गई प्रारंभिक अनुमति में एक या दो पहलू थे जिन्हें मैं पूरी तरह उजागर नहीं कर सका। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहा हूं और न ही विचारणीय विधान के गुणावगुणों का उल्लेख कर रहा हूं। मैं इस वक्त केवल विधेयक की वापसी की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कभी पुरःस्थापना की बात नहीं की है क्योंकि पुरःस्थापना अपनी अस्पष्टियों के साथ कई प्रश्न उठाता है। जहाँ तक इसको वापस लेने का सवाल है, मैं आपका ध्यान दो नियमों अर्थात् नियम संख्या 110 तथा 111 की ओर दिलाना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि एक विधेयक की वापसी के बारे में जो आग्रह किया गया है, वह आग्रह, कमियों से प्रभातिव होने के आलावा, जो पूरी तरह तकनीकी नहीं है या कार्य-सूची अथवा अनुपूरक कार्य-सूची आदि में सम्मिलित नहीं किया जाता है वह दो अतिरिक्त कमियों से युक्त है नियम 110 में कहा गया है:

"परन्तु जब कोई विधेयक, यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन हो, तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना स्वत: समिति को सौंपी गई मानी जायेगी".....

मैं पूरे नियम को नहीं पढ़ूंगा। कृपया मुझे पहले मुद्दे को स्पष्ट करने दें। जहाँ तक परिसीमन आयोग पर संवैधानिक संशोधन विधेयक का संबंध है, वह विधेयक पहले दूसरे सदन द्वारा पारित किया गया था। वहाँ से पारित होकर ही वह विधेयक यहाँ पर विचार हेतु आया। विचारार्थ चरण में ही सदन ने अपनी बुद्धिमत्ता में कहा नहीं, रुकिए, इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। अब इस सदन की प्रवर समिति ने इस पर विचार किया है उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन इस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया है। मेरा आग्रह है कि उस प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार होने तक.....

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया इस मामले को न उठायें इस मामले पर नियम बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है: यदि यह समिति के विचाराधीन है, वह विचाराधीन का चरण समाप्त हो चुका है। जहाँ तक इसकी वापसी का प्रश्न है, यदि विधेयक दूसरे सदन में पुर:स्थापित किया जाता है और वहां पारित कर दिया जाता, और उसके बाद यहां विचार के लिए आता है, तो इमें एक संकल्प पारित कर इसे वहां भेजना पड़ेगा। प्रवर समिति कहीं पर भी इस प्रक्रिया में नहीं आती है।

श्री जसवंत सिंह : जी नहीं, कृपया इसे मुझे आपके सामने रखने दिया जाये। आप इसे नियम विरुद्ध घोषित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अब इसे स्थायी समिति में नियम विरुद्ध घोषित कर दिया है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, यदि आप इस तथ्य को ध्यान में रखें कि स्थायी समिति की सिफारिशों पर इस द्वारा अभी विचार भी नहीं किया गया है .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मामला स्थायी समिति के पास है, और विचार की प्रक्रिया चल रही है, तो उसी कार्यप्रणाली को अपनाना होगा। अब उन्होंने इन पर विचार किया है और हमें इसकी रिपोर्ट भेज दी है, अत: यह कार्य पद्धति लागू नहीं होगी।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, चूँकि सदन द्वारा रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया है, मेरा आपसे निवेदन है कि समिति का इसके ऊपर विचार पूरा नहीं हुआ है। यदि स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाता है और यदि वापस लेने के प्रस्ताव द्वारा समिति को अप्रभावी कर दिया जाता है तो, मेरी दूसरी आपत्ति है। यदि आप इसे नियम विरुद्ध घोषित करते हैं तो मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यदि कोई विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित किया जाता है, तो हम केवल यह प्रस्ताव भेज सकते हैं कि हम इसकी वापसी के लिए सहमत हैं। और जब तक कि हम किसी प्रस्ताव से सहमत न हों, दूसरा सदन इस पर विचार नहीं कर सकता है। अब आप व्यावहारिक कठिनाइयों को देखें। मैं नहीं समझता हूँ और यह वास्तव में इस सरकार में विद्यमान व्यापक भ्रम का एक और उदाहरण है। बिना अत्यन्त योग्य संसदीय कार्य मंत्री के प्रति किसी प्रकार का निजी असम्मान दर्शाए बिना मैं यह करना चाहता हूँ कि किस तरीके से संसदीय मामले निपटाये जा रहे हैं। घोर लापरवाही से इस सदन को लिया जा रहा है .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : उनकी कठिनाई यह है कि वह हरेक को साथ लेकर चलना चाहते हैं। यदि कोई काम उन पर छोड़ दिया जाये, तो वे कुछ भी कर सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदया, मैं समझता हूँ, लेकिन यह चुनौती संसदीय कार्य की है। संसदीय कार्य की सबसे बड़ी चुनौती सब को साथ लेकर चलने की है। यदि हम एक दूसरे से पिछले कई दिनों से विचार-विमर्श कर रहे होते तो यह अवश्य है कि सभी आवश्यक कदम जो लिए जाने थे, उनका अनुमान लगाया जा सकता था। सदस्यों को यह बता दिया जाना था कि कार्यप्रणाली के अनुरूप हमें इन विधेयकों को वापस लेना अपेक्षित होगा लेकिन अंतिम दिन या अंतिम मिनट में नहीं जबकि पहली बार- जबकि वे काफी शिष्टाचारी रहे हैं- सदन कभी भी मध्याह्न भोजन के दौरान नमाज के लिए स्थगित नहीं हुआ। सामान्य रूप से प्रत्येक शुक्रवार को यह

शिष्टाचारिता निरपवाद रूप से बनाई जाती है। आज सत्ता पक्ष में भ्रम इतना व्याप्त हो गया है कि धर्मनिरपेक्षता के इस महान प्रतीक को भी किनारे कर दिया गया है और हमें कहा जाता है कि यह सभी चीजें अनावश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है, कि भविष्य में वह इसे बनाए रखेंगे।

श्री जसवंत सिंह : वह नियमों को बनाए रखेंगे। मैं पुन: आपसे अपील करता हूँ कि मैं इस अनुरोध में कोई अच्छाई नहीं देखता हूँ। यह अच्छाई भ्रम से उत्पन्न हुई है। चुनाव सुधार या और ज्यादा प्रजातंत्रीकरण की इच्छा से नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। जी हाँ, श्री बंसल।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक मामलों पर मैं आपको सुनूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: महोदय, नियमों के मुद्दे पर भी, आप मेरी बात सुनें।.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको आर्थिक मामलों पर ही अनुमति दूँगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: मैं नियमों पर भी बोलना चाहता हूँ। .....**(व्यवधान)**.....

श्री पवन कुमार बंसल (चंड़ीगढ) : महोदय, माननीय श्री जसवंत सिंह ने नियम 110 का उल्लेख किया है। मैं पहले उपबंध का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। दूसरा उपबंध राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयकों से संबंधित है। मुझे यह नहीं मालूम है कि क्या वह सचमुच में मंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव को देखने से डरे हुए हैं।

.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : बंसल जी, यदि कम शब्दों में बात कहनी हो, तो उनका मुद्दा तो केवल इतना सा है: इस समय इसे करने का क्या औचित्य है?

श्री पवन कुमार बंसल : अत्यधिक विनम्र भाव से मेरा कहना है कि नियम यह नहीं निर्धारित करते कि इसे सदन की कार्य सूची में लाया जायेगा। इसे करने का यही एक तरीका है। वे कहते हैं कि चूँकि इसे सदन की कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, कुछ कार्य जल्दबाजी में अंतिम समय में किया जा रहा है। नियम में कहा गया है:

"विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक के किसी भी चरण में इस आधार पर विधेयक को वापस लेने की अनुमति हेतु प्रस्ताव कर सकता है कि....." बाद में एक आधार यह है कि उनका इरादा एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का है।

और 'बाद में' का पहले माननीय अध्यक्षों ने यह व्याख्या की है कि इसका आशय 'तुरंत बाद' भी हो सकता है।

माननीय मंत्री महोदय ने दूसरे भाग में जो कुछ कहा है वह यह कि आज विधेयक की वापसी के बाद वे पुर:स्थापित करेंगे और इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा। हम इस पर क्यों अपनी आपत्ति प्रकट करें ? ऐसा नहीं है कि वह कहते हों कि हम विधेयक पर चर्चा करें और इस पर विचार आरम्भ करें।

अध्यक्ष महोदय: कार्यसूची रखने का औचित्य यह है कि प्रत्येक सदस्य को अग्रिम सूचना मिल गई है।

श्री पवन कुमार बंसल: ग्यारह मामले हैं जिनके प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय: हमने सभा की सहमति से ऐसा किया है। यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय: अभी ऐसा करने का औचित्य क्या है ? यदि आप इसके बारे में बोलना चाहते हैं, तो कृपया बोलिए। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय: मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, मुझे आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपको यह पता होना चाहिए कि आप अध्यक्षपीठ से स्पष्टीकरण या कारणों की पूछताछ नहीं कर सकते। .....(व्यवधान).....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, मैं एक नियम के आधार पर ऐसा कह रहा हूँ। नियम में स्पष्ट रूप से विधेयक के नियंत्रित होने के बारे में कहा गया है। .....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीकान्त जेना की बात सुनूंगा। .....(व्यवधान).....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, मुझे आधे मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं निश्चित रूप से आपकी बात पर विश्वास करता हूँ और करूंगा। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा नियम 31 में यह कहा गया है कि यदि कोई मामला सूची में नहीं है तो उस पर अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी बैठक में विचार विमर्श किया जा सकेगा। अत: सूची के संबंध में एक ही बात जो मुझे प्रासंगिक लगती है तो वह यह है कि क्या अध्यक्ष ने अनुमति दे दी है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात पर संदेह कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यदि आप परम्पराओं का उल्लेख कर रहे हैं तो मैं नहीं पूछूंगा। यह पहले ही कहा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये। आपको इन सारी बातों, इन सारे नियमों को समझने के लिए इनका अध्ययन करना होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को व्यापक शक्तियां दी गई हैं। ये अंतर्निहित शक्तियां हैं।

[हिंदी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह कैम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव नहीं है। कानून का सवाल है।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानून के तहत है, किसी की मर्जी से नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों की कम्युनिस्ट व्याख्या जाननी चाहिए। .....(व्यवधान).....

[हिंदी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, इसके दो हिस्से हैं, जो मामला हमारे सामने आया है। एक हिस्सा है पुराने विधेयक को वापस लेने का और जहां तक नियम का मामला है, मंत्री जी ने कहा है कि नियम के मुताबिक यह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सदन की अनुमति मांगी गई है और ऐसा कम से कम मेरे 5 बार के लोक सभा के जीवन में दर्जनों बार हुआ है कि लोक सभा की अनुमति से नियम को किनारे रखकर बहुत से आवश्यक काम किए गए हैं। इसलिए यह अनहोनी बात नहीं है। दर्जनों मिसाल तो मैं दे सकता हूं। इसलिए ये जो बोले हैं, वापसी का मामला, इसको अलग से किया जाए। बहस का जो मामला है, अध्यक्ष जी, औचित्य यह है कि पहले जो पुराना अध्यादेश इनका हुआ था, उससे उलझनें फैली हुई हैं। चुनाव आयोग के बारे में अलग-अलग मामले हुए हैं, फिर भी यह आलोचना कि ये देर से लाए हैं, बहुत विलम्ब से लाए हैं और उलझन के बीच से लाये हैं और अध्यक्ष जी आपका कथन बिल्कुल सही है कि सभी को साथ लेने के प्रयास में उलझन बढ़ती भी है और उसका समाधान भी होता है तो ऐसी स्थिति में इस विधेयक पर बहस करना और पारित करने का यह समय नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले वापसी के मामले में जो सारे लोगों का कथन है वह उचित है, मुनासिब है, लेकिन उस सब के बावजूद उसको वापस लेने और बहस करने की अनुमति पर विचार करें और सभी आलोचनाओं के बावजूद भी मेरा कथन है, ताकि उलझन और आगे न बढ़े जिस जनतंत्र के विकास के लिए हम सभी भागी हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि नियमों के विषय में निर्णय लेने के लिए आप सक्षम अधिकारी हैं। बात यह है कि सरकार को 48 घंटों का नोटिस देना चाहिए था। इसमें छूट देना आपके स्वविवेक पर निर्भर है और इसमें छूट देना या न देना आप पर निर्भर है।

महोदय, नेताओं की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी और विधेयक की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, न कि उसके तकनीकी पहलू को देखते हुए, निर्णय किया गया था। भाजपा और अन्य दलों में मतभेद है। जहां तक विधेयक सार का प्रश्न है, तो हम बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग का समर्थन करते हैं, जिसमें सभी निर्वाचन आयुक्तों को बराबर-बराबर शक्तियां प्रदान की गई हों, बशर्ते कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका गोस्वामी समिति की सिफारिशों के अनुरूप हो। हमने बैठक में ही सरकार को स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया था।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यही तो परेशानी है। आप एक बात पर सहमत होते हैं और दूसरी बात पर सहमत नहीं होते।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हम इस बात की मांग करते रहे हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाए।

चुनावों का राज्यों द्वारा वित्त पोषण आदि कई ऐसे मामले हैं और हम इन मुद्दों पर सरकार के साथ सहयोग करते रहे हैं। हमें इस बात की आशंका थी कि सरकार इस मामले में देर कर रही है। यदि पहले ही 48 घंटे का नोटिस दे दिया गया होता, तो यह मुद्दा सभा में उठता नही नहीं। पर प्रश्न मामले की तात्कालिकता का है। हम इस मामले को अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे विचार से इस विधेयक के प्रति सरकार की सदा सहायता नहीं है। हम भाजपा का दृष्टिकोण समझ सकते हैं। उनका कहना है कि वे चुनाव संबंधी सुधारों के पक्ष में है। **(व्यवधान)** विधेयक के तकनीकी पहलू का मामला अलग हैं अत: हमारा सोचना है कि यह मामला अनिवार्य है और इसे और पहले उठाया जाना चाहिए था। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमने दिन और बैठने तथा इस संशोधन के साथ इस विधेयक को पारित करने के लिए तैयार हैं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे परेशान मत करिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही सीधा सा मामला है और मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिनसे मुझे जानकारी मिली। सामान्य नियम के अनुसार विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का नोटिस देने होता है। पर माननीय अध्यक्ष के निदेश सं० 198 में कहा गया है:

"कोई विधेयक पुर:स्थापित करने के निए किसी दिन की कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हो।"

महोदय, मैंने विधेयक को वापस लेने हेतु इस महीने की 11 तारीक को नोटिस दिया गया। मैंने 12.5.1994 को विधेयक को माननीय सदस्यों में परिचालित किया और तत्पश्चात मैंने प्रतीक्षा की क्योंकि मुझे उसकी प्रतियां बनवानी थी। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि केवल उसकी प्रतियां ही नहीं बल्कि दो अन्य ज्ञापन भी परिचालित किए गए थे। प्रतियां और ज्ञापनों को इस सम्मानित सभा के सचिवालय के माध्यम से इस महीने की 12 तारीख को परिचालित किया गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसके लिए दो दिनों का नोटिस आवश्यक है। लेकिन आपने इसे कल सुबह ही परिचालित किया मुझे मेरी प्रति कल सुबह 9.00 बजे मिली।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मेरा एक अनुरोध है। कृप्या मेरी बात सुनिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात मानें।

महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव का सम्मान करता हूं और इस मुद्दे की व्याख्या पर मेरी कोई अन्य

राय नहीं है। माननीय अध्यक्ष अंतिम निर्णायक होंगे। यहां एक ऐसी धारणा बन गई है कि प्रतियां परिचालित नहीं की गई थीं पर जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी प्रतियां कल परिचालित की गई थीं।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बोलेंगे तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज : मैं केवल एक मिनट और लूंगा।

निदेश सं॰ 36 में कहा गया है:

"जब सरकार लोक सभा के विचाराधीन किसी विधेयक को वापस लेना चाहे तो सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा विधेयक को वापस लेने के कारणों का एक विवरण सदस्यों को उस दिन से काफी पहले परिचालित किया जायेगा जिस दिन उसे वापस लेने का प्रस्ताव किया जाना हो।"

इसमें दो दिन का उल्लेख नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : दो दिन का नोटिस दिया भी नहीं गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्होंने स्वयं इसका उल्लेख किया है।

इस प्रावधान की ओर ध्यान दिलाने के लिए आपका शुक्रिया।

.....(व्यवधान).....

श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज : मैं केवल कुछ मुद्दों की चर्चा कर रहा हूं।

"पर्याप्त समय पहले" की व्याख्या अध्यक्ष पीठ द्वारा यह पता लगाने के लिए की जाएगी कि मैंने पर्याप्त नोटिस दिया या नहीं।

मैंने विधेयक को परिचालित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि विधेयक को वापस लेने के लिए भी कारण दिए जाते हैं और क्या इन कारणों के कथन को सदस्यों में परिचालित किया जाता है?

श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज : हमें कारण देने होते हैं। ये कारण विधेयक की प्रतियों के साथ दिए गए थे। विधेयक के साथ हमेशा कारणों का ज्ञापन भी दिया जाता है। मेरे वक्तव्य को भी परिचालित किया गया है।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चुप हो जाएं तो हमें बहुत राहत मिलेगी।

श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज : मेरा कारणों के कथन को भी विधेयक के साथ परिचालित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : दो बातें हैं। आप किसी विधेयक को वापस लेना चाहते हैं और कोई दूसरा विधेयक पुरःस्थापित करना चाहते हैं। विधेयक को वापस लेने के लिए भी आपको कारण देने होते हैं। क्या आपने इन कारणों को परिचालित कर दिया है ?

श्री एच. आर. भारद्वाज : जी हां, मैंने इन्हें परिचालित कर दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमें यह कल ही मिला है।

श्री एच. आर. भारद्वाज : नियम सं. 110 के अनुसार, जब यह विधेयक इस सभा के समक्ष विचाराधीन है, मैं इसे वापस ले सकता हूं। शर्त यही है कि विधेयक किसी समिति के समक्ष विचाराधीन न हो।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस बात का निर्णय कर दिया है।

श्री एच. आर. भारद्वाज : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्पष्ट कर दिया है, मैं आप पर और इस सभा पर निर्भर हूं। यदि आप मुझे विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हैं तो मुझे अत्यंत हर्ष होगा।

श्री जसवन्त सिंह : मैं पुनः हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

मैं वास्तव में माननीय विधि मंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने हमारा ध्यान निदेश सं. 36 के प्रावधान की ओर दिलाया जिसकी मैं अनदेखी कर गया था। इस निर्देश में कहा गया है कि जब विधेयक को वापस लेना हो तो वापसी के साथ सरकार का विस्तृत वक्तव्य भी होना चाहिए और यह वक्तव्य सदस्य को यथासमय मिल जाना चाहिए।

अभी तक मैंने पुरःस्थापन और पुरःस्थापन की आवश्यकता की चर्चा नहीं की है। यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो पुरःस्थापन पर विचार करने से पहले वापसी के लिए सभा की शर्तों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से पूरा किया जाना आवश्यक है।

मेरा यह निवेदन है कि वापसी के लिए आवश्यक, पूर्ववर्ती या वांछित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। यदि ये शर्तें पूरी नहीं की गई हैं तो मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया सरकार को विचाराधीन विधेयक को वापस लेने की अनुमति न दें।

श्री एच. आर. भारद्वाज : यह वक्तव्य पर्याप्त है या नहीं है, यह तय करना इस सभा का काम है। पर मैंने अपने बयान में कारण दे दिए हैं।

श्री उमराव सिंह : मैं वापसी और तत्पश्चात् पुरःस्थापर में अन्तर बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है।

श्री उमराव सिंह : केवल वापसी के मामले में ही कारण देने पड़ते हैं। नियम 110 में कहा गया है: विधेयक प्रभारी सदस्य विधेयक के किसी भी चरण में विधेयक को......आधार पर वापस लेने हेतु समय की अनुमति के लिए प्रस्ताव कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इस नियम को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमराव सिंह : इस विधेयक के स्थान पर दूसरा विधेयक लाया जाना है। इसे वापस नहीं किया गया है। विधेयक की वापसी के लिए नियम में पहली और दूसरी शर्तें अलग-अलग हैं। पहली शर्त यह है कि विधेयक में अंतर्निहित विधायी प्रस्ताव हटा लिया जाए। दूसरी शर्त बिलकुल भिन्न है।

दूसरी शर्त यह है कि इस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जायेगा जिसमें मौजूदा विधेयक

में अन्तर्विष्ट प्रावधानों को तत्वत: बदल दिया जायेगा।

अब एक नया विधेयक पहले वाले विधेयक के स्थान पर लाया गया है और यह विधेयक विचाराधीन है। नया विधेयक लाने संबंधी टिप्पणी और कारण प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझसे सहानुभूति रखते हैं। मुझे वे सभी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं।

श्री उमराव सिंह : परवर्ती विधेयक को भी पुर:स्थापित कर दिया गया है और इसे परिचालित कर दिया गया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिये पुर:स्थापन से दो स्पष्ट दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। आज 13 तारीख है। पुर:स्थापन के दिन से दो दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिये। अत: इसे आज पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता। इसे कल ही पुर:स्थापित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह आज की कार्य सूची में नहीं है, लेकिन मैंने इस पर सभा द्वारा विचार करने की अनुमति इसलिए दी है क्योंकि मुझे पता है कि कुछ सदस्य इस विधेयक को पारित करने के लिए बहुत इच्छुक हैं और कुछ सदस्य इस पर पूर्णत: सहमत नहीं हैं जबकि कुछ सदस्य इस विधेयक के विरुद्ध हैं। मैंने सोचा था कि पहले की भांति इस मामले पर सभा में निर्णय किया जा सकता है। मैं इस मामले पर अपने पक्ष में ही निर्णय नहीं करना चाहता था। मैंने इसका निर्णय सभा में ही करना चाहा है क्योंकि बहुत से मामलों में हमने सदस्यों के बीच सहमति और स्वीकृति से विधेयक पारित किये हैं। इस मामले में, दो बातें हैं। एक तो यह है कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाये और दूसरे इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाये।

जहाँ तक विधेयक को वापिस लेने का संबंध हैं, इसके लिए एक विशेष विधि है। लेकिन यह जिस तरीके से किया जाता है वह उस विधि से आसान है जिससे विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है। विधेयक को दूसरी सभा में पारित कर दिया गया है। इसे अब इस सभा में भेजा गया है और यहां पर इसे वापिस लेने की मांग की जा रही है। प्रक्रिया यह है कि संकल्प दूसरी सभा में भेजा जाता है। दूसरी सभा संकल्प से सहमत होती है क्योंकि पहली सभा में विधेयक पारित कर दिया गया है और तत्पश्चात यदि दूसरी सभा इस पर सहमति दे देती है, तो इसे यहां प्रस्तुत किया जाता है और तब यह वापिस लिया जाता है। लेकिन वापिस लिए जाने के मामले में भी, कारण प्रस्तुत करने पड़ते हैं और वे कारण क्या हो सकते हैं, उन्हें भी नियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह कि कारण पर्याप्त है अथवा नहीं, ऐसा मामला है जिस पर सदस्यों के बीच विचार भिन्नता हो सकती है। क्या उल्लिखित कारणों का अध्ययन करने के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय दिया गया है एक ऐसा प्रश्न है जिस पर निर्णय करना होता है। इस सभा में मुझे बताया गया है कि इस विधेयक के साथ-साथ कारणों संबंधी टिप्पणी भी इस सचिवालय को भेज दिए गए हैं। कुछ अन्य सदस्यों ने बताया है कि उन्हें कारणों संबंधी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए यहां पर यह बात स्पष्ट नहीं है। कारणों का अध्ययन करने के लिए सदस्यों को कितना समय देना पर्याप्त होना चाहिए प्रश्न तो यह है। इस संबंध में नियम बहुत स्पष्ट हैं। यह नहीं कहा गया है कि

दो दिन अथवा 48 घंटे पर्याप्त समय है। केवल "पर्याप्त समय" कहा गया है। दो दिनों से कम का समय पर्याप्त नहीं है।

जहाँ तक वापिस लेने का संबंध है, कोई अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

लेकिन जहाँ तक पुर:स्थापन का संबंध है, अत्यधिक तर्कसम्मत और वैध आधार होने चाहिए। सचिवालय को सात दिन पूर्व सूचना दी जाती है। केवल यही नहीं। किसी भी विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करने से पूर्व उस विधेयक का अध्ययन करने और यह राय बनाने के लिए कि नया विधेयक सभा में पुर:स्थापित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, सदस्यों को 48 घंटे का समय दिया जाना चाहिए। मुझे कहना पड़ता है कि आप सभी को यहाँ पर जो कठिनाई झेलनी पड़ी उसके कारण आपको इस मामले सात दिन पूर्व सूचना नहीं दी जा सकी।

14.00 बजे

सदस्यों को जो ज्ञापन और विधेयक परिचालित किया गया है, उनका अध्ययन करने के लिए सदस्यों को दो दिन अर्थात 48 घंटे का समय भी नहीं दिया गया है। यह विधेयक चुनाव सुधार के बारे में है। इसमें संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है। लोगों में इन मामलों के संबंध में काफी मत भिन्नता है। ऐसे मामलों में मेरे विचार से इस विधेयक का पुर:स्थापन और इस पर विचार करने की अनुमति देना हम सभी के लिए उचित नहीं होगा।

मैं भी समझता हूं कि यह एक तकनीकी मामला है। मैं यह भी समझता हूं कि लोगों के दृढ़ विचार हैं यद्यपि यह एक तकनीकी मामला है, हमें इस संबंध में कठिनाई नही होनी चाहिए थी। हमने संविधान में संशोधन किया है। मैं जब अध्ययन के आसन पर था तो संविधान में संशोधन की अनुमति दी गई थी क्योंकि सभा में प्रत्येक सदस्य ने उठकर कहा था कि , "हमें यह करना चाहिए।" जब सभी सदस्य सहमत होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो यह सभा नहीं कर सकती। लेकिन यदि सभी सदस्य सहमत नहीं होते, तो अध्यक्ष को निर्णय करना होता है और अध्यक्ष के लिए यही बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि वह मामलों का निर्णय नियमों और संविधान के अनुसार करे। यहाँ तक कि जब उसे नियमों से क्षेत्राधिकार और विवेकाधिकार प्राप्त होता है, तो उस विवेकाधिकार का उपयोग भी न्यायसम्मत रूप में किया जाना चाहिए, न कि मनमाने तरीके से। यहां पर उपस्थित वकालत की अर्हता प्राप्त सदस्य भी जानते हैं कि इस बारे में विधि सम्मत बात क्या है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार के निर्णय के अनुसार चलने में मुझे बहुत ही कठिनाई हो रही है।

जल संसाधन मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, हम न तो यह चाहते हैं कि नियमों को ताक कर रखा जाए और न ही हम उनका उल्लंघन करना चाहते हैं। आपने जो कुछ भी कहा है, वह हमें पूर्णत: स्वीकार है। हम नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। लेकिन हम सभा की बैठक का समय बढ़ाने का अनुरोध करेंगे ताकि नियमों का पालन किया जा सके सदस्यों को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दी जा सके। वे इसका अध्ययन कर सकें। यह सभा के समक्ष किया जा सकता है और नियमों के अनुसार सभा द्वारा निर्णय हेतु इस पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : एक के बाद एक आश्चर्य सदन के सामने प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : समय बढ़ाने के लिए अनुरोध करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। वही किया जा सकता है। क्योंकि नियमानुसार समय देना होगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आज अधिवेशन समाप्त होगा या नहीं, इस पर कम से कम पिछले एक हफ्ते से चर्चा हो रही है। अगर आप कन्सैंस की बात कहते हैं तो एक निचोड़ निकला था, और आपसे बात हुई थी, क्षमा कीजिएगा, हमें यह बताया गया था कि अधिवेशन बढ़ेगा नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में चले गए। अनेक प्रदेशों में उपचुनाव होने वाले हैं। इस समय आगे बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। जब चाहे सरकार अधिवेशन बढ़ा दे, जब चाहे सरकार कोई बिल ले आए, जब चाहे सरकार नियमों को ताक पर रख दे और जब चाहे सरकार सदन को जिस दिशा में मोड़ना चाहे, मोड़ दे। सदन के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम सदन की अवधि बढ़ाने के खिलाफ हैं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, आज तो आपने भी कहा था कि आज आखिरी दिन है। इसलिए हम लोगों को आपने बोलने का मौका दिया था।

[अनुवाद]

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन सभी बातों पर आप विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करके विचार कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सोमवार अथवा मंगलवार को किया जाना चाहिए जो तारीख सभी सदस्यों के लिए सुविधा जनक हो, उस पर आप विचार कर सकते हैं। आप उस तारीख के संबंध में विभिन्न दलों के सदस्यों और नेताओं से विचार विमर्श कर सकते हैं जिस दिन हम पुनः संमवेत हो सकते हैं। हम नियमों और विनियमों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हुए आपसे यह अनुरोध करना चाहते हैं कि आप दलों के नेताओं से विचार विमर्श कर लें और तत्पश्चात प्रत्येक सदस्य की सुविधानुसार एक उपयुक्त तिथि के बारे में निर्णय किया जा सकता है। इसी कारण से मैं उठ कर यह अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यदि हम अब सभा कि समयावधि बढ़ा देते हैं तो सदस्यों के लिए यह बहुत कठिन होगा। क्योंकि हम इस के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। संसदीय मंत्री के प्रति निष्पक्ष रहते हुए, मुझे यह कहना चाहिए कि वह यह कह रहे थे कि हो सकता है ऐसा करना आवश्यक हो जाये। लेकिन हमने अपने विवेक से सभा की सत्रावादी 13 तारीख से आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। इस पर सदस्यों ने भी सहमति जताई है। उनके अपने अपने नियत कार्यक्रम हैं।

जहाँ तक सभी की बैठक रखने का संबध है, यह सोमवार अथवा मंगलवार को न रखी जाए तथा हम

सभी को स्वीकार्य दिन की जा सकती है। मैं निश्चय ही सदस्यों से विचार विमर्श करूंगा और तत्पश्चात हम सभा का समापन होने से पूर्व यह निर्णय कर सकते हैं। इन प्रयोजनों हेतु हमें बैठक करनी पड़े, तो हम कब और कैसे कर सकते हैं इस संबंध में लेकिन यह निर्णय अन्य लोगों के साथ विचार विर्मश के पश्चात ही किया जायेगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) :- घोषणा सभा की बैठक के समापन से पूर्व ही करनी होगी।

.....(व्यवधान).....

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री निर्मल कांति चटर्जी से विचार विमर्श करूंगा। .....(व्यवधान).....

मुझे पता है कि यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है और मुझे यह भी मालूम है कि सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों की ही इस मुद्दे पर अपनी अपनी दृढ़ मान्यताएं हैं, तथापि सभी सदस्यों ने बड़ी समझदारी पूर्वक सहयोग दिया है। मैं इस सहयोग के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

.....(व्यवधान).....

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय मुझे अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब 3.15 म० प० पुनः समवेत होने तक स्थापित होती है।

तत्पश्चात लोकसभा की बैठक तीन बजकर पंद्रह मिनट पर पुनः समवेत होने तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

[हिन्दी]

15.20 बजे

लोक सभा 15.20 बजे भोजनावकाश के उपरांत पुनः समवेत हुई (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम-377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

[एक] विलासपुर होकर रांची और जयपुर के बीच एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगडे (विलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भू० पू० प्रधान मंत्री स्व० राजीव गांधी जी ने रांची से जयपुर वाया बिलासपुर (म० प्र०) तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बताने की परिकल्पना की थी और इसका विधिवत सर्वे भी हुआ और माननीय स्व० राजीव जी ने इसको काफी प्राथमिकता दी थी क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास में विशेष भूमिका निभायेगा। इन क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास तथा खनिज, खदानों के समुचित दोहन के लिए इस राजमार्ग का होना अति आवश्यक है। इन क्षेत्रों में कोई रेलवे सुविधा भी नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए रांची से जयपुर वाया बिलासपुर (म० प्र०) राष्ट्रीय राजमार्ग को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर इसे शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाए।

[दो] निजाम सागर परियोजना के अधीन किसानों के हितों को सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में विद्युतीकरण के उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री जी॰ गंगा रेड्डी (निजामाबाद) : किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए निजामाबाद जिले में विशेषकर निजाम सागर परियोजना के अंतर्गत विद्युतीकरण अत्यावश्यक है। सिंगौर परियोजना से हैदराबाद को पेय जल की आपूर्ति के कारण निजाम सागर के पानी का अभाव है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर॰ ई॰ सी॰) के माध्यम से निजामाबाद जिले में विद्युतीकरण की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र में किसान हल्दी, गन्ना, धान, सब्जी पैदा करते हैं और इन्हें नागपुर तथा मुम्बई में बड़ी मात्रा में बेचते हैं। वे उत्तर भारत को भी कृषि हेतु बीज सप्लाई करते हैं। वे बोरिंग कूपों से खेती करते हैं। अत: इस क्षेत्र में विद्युतीकरण की आवश्कता है। निजामसागर की विफलता के कारण निजामाबाद जिले के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब किसानों के लिए पानी का एक मात्र स्त्रोत बोरिंग कूपों से पानी निकालना है। और गोदावरी तथा अन्य स्त्रोतों से लिफ्ट सिंचाई योजना पर निर्भर करना पड़ता है। हाल ही में आंध्रप्रदेश सरकार ने निजामसागर के 'आयाकट' तथा जलमग्न गांवों को बचाने के लिए बारह लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति दी है तथा इस क्षेत्र में अलीसागर तथा निजाम सागर की गुप्ता बैलेंसिंग टैंक नामक दो और लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए भी प्रस्ताव दिया है। इससे निजाम सागर 'आयाकट' के लगभग चालीस हजार एकड़ भूमि के लिए पानी की आपूर्ति होगी, अत: लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को अच्छी तरह चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्कता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आर॰ ई॰ सी॰ तथा ओ॰ ई॰ सी॰ कोषों के माध्यम से निजाम सागर परियोजना के अधीन किसानों के हितों की सुरक्षा के लिये आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में विद्युतीकरण के उपाय करे।

[तीन] देश में जनजातियों के कल्याण के लिए एक समान नीति बनाने की आवश्यकता

श्री के॰ प्रधानी (नवरंगपुर) : जनजातीय लोगों के हितों के सुरक्षा के लिए संवैधानिक तथा कई केन्द्रीय कानूनों के बावजूद उनका शोषण हो रहा है। देश में जनजातियों की आबादी लगभग सात करोड़ है जो दुनियां में सबसे अधिक है। वे भारत के मूल निवासी हैं तथा आदिम जाति के लोग हैं।

विभिन्न परियोजनाओं के कारण दो करोड़ जनजातीय क्षेत्र का चालीस प्रतिशत प्रभावित है। यह खेद की बात है कि इन जनजातियों को उपयुक्त क्षतिपूर्ति या रोजगार नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनका ठीक से पुनर्वास भी नहीं किया जा सका है। जब तक अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई समान नीति तैयार नहीं की जाती वे परेशानियों में रहेंगे।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जनजातियों के शोषण की समाप्त करने हेतु पूरे देश के लिए एक समान जनजातीय नीति तैयार की जाए।

[चार] उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : इलाहाबाद में स्थित त्रेवेणी स्ट्रक्चरल्स लि॰ (टी॰ एस॰ एल॰) भारत यंत्र निगम की सहायक कम्पनी के रूप में कार्यरत है। इसकी स्थापना 1965 में भारत सरकार तथा आस्ट्रिया के सहयोग से संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। टी॰ एस॰ एल॰ के पास आधुनिक मशीनरी युक्त वर्कशाप है जिसमें उच्च दक्षता वाले लगभग 2000 श्रमिक तथा इंजीनियर्स कार्यरत हैं। टी॰ एस॰ एल॰ ने पिछले 26 वर्षों में देश-विदेश के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाये हैं। विद्युत उत्पादन, पैट्रोकेमीकल्स, फर्टिलाइजर, पुल, क्रेन, लौह उद्योग, केबिल, कोयला उद्योग, टेलीविजन, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में टी॰ एस॰ एल॰ ने देश तथा विदेशों में पूरी क्षमता तथा दक्षता का परिचय देते हुए कार्य किया। टी॰ एस॰ एल॰ कारखानों ने अधिकतर सरकारी क्षेत्रों का कार्य किया और टी॰ एस॰ एल॰ का लगभग 20 करोड़ रुपया उन पर बकाया है। बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ द्वारा बीमार उद्योगों के मामलों को निबटाने में हो रही देरी के कारण टी॰ सी॰ एल॰ को आर्थिक सहायता की अति आवश्यकता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि देश के विकास में टी॰ एस॰ एल॰ की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा इसमें कार्यरत लगभग दो हजार कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए टी॰ एस॰ एल॰ को शीघ्र ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

[पांच] केन्द्र द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों को शीघ्र संशोधित करने की आवश्कता

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया (नौगोंग) : गत नौ वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के शिक्षकों के वेतन मान संशोधन करने संबंधी चट्टोपाध्याय आयोग की एक भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया है। केन्द्र द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान की चौथे वेतन आयोग ने इस आधार पर कोई संशोधन करने की कोई सिफारिश नहीं की कि चट्टोपाध्याय आयोग पहले ही इस मामले पर विचार कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक अन्य राष्ट्रीय आयोग की शीघ्र स्थापना की जाए। इससे इन शिक्षकों को उनका देय मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अत्यावश्यक है कि की गई सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाए।

इन शिक्षकों के वेतन मान संशोधन करने को पांचवें वेतन आयोग के निदेश पद में यदि अब तक शामिल नहीं किया जाता है तो इसे उसमें शामिल किया जाए।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि दूसरे राष्ट्रीय आयोग में शिक्षकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व देते हुए इसकी स्थापना की जाए।

[छ:] मध्य प्रदेश विदिशा रायसेन और सिहोर जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की एक सहायक इकाई स्थापित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : केन्द्र सरकार ने अल्प-विकसित क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधायें

उपलब्ध करने के प्रयोजन से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की है, किंतु मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन व सीधोर जिलों में इस संगठन का कोई सहायक निकाय स्थापित नहीं किया गया है। इन जिलों में अनेक पर्वतीय जनजाति क्षेत्र और गांव भी अवस्थित हैं।

अत: सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के इन जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सहायक निकाय की स्थापना की जाये तथा ग्रामीण विद्युतीकरण और संबंधित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की जाये।

[सात] पंजाब के फगवाड़ा में ओरवाल चीनी मिल के निकट रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : फगवाड़ा स्थिति ओरवाल चीनी मिल के समीप रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता है। यह एक व्यस्त क्षेत्र है और इससे होकर करीब 100 रेलगाड़ियां प्रतिदिन गुजरती हैं। रेलवे क्रासिंग के दूसरी ओर कई शैक्षिक संस्थाएं, अस्पताल, मुख्य बाजार, जिला न्यायालय, मिलें, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन स्थित हैं। इस व्यस्त रेलवे क्रासिंग पर कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तथा प्राय: यातायात जाम होता रहता है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे क्रासिंग पर ऊपरि पुल का निर्माण नितांत आवश्यक है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकार का सहयोग करे और इस संबंध में शीघ्र कदम उठाए।

3.30 म॰ प॰

मिश्र के संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे एक घोषणा करनी है। मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम डा॰ अहमद फातही सौरूर, मिस्र के पीपुल्स नेशनल असेम्बली के स्पीकर तथा मिस्र के संसदीय शिष्टमंडल जो हमारे सम्मानित अतिथि के तौर पर भारत के दौरे पर हैं, का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

शिष्ट मंडल के अन्य माननीय सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. श्री कमाल अल शाजिल
2. डा॰ मोहम्मद अबदेल्लाह
3. श्री खालिद मोहिउद्दीन

शिष्ट मंडल आज सुबह दिल्ली पहुंचा। वे अब विशिष्ट अतिथियों के लिए बने प्रकोष्ठ में बैठे हैं। इस देश में हम उनके सुखद और उपयोगी प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति, संसद, सरकार तथा मिस्र अरब गणराज्य के मित्रवत लोगों को अभिवादन करते हैं तथा शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री संतराम सिंगला (पटियाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 11 मई, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा और सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 11 मई, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.33 म० प०

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु शिक्षण संस्थाओं आदि में आरक्षण के बारे में संकल्प-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा द्वारा अब श्री राममूर्ति द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु शिक्षण संस्थाओं आदि में आरक्षण के बारे में प्रस्तुत संकल्प को आगे चर्चा हेतु लिया जाएगा। कृपया अब श्री गंगवार जी बोलें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भाई राममूर्ति को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े महत्वपूर्ण संकल्प को प्रस्तुत किया और उसके बारे में बहुत सी बातें रखीं। इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया। आपको जानकारी है कि पूरे सत्र में इस बात को उठाया गया है कि जो पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण दिया गया है उसमें कई कमियां हैं जिनको दूर किया जाये। कल भी और आज भी दोनों दिन इस बात को पूछा गया और यह भी कहा गया कि सरकार उसके बारे में फैसला करेगी।

यह बात सही है कि सामाजिक न्याय के प्रमुख आयाम आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार ने कतिपय संशोधन के साथ सितम्बर, 1993 में एक अधिसूचना के द्वारा लागू कर दिया। यद्यपि प्रासंगिक अधिसूचना उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन थी, लेकिन इसमें सरकार द्वारा उत्पन्न की गयी विसंगतियों के कारण विवेच्चय उद्घोषणा संपूर्ण पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और भारतीय समाज को समरस बनाने में एक प्रमुख बाधा सिद्ध हुई है।

आरक्षण की अवधारणा को साकार करने के लिये अनिवार्य, रूप से सरकार द्वारा कुछ भावात्मक संरक्षण भी दिये जाते रहे हैं जिसमें शैक्षणिक सुविधाओं को प्रदान किया जाना। संबंधित चेतना के विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाना। चूंकि ये कार्यक्रम दीर्घकालीन विलम्ब फलदायी एवं विधिनियामक संस्था के पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं, इसलिये तात्कालिक रूप से कुछ अन्य संरक्षणात्मक सुविधायें दी जाती हैं जिसमें आयु एवं अवसर सीमा में छूट, शुल्क मुक्ति, निम्नतम शैक्षिक अर्हता में छूट आदि। इन अन्य सुविधाओं को अभाव में किसी वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे का भर पाना करीब असंभव होता है। पिछड़े वर्गों के लिये 27% आरक्षण की अधिसूचना में केन्द्रीय सरकार ने इन सुविधाओं का पूर्णतया निषेध कर दिया है।

सरकार ने अपनी अधिसूचना में क्रीमिलेयर के अंतर्गत पिछड़े वर्गों में सम्पन्न लोगों को पहले ही निकाल दिया है।

शेष वर्ग करीब-करीब उन सभी सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक न्यूनताओं का शिकार है जैसा कि अनुसूचित जातियां। आज अनुसूचित जातियों के आरक्षण के 45 वर्ष के बाद भी समस्त सुविधाएं दिये जाने के बाद भी उनका कोटा नहीं भर पा रहा है। हम कैसे मानें कि इन सुविधाओं के अभाव में पिछड़े वर्ग का 27 परसेंट का कोटा भर दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के छात्र अपनी विपन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण अपनी शिक्षा सामान्यतया विलंब से प्रारंभ कर पाते हैं। परिणामत: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित उच्चतम आयु सीमा के आस पास वह अपनी उच्च शिक्षा ही प्राप्त कर पाता है। तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वह इन परीक्षाओं में अपनी उचित भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगा। इसलिए इस वर्ग के अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सेवाओं में कम से कम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जानी चाहिए तथा आई० ए० एस० जैसी परीक्षा के लिए निर्धारित सीमित अवसरों के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, मंडल आयोग के क्रियान्वयन की उद्घोषण तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा 13 अगस्त 1990 को की गई थी। बाद में उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के कारण यह तीन वर्ष पश्चात क्रियान्वित हो सकी। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने 13.8.90 की सरकारी उद्घोषणा को ही वैध ठहराया है इसलिए अभ्यर्थी आलोच्य आरक्षण के वैध उम्मीदवार हैं। इस आधार पर भी सरकार को आयु एवं अवसर IAS और IFS आदि में सीमित अवसरों के कारण में अनिवार्यत: छूट दी जानी चाहिए तथा 13.8.90 से 7.9.93 तक की रिक्तियों में भी आरक्षण की सुविधा लागू होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने मंडल आयोग के फैलसले (इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार) में स्पष्ट रूप से पैरा 549 में उल्लेख किया है कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में छूट, प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त अवसर, परीक्षा शुल्क से मुक्ति और अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि दी जानी चाहिए एवं ये सुविधाएं मूल अधिकारों का अंग हैं। इन मांगों के समर्थन में विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और वे इन समस्याओं को ज्ञापन के द्वारा रख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में विचार करे और चूंकि माननीय मंत्री जी पूरे सदन की भावनाओं को समझते हैं इसलिए आज ही गंभीरता के साथ इस बारे में घोषणा करें और जबकि जून महीने में समय कम है और लोगों के फार्म इस आधार पर रिजैक्ट हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में विचार करें और मुख्य बात यह है कि आपने आरक्षण तो दे दिया पर आरक्षण से नौकरी कहां मिलेगी? आज सरकार निजीकरण कर रही है और सार्वजनिक उपक्रम इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में जब तक आप नौकरियों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वास्तव में हम सही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अवसरों की संख्या बढ़ाएं और आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दें और घोषणा करें कि जो सार्वजनिक उपक्रम है या केन्द्रीय सरकार के ऐंसे प्रतिष्ठान और संस्थान हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण का कोटा भरा जाए। तभी वास्तव में जो हमारा लक्ष्य है, हम समाज को जो ऊपर उठाने की बात करते हैं और जिस दिशा में हम देश को ले जाना चाहते हैं वहां ले जा पाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप एक तरफ ही ध्यान देंगे जैसे हमारे एक साथी कहते हैं कि पूरी शरीर का

पोषण होना चाहिए। यदि आप पैर को खिलाते रहेंगे तो वह मोटा हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। उसी तरह से अगर समाज के सब हिस्सों को आपने नहीं देखा, 52 प्रतिशत को आपने समाज से अलग कर दिया तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य अच्छा नज़र नहीं आएगा। इस देश में समानता की बात नहीं होगी, देश को सही दिशा ले जाने की बात नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे साथी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और मैं मानता हूं कि यह अच्छा सवाल है और सरकार इस बात की घोषणा करे कि राममूर्ति जी के इस निजी संकल्प को वह स्वीकार करती है। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। कि संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है वह सामाजिक बराबरी के लिए है न कि आर्थिक बराबरी के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 16 और संविधान के अनुच्छेद 340 और 332 में जहां भी उसका जिक्र किया गया है, कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं लिखा गया है।

लेकिन मुझे नहीं मालूम किस वजह से जो शब्द संविधान में दर्ज नहीं है, उसे भी इसमें घसीटा जा रहा है। जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया, उनकी नियत यह थी कि इस देश में जो गैर-बराबरी है, समाज में जो गैर-बराबरी है, कुछ लोगों को दूसरे लोगों के साथ खाट पर बैठने या एक साथ खाने का अधिकार नहीं था, इसलिये उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधन करना जरूरी समझा और आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की। यह बात भी सही है कि संविधान के मुताबिक जिसको आरक्षण मिल जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। आरक्षण के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कलैक्टर बन जाता है और किसी गांव में चला जाता है तो गांव का हर आदमी उसको अपने साथ बिठा कर खिलाने में जातीय आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, जातीय आधार पर व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाता। दूसरी तरफ, समाज का कोई आदमी जो किसी हरिजन या पिछड़े वर्ग से संबंधित है चाहे वह कितना ही धनी हो, यदि आरक्षण के आधार पर उसे कोई पद नहीं मिलता है तो उसे गांव के अन्य लोगों के साथ बैठने और खाने का अधिकार नहीं है। इसे देखते हुये, मैं इसे आवश्यक समझता हूं कि सरकार के द्वारा जो भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिये। आरक्षण लागू हो जाने से सामाजिक बराबरी आ जाती है, इसलिये भी आरक्षण के प्रावधान का लागू होना जरूरी है।

3.41 म० प०

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं)

यह देखना भी जरूरी है कि जब समाज के कुछ वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी, संविधान में प्रावधान किया गया लेकिन सरकार यदि उसे लागू न करे, जैसे 1990 में जब जगह जगह हल्ला मचा तो काफी हल्ला मचने के बाद उस समय की वी० पी० सिंह सरकार ने एक नीति बनाकर सभापटल पर रख दी जिसको लेकर सारे देश में हंगामा हुआ और हंगामे के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को हम चाहें स्वीकार करें या न करें, वह सांवैधानिक मामला है लेकिन सरकार ने जो आदेश दिया है, उसे जल्दी से जल्दी लागू करना

चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि वह आदेश लागू हो गया होता तो आज जो आरक्षित जगह खाली है वे सब भर गयी होती। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी, हमारे हरिजन आदिवासियों को संविधान में जो साढ़े बाईस परसेंट आरक्षण मिला, संविधान में तो मिला लेकिन यदि सरकार के आंकड़ों को देखा जाये तो केवल 13.6 परसेंट पद ही आरक्षित जातियों के लोगों से भरे गये हैं शेष जगहें दूसरी जाति के लोगों को दे दी गयी है जिन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। कागजों में लिख दिया जाता है कि हरिजन आदिवासी उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत बड़ी संख्या में हरिजन आदिवासी बच्चे बी॰ ए॰ और एम॰ ए॰ पास करके सड़कों पर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं। मेरी मांग है कि सरकार यह घोषणा करे कि विशेष रूप से जितने हरिजन आदिवासी लड़के बी॰ ए॰ और एम॰ ए॰ पास हैं, कुछ तो ऑनर्स वगैरह भी किये हुये हैं, उनके लिये जो जगह खाली हैं, वे एप्लाई करें और उन्हें नौकरियां दी जायेंगी। आज वे एप्लाई भी करते हैं तो उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती हैं। मेरी सरकार से मांग है कि हरिजन आदिवासियों के लिये 22.5 परसेंट आरक्षण कोटे को जल्द से जल्द भरा जाये।

जहां तक दूसरी जगहों के भरने का सवाल है, उसमें भी सरकार को जल्दी करनी चाहिये। पिछड़ी जातियों के लोगों को नौकरियों में 27 परसेंट के आधार पर आरक्षण देना चाहिये। जब क्रीमी लेयर की यहां बात की जाती है, तो मैं नहीं समझता कि इस देश के लिए क्रिमी लेयर की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं उस आदेश की अवहेलना नहीं करता, उसकी आलोचना भी नहीं करता लेकिन संविधान में जिस नियत से आरक्षण दिया गया है, उसके मुताबिक क्रीमी लेयर को इस देश में लागू करना मैं जरूरी नहीं समझता क्योंकि संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है, उसके पीछे जो नियत है, वह सामाजिक गैर-बराबरी को दूर करने की है, आर्थिक बराबरी के लिये नहीं है। यदि आर्थिक बराबरी के लिये होती तो क्रीमी लेयर का सवाल उठता और उसके बारे में सोचा-समझा जा सकता था लेकिन संविधान में सामाजिक बराबरी के लिये व्यवस्था की गयी है। इसलिये आर्थिक आधार पर किसी को छांटने की संविधान के मुताबिक जरूरत नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि शैक्षणिक संस्थाओं में और अन्य जगहों में हरिजन और आदिवासियों के आरक्षण के आधार पर पिछड़े वर्गों के लोगों को 27 प्रतिशत स्थान निश्चितरूप से मिलने चाहिए और जल्दी से जल्दी उन जगहों को भरना चाहिए। इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के लोगों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देनी चाहिए जिससे जो 27 और अ॰ जा॰ तथा अ॰ ज॰ जा॰ के लिए 22 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है उसमें से एक भी जगह खाली न रहे।

सभापति महोदय, इन्ही शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इन आरक्षित जगहों को जल्दी से जल्दी भरे और एक भी जगह खाली न रहे। आपने जो समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदया, लोगों की मांग और मंडल आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने अब मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया

है। यह राष्ट्र हित में ही है। जनता के एक वर्ग की 'ओ बी सी' अर्थात अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के अतिरिक्त है। यह वर्ग देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लोगों के इस वर्ग को स्वीकृति देना राष्ट्र के हित में ही है क्योंकि पूरा राष्ट्र ही मजबूत होना चाहिए इस वर्ग के लोगों के कल्याण संबंधी बातों पर विशेष ध्यान दिए जाने से मेरा यह मानना है कि इससे राष्ट्र अधिक मजबूत होता चला जाएगा।

अब मैं श्री राममूर्ति जी के संकल्प का समर्थन करता हूं। उनके संकल्प के दो भाग हैं। इसके पहले भाग में शैक्षणिक संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है। अब शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश अपना ही एक कठिन समस्या है। कई केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन है और यदि इसमें खुली प्रतियोगिता है तो अन्य पिछड़े वर्गों को अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अत: केन्द्रीय सरकार के अधीन संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में भी इस 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करना बिल्कुल ठीक और उद्देश्य पूर्ण है। इन अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन है। केवल इतना ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत इन लोगों के लिए तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा अपना इंजीनियरिंग में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन है। यदि इन लोगों के लिए एक निश्चित कोटा अथवा आरक्षण निर्धारित कर दिया जाता है तो इन आरक्षित सीटों के लिए वे आपस में प्रतियोगिता कर सकते हैं और उन्हीं में से जो अच्छा करता है अर्थात् मेरिट के आधार पर इन्हें प्रवेश दिया जा सकता है। यदि उन्हें सामान्य वर्ग के लोगों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है, तो ऐसे में उन्हें अवसर नहीं मिल पाते।

अत: मैं इस संकल्प का पूर्णतया समक्षेप करता हूं क्योंकि इससे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छे अवसर प्रदान किए जा सकेंगे।

इसका दूसरा भाग केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में रोजगार हेतु ऊपरि समय सीमा में पांच वर्ष की छूट दिए जाने के संबंध में है। मेरा यह मानना है कि यह भी उद्देश्यपूर्ण और राष्ट्रहित में ही है। इसके अतिरिक्त, इससे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिल सकेगा।

तीसरे, में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित सभ्ज्ञी उम्मीदवारों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परिक्षाओं में पांच वर्ष की छूट दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं, अब हाल में इस मामले पर विचार नहीं हो रहा है। अत: इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किए जाने के मामले की पुरजोर सिफारिश करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा॰ एस॰ पी॰ यादव (सम्भल): सभापति महोदय, आज जो गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं पहले माननीय सदस्य श्री राम मूर्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह विधेयक संसद में पेश किया है। हम सन 1989 में सदन में आए थे और 7 अगस्त, 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी॰ पी॰ सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा की थी। इसके लिए हम उनको भी बधाई देना चाहते हैं।

हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से समाज का पिछड़ा वर्ग जो इन्तज़ार कर रहा था कि संविधान के तहत उनको कब न्याय मिलेगा, वह न्याय श्री वी॰ पी॰ सिंह सरकार ने दिया। उस समय देश में बहुत हलचल हुई, तरह-तरह की घटनाएं घटित हुई लेकिन सरकार अपनी जगह अडिग रही और उस मंडल कमीशन को लागू करने का काम सबसे पहले जनता दल की सरकार ने किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पश्चात् तरह-तरह की क्रिया-प्रतिक्रिया व्यक्त की गई लेकिन श्री वी॰ पी॰ सिंह अपनी जगह अडिग रहे।

कुछ विरोधी दलों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर रख दिया। उन्होंने प्रयास किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू न हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि श्री वी॰ पी॰ सिंह का 7 अगस्त, 1990 का आदेश अपने स्थान पर सही है।

अब प्रश्न उठता है कि मंडल कमीशन तो लागू हुआ लेकिन उसमें क्रिमीलेयर का कलॉज़ जोड़ दिया गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किमीलेयर का सवाल नहीं होना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद 10 साल तक पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका दिया जाता। बहुत से लोगों को इससे मौका नहीं मिलता और इससे लोगों को मौका मिलेगा जो अभी क्वालीफाइड नहीं हो सके। इस कारण मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूर्णरूप से लागू नहीं हो पाई है। इसमें 5 साल का प्रावधान किया गया है। शिक्षण संस्थाओं में, मैडिकल, इंजीनियरिंग या जो भी टैक्नीकल ऐजूकेशन है, उसमें लोगों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए।

पांच साल की छडूट एडमिशन के लिये मिलनी चाहिये। यह अभी तक नहीं मिल पायी है। इस सवाल को श्री डी॰ पी॰ यादव जी ने परसों इस सदन में उठाया था। मैं उनका समर्थन करता हूं। अखबारों ने भी इसको पब्लिसीटी दी। इसलिये मैं सरकार के मांग करता हूं कि पांच साल की आयु सीमा में छूट विद्यार्थियों को मिलनी चाहिये ताकि वे टैक्निक्ल शिक्षा प्राप्त कर सकें। आजकल यह बहुत कम लोगों को उपलब्ध हो पाती है। कम्पीटिशन बड़ा हाई हो गया है। इसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को दाखिला नहीं मिल पाता है।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मूर्ति जी को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, उन्होंने इस दिशा में सोचा और मंडल कमिशन का समर्थन किया। उन्होंने हाउस में इसका समर्थन करने के लिये एक गैर सरकारी प्रस्ताव भी पेश किया। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदया, मैं राममूर्ति जी द्वारा पेश संकल्प का समर्थन करता हूं। यह संकल्प बहुत पहले आना चाहिये था। आजादी के बाद इस बिल की भावना के बारे में और इसके इम्पलीमैंटेशन के बारे में सरकार की ओर से सोचा जाना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि आज जब इस हाउस में चर्चा हो रही है तो सरकार इसको लागू करने के लिये कोई ठोस कदम अवश्य उठायेगी।

मैं 1-2 प्वाइंट्स रेज़ करना चाहता हूं। 27 परसेंट रिजर्वेशन करने की सरकार ने घोषणा की है। मंडल पंच की सिफारिशें जब सरकार के समक्ष पेश की गई थी, अगर वे उसी समय लागू कर दी जाती तो पिछड़े वर्ग के शिक्षित नौजवानों को नौकरी मिल सकती थी। आज जब सरकारी नौकरियों पर पार्शली बैन है तो ऐसे समय में इसको लागू कैसे करेंगे ? अभी गुजरात के फाइनान्स कमीशन ने भी साफ कह दिया है कि नई भर्ती नहीं होनी चाहिए।

एक ओर आप यह कहते हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये 27 परसैंट सर्विसिज में रिजर्वेशन है लेकिन दूसरी ओर सरकारी नौकरियों है ही नहीं। इसलिये मैं यह जरूर कहूंगा कि 27 परसैंट वाला जो मामला सर्विसिज में रिजर्वेशन करने का है, जिस की मंडल पंच ने भी सिफारिश की, जैसा डा॰ यादव जी ने कहा कि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने इसे लागू करने के लिये जी-जान से कोशिश की।

4.00 म॰ प॰

यह 27 परसेंट आरक्षण नौकरियों में देने के लिए एक ठोस कदम उठाया। हमारा अनुभव है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्वेशन हमने कबूल किया, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षित युवक युवतियों को समय पर सर्विस नहीं मिल पाती। इतना ही नही उनका घोर अपमान भी सर्विस देने के समय किया जाता है जबकि वह लोग क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे पढ़े-लिखे होते हैं, फिर भी उनको सरकारी नौकरी में नहीं रखा जाता।

मुझे भय है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो 27 परसेंट आरक्षण रखा गया है, सरकार ने उसको लागू करने की घोषणा की है, इसका भी अगर निष्ठा से अमलीकरण नहीं किया गया तो यह अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए मजाल बन जायेगा और उनके दिल को इससे धक्का लगेगा। उनकी कैपेबिलिटी का लाभ देश को नहीं मिलेगा, बल्कि उनका डाइवर्शन होने की भी संभावना है। इस देश की खुशहाली के लिए और पिछड़े वर्ग के लोग, जो सालों से अन्याय सहन करते आये हैं, पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी वह नौकरी से वंचित रहे हैं, इन लोगों के लिए सरकार पूरी तरह से 27 परसेंट आरक्षण का लाभ दे। हर स्टेट में इसका अच्छी तरह से इम्पलीमेंटेशन हो, इसका अच्छी तरह से मोनेटरिंग करने की भी व्यवस्था हो। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस दिशा में जरूर कोई ठोस कदम उठाये।

मैं एक मुद्दा और भी उठाना चाहता हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो एज बार है, उनको पढ़ाई-लिखाई की जो सुविधा तुरन्त मिलनी चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल पाती और उनके घर की जो कण्डीशन है, उसे देखते हुए बाद में वह अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं इसलिए उनको तय एज में भी कुछ रिलैक्सेशन रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो 5 साल की एज रिजैक्सेशन मांगी है, उसको जरूर पूरा करना चाहिए जब समय पर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो कई साल उनके उसमें बीत जाते हैं। ग्रैजुएट होने के बाद या बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद जब वह नौकरी के लिए निकलते हैं तो उनको तुरन्त नौकरी नहीं मिल पाती मैंने पहले भी बताया कि कैपेबिलिटी होते हुए भी सरकारी नौकरी मिलने में उन्हें बहुत समय लगता है। इसलिए 5 साल की रिलैक्सेशन एज में कर दी जाय ताकि आरक्षण का जो लाभ सरकार ने घोषित किया है, उसका लाभ यह आसानी से उठा सकें।

प्रमोशन के बारे में भी जिस प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाई-बहनों को लाभ मिलता है, इसी प्रकार का लाभ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी प्रमोशन में मिलना चाहिए। जब आजादी की जंग चल रही थी तब महात्मा गांधी जी लोगों को तैयार करने के लिए कहते थे, इस देश मे आजादी आएगी। मैं आजादी इसलिए लाना चाहता हूं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खासकर वे जो कोने में बैठे हुए आदमी हैं, जिनके पास

कुछ नहीं है, न खाने को है, न रहने को है, न पहनने को है, उन आदमियों के लिए पहले काम करूंगा। आजादी आएगी, तो पहले सरकार को यह काम करना होगा। वे हमें यह बताते थे। लेकिन 1947 के बाद, आजादी मिलने के बाद जो सिलसिला चला, जो सरकार ने रवैया अपनाया, उससे जो कोने में बैठा हुआ आदमी था, न केवल वह वैसे का वैसा ही बैठा रहा, बल्कि उससे बदतर हालत उसकी हो गई। सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं, आजादी मिलने के बाद स्वतन्त्रता संग्राम में जो लगे हुए लोग थे महात्मा गांधी के साथ, उनकी मंशा थी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, सबसे पहले उनको ऊपर उठाया जाए। लेकिन सरकार की जो निति-रीति है, वह तो ऊपर के लोगों, को जो पहले ही ऊपर उठे हुए हैं, उठाने की है। जो भी योजनायें बनती हैं, वे उन्हीं के लिए बनती हैं और लाभ भी उनको ही मिलता है, पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पाता है इसीलिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि उनको लाभ मिले और पायोरिटी भी मिले, ताकि सालों तक सरकार ने जा उनके साथ अन्याय किया है, आज तक जो उनको दबाया गया है, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा राममूर्ति जी ने इस मंशा के साथ यह संकल्प प्रस्तुत किया है। जो 55-60 प्रतिशत लोग हैं, उनके लिए सरकार ने 27 प्रतिशत रिजर्वेशन रखा है और वह भी नहीं दिया तो सरकार के खिलाफ खड़े हो जायेंगे और अगर इसको आरक्षण के मुताबिक नौकरी नहीं मिली तो उसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यह बहुत अच्छा संकल्प आया है और सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा भी की है कि वह उसको इम्पलीमेंट करेगी। मैं कहना चाहता हूं, बीच-बीच में कोई रुकावट न खड़ी करके पिछड़े लोगों के लिए जो घोषित किया गया है, उसका लाभ उनको मिले सरकार को उनकी पूरी निष्ठा के साथ लागू करने की कोशिश करनी चाहिए।

मुझे आशा है कि मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे और पिछड़े लोगों के लिए जो 27 प्रतिशत के आरक्षण की जो मांग की गई है और प्रमोशन के बारे में भी तथा जो एज-रिलैक्सेशन की बात है, इनको पूरा करेंगे। पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो हमारा कर्तव्य है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको वे पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य, श्री राममूर्ति जी ने सदन में विचार करने के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका में समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही मैं उनको बधाई देना चाहता हूं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं, यहां सदन में कल्याण राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इस सवाल पर इसी सदन में हम लोगों की मांग पर माननीय कल्याण मंत्री जी ने आश्वासन देने का भी काम किया था।

4.10 म० प०

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

लेकिन आज तक पता नहीं आश्वासन धरा का धरा रह गया। उसके बाद कई बार सदन में इस सवाल को रेज करने का काम हुआ है और पूरे देश में ओ० बी० सी० स्टुडेंट्स और यूथ आर्गनाइजेशन के लोगों ने मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद और दिल्ली में बराबर एजिटेट्ड रहते हुए कई बार संघर्ष करने का भी काम किया है। माननीय

मंत्री जी से मिलने का भी काम किया है। जिस प्रकार से मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुकूल 27 फीसदी आरक्षण देने की बात हुई है इसके लिये अधिसूचना भी जारी हो गई है। आईएएस और यूपीएससी की परीक्षा में इस बार आवेदन आवंटित किया गया मुझे इस बात की खुशी है लेकिन दुख इस बात का है कि यह सरकार आरक्षण देना चाहती है लेकिन नेक नीयत से देना नहीं चाहती है। यह एक हाथ से आक्षरण देना चाहती है और दूसरे हाथ से लेना चाहती है।

महोदय, हम आपके सामने यह जिक्र करना चाहते हैं कि ये जो ओ॰ बी॰ सी॰ के लोग हैं, एस॰ सी॰, एस॰ टी॰ के लोग हैं ये पिछड़े समुदाय के लोगों का पिछले 5000 वर्ष से यथास्थितिवादी तत्व बराबर शोषण करते रहे हैं। जिसके कई उदाहरण हैं। मैं 1-2 पंक्ति की कविता से कहना चाहता हूं,

"शामबुक वेद पढ़े एकलव्य शस्त्र का ज्ञाता हो,

राम-द्रोण यह सह न सका, चाहे द्वापर या त्रेता हो।"

रामायण और महाभारत काल में भी एस॰ सी॰ एस॰ टी॰ को यथास्थितिवादियों ने दरबार में वातावरण बना करके राम के द्वारा वेद पढ़ने पर हत्या करवाने का काम किया था तो उसी प्रकार से महाभारत काल में धीवर जाति के अत्यंत पिछड़े वर्ग के एकलव्य को अंगूठा गुरू दक्षिण से द्रोणाचार्य ने मांग लिया था, यह इतिहास की बात है इसके बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई संविधान में एस॰ सी॰, एस॰ टी॰ के साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों को भी विशेष अवसर का सिद्धांत उल्लिखित किया गया, तभी काका कालेलकर की अनुशंसा के बाद भी यथास्थितिवादियों ने जो 52 फीसदी समाज के शोषित लोग है उनके हक को दबाने का काम करते रहे हैं। इस तत्कालीन प्रधानमंत्री वी॰ पी॰ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो लम्बी मांग आ रही थी अन्य पिछड़े वर्ग को 13 अगस्त, 90 में अधिसूचना जारी करके, अन्य पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देने का काम किया इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस देश में यथास्थितिवादियों ने उनकी मंशा को, इच्छा को फिर से दबाने का काम किया, इसलिये यह मामला अदालत में गया, अदालत ने भी मोहर लगाई है कि 1993 में उसे फिर से पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस सरकार ने अधिसूचित करने का काम किया। उसमें भी फिर अगर-मगर लगाने का काम किया हुआ।

महोदय, हम आपके जरिये कहना चाहते हैं, कि 13 अगस्त, 90 में जिसकी घोषणा हुई उस समय जो छात्र यू॰ पी॰ एस॰ सी॰ में बैठने वाले थे उन्हें तीन साल तक इस अगर-मगर में लटकाए रखने के बाद कोई उम्र की छूट न देना क्या न्याय होगा। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि इस पर आपकी नजर जाए और इस पर सरकार गौर करे कि जो तीन साल जो अपने अधिकार से वंचित रहा आज वही सड़कों पर एलिटेटेड होने का काम करता है तो इसलिये उसे UPSC में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिये।

महोदय, इस सदन में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था तो हमारी मांग है कि जो 5000 वर्षों से जो पिछड़े वर्गों के लोग शोषित होते रहे हैं आज माननीय मंत्री जी इस संकल्प को स्वीकार कर लें और यह सदन इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करके एक इतिहास बनाने का काम करें।

ताकि अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को यूपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं में आयु में अंतिम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए और यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 बार बैठने की छूट दी जाए, जिस प्रकार की छूट अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को मिलती है। हमारी मांग है कि मंत्री महोदय आज इस बात की यहां पर घोषणा करें, ताकि ओबीसी के छात्रों को इन घोषणाओं का लाभ मिल सके।

एक बात मैं शिक्षा में आरक्षण की सुविधा देने के बारे में कहूंगा। यह सही है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत ओबीसी की 27 परसेंट आरक्षण का नौकरियों में लाभ दिया गया है, लेकिन जब तक इन छात्रों का नामांकन मेडीकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी तथा गैर तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं में नहीं हो सकेगा, तब तक नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण का लाभ वे कैसे उठा पाएंगे। समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए उनको विशेष अवसर कैसे प्राप्त हो सकेगा। इसलिए मंडल कमीशन की सिफारिशों का लाभ यदि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार देना चाहती है तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी संस्थानों से नामांकन में भी इनको आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। नहीं तो आज पिछड़े वर्ग का नवयुवक आंदोलित हो रहा है और देश का और सरकार को एक और आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि शैक्षिक संस्थाओं में 27 परसेंट नामांकन में आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाए।

एक चीज की ओर मैं और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में यथास्थितिवादियों द्वारा 5000 वर्ष से शोषण करके शोषित लोगों को और शोषित बनाया गया। संविधान में जब इन शोषित लोगों को विशेष अवसर देने की बात आई, ओबीसी को आरक्षण देने की बात आई तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिशों को 12 वर्ष तक दबाए रखा। श्री वी॰पी॰ सिंह धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने सरकार से आकर इन सिफारिशों को लागू करवाने का काम किया। लेकिन आगे इसके विपरीत सरकार क्या करने जा रही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तरफ तो सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को मानकर सरकारी नौकरियों में 27 परसेंट आरक्षण ओबीसी के लोगों को दिया और दूसरी तरफ नई आर्थिक और नई औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के कामों का निजीकरण करने जा रहे हैं, जिससे सरकारी नौकरियों में काफी कमी आने वाली है, इस तरह से सरकार एक हाथ से ओबीसी के लोगों को दे रही है और दूसरे हाथ से ले रही है। यह एक तरह की साजिश यथास्थितिवादियों द्वारा की जा रही है।

सभापति महोदय, आपके जरिए इस सदन को और देश को आगाह करना चाहता हूं कि यह जो नयी आर्थिक नीति है जैसे-गैट का समझौता है तो यह एस सी एस टी और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के खिलाफ है। यहां पर मंत्री जी बैठे हैं तो वे घोषणा करें कि हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संस्थान क्यों न हों, उन सभी से अनिवार्य रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप पी॰ के॰ राममूर्ति के संकल्प को पारित करने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस संकल्प का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : इस संकल्प का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। आरम्भ में तो मैं आपको मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मित्र श्री के॰ राममूर्ति टिंडिवनाम को यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बधाई तथा धन्यवाद देता हूं जिसके परिणामस्वरूप हमें इस मामले पर चर्चा के लिए अवसर मिला है।

महोदय, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब सर्द ऋतु आ गई है तो वसन्त कैसे दूर रह सकती है। सर्द ऋतु के आने के बाद बसन्त ऋतु को तो आना ही है। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है और सरकार द्वारा इस पर कार्यवाही भी कर दी गई है जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है, तो शिक्षण संस्थानों आदि में प्रवेश का मामला तो इसके बाद ही आएगा। इस संकल्प के दो पहलु हैं। पहला आयु सीमा में छूट के बारे में तथा दूसरा अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण का एक निश्चित कोटा निर्धारित करने के बारे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला गम्भीर रूप से सरकार के विचाराधीन है। यह मामला विभिन्न रूपों में कई बार उठाया जा चुका है। आज इसका कोई विकल्प ही नहीं बचा था। आज शून्य काल के दौरान भी यह मामला उठा था। मेरे विचार से श्री श्रीकान्त जेना उसका कुछ अन्य सदस्य इस मामले पर चर्चा की बात उठा रहे थे। कुछ माननीय सदस्यों ने इस संबंध में कल प्रधानमंत्री महोदय से भी बातचीत की थी। अत: इस पर गम्भीरता से विचार चल रहा है। यह किस रूप में आगे आएगा और किस प्रकार से आएगा-इसी बात की जांच की जा रही है।

इस मामले का ध्यानपूर्वक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। भारत तो प्रतिभाओं का भंडार है। हमारा देश गरीब हो सकता है लेकिन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात हमारे पक्ष में जाती है कि हमारे देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं तकनीकज्ञों की संख्या अनगिनत है। हमारे जिन वैज्ञानिकों को यहां पर उपयुक्त अवसर नहीं मिले वे विदेशों में गए और वहां पर चमके तथा उन्होंने नई-नई चीजों की खोज की और नोबल पुरस्कार प्राप्त किये। आज भी यही बात हो रही है। इसलिए हमें उनके लिए नई परिस्थितियां पैदा करनी होंगी।

मैं इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि हमें सभी प्रकार की असमानताओं के साथ लड़ना होगा। जहां तक संभव हो सके हमारा समाज ऐसा संतुलित होना चाहिए जहां अपना भविष्य बनाने के लिए कमजोर वर्गों हेतु अवसर उपलब्ध हों। इस बारे में मेरा मत बिल्कुल स्पष्ट है। निस्संदेह ही मुझे इस बात पर प्रसन्नता होती यदि हम वर्गरहित समाज, जाति रहित समाज और शोषण मुक्त तथा असमानताओं से मुक्त समाज के लिए कार्य करते और इसके लिए प्रयास करते। किन्तु यह तो एक दिवा-स्वप्न मात्र ही है। अब तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें जाति प्रणाली को स्थायी बनाया जा रहा है चाहे यह अच्छी बात हो अथवा बुरी यह तो भविष्य ही बताएगा। किन्तु जहां कहीं भी गरीबी है वहीं हमें इसके लिए लड़ना है और असमानताओं के लिए लड़ना है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए जिसमें सबके लिए समान स्थितियां हों।

अब तक केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ही जनगणना रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। किन्तु अब से आगे सभी की जाति रिकार्ड की जाएगी। यह चाहे प्रगतिशील कदम हो अथवा विपरीतगामी कदम हो और यह न केवल भारत में बल्कि बाहर भी सभी के देखने की बात है। जो भी हो गरीबी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए गठित आयोग ने भी यही राय व्यक्त की थी कि इससे "सम्पन्न वर्ग" (क्रिमी लेयर) को अलग रखा जाए। उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में अपनी बुद्धिमता दिखाते हुए अलग राय व्यक्त की। जो भी हो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

जहाँ तक शिक्षा का मामला है, मैं इस संबंध में एक बात कहूंगा। इस देश में पैदा हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार है, हालांकि इसे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद-3 में शामिल नहीं किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों संबंधी अन्य अनुच्छेद में भी में भी इस संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। किन्तु हम ये चीजें प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसी घोषणा की गई है। कि "सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा"। अब समय आ गया है कि हमें सभी को आरम्भिक और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ-साथ हमें सैकेंडरी स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करना होगा।

[अनुवाद]

मेरा विश्वास है और यह मेरी दृढ़ राय है कि जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, यह सभी के लिए निशुल्क नहीं होनी चाहिए। मैंने उड़ीसा के शिक्षा विभाग में कुछ समय तक प्रभारी के रूप में कार्य किया है। आज क्या हो रहा है ? जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश में जो परीक्षा पद्धति चल रही है वह चिन्ता का विषय है। विश्व विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पुलिस बल के जबर्दस्त प्रबंध से ये सैन्य छावनी की तरह से लगते हैं और वे चुपचाप खड़े रहते हैं। लेकिन अन्दर क्या हो रहा है ? हिंसा का सहारा भी किया जा रहा है; शिक्षकों पर हमले किये जा रहे हैं; उन्हें देश भर के कई परीक्षा केन्द्रों में खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। मेरे विचार से परीक्षा एक मखौल बनकर रह गयी है।

सभापति महोदय : कृपया विषय पर जाएँ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हां यही विषय वस्तु है महोदय, यह शिक्षा से ही संबंधित है।

सभापति महोदय : विषय 'शिक्षण-संस्थाओं में आरक्षण' है न कि शिक्षा के स्तर से संबंधित है।

श्री श्रीबल्लभ पणिग्रही : हाँ, मुझे इस पर शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि यह क्या मामला है।

मेरा कहना है कि उच्च शिक्षा को सीमित किया जाना चाहिए। कक्षा-2 के स्तर से ही योग्यता की एक परीक्षा होनी चाहिए, तथा इसके साथ व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। एक योग्यता परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे देश की प्रतिभाएँ बेकार न चली जायें। हमारे पास सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध हैं, और इनमें भी आरक्षण है। प्रतिभावान व्यक्ति भी इस कारण से प्रभावित नहीं होने चाहिए। पिछड़े वर्गों को, अपेक्षित व्यक्तियों को प्रवेश मिलना चाहिए; उन्हें उत्तीर्ण होने का अवसर मिलना चाहिए और व काम मिलने चाहिए जो उनके लिए आरक्षित हैं। लेकिन साथ ही जहां तक साख का मामला है इस बारे में स्थिति यह है कि

विश्व की सबसे अधिक प्रक्रियाएं हमारे पास हैं उनका भविष्य अंधकार मय न हो जाय। सभापति महोदय, मैं आपको यह बता दूं कि प्रतिभा को किसी प्रकार से व्यर्थ जाने देने से राष्ट्रीय क्षति ही होगी।

अतः इस पर सावधानीपूर्वक अध्ययन करके तद्नुसार सीटों की संख्या बढ़ाकर क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि दूसरी अन्य जातियों के लोगों को रोजगार न मिले; लेकिन उन्हें शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए तभी वे अपने पैरों पर खड़े हो पाएँगे। लेकिन आप उन्हें अवसर अवश्य दें। इसकी कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, मैं इतना कह सकता हूँ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपने 12 मिनट का समय पहले ही ले लिया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक रूप से सुधार करने की आवश्यकता है। हम सभी को इस बदलती परिस्थिति से निपटना है तथा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने हैं।

सभापति महोदय, आप यह जानना चाहेंगे कि आज उड़ीसा में क्या हो रहा है। दुर्भाग्य वश वहाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच मुठभेड़ें हो रही हैं। इसकी शुरूआत मंदिर में अनुसूचित जातियों के प्रवेश के मुद्दे पर शुरू हुई है। इसका प्रतिरोध अनुसूचित जनजातियों द्वारा किया गया और नायोगढ़ जिले में हुई हुई मुठभेड़ों में काफी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

सभापति महोदय : वर्तमान के विषय से यह किस तरह से संबंधित है ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : राज्य सरकार काफी ज्यादा संवेदनाहीन और उदासीन है।

सभापति महोदय : यह किस प्रकार से संबंधित है। आप केवल बोलने के लिए बोलते चले जा रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को इसकी जांच करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से ऐसा करने के लिए आग्रह करूँगा। सामाजिक सौहार्द के लिए यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय : यदि आपके पास नए मुद्दे नहीं हैं, तो अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह बिल्कुल नया मुद्दा है, महोदय, जो कि सामाजिक सौंदर्य तथा सामाजिक एकता से संबंधित है। हमारे समाज को इनकी बहुत जरूरत है। अतएव, मैं माननीय मंत्री से आपके द्वारा यह आग्रह करूँगा न कि सीधे........

सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री से सदन के बाहर सीधे आग्रह कर सकते हैं।

श्री बल्लभ पाणिग्रही : महोदय हमारे यहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग है; इसे उड़ीसा के प्रभावित स्थानों पर जाकर स्थिति का अध्ययन करना चाहिए; उन्हें समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। टकराव के रुख को छोड़ना होगा। तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य सामान्य लोगों को आपस में शांति एवं भाईचारे के वातावरण में रहना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकंदराबाद) : उपाध्यक्ष जी, जो संकल्प राममूर्ति जी सदन में लाए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं आज 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद अगस्त 1990 में इसकी घोषणा की गई। फिर भी 1992 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आने के बाद मंडल कमीशन के अंतर्गत 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने में देर हो रही है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के मन में वेदना है।

आज इस विधेयक में जो शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की बात है वह बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन से ही उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती इसलिए वह आगे प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षण सुविधाएं देनी चाहिए। जैसे मंडल स्तर पर आश्रम पाठशालाएं खोलकर विशेषकर पिछड़े वर्गों को उनके अनुपात के हिसाब से दाखिला मिलना चाहिए ताकि वह नौकरी प्राप्त करने में कंपीटीशन कर सकें। इसलिए शिक्षण संस्थाओं में रिज़र्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आंध्र प्रदेश में पिछले वर्ग के लोग बहुत हैं। IAS और IPS में तो आपको चालीस पचास अधिकारी मिल जाएंगे लेकिन पिछड़े वर्ग के दो तीन अधिकारी हैं। उसका कारण यह है कि IAS तक पहुंचने के लिए कंपीटीशन करने के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए जो रिजर्वेशन चाहिए उसको तुरंत लागू करना चाहिए। जिन राज्यों ने पिछड़े वर्गों के लिए अभी सर्वेक्षण ही नहीं किया है उनको निर्देश देकर तुरंत सर्वे कराने का काम शुरू होना चाहिए। आज राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में भी पिछड़े वर्गों की जनगणना नहीं हुई है। काका कालेलकर कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से 27 प्रतिशत आरक्षण हुआ है लेकिन अभी भी हिन्दुस्तान में विवाद है कि पिछड़े वर्गों की संख्या हिन्दुस्तान में कितनी है लोगों का कहना है कि 52% है।

[अनुवाद]

पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 52 प्रतिशत है। यह देश के कई वर्गों के लोगों की भावनाऐं हैं। अब 27% आरक्षण का भी मसला पिछड़े वर्गों के लिए एक समस्या का कारण बन गया है। इसलिए सबसे पहले आप पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या निश्चित करें उनकी जनसंख्या के आधार पर आप पिछड़े वर्गों का आरक्षण की सुविधा दें। निश्चित रूप से केवल तभी पिछड़ा वर्ग संतुष्ट हो पाएगा।

[हिन्दी]

जब तक आप आंकड़े क्लियर नहीं करेंगे तब तक पिछड़े वर्गों में असंतोष रहेगा।

अभी राममूर्ति जी ने बताया था कि शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ उनकी जो आयु सीमा है उसमें पांच वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा किया है। बहुत से लोग राज्यों में ऐजिटेशन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी कर रहें है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है और मंडल कमीशन के अंतर्गत पांच वर्ष की छूट देने की बात कही है। सरकार क्यों इसमें देर करती है ? सरकार को खुद इस मामले में सामने आना चाहिये। सरकार को बताना चाहिये कि मंडल कमीशन के तहत 5 साल की ऐज रिलक्सेशन देने के लिए वह क्यों तैयार नहीं है।, क्यों एक्जैम्पशन नहीं देना चाहती है और क्यों इस मामलें में देर कर रही है। हम मानते है कि आज यह मामला एक प्राईवेट रिजौल्युशन के माध्यम से सदन में उठाया

गया है, जिस पर हम बहस कर रहे हैं लेकिन इस मौक़े पर जिस एजुकेशन स्टैन्डर्ड की बात की गयी, जैसे पुलिस, मिलिटरी और सी आर पी एफ से रिक्रूटमेंट के वक्त बी॰ सी॰ और कुछ टाईबल लोगों को क्यों रिलैक्सेशन नही दी जाती है जबकि इसे सब लोग जानते हैं कि हमारे कुछ राज्यों से लोगों की हाईट बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है। उनको रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन के साथ-साथ हाईट में भी छूट दी जानी चाहिये, हाईट उनके मार्ग में बाधा क्यों बनने दी जायें। मैं चाहता हूँ कि सरकार बी॰ सी॰ के ऐसे लोगों को पुलिस, मिलिटरी और सी आर पी एफ में रिक्टमेंट के समय हाईट में दो तीन इंच की छूट प्रदान करें और वह छूट राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार हो क्योंकि हर राज्य में लोगों का फिजिकल स्टैन्डर्ड अलग-अलग होता है। कुछ स्टेट्स में लोग छोटी काठी के होते हैं, कुछ स्टेट्स में लम्बे होते हैं। यदि हम सारे देश के लिये एक समान नियम बनाकर भर्ती करेंगे, सभी के लिए 5 फीट 6 इंच लम्बाई रखेंगे तो उससे बड़ी प्रौब्लम क्रियेट हो जायेगी। मेरी मांग है कि पुलिस, सी आर पी एफ और मिलिटरी में भर्ती के लिए बी.सी. के लोगों का रिजर्वेशन के साथ-साथ हाईट के मामले में भी छूट देनी चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिये एकट में संशाधन किया जा सकता है।

यहां मैं एक उल्लेख और करना चाहूंगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नौकरियों में 50 परसैंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना चाहिये, इससे आगे उन्होंने सीलिंग लगा दी है जिसके कारण हमारे सामने अनेक मुश्किलें खड़ी हो गयी हैं। मैं चाहता हूं कि जहां बी॰ सी॰ के लोगों को सभी नौकरियों में 27 परसेंट रिजर्वेशन मिले, साढ़े बाईस परसेंट एस॰ सी॰ और एस॰ टी॰ के लोगों को इस देश में रिजर्वेशन देने की व्यवस्था पहले से है कुल मिलाकर 43.5 परसेंट रिजर्वेशन हुआ, इसके अलावा लास्ट टाईम इकॉनौमिकली वीकर सैक्शन के लोगों को भी 10 परसेंट रिजर्वेशन देने की बात काफी सुनने में आयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करुंगा कि यदि आवश्यक हो तो इसके लिए संविधान में अमैंडमेंट करना चाहिए ताकि रिजर्वेशन के मामले में हम 50 परसेंट से आगे आ सकें। यदि सरकार कोई ऐसा संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाती है तो उसे पास कराने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आज सभी पार्टियां इस प्रश्न पर एकमत हैं कोई पार्टी इस विचार के खिलाफ नहीं है, किसी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों की अपोज नहीं किया है।

[अनुवाद]

सभी राजनीतिक दलों ने मंडल आयोग का समर्थन किया। हालांकि हमारे बीच इसके क्रियान्वयन को लेकर मतभेद थे, लेकिन राजनीतिक विचारधारा को दरकिनार करते हुए सभी पार्टियों ने मंडल आयोग को समर्थन दिया। सभी राजनीतिक दल संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करेंगी चाहे उसमें आरक्षण को 50% से अधिक करने की व्यवस्था हो।

[हिन्दी]

इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यह तुरंत संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगायी गयी 50 परसेंट की सीलिंग से आगे जाकर रिजर्वेशन देने की व्यवस्था करे। आज कुछ राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आधार पर बी॰ सी॰ के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है।

मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हू कि हमारे यहां जी॰ बी॰ सी॰ कार्पोरेशन्स हैं, मार्जिन मनी देने

के बावजूद, इन जातियों के लोगों को बैंकों से लोन नहीं मिलता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर लोन देने में रुकावट डाली जाती है। सोशयल स्टेटस का बहाना लगाकर भी लोगों को लोन नहीं दिये जा रहे हैं। देश भर में स्थित बैकवर्ड कार्पोरेशन्स के लिये प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपये देने की बात कही है, हर राज्य में बैकवर्ड कार्पोरेशन्स है और अनएम्पलायड यूथ्स भी बड़ी संख्या में हैं, जिनमें किसी ने साईकिल की दुकान के लिये लोन एप्लाई किया है किसी ने दूसरे काम के लिये, वे सब अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, सरकार की नौकरियों पर आश्रित नहीं रहना चाहते बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार की ओर से हर बैंक को एक सर्कुलर भेजा जाना चाहिये कि बी॰ सी॰ कार्पोरेशन्स के द्वारा जिन लोगों को मार्जिन मनी दी जाती है, ऐसे सभी लोगों को बैंक लोन उपलब्ध कराये। इस मामले में बैंकों को आगे आना चाहिये। आज बैंक आगे नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे यह भी विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि बैकवर्ड कार्पोरेशन्स की एमाउंड को 52 परसेंट पौपूलेशन को देखते हुये जो इस समय 200 करोड़ रुपये निश्चित की गयी है, बढ़कर 2000 करोड़ रुपये कर देना चाहिये और इसके लिये बजट में आवश्यक प्रावधान करना चाहिये।

आखिर में कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र राममूर्ति जी सदन में जो विधेयक लाये हैं, वैसे तो वे कांग्रेस पार्टी को बिलौंग करते हैं लेकिन उन्होने दो मुख्य बातें अपने विधेयक में कही हैं।

[अनुवाद]

ये हैं आयु सीमा में छूट पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करना। हमें तुरंत विधेयक के इन दो प्रावधानों का क्रियान्वयन करना चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं के राममूर्ति जी को इस महत्वपूर्ण संकल्प को यहां लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह जो गैर सरकारी संकल्प हमारे सामने है पत्र राष्ट्रीय महत्व का संकल्प है। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार को इसको मानने में क्या परेशानी है। क्या यह संकल्प संविधान सम्मत नहीं है, क्या यह संकल्प न्यायसंगत नहीं है क्या इस संकल्प का जस्टीफिकेशन नहीं है ?

सभापति महोदय, यह संकल्प इस देश में जो 52 फीसदी लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारा देश जो गुलाम हुआ है वह दुनियां के बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा समय तक गुलाम रहा है। इतनी ज्यादा गुलाम कोई और कौम नहीं रही जितनी हिन्दुस्तानी कौम रही। इसका कारण यह बताया गया कि हम लोगों में फूट थी। मैं इसको सही नहीं मानता। मैं समझता हूं कि इस लम्बी गुलामी का मुख्य कारण हमारी जाति प्रथा थी। इस जाति प्रथा के चलते इस जातिवादी व्यवस्था के चलन, हमारा देश दुनियां के अन्य मुल्कों के मुकाबले सबसे ज्यादा समय तक गुलाम रहा। हमारे देश के 52 प्रतिशत लोगों को इस देश की मुख्य राष्ट्रीय धारा में जोड़ने का अवसर नहीं दिया गया। इसलिए यह प्रस्ताव राष्ट्रीय महत्व का प्रस्ताव है। हजारों वर्षों से जो लोग दबे और कुचले रहे हैं। जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं जिनके लिए संविधान में भी आर्टीकल 15 (4) और 16 (4) में स्पष्ट रूप से कहा है।

4.47 म॰ प॰

(श्री पी॰ सी॰ चाक्को पीठासीन हुए)

भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से विशेष अवसर का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है कि यह संविधान सम्मत मांग है कि शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के सम्बन्ध में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की बात है। अभी 9 कैटेगरी को रिजर्वेशन देने का है जिसमें उम्र में भी छूट दी जाएगी, जो अब 3 कैटेगरीज में है, तो 10वीं कैटेगरी में क्यों नहीं दी जाएगी ? क्या अन्य पिछड़े वर्गों को इस लाभ से वंचित रखा जाएगा ? क्या यह सरकार नहीं चाहती है कि 9 को जो छूट दी गई है वह 10वीं कैटेगरी को न दी जाए ?

सभापति महोदय, हमारी राज्य की सेवाओं नें भी इन लोगों को आयु सीमा में शिथिलता अभ्यर्थियों को उम्र में दी जाती है जो राज्य सरकार की अन्य पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियां हैं उनमें भी आयु सीमा में छूट दी जाती है तो फिर केन्द्रीय सेवाओं में छूट क्यों नही दी जाएगी ? मैं यही जानना चाहता हूं। मैं इस बात को बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं इसी सदन में, इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने 20 वर्ष पहले, इस हिन्दुस्तान के महान समाजवादी विचारक और मनीषी डा॰ राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि जो रिश्ते हमें इन पिछड़े वर्गों में पैदा करने चाहिए थे वे हमने पैदा नहीं किए जितनी कि जलन पैदा की है, लेकिन मैं इस निराशवादी स्थिति से कहीं ज्यादा अच्छा उस स्थिति को समझता हूं जब 20-25 वर्ष के बाद वे पिछड़ी जातियां मार-काट पर उतर आएंगी। मैं उस स्थिति को ज्यादा पसन्द करूंगा। इसमें हिंसा का कोई सवाल नहीं है बल्कि इसमें भाव यह है कि पिछड़े लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए और संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है वह मिलना चाहिए। यह उनके कहने का आशय था।

सभापति महोदय, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि जो 52 फीसदी लोग हैं, आज उनकी क्या दशा है?

जो जमीन से, खेत से, हल से जुड़े हुए लोग हैं, जो श्रम से जुड़े लोग हैं, वे मेहनत करते हैं और पूरे देश को अनाज खिलाने का काम करते हैं, उनको संविधान में दिए गए अधिकार प्राप्त न हो, सत्ता में भागीदारी न हो, सम्मान न मिले, यह उचित नहीं है। आजादी के 46 वर्षों के बाद भी उनको आजादी का सुख नहीं मिला है। संविधान के प्रावधान 15 (4) और 16 (4) के तहत भी यही कौनसेप्ट है।

कुछ लोग आर्थिक सवाल को इसके साथ जोड़ने का काम करते हैं अभी क्रिमिलेयर का सवाल आया। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो खेतों में काम करते हैं, मैं समझता हूं कि वे सामाजिक रूप से एडवांस नहीं हो सकते।

मुझे सरकार की नीयत पर शंका होती है क्योंकि किमिलेयर का सवाल आया तो उसमें बहुत समय लग गया। 7 अगस्त 1990 को श्री वी॰ पी॰ सिंह के नेतृत्व में इसी लोक सभा में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान हुआ था। उसके बाद 13 अगस्त, 1990 को कार्यपालिका का आदेश निकला। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और 16 नवम्बर, 1992 को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में फैसला हुआ।

चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उनमें उम्र सीमा में ढील देने

का प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी मंशा को गैर-सरकारी संकल्प के जवाब से स्पष्ट करे। क्रिमिलेयर के संबंध में मैंने सदन में सवाल उठाया था। कल्याण मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया। एक बार सदन में सभी पक्ष के लोगों ने एकमत से इसका समर्थन किया था। मैं कहना चाहता हूं कि सदन में दिए गए आश्वासन का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को यह देखना चाहिए कि इसमें कोई अड़ंगा न लगे। यदि नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं होता, कार्यपालिका के आदेश में कुछ नहीं होता तो इस बार आयरन फिल्टर गेट लगेगा।

डा॰ यादव ने कहा था कि यह जो एक हाथ से दूसरे हाथ से छीनने के बराबर है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जानी चाहिए।

26 जून, 1994 को सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षाएं होने जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि उससे पहले नोटिफिकेशन में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से पिछड़े लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। फौर्म भरते समय उच्च न्यायालय का ऐसा वर्डिक्ट हुआ था कि फौर्म भरने की इजाजत होनी चाहिए लेकिन आज ओवर-ऐज के नाम पर उनके फौर्म रिजैक्ट किए जा रहे हैं। छात्रों को रिजैक्शन लैटर आ रहे हैं। उनके साथ जानबूझकर अन्याय किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से फैसले को लागू करने का निर्देश जारी किया था। संविधान में यह प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून की शक्ल में माना जाता है इसलिए जिन छात्रों को रिजैक्शन लैटर आ रहे हैं, सरकार को उसे वापिस लेना चाहिए और उनको परीक्षा देने की इजाजत देनी चाहिए।

मैं सिद्धान्ततः यह मानता हूं कि नौकरी देने या परीक्षा में बैठने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। आप सेवानिवृत्ति की उम्र फिक्स कर दें लेकिन नौकरी में प्रवेश की उम्र को निर्धारित करने की जरूरत नहीं है।

सरकार देश के सामने जो नई इकोनौमिक पॉलिसी लाई है, उससे देश का वर्तमान और भविष्य, दोनों खतरे में पड़ने वाला है। सरकार मंडल को खत्म करने के लिए डंकल लाई है। हिन्दुस्तान में आज 4600 जातियां मंडल कमीशन के तहत आती हैं। उनमें से क्लास-I की नौकरियां सिर्फ 4 प्रतिशत लोगों को मिली हैं। आजादी के 46 वर्षों के बाद भी पिछड़े लोगों को मात्र 4 फीसदी हिस्सा नौकरियों में मिला है। यदि नौकरियों में उनको छूट नहीं मिलेगी तो 27 प्रतिशत के टारगैट को पूरा नहीं किया जा सकता। कानून में भी यही है कि,

5.00 म॰ प॰

किसी भी एक्सटैंड पर आरक्षण की सीमा है। आरक्षण का मतलब मिनिमम है मैक्सिमम नहीं। मिनिमम 27 परसैंट आरक्षण जरूर मिलना चाहिये लेकिन आरक्षण का गलत इंटरप्रिटेशन देश में हो रहा है।

46 वर्षों की आजादी के बाद भी पिछड़े वर्गों को 4 परसैंट ही हिस्सेदारी मिली है। डंकल के लाने से सारे रोजगार चौपट हो जायेंगे और नौकरियां ही समाप्त हो जायेगी। इसलिये मैंने आपकी नीयत पर शंका व्यक्त की अगर आपकी नीयत साफ है तो यह गैर सरकारी संकल्प सहर्ष स्वीकार कर लें। ओ॰ बी॰ सी॰ के छात्रों को जो रिजैक्शन लैटर दिया गया है, उसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिये ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 परसैंट आरक्षण का लाभ मिल सके। पांच वर्ष की उम्र सीमा में भी छूट इस गैर सरकारी संकल्प के जरिये मिलनी चाहिये ताकि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके समतामूलक समाज स्थापित करना हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व

है। उन्हें सत्ता और सेवा में भागीदारी अवश्य मिलनी चाहिये। इस देश में 52 फीसदी लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिये, विशेष अवसर मिलने चाहिये और उस सीमा में छूट मिलनी चाहिये।

श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या यादव (मछालीपटनम) : सभापति महोदय, मैं इस सभा में सभी दलों के समर्थन के लिए सभा के समक्ष यह संकल्प रखने के लिए श्री के राम मूर्ति टिंडिवनाम का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, अब देश में मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बिना किसी संदेह के आम सहमति होनी चाहिए। यह एक ऐतिहासिक आवश्यकता है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् अभागे पिछड़े वर्ग और मुसलमान–समाज के ये दो वर्ग देश में औद्योगिकीकरण के साथ-साथ प्रशासन में भागीदारी से वंचित हो गए।

यदि हम इस स्थिति पर ध्यान देंगे तो यह पायेंगे कि इस संबंध में कई विवाद हैं कि राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर आई॰ ए॰ एस॰ और आई॰ पी॰ एस॰ अधिकारियों आदि के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया। मैं सभा का ध्यान इन अभागे वर्गों अर्थात् मुसलमानों और पिछड़े वर्गों की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ।

सबसे पहले जब हमने लाइसेंसिंग राज अर्थात् औद्योगिक लाइसेंस जारी करना आदि की प्रणाली अपनायी तो उस समय देश का समग्र पिछड़ा वर्ग देश के औद्योगिकीकरण में भाग नहीं ले सका। सम्पन्न लोग, जो दिल्ली, हैदराबाद अथवा लखनऊ जाने में समर्थ थे, उद्योग लगाने के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। पिछड़े वर्गों ने पूरे 40 वर्षों के लिए उन अवसरों को खो दिया।

नौकरियों में आरक्षण के साथ-साथ प्रशासन पर भी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर भी बजट आवंटन का लगभग 60-70 हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी बिल के लिए खर्च किया जाता है। जैसा कि एक अन्य माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि कर्मचारियों पर बजट आवंटन का 60 से 70 प्रतिशत खर्च किए जाने के बावजूद, आंध्र प्रदेश में, मुसलमान अथवा पिछड़े वर्ग का एक भी आई एस अथवा आई पी एस अधिकारी नहीं हैं। अतः, इन पूरे 45 वर्षों के दौरान इनका हिस्सा इन्हें नहीं मिल सका है। अतः, अब इसे पूरा करना ऐतिहासिक आवश्यकता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट बिना किसी रुकावट के कार्यान्वित की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दस वर्षों तक आरक्षण लागू किया। आरक्षण की दस वर्ष की यह अवधि हमने पांच बार तक बढ़ाई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू करने के दौरान कोई पूर्व-शर्तें नहीं थी। अतः, इसी प्रकार मैं इस सम्मानित सभा से यह अनुरोध करता हूं कि कम से कम पहले दस वर्षों के लिए मंडल आयोग द्वारा संस्तुत आरक्षण बिना किसी 'क्रीमीलेयर' की शर्त और परीक्षा तथा भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की अनुमति बिना दिए लागू किया जाए।

अब मैं, माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को स्पष्ट करना चाहूंगा जिन्होंने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के बीच अंतर जानने की इच्छा प्रकट की है। महोदय, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लड़के के पास दस करोड़ रुपए अथवा और अधिक राशि होने पर भी वह शैक्षिक रूप से अन्य व्यक्तियों के बराबर नहीं होगा। जबकि वह धनवान है। मैं एक बात से सहमत हूं कि पिछड़े वर्ग के उन व्यक्तियों, जो वकील अथवा

अभियंता अथवा प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, के बच्चों को 'क्रीमी लेयर' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परन्तु आर्थिक स्तर के आधार पर हम उन्हें 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। इनका अंतर इस प्रकार है। हमें धनाढ्य और सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वालों की 'क्रीमीलेयर' और उच्च शिक्षित व्यक्तियों की 'क्रीमीलेयर' के बीच अंतर करना होगा। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए।

जनता दल के माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न पूछा है। हम पिछले 40 अथवा 45 वर्षों से किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं रख रहे हैं और वे पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार श्री वी० पी० सिंह ने भी प्रयास किए हैं और उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा योगदान किया है। हम इससे इनकार नहीं करते। परन्तु तथ्य यह है कि वर्तमान प्रधानमंत्री, श्री पी० वी० नरसिंह राव, अपने कुशल प्रशासन और राजनीतिक कुशलता एवं योग्यता से राष्ट्र को आश्वस्त करते हुए मंडल आयोग के अनुरूप देश में पहली बार आरक्षण लागू करने में सफल हो जायेंगे। मैं यह मानता हूं कि श्री वी० पी० सिंह ने इसे कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। परन्तु, किसी तरह से ? उन्होंने इस समझौते में राष्ट्र को शामिल नहीं किया है। और इसीलिए वे इस मामले में पूरी तरह से असफल रहे और उन्होंने देश को भीषण आग की लपटों में झोंक दिया। श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार ओर श्री वी० पी० सिंह की नेतृत्व वाली सरकार में यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री, श्री नरसिंह राव इस मामले में समाज के सभी वर्गों को शामिल कर रहे हैं और प्रजातांत्रिक रूप से सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ समझौता कर रहे हैं और वे बिना किसी अड़चन के मंडल आयोग की रिपोर्ट को निश्चित रूप से कार्यान्वित करेंगे। मुझे उन पर विश्वास है। और इस पर समाज की ओर से बहुत अधिक विरोध नहीं है।

अंग्रेजों के शासन के दौरान इनकी जनगणना के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग था। और जनसंख्या के आंकड़े पहले से ही उपलब्ध हैं। यदि आप पिछड़े वर्ग के लोगों अथवा मुसलमानों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अगड़ी जातियों की जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे तो यह पायेंगे कि सभी की वृद्धि दर लगभग एक समान है। यदि आप अंग्रेजों के शासनकाल की जनगणना के आंकड़े लेते हैं तो हमें देश के पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या का पता लग सकेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी से वंचित किया गया है। वे शैक्षणिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य सभी क्षेत्रों में भी वे इसी तरह से वंचित रहे हैं। और ये 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग इस देश में धन सम्पदा का सृजन करने के मूलाधार हैं। देश की सम्पदा बहुत थोड़े लोगों, समाज के एक प्रतिशत उच्च वर्ग, के हाथ चली गई। यही वास्तविकता है।

इस समय देश के समक्ष बहु-मुखी समस्याएं हैं। देश के सभी वर्गों में, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों में यह भावना पायी जा रही है कि वे देश के प्रशासन में शामिल हैं अथवा भागीदारी नहीं हैं। अतः, राष्ट्रीय एकता के लिए ऐसी भावना को समाप्त किया जाना चाहिए।

हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है और इसे हमारी एकता को खतरा है। अतः, आज इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और मुझे यह विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री हमारे समाज में गरीब और अमीर के बीच अंतर कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वे, इन सभी वर्षों के

दौरान धनी और गरीब के बीच अंतर को कम करते हेतु भरसक प्रयास कर रहे हैं।

हमारे माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर राय ने यह कहा है कि सरकार द्वारा डंकेल प्रस्तावों से स्वीकृति दिए जाने के कारण हम रोजगार के अवसर खो देंगे। इस बारे में मैं, केवल यही कह सकता हूं कि यह गलत विचार है। वे केवल सिद्धान्तों की बात कर रहे हैं। परन्तु, वे कोई वैकल्पिक हल नहीं दे रहे हैं। इस देश में सभी समस्याओं के लिए एक मात्र उत्तर प्रौद्योगिकी है।

महोदय, जब मैं दस वर्ष का था तो हम उस समय प्रति एकड़ दस बोरी धान पैदा करते थे। परनतु आज हम उसी भूमि में प्रति एकड 30 से 40 बोरी धान पैदा कर रहे हैं। यह किस तरह से सम्भव है ? मेरे विचार से यह सब मात्र उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा ही सम्भव है। अतः, जब तक प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया जाएगा। हम, इस देश की समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। अतः, मैं माननीय सदस्यों से यह पूछ रहा हूं कि वे इसका हल बताए यह भूमि, सिंचाई सुविधाएं और उर्वरक सब कुछ वही हैं। इसलिए मेरे विचार से उत्पादन भी वही होगा। इस समय आबादी 90 करोड़ की है और यह 100 करोड़ अथवा 120 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। तो इसका हल कहां है ? प्रौद्योगिकी लगाने से ही इसका हल निकल सकता है। अतः, हमें प्रौद्योगिकी का आयात करना होगा और अपना उत्पादन बढ़ाना होगा।

अन्ततः, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने 8 मई विजयवाड़ा में अखिल भारतीय पिछड़े वर्ग सम्मेलन आयोजित किया था। मेरे विचार से इस रैली में आठ लाख लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने एक मत से यह संकल्प लिया कि मंडल आयोग की रिपोर्ट बिना 'क्रिमीलेयर' पर जोर दिए और भर्त्ती तथा परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में छूट की अनुमति के साथ कार्यान्वित की जानी चाहिए। शैक्षाणिक संस्थानों में भी इतने ही प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

इन थोड़े शब्दों के साथ मैं, अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का अवसर प्रदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री राममूर्ति जी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूँ। हम चाहते हैं कि भारत के यदि संगठित, सुदृढ़ समृद्ध और सब प्रकार से सशक्त बनाना है, तो देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग का समग्र और संतुलित विकास हो। इसी दृष्टि से पिछड़ों को आरक्षण प्राप्त हो, शिक्षा के अन्दर और उसके साथ-साथ नौकरियों के अन्दर भी सरकारी नौकरियों में जो आयु में पांच वर्ष की छूट का प्रावधान इसमें रखा गया है, उस प्रावधान का मैं समर्थन करता हूं। वास्तव में देखा जाए, तो वास्तव में उनको लाभ तभी हो सकेगा।, जब इसे शिक्षा के अन्दर आरक्षण प्राप्त होगा और फिर उनमें से इंजीनियर, उनमें से डाक्टर, उनमें से टैक्नोकेट्स और ब्यूरोक्रेटस निकल कर आयेंगे और बड़ी-बड़ी नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे। शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से चूंकि वे पिछड़े हुए हैं, इसलिए शिक्षा के अन्दर उनका आरक्षण अवश्य होना चाहिए। जैसे एस॰ सी॰ और एस॰ टी॰ के लिए प्रीकोचिंग की व्यवस्था

है, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और बड़ी नौकरियों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान इस समाज के पिछड़े लोगों के लिए होना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पिछड़ों के आरक्षण के नाम.पर आज जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यह एक बड़ा भारी खतरा है। आज देश को जोड़ने की आवश्यकता है, आज समाज में समता पैदा करने की आवश्यकता है।

आज समाज में समरसता लाने की आवश्यकता है, ममता पैदा करने की आवश्यकता है तभी हमारा भारत सुदृढ़ हो सकेगा। लेकिन अगर हम जातिवादी संकीर्ण दायरे के अंदर ही खाली अपनी जाति का हित मात्र ही देखेंगे और अन्य जातियों की सर्वथा उपेक्षा करेंगे या तिरस्कार करेंगे, घृणा फैलाने का प्रयास करेंगे। तो क्या परिणाम होगा। यह भारत जो जातियों का अजायबघर कहा जाता है यह एक प्रकार से विभक्त हो जायेगा। इसलिये हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्राप्त हो या जो अनुसूचित जाति-जनजाति के हैं उनको भी आरक्षण प्राप्त के लेकिन आरक्षण के साथ-साथ उनमें वास्तव में जो पिछड़े हैं दलित, शोषित, गरीब और निर्धन हैं उनका पहले विकास होना चाहिये और उनको अवसर प्राप्त होना चाहिये, जो क्रिमिलेयर का प्रावधान किया गया है उसके माध्यम से पिछड़े वर्गों में जो सम्मान वर्ग है वे तो खैर उसमें नहीं आएगा लेकिन कम से कम शिक्षा के अंदर उन गरीबों को अगर आरक्षण प्रदान किया जायेगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उन 52 प्रतिशत आबादी की प्रतिभाएं आगे आएंगी और वे समाज को जोड़ने का काम करेंगी।

इसी दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि समाज के लिये आज हमें थोड़ा विशाल दृष्टिकोण बना करके आरक्षण के बारे में चर्चा करनी चाहिये अन्यथा देश के कतिपय राज्यों में वोट की राजनीति के नाम पर केवल मात्र कुछ जातियों को गोलबंद करके उनके दायरे के अंदर ही सब कुछ लाभ मिले और अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ न मिले तो इस प्रकार की जो प्रवृति है यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सभी वर्गों के उत्थान के बारे में सोचे राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र की भलाई में ही सब की भलाई है। राष्ट्र के विकास में ही सब का विकास है। जैसे महर्षि दयानन्द सरस्वती ने कहा था कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिये बल्कि सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये। हमें सारे राष्ट्र के बारे में सोचना है, पूरे समाज को सुदृढ़ बनाने के बारे में सोचना है और जो नीचे के लोग हैं, जो किसी कारण से पिछड़े हैं उनके बारे में भी सोचना है।

महोदय, आज अक्षय तृतीया (आखा तीज़) का दिन है और इन पिछड़े वर्गों के अंदर विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर आज के दिन पिछड़े वर्गों में अशिक्षा के कारण छोटे-छोटे बच्चे बच्चियों की लाखों की संख्या में शादी होगी और बाल विवाह के कानून की एक प्रकार से सब धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो इसका कारण सामाजिक पिछड़ापन है। हमें इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सामाजिक संगठनों को भी प्रोत्साहित करना चाहिये, स्वयं सेवी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये लेकिन केवल मात्र वोट के नाम पर दलितों का शोषण करने की देश के अंदर जो प्रवृति चल रही है यह नहीं चलनी चाहिये। मैं यह भी चाहूंगा कि जो उच्च वर्ग में आर्थिक दृष्टि से गरीब हैं चाहे वे ऊपर के वर्ग के लोग हों उनको भी आरक्षण प्राप्त होना

चाहिये, हमारी पार्टी इस बारे में जहां पिछड़ों के आरक्षण की समर्थक है वहां यह भी चाहती है कि अन्य वर्गों के अन्दर भी जो गरीब निर्धन हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो। एक बात में और कहना चाहूंगा कि हम सबसे पहल मानव हैं और उसके बाद भारतीय हैं और अगर भारतीय सच्चे अर्थों में भारतीय बनेंगे, अपने आपको भारत माता के पुत्र समझेंगे और कमजोरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो शिक्षित हैं वे अपने भाईयों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ हो सकता है। इसलिये मेरा कहना है।

"बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर।

हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना।।"

यह चेतना और जागृति भी आनी चाहिये और यह तभी आएगी जब सामाजिक दृष्टि से उन सब का उत्थान हो सकेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा हेतु निर्धारित समय समाप्त हो गया है।

कुछ माननीय सदस्यगण : महोदय, आप समय बढ़ा दें।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए हम सुबह 6.00 बजे तक समय बढ़ा देंगे। दो और माननीय सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेना है फिर इसके प्रस्तावक के उत्तर से पूर्व मंत्री को हस्तक्षेप करना है।

[हिन्दी]

डा॰ जी॰ एल॰ कनोजिया (खीरी) : माननीय सभापति महोदय मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं राममूर्ति जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो एक महत्वपूर्ण बिल यहां पर लाए हैं, जिसमें उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन की मांग की है और उम्र से छूट की मांग की है।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन में 27 परसेंट नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है, वह उनका आबादी के हिसाब से बहुत कम है। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के बच्चे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी शिक्षा बाहरी क्षेत्रों के मुकाबले 2-3 वर्ष के बाद शुरू होती है। शहरों में बच्चों की शिक्षा जहां 3 वर्ष की आयु में ही आरंभ हो जाती है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा 5 वर्ष से आरंभ होती है। इस तरह से 2-3 वर्ष का आयु से अंतर तो यहीं पर हो जाता है। इसके अलावा देहातों में पहले मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा का प्रबंध होता था और इतनी शिक्षा को ही पर्याप्त मान लिया जाता था। इस तरह से यह भी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा अंतर है।

इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस बिल में दी हुई बातों का समर्थन करते हुए अनुरोध करता हूं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में उम्र में 5 वर्ष का रिलेक्सेशन देना अतिआवश्यक है दूसर बात जो शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्वेशन की मांग की गई है, उसका माना जाना भी अतिआवश्यक है। यदि पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, उनको नौकरियों में एज रिलेक्सेशन नहीं दिया गया तो वे प्रतियोगिताओं में नहीं आ सकेंगे। जब राज्य सरकारों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है तो केन्द्र

सरकार इसको स्वीकार क्यों नहीं कर सकती। यदि सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ न्याय करना चाहती है तो इन वाजिब मांगों को सरकार को स्वीकार करना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है। मेरा यह भी अनुरोध है कि इसी तरह से रिजर्वेशन की व्यवस्था प्राईवेट संस्थाओं और नियमों इत्यादि में भी की जानी चाहिए।

इसके साथ ही इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ वी॰ तंग्का बालू) : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा इस पुनीत सभा में उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना है। इस सभा के लगभग 28 माननीय सदस्यों यदि हम श्री राममूर्ति को भी शमिल कर लें–में से 24 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है और मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उनकी चिन्ताओं की सराहना करता हूँ।

सभा इस बात से अवगत है कि इस सरकार ने श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव के नेतृत्व में 8 सितम्बर, 1993 को सिविल सेवाओं तथा भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यह सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक है। हमारी सरकार ने 14 राज्यों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित की है तथा अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों के लिए भी अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की सूची की अधिसूचना जारी करने हेतु कदम उठा रही है। सभी संबंध प्राधिकारियों को आरक्षण नीति लागू करने हेतु प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी मंत्रालयों विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने तथा 8 सितम्बर, 1993 के हमारे आदेश का अनुपाल करने के लिए कहा गया है।

महोदय, यह सभा इस बात से भी अवगत है कि कल्याण मंत्रालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति करने की शुरूआत की है। 20 फरवरी, 1994 को श्री राजशेखर आचारी अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रथम नियुक्ति के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आगामी सिविल सेवा परीक्षा तथा वन सेवा परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिकों, सहायकों आदि पदों पर नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार आगामी वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को देश के शासन में तथा राष्ट्र निर्माण में भी अधिक भागीदारी प्राप्त हो सकेगी।

महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य श्री राममूर्ति तथा अन्य सहयोगियों द्वारा इस संकल्प पर उठाए गए मुद्दों का मैं उत्तर देना चाहूंगा। एक मुद्दा यह उठाया गया है कि केन्द्र सरकार की शैक्षिक संस्थाओं के आरक्षण दिया जाना चाहिए। सभा को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों सभा अनुसूचित जातियों

की तरह अन्य पिछड़े वर्गों को इनमें सीधी भर्ती के संबंध में आयु में छूट दिया जाना है। जहाँ तक अन्य पिछड़े वर्गों को समाज के अन्य शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से विकसित वर्गों की बराबरी में लाए जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने का प्रस्ताव है, हमें इस तथ्य को दिमाग में रखना पड़ेगा कि अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में समान संतुलन नहीं है। अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता का कलंक सहना पड़ा है। अनुसूचित जनजातियों की कई सदियों से समाज से अलगाव की स्थिति रही है। अतः उन्हें आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी गई है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि अन्य पिछड़े वर्गों को पहले से विकसित समाज के बराबर में लाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायं। सरकार को इस बात का पूरा-पूरा ध्यान है इसलिए इससे संबंधित सभी मुद्दे तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आयु में दी जाने वाली छूट इस सरकार के विचाराधीन हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में दी गई यह छूट तथा रियायतें एक अवधि के दौरान दी गई थी। मैं इस सदन को आश्वासन देता हूँ कि हमारी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सभी मुद्दों पर हमें यथा संभव शीघ्र विचार करेंगे। उनके उत्थान के लिये सभी आवश्यक उपाय बहुत जल्दी किये जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि यह सरकार अन्य पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समाज के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम की पहले ही स्थापना की जा चुकी है और यह निगम पिछले दो वर्षों से पिछड़े वर्गों के हित के लिए आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। वर्ष 1992-93 के दौरान इस निगम ने 34,40 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान यह धनराशि बढ़कर 105 करोड़ रुपये की हो गई। वर्ष 1994-95 के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि पिछड़े वर्गों को उनके आर्थिक विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे।

अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार का मसला सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का एक प्रमुख कार्य है जिसे केवल एक राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर ठोस प्रयासों द्वारा पूरा किया जा सकता है। हम एक सुदृढ़ तरीके से लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तथा हमें विश्वास है कि हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे तथा समाज के सभी वर्गों को अपने साथ ले जायेंगे। इस पुनीत सदन के सभी सदस्यों से इस बड़े प्रयास में सहायता की अपील करता हूँ।

मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस तथ्य की सराहना करेंगे कि हम इस पुनीत सदन से सभी माननीय सदस्यों तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से समाज के कमजोर वर्गों विशेषरूप से अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

अतः मैं माननीय सदस्य श्री राममूर्ति जी से यह संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूँ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार को इसके बारे में सकारात्मक पहल चल रही है और सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज की प्रिलीमिनवरी

परीक्षार्थियों के लिए फार्म भरने की जब बात आई तो ओ॰ बी॰ सी॰ के उम्मीदवार हाई कोर्ट में चले गये। तब कोर्ट ने कहा कि इनको फार्म भरने की इजाजत देनी चाहिए और परीक्षा शुरू होने तक सरकार कोई निर्णय ले ले। दो-तीन महीने हो गये हैं, लेकिन सरकार ने कोई फैसला इस सम्बन्ध में नहीं लिया, जिसके चलते संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस पिछड़े वर्ग के लड़कों को जिनकी संख्या दो सौ के करीब है, रिजेक्शन लैटर मिल रहे हैं कि वे ओवर एज हो गये हैं। वैसे भी यह मामला कोर्ट में काफी समय से लम्बित रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी इस पर विचार कर रहे तो निश्चित रूप से रिजेक्शन लेटर को वापिस करके उम्मीदवारों को इसमें बैठने का आदेश देंगे जैसाकि हाई कोर्ट ने इज़ाजत दी है और इसी आधार पर 26 जून को होने वाली सिविल सर्विसेज में बैठने की अनुमति देनी चाहिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने स्पष्ट फैसला दिया है और मंत्री जी भी विचार करने के लिये कह रहे हैं तो इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिये और यह कहा गया है कि 1990 में लागू होना चाहिये था उसमें छात्रों की कोई देरी नहीं है यह तो शासन का दोष है कि मामले को लटकाया हुआ है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तुरन्त इस बात की घोषणा करें कि फार्मस रिजेक्ट नहीं होने देंगे।

श्री नवल किशोर शाही (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से पूर्व इसी सदन में कल्याण मंत्री आश्वासन दे चुके हैं कि आयु सीमा से छूट और 3 अवसर देने की मांग की गयी है और जो श्री यादव और गंगवार जी ने कहा उसका समर्थन करता हूं। मुझे यह कहना है कि जो छात्र 13 अगस्त, 1990 के नोटिफिकेशन की इन्तजार में हैं, उस समय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी तो तब से शासन की जिम्मेदारी थी कि उसका क्रियान्वयन हो। उसी समय से छात्रों ने 26 जून की परीक्षाओं के लिये फार्म भरा है और वह भी हाई कोर्ट के निर्देश पर। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में घोषणा करें कि जिन छात्रों ने 26 जून को होने वाली परीक्षा के लिये फार्म भरे हैं, वे रिजेक्ट नहीं होंगे और उनको परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जायेगा। साथ ही आयु सीमा में छूट और 3 चांस देने की मांग की गयी है और पीछे

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी जी ने जो आश्वासन दिया था, वह मामला पुनः टाला न जा सके, यह आशंका है। अतः मैं चाहता हूं कि तुरंत इस बात की घोषणा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इस तरह से बार-बार न बोलें तीनों सदस्यों ने वही प्रश्न उठाया है। क्या कोई दूसरा प्रश्न है ?

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मेरे पास अलग प्रश्न है। सत्ताधारी पार्टी सहित सभी पार्टियों ने इस विधेयक का स्वागत किया है।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुतकर्ता को इसका उत्तर देना है। चर्चा अभी जारी है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मंत्री जी को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए। दो बातें हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के बारे में वह कह रहे हैं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

सभापति महोदय : यदि आपको माननीय मंत्री से कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : बी॰ सी॰ कारपोरेशन के संबंध में मंत्री जी ने कहा है कि इस कारपोरेशन द्वारा अतिरिक्त धनराशि दी जाती है। पर बैंक ऋण देने को तैयार नहीं हैं। इस कारण अनेक बेरोजगार युवा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस संबंध में सभी बैंकों को कोई परिपत्र जारी करेंगे ?

सभापति महोदय : उन्होंने आपकी बात नोट कर ली है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि मैं यहां उपस्थिति नहीं था। मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिएं। माननींय मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस तथ्य की जानकारी है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में छात्रों के कुछ वर्गों में छात्रवृति के रूप में दी जाने वाली धन राशि या छात्रावास शुल्क या भोजन शुल्कों में अंतर के कारण भारी तनाव पैदा हो रहा है। इस कम आयु में वे किसी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है और यदि हां, तो क्या सरकार गरीब छात्रों को सरकारी सहायता के सम्बन्ध में समान मानदंड तैयार करने के लिए कोई निर्णय लेगी। सहायता का स्तर इतना होना चाहिए कि पढ़ाई जारी रखी जा सके और छात्रावासों में रहा जा सके।

किसी विशेष वर्ग के लाभार्थी अधिक हो सकते हैं क्योंकि सरकार की अपने कुल व्यय का 15 प्रतिशत कुछ वर्गों पर और 7 प्रतिशत कुछ अन्य कमजोर वर्गों पर व्यय करने की निश्चित जिम्मेदारी है। हम इससे सहमत हैं। परन्तु व्यय की जाने वाली धनराशि समान होनी चाहिए। क्या सरकार इस पहलू की जांच करेगी ?

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अन्ततः अनेक दशकों के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट को अब लागू किया जा रहा है। हम मंत्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना बनायी है कि गरीब से गरीब लोगों को इसका लाभ मिले।

सभापति महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के अन्तर्गत जब हम किसी गांव में लाभार्थियों का चयन करते हैं तो इनक लाभ गरीब से गरीब लोगों तक पहुँचने की आशा होती है। इसी प्रकार क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि इसका लाभ गरीब से गरीब लोगों को मिले ?

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के॰ वी॰ तंगकाबालू) : मैं अपने हस्तक्षेप के दौरान आवश्यक

प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ। हम इन मुद्दों से संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा उठाए सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। हम इन पर बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये मुद्दे शीघ्रतापूर्वक निपट जायें। इन मुद्दों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए हम विभिन्न स्तरों पर इन मामलों के संबंध में विचार-विमर्श कर रहे हैं। भविष्य में अन्य पिछड़ी जातियों में किसी भी सदस्य को परेशानी नहीं होगी। एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि बैंकों ने निगम को सहयोग नहीं दिया है। हम वित्त मंत्रालय के माध्यम से हम इस संबंध में सभी बैंकों और उनके चेयरमैनों को दिशा-निर्देश दे चुके हैं। यदि कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें उन्होंने सहयोग नहीं किया है तो कृपया हमें बताया जाये ताकि हम उस पर विचार कर सकें और उसका हल निकाल सकें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम का मात्र उद्देश्य निर्धनतम व्यक्ति की सहायता करना है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और दलितों को महत्व दिया जाता है तथा इन ऋणों का लाभ उठाने में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए इस वर्ग को कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूँ कि यदि कोई समस्या हो तो उसके बारे में सूचित करने का माननीय सदस्यों को पूरा अधिकार है, हम उन मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने का भरसक प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

डा॰ जी॰ एल॰ कनौजिया (खीरी) : मैं आश्वासन चाहता हूं कि जो बच्चे बैठे हैं जिनको हाई कोर्ट में फॉर्म भरने के लिए अलान कर दिया है, उनको आप इंस्ट्रक्शन दें कि इनको परीक्षा में बैठने दें। 26 जून को वह परीक्षा होने वाली है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मेरे प्रश्न का जबाव नहीं आया है। .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे ? आपने जो कुछ कहा है उसे सभा और मंत्री महोदय भली-भाँति समझ गये हैं। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। .....**(व्यवधान)**. .... कृपया, आप इसे दोहराएं मत। आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था और मंत्री महोदय ने इसे समझ लिया था। उन्होंने अपना उत्तर भी दे दिया है। अब आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए।.....**(व्यवधान)**.....

सभापति महोदय : कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा सीधा सवाल था कि 26 जून को सिविल सर्विसेज़ प्रिलिमिनरी परीक्षा होने वाली है जिसके लिए OBC कैण्डीडेट फॉर्म भर चुके हैं। जब निर्देशों के जरिये फॉर्म भर दिया गया तो कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है इसका फैसला तब तक कर ले। अब फैसला करने में सरकार ने विलंब कर दिया जिसके चलते संघ लोक सेवा आयोग से रिजेक्शन लैटर आ रहे हैं। क्या इन लड़कों को आप परीक्षा से वंचित रखना चाहते हैं या उनको बैठने की अनुमति देंगे ? आप तो न्यायालय की भी अवमानना कर रहे हैं।

जो न्यायालय की मंशा है, जस्टिस सांवत ने इसी तरह की आज्ञा दी है फिर क्यों न्यायालय के आदेश

की अवहेलना की जा रही है ? कोई जवाब मंत्री जी की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है ?

.....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ विशेष मुद्दों पर आप मंत्री महोदय से इस प्रकार उत्तर नहीं मांग सकते हैं। आपने बड़े सही ढंग से अपनी बात कह दी है। मंत्री महोदय कृपया इस बात को नोट कर लें। राममूर्ति जी बोल सकते हैं। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या परीक्षाओं में बैठने से उन छात्रों को वंचित रखा जायेगा। इस मामले में हम आपका प्रोटैक्शन चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मंत्री जी स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री नवल किशोर राय : क्या वे छात्र एक्जाम में बैठ सकेंगे या उन्हें कोर्ट के आदेशों के बावजूद परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा जबकि उनके फार्म भरवाये जा चुके हैं। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने बिल्कुल सही बात की है। कृपया, आप इस पर ही सन्तोष कर लीजिए। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति जी, आप न्याय के आसन पर हैं। आप इस मामले की गुत्थी को सुलझायें। यह बड़ा संवेदनशील मामला है। मंत्री जी इसकी भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। आज हजारों लोग इलाहाबाद, मद्रास, तमिलनाडु आदि से रोड़ पर आकर धरने पर बैठे हैं। बहुत खराब स्थिति है। आपका हमें प्रोटैक्शन मिलना चाहिये। आपका नियमन होना चाहिये और उन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिये। इस बारे में हम लोगों का एक शिष्ट मंडल प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुका है, जिसमें नीतीश कुमार जी थे, सोमनाथ चटर्जी साहब थे और कुछ दूसरे लोग थे। सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इन बातों को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला सभा में अनेक बार उठाया जा चुका है। आज आपने भी यही मुद्दा उठाया है। इस मामले को उठाने का पूरा अधिकार है। परन्तु इतने से ही सन्तोष कर लीजिए। आपकी इच्छानुसार इस पर कार्यवाही करना संभव नहीं है। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह अब सदन की प्रौपर्टी है। हम राममूर्ति जी को सदन में विधेयक लाने के लिये धन्यवाद देते हैं लेकिन अब यह सदन की प्रौपर्टी हो गयी है। सदन में इस समय एक गैर-सरकारी विधेयक आया है इसलिये अब यह पूरे सदन की सम्पत्ति

[हिन्दी]

है और हमें जानने का पूरा अधिकार है। मंत्री जी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि वे सभी छात्र परीक्षाओं में बैठने से वंचित रह जाएंगे। उनके भविष्य का क्या होगा ? आप इसकी भावना को समझ नहीं पा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको पर्याप्त सुरक्षा मिली हुई है, अपनी बात कहने के लिए आपको काफी समय मिल चुका है। आपने यह मुद्दा उठाया है और आपको इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। आप इस प्रकार के उत्तर की उम्मीद नहीं रख सकते। आप एक विशिष्ट मुद्दा उठा रहे हैं तथा आप ऐसे उत्तर की आशा नहीं रख सकते। आपने अपनी बात कह दी है और आपको इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए।

श्री राममूर्ती: (व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है और बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया है। (व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा श्री राममूर्ति

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी। कृपया यह समझ लें। श्री राममूर्ति अपनी बात आरम्भ करें।

श्री के॰ राममूर्ति टिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : महोदय, मैं इस माननीय सभा के उन सभी 24 माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने मेरे संकल्प पर चर्चा में अत्यधिक रुचि दिखाई और उसमें भाग लिया।

महोदय, यह सभा के केवल 24 माननीय सदस्यों का ही मामला नहीं है। भारत के सभी राज्यों में से आए सभी माननीय सदस्यों ने चाहे वे दक्षिण से हों या उत्तर से, पश्चिम से हों या पूरब से या फिर भारत के मध्य भाग से, इस विशिष्ट संकल्प में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने अपने चिंताएं और अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं।

इसके अतिरिक्त, मैंने देखा है कि दलगत नीतियों से परे होकर सभी माननीय सदस्यों ने इस संकल्प को भरपूर समर्थन दिया है। सम्भव है, उन्होंने इस संकल्प को भावनात्मक समर्थन दिया हो, तो शायद मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में हुई देर या इस बात तक पहुंचने में हुई देर के कारण वे इस संकल्प पर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी विचार करने को बाध्य हो गए हों। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पर इससे भी

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

परे हम सदस्यों में इस विषय के प्रति विशेष रुचि की बात देख सकते हैं। यदि हमें इसकी चिंता है तो हमें संकल्प को याद रखना चाहिए।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह प्रस्ताव जो कई वर्ष पहले आरम्भ हुआ, अब विभिन्न रूपों में और आंदोलनों के माध्यम से सामने आया है। इस सम्माननीय सभा में कई संकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। संविधान में एक दो संशोधन भी किए गए जिनके परिणामस्वरूप आज का संकल्प सामने है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी है। ऐसा राष्ट्र के उन नेताओं, उन लोगों द्वारा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए की गई सेवाओं के परिणामस्वरूप हुआ है जिन्होंने संविधान बनाया और जो चाहते थे कि इससे समाज के प्रभावित तबकों की भलाई हो।

आज मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से इस संकल्प को स्वीकार किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट हूं। परंतु फिर भी यह सभा सैद्धान्तिक रूप से संबंधित मंत्री पर इस बारे में दबाब डाल सकती है।

यह सभा सबंधित मंत्री महोदय को राजी करने में सफल हुई है। सभा ने यह सुनिश्चित करने में अपनी उत्सुकता दिखाई है कि चर्चा में उठाए गए प्रश्नों पर ध्यान दिया जाये। मंत्री महोदय ने अपनी तरह से यह बात कही है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के मामले पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। इस वायदे को दो तरह से लिया जा सकता है। मैं इसे शब्दिक अर्थ के आधार ले रहा हूं। शासक दल के सदस्य के रूप में मैं आश्वासन के लिए मंत्री महोदय का आभारी हूं। इसके साथ-साथ जब-जब सरकार यह कहती है कि सरकार मामले पर गम्भीरता से विचार कर रही है इसमें वर्षों लग जाते हैं।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात से सहमत कराना चाहूँगा कि सरकार को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करने का सही समय यही है क्योंकि इस सभा का कोई भी वर्ग इस संकल्प के विरुद्ध नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आयु सीमा में छूट के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री के॰ राममूर्ति (टिंडिवनाम) : मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। इस सभा में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस संकल्प के क्रियान्वयन में अपना सहयोग न कर रहा हो और यही स्थिति आयु सीमा में छूट के बारे में है। मंत्री महोदय की इस समस्या के बारे में इस टिप्पणी पर मुझे खेद हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मध्य आरक्षण के मामले में अंतर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छूट भिन्न दृष्टिकोण से दी जाती है। मुझे खेद हुआ है कि मंत्री महोदय ने इसके उद्देश्य को ही गलत समझा है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयु सीमा में मांगी जा रही छूट में किसी से प्रतिस्पर्द्धा करने की बात नहीं है। इसका कारण तो पिछड़ों के साथ समाज में किया जा रहा व्यवहार ही है। यही कारण है कि शासक दल और अन्य सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों ने यह मत व्यक्त है कि इस देश में आज जो शिक्षा दी जा रही है वह दो स्तरों की है। क्या सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है ? महानगरों में हम कैसी शिक्षा हासिल कर रहे हैं ? छोटे शहरों में हम कैसी शिक्षा हासिल कर रहे हैं ? और गांवों में हम किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या इनमें बराबरी हो सकती है ? पिछड़े वर्गों के लोग और पिछड़े समुदाय कहां पर रहते हैं ? आज शिक्षा की अधिकारिक तौर पर बिक्री की जा रही है। आपको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए

पैसा देना पड़ता है। जितना आप पैसा देते हैं अतनी ही आप शिक्षा हासिल कर पाते हैं। यदि मैं कुछ बातें स्पष्ट करूं तो सदस्यगण उसे गलत न समझें। तमिलनाडु में हिन्दी की शिक्षा पर रोक लगी हुई है। किन्तु ऐसे बच्चे हैं जो नर्सरी स्कूलों में जाते हैं। जिन लोगों ने हिन्दी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्हीं लोगों ने पैसा देकर निजी विद्यालयों से हिन्दी की शिक्षा ग्रहण की यही हाल उत्तर भारत का है, जो लोग अंग्रेजी के पुरजोर विरोधी रहे हैं, वे ही अपने बच्चों को उन नर्सरियों में भेजते हैं जहां उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है। और जब वे प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो क्या ग्रामीण विद्यार्थी उनके बराबर आ सकते हैं। क्या बच्चों के साथ व्यवहार का यही तरीका है ? गांवों में स्कूलों की क्या स्थिति है ? स्कूलों में अध्यापक ही नहीं हैं ? मेरे मित्र ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी की थी। इन परिस्थितियों में आयु सीमा में छूट की मांग करना हमारे लिए जरूरी हो गया है। यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो कम से कम हमें इस सुझाव को मानने में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी तो दी ही जानी चाहिए। सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस मामले को रंग न दें। इसे कृपया दूसरी तरह से न लें क्योंकि ऐसा करने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी श्रेणी खड़ी हो जाएगी जो अपनी जायज मांग के लिए लड़ेगी। अत: इसे इस तरह से गलत नहीं समझा जाना चाहिए।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 25 सदस्यों ने इस बाद-विवाद में भाग लिया है। मुझे इस बात का खेद है कि मैं उन सबका नाम तो नहीं ले सकता। आपको एक बात यही समझनी चाहिए कि जिन लोगों को 52 प्रतिशत आरक्षण पाने का हक है आप उन्हें केवल 27 प्रतिशत आरक्षण ही दे रहे हैं, इसी के साथ-साथ राज्यों में समस्या यह है कि वहां पर जनसंख्या का प्रतिशत समान नहीं है। पूरे देश में सभी राज्यों के अंदर जनसंख्या का अनुपात समान नहीं है, कतिपय राज्यों में तो अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत इतना अधिक है कि कोई सोच भी नहीं सकता। कतिपय अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कल्पना के बाहर की बात है। अत: विभिन्न राज्यों में अत्यधिक विभिन्नता है।

उच्चतम न्यायालय ने दो कार्य किए हैं। एक तो यह कि जब एक बच्चा यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय में गया कि वह शिक्षा के लिए पैसा दे पाने में असमर्थ है क्योंकि स्वयंवित्त पोषित संस्थाओं में अत्यधिक पैसा वसूला जाता है, तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आज के दिन न्यायालय के पास जाने से पूर्व एक औसत विद्यार्थी को बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया है।

तमिलनाडू में आरक्षण ने एक नया मोड़ लिया है। पिछड़े वर्गों का आंदोलन सैकड़ों वर्षों से किये जा रहे प्रयासों का परिणाम इसमें तमिलनाडु का प्रत्येक नेता शामिल था। सभी राजनैतिक दल इसमें शामिल थे। तमिलनाडु में आज अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण है। वहां पर तीन हिस्से पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े और अन्य हैं। आज संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। उच्चतम न्यायालय का यह कहना है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सरकार का यह कहना है कि उसने विधान सभा में एक संकल्प पारित किया है जिसमें 61 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है और सरकार इसे क्रियान्वित करेगी। अत: यही समय है कि जब बच्चों के प्रवेश के मामले में बिगाड़कर संकट खड़ा करने की बजाय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को

इस मामले पर चर्चा करके इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। यही समय है कि इस समस्या का पूर्ण समाधान किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो केन्द्र पुनः उच्चतम न्यायाल को तथ्य प्रस्तुत करे ताकि आरक्षण को संबंधित राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लचीला बनाया जा सके।

मेरे मित्र श्री पाणिग्रही ने जनसंख्या और विभिन्न जातियों के आंकड़ों का उल्लेख किया था। हम आज इसका काई रिकार्ड नहीं रख रहे हैं। क्या कोई माननीय सदस्य मुझे यह बता सकता है कि आज जाति उत्पीड़न की घटनाएं नहीं हो रही हैं। क्या कोई माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि आज वहां जाति भेद नहीं है ? क्या कोई माननीय सदस्य मुझे यह बता सकते हैं कि यहां सभी व्यक्ति अन्तर-जातीय अथवा अन्तर-समुदाय अथवा अन्तर-धर्म विवाह कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी जाति में सम्बंध बनाता रहा है। हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने आप के धोखे में नहीं रखना चाहिए कि इससे ये अथवा वो हो जाएगा।

अतः महोदय एक जनगणना कराई जानी चाहिए। तभी सरकार के पास प्रत्येक राज्य में पिछड़े वर्गों से सम्बंधित सभी आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। यदि यह काम किया जाता है तो ही सरकार पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के संबंध में कुछ कर सकती है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक राजनैतिक दल का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लेकर मेरे संकल्प का समर्थन किया। मैं मंत्री महोदय श्री तंग्काबालू का भी आभारी हूं और प्रधानमंत्री महोदय का भी आभारी हूं। जिन्होंने इस प्रकार का आश्वासन देने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान की है।

अतः इस पूरी उम्मीद के साथ कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी, मुझे अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र यादव : सभापति महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर सरकार का कोई सकारात्मक जबाव नहीं आया है। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं आपमें से एक सदस्य को आपका मुद्दा स्पष्ट करने की अनुमति दे रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं। आप सभी इस प्रकार से खड़े क्यों हो रहे हैं ? एक विशेष मामले के रूप में मैं आपमें से एक सदस्य को आपका मुद्दा स्पष्ट करने की अनुमति दे रहा हूं। मैंने आपको पहले ही काफी समय दे दिया है। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा सीधा सवाल यह है कि 26 जून को सिविल सेवाओं की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप उस मुद्दे को पहले ही बता चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा सीधा सवाल यह है कि 26 जून को सिविल सेवाओं की जो परीक्षायें होने जा रही हैं .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। यह दुर्भाग्य की बात है। हम इस सभा में एक मूल मुद्दे, अर्थात् आरक्षण के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। आप हाल ही में घटी घटना से संबंधित मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह महत्वहीन है। यह सारी सभा आरक्षण के मूल प्रश्न पर चर्चा कर रही है और इस मुद्दे पर सारे देश का ध्यान है। मूल प्रश्न यह है कि हम सभी को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप इस प्रकार उत्तर नहीं मांग सकते हैं। अत:, मैं इस संकल्प के प्रस्तावक को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : देश के 52 फीसदी पिछड़ों के भविष्य का सवाल है

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। .....(व्यवधान).....

6.03 म॰ प॰

(तत्पश्चात श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

6.06 म॰ प॰

गुजरात में लिए गैस का आवंटन संबंधी संकल्प

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :- कि यह सभा केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए और औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग के लिए गैस की पर्याप्त मात्रा आवंटित करे"

$6.06\frac{1}{2}$ म॰ प॰

कॅयर उद्योग (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

"कि राज्य सभा द्वारा यथा पारित कॅयर उद्योग अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के लिए यह संशोधन विधेयक, एक सामान्य संशोधन है। कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 (1) में यह प्रावधान है कि नारियल जटा बोर्ड अपने कार्यों और बोर्ड के कार्यकरण पर क्रमशः पहले के छः महीनों और वर्ष की अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा। अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट तत्पश्चात् वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करने की प्रथा को समान कार्य की पुनरावृत्ति माना गया है। लोक सभा सचिवालय ने नारियल जटा बोर्ड की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने संबंधी जांच के बाद समान कार्य की पुनरावृत्ति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इस पृष्ठभूमि में, कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953वें की धारा 19 (1) में संशोधन करके अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को पेश करने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी। मुझे आशा है कि सभा इस बात पर सहमत होगी कि दोनों अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट तथा इसके बाद वार्षिक रिपोर्ट पेश करना सम्मान कार्य की पुनरावृत्ति है। यदि अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट पेश करना बन्द कर दिया जाये, तो इससे लेखन-सामग्री, श्रम और समय की बचत होगी। यह संशोधन राज्य सभा में 14 दिसम्बर, 1993 को पारित किया गया है।

यदि माननीय सदस्यों को कोई अन्य सुझाव देना है तो उनको अपने संशोधन लाने के लिए स्वागत है। मेरा सभा से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को बिना किसी वाद-विवाद के सर्वसम्मति से पारित कर दें।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को देखते हुए क्या इस संशोधन पर चर्चा कराया जाना आवश्यक है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : नारियल जटा उद्योग पारम्परिक उद्योग में से एक है। हमने इस मुद्दे पर बहुत कम चर्चा की है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित कॅयर उद्योग अधिनियम में और संशोधन किये जाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : यह एक खंडशः विधेयक है। बोर्ड ने पहले ही सिफारिश की है कि सारे अधिनियम में संशोधन किया जाये। यह बहुत पुराना है और अब अप्रचलित हो गया है। इस विधेयक का स्वागत करने के साथ ही मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि इस सभा में एक पूर्ण, व्यापक संशोधन विधेयक लाया जायेगा।

नारियल जटा उद्योग एक सर्वाधिक उपेक्षित स्वदेशी उद्यम है, जिसमें वास्तव में समाज का कमजोर बुनकर वर्ग कठिन परिश्रम करके जीवन यापन करते हैं। नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों की दशा, काजू उद्योग के श्रमिकों की दशा, हथकरघा बुनकरों की दशा, अन्य पारम्परिक उद्योगों की दशा पूर्णतः इन उद्योगों पर निर्भर है। सरकार को इस पारम्परिक उद्योग के संरक्षण का गम्भीर प्रयास करना चाहिए।

पांच लाख परिवार नारियल जटा उद्योग पर आश्रित हैं। तीस लाख लोग इस उद्योग से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें 100 दिन से अधिक रोजगार नहीं मिल पाता।

नारियल जटा उद्योग के पास उपर्युक्त प्रचुर क्षमता है। यह महसूस किया गया है कि इस उद्योग के संरक्षण के लिए समय पर कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है। यह महसूस किया गया था कि समस्या के समाधान के लिए समय पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। समय की मांग है कि मूल कच्चे माल का पूर्ण दोहन किया जाये। यह प्राय: श्रम प्रधान उद्योग है। कई वर्षों से इसके उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्ष 1988-89 में इसका उत्पादन 14,25,500 हैक्टेयर में होता था। अब वर्ष 1992-93 में इस क्षेत्र में वृद्धि होकर 16 लाख हैक्टेयर में इसका उत्पाद हुआ। काजू का वार्षिक उत्पादन 8,541 मिलियन से बढ़कर लगभग 10,000 मिलियन हो गया है। नारियल जटा बोर्ड के अनुसार सन् 2000 तक यह 12,685 मिलियन हो जायेगी। नारियल जटा उद्योग की भूसी में प्रतिवर्ष वार्षिक तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसने केवल 30 प्रतिशत भूसी का उपयोग किया है। यह दुर्भाय की बात है क्योंकि डिफाइबरिंग मशीनों के लिए मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण, ये मशीनें बेकार पड़ी हैं। फाइबर निकालने, कताई और निर्माण जैसी इन सभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भूसी कूड़े में फैंकी जाती है। यह दुर्भाग्य की बात है।

मैं माननीय मंत्री से आन्ध्र प्रदेश के नारियल बहुल क्षेत्रों में, विशेषरूप से नारियल की पैदावर वाले कोनासीमा और अमालपुरम क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। वहां बड़ा क्षेत्र नारियल उत्पादक है। मैं माननीय मंत्री से एक बार पुन: आग्रह करता हूं कि नारियल उत्पादक क्षेत्रों में सहकारी समितियां स्थापित की जायें। आन्ध्र प्रदेश में, इचापुरम में एक बड़ा तटवर्ती क्षेत्र है। वहां नारियल की काफी भूसी कूड़े में फैंकी जाती है।

मंत्री महोदय ने राज्य सभा में केरल में नारियल जटा विकास परियोजनाओं के लिए 44.24 करोड़ रुपये की घोषणा की है। मुझे आशा है कि वह आन्ध्र प्रदेश में ऐसी ही परियोजना की घोषणा करने पर विचार करेंगे क्योंकि कृषि आधारित उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है और एक इंच फाइबर बर्वाद किए बिना ही नारियल उद्योग का उपयोग कृषि आधारित उद्योग में किया जा सकता है।

अब समय आ गया है कि इस प्रयोजनार्थ यार्न और फाइबर की गुणवत्ता में सुधार लाया जाये। हमें इस उद्योग का मशीनीकरण करना चाहिये क्योंकि मानव निर्मित उत्पाद अति परिष्कृत फाइबर का उत्पादन कर रहे अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें मशीनीकरण करना चाहिये। इससे फाइबर की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी तथा हम बेहतर फाइबर प्राप्त कर सकते हैं।

इस समय फाइबर को भिगोया जाता है और इसके फलस्वरूप फाइबर खराब और भूरा हो जाता है। यह श्रीलंका के फाइबर की तरह सुनहरा नहीं होता है। इसकी कीमत श्रीलंका के फाइबर के बराबर ही होती है। इसी कारण हमारे निर्यात में कमी आई है। अत: मेरा माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाये और निर्यात बढ़ाया जाये। इसका आधुनिकीकरण किया जाये।

अन्त में, कहना चाहता हूं कि नारियल जटा उत्पादों का निर्यात प्राय: सभी यूरोपीय देशों को किया जाये। केरल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश से अधिकतम उत्पादों का निर्यात अफ्रीकी, यूरोपीय और अन्य एशियाई देशों को होता है। इस समय हम लगभग 57 देशों को निर्यात कर रहे हैं। किन्तु अब हमारे निर्यात कम हुए हैं।

1960 में हमने 75,000 टन फाइबर का निर्यात किया जो 1961 में घटकर 25,000 टन रह गया तथा 1986 में यह निर्यात और भी कम होकर 23,214 टन रह गया। इसलिए फाइबर भी गुणवत्ता में परिष्कृत कृत्रिम फाइबर का प्रयोग करके सुधार किया जाना चाहिए ताकि हमारे निर्यात में और वृद्धि हो। इसके लिए यह संशोधन विधेयक काफी नहीं है और जूट उद्योग में सुधार करने के लिए एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) :- मैं, श्री अरूणाचलय द्वारा पुर:स्थापित नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। नारियल जटा उद्योग हमारे देश के पारम्परिक और देशी उद्योगों में से एक है। यह क्षेत्र पूरी तरह अपेक्षित है और इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति शोचनीय है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें इन श्रमिकों को समुचित राहत नहीं दे रही हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने नारियल जटा अद्योग की अर्थक्षम बनाने के लिए समुचित संख्या में परियोजनाएं तैयार नहीं की हैं।

इस उद्योग के समग्र विकास की निगरानी करने वाली एजेन्सी नारियल जटा बोर्ड है। नारियल जटा बोर्ड के पास अत्यधिक सम्भावनाओं वाले इस पारम्परिक उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई समुचित योजना नहीं है। जैसाकि निर्यात के सन्दर्भ में श्री दत्तात्रेय बन्डारू ने संकेत दिया है कि वर्ष इस क्षेत्र में हमारा कार्य निष्पादन हर वर्ष गिर रहा है इसके लिए हमें नारियल जटा बोर्ड को सुदृढ़ करना होगा, नारियल जटा बोर्ड में एक अनुसंधान और विकास खण्ड भी है। लेकिन समुचित अनुसंधान और विकास कार्य नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि विकास गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें धनराशी नहीं दी जाती है।

पहले इस क्षेत्र में मशीनीकरण का सख्त विरोध हुआ था क्योंकि नारियल जटा उद्योग में हजारों गरीब लोग कार्यरत हैं। लेकिन अब श्रमिकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। अव श्रमिक भी कुछ क्षेत्रों में मशीनीकरण की माँग कर रहे हैं। अत: स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को नारियल जटा बोर्ड को आर्थिक वितीय सहायता देनी चाहिए ताकि वे अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सुदृढ़ बना सकें और इस क्षेत्र में और मशीनीकरण किया जा सके।

श्री दत्तात्रेय बन्डारू ने श्री लंका के बारे में ठीक ही कहा है कि हम श्री लंका द्वारा उत्पादित यार्न और अन्य उत्पादों का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा इस क्षेत्र में कम मशीनीकरण होने के कारण और भूसे से निर्मित कृत्रिम फाइबर बिलकुल भी प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होने के कारण है। इसलिए हम अपने पारम्परिक बाजारों को भी खो रहे हैं। अत: गुणवत्ता में सुधार लाया जाना चाहिए और हमें और बाजार तलाशने चाहिए ताकि इस संबंध में अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

भारत से नारियल जटा यार्न खरीदने वाले देशों में क्या हो रहा है। इसे यूरोप और अन्य देशों में भेजा जाता है और वहाँ परिष्कृत उत्पाद तैयार किए जाते हैं वास्तव में यह अपने देश में भी किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से कच्चा माल अन्य देशों में ले जाया जाता है और दो देश इससे परिष्कृत उत्पाद तैयार करते हैं। वे स्थिति का लाभ उठा रहे हैं।

पहले सिन्थेटिक यार्न को नारियल जटा का विकल्प माना जाता था। परन्तु अब काफी विचार विमर्श और अनुसंधान के बाद सच्चाई सामने आई है। नारियल जटा सिन्थेटिक यार्न का विकल्प नहीं है क्योंकि मारियल जटा

पानी को सोख लेती है। हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारी भी ऊनी कालीनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन नारियल जटाओं से निर्मित कालीन सस्ते, टिकाऊ और पानी को भी सोखने वाले हैं। मेरा सुझाव है कि यदि सरकार सभी सरकारी विभागों और अधिकारियों को ऊनी कालीनों के बजाय नारियल जटा से निर्मित सस्ते कालीनों का प्रयोग करने के लिए आदेश जारी करे तो यह नारियल जटा उद्योग के लिए बहुत सहायक होगा। दुर्भाग्य से यह उद्योग पूर्णरूप से उपेक्षित है और श्रमिक भारी कष्ट में है क्योंकि उनको उपयुक्त परिश्रमिक नही मिल रहा है।

इन भारी श्रम करने वाले श्रमिकों के लिए कोई कल्याण योजनाएं नहीं हैं। वास्तव में वे पूर्णरूप से उपेक्षित हैं। नारियल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से, केरल, तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में हम भूसे जैसा कच्चामाल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह भूसा बरवाद हो रहा है। यह राष्ट्रीय बरवादी है। बड़े क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि इस भूसे को उचित ढंग से सरँक्षित किया जा रहा है। और यदि हम इस भूसे को उचित ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और इससे फाईवर बना सकते हैं तब हम अपने निर्यात में भी बृद्धि कर सकते हैं। हम इसकी विभिन्न किस्मों को भी बना सकते हैं और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य से नारियल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में इस भूसे को प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है। हम इसका उचित ढंग से प्रसंस्करण नहीं कर रहे हैं हम अपने देश में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत का उपयोग नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस भूसे को एकत्र करने और प्रसंस्कृत करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। फाईबर को सहकारी समितियों और अन्य एजेन्सियों को दिया जाना चाहिए ताकि वे दससे नए उत्पाद बना सकें।

मूल्य निर्धारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। मूल्य निर्धारण नारियल जटा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है। इस मामले में, श्रम संघटक को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि इस उद्योग में लगे श्रमिक, जैसाकि श्री दत्तात्रेय बन्डारू ने बताया, गरीब लोग हैं। इस उद्योग में लगे इन श्रमिकों को लाभप्रद वेतन मिलना चाहिए। उनको समुचित वेतन नहीं मिल रहा है। अन्य विद्यमान पारम्परिक और देशी उद्योगों की तुलना में नारियल जटा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को लाभप्रद वेतन नहीं मिल रहा है। अत: मूल्य निर्धारण के समय सरकार को श्रम संघटक को ध्यान में रखना चाहिए सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण के समय नारियल जटा उद्योग के सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है, मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सरकार को मूल्यनिर्धारण के समय श्रम संगठन को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण के समय नारियल जटा उद्योग के सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकार को मूल्य निर्धारण के समय श्रम संघ तक को ध्यान में रखना चाहिए। ताकि नारियल जटा अद्योग में कार्यरत श्रमिकों को लाभप्रद वेतन मिल सके। यह अति महत्वपूर्ण है.

एक विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। मंत्री महोदय ने राज्य सभा में उल्लेख किया है कि एक विशेष परियोजना के लिए नारियल जटा उद्योग के माध्यम से 46 करोड़ रुपये दिए गए थे। नारियल जटा उद्योग इस योजना को केरल में कार्यान्वित कर रहा है। सरकार को इस क्षेत्र को अधिक महत्व देना चाहिए। सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे हम अपने निर्यात में सुधार कर सकें और नए बाजार प्राप्त कर सकें जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो और श्रमिकों को भी लाभ मिले।

नारियल जटा बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता है। मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। परन्तु नारियल जटा बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता है। और नारियल जटा बोर्ड को सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता है। नारियल जटा बोर्ड को केवल बड़े निर्यातों का ही ध्यान रखना चाहिए जो इस क्षेत्र में एकाधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि अपने नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों का भी ध्यान रखना चाहिए नारियल जटा बोर्ड को इस उद्योग में कार्यरत छोटे श्रमिकों को यह महसूस कराना चाहिए कि उनकी समस्याओं को हल किया जा रहा है परन्तु नारियल जटा बोर्ड आजकल केवल बड़े नियंत्रकों पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहा है। जो इस उद्योग पर एकाधिकार जमाने का प्रयास करता है। बोर्ड को अतिलघु और लघु इकाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। उसे सरकारी समितियों की भी सहायता करनी चाहिए उसे इस क्षेत्र में कार्यरत गरीब श्रमिकों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं इस बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

मैं समझता हू। कि मंत्री महोदय सभा को स्पष्ट आश्वासन देंगे कि सरकार अब बिना विलम्ब किए नारियल जटा उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक विधेयक लायगी और इस उद्योग में कार्यरत गरीब श्रमिकों के लाभ के लिए और परियोजनाए शुरू करेगी।

[अनुवाद]

श्री जी॰ एम॰ सी॰ बालयोगी (अमालापुरम) माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल के बाद आन्ध्र प्रदेश देश का सबसे अधिक नारियल उत्पादक राज्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश, या तो राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा नारियल उत्पादन में लगे श्रमिकों को किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। आन्ध्र प्रदेश में नारियल और नारियल जटा बोर्ड नारियल के किसानों तथा इनके श्रमिकों से काफी दूर है क्योंकि समूची फसल तटवर्तीय क्षेत्र में उपजाई जाती है जबकि ये कार्यालय राज्य मुख्यालय हैदराबाद में हवाई अड्डे के निकट स्थित है। मैं इस विचार से अवगत कराना चाहता हूं कि इन कार्यालयों द्वारा किसानों को या इनके श्रमिकों को कोई सहायता नहीं प्रदान की जाती है। अतएव, मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि इन बोर्डों को स्थानान्तरित करके तुरंत तटवर्तीय क्षेत्रों में ले जाना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश 2000 करोड़ रु॰ से अधिक का नारियल प्रतिवर्ष निर्यात कर रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, अमालापुरम से लगभग 1000 करोड़ रुपये के नारियल का प्रतिवर्ष निर्यात किया जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कई लाख श्रमिक नारियल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे पेड़ों से नारियल तोड़ते हैं, इसके बाहरी जुटों को अलग करते हैं तथा अन्य संबंधित कार्य करते हैं। पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ते तथा उन्हें नीचे उतारने वाले ये श्रमिक कभी-कभी पेड़ से गिरकर मर जाते हैं।

अभी तक दुर्घटना बीमा योजना इन श्रमिकों के लिए लागू नहीं की गई है जबकि ताड़ी उतारने और बेचने वाले श्रमिक इस बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं। यह सरकार ने ताड़ी उतारने वाले व्यक्ति जो पेड़ पर चढ़ते हुए गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं उनके लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरूआत करके बहुत अच्छा कार्य किया है। नारियल श्रमिकों के लाभ के लिए इसी प्रकार की योजना की शुरूआत करने का पूरा औचित्य है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूँगा कि भारत नारियल की खेती तथा इसके उत्पादन के क्षेत्र

में तीसरे स्थान पर आता है। 1.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर नारियल का खेती होती है तथा कुल उत्पादन 11.3 हजार मिलियन नारियल है। हमारा देश विश्व में कुल नारियल उत्पादन का 17.3 प्रतिशत उत्पादन होता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश नारियल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं आन्ध्र प्रदेश में नारियल उत्पादन 65 हजार हेक्टेयर भूमि पर होता है। नारियल क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक सरकार से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि दुर्घटना बीमा योजना द्वारा उन्हें सहायता दी जाय विशेषरूप से उन्हें जो पेड़ पर चढ़ते वक्त गिरकर घायल हो जाते हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो जाती है। हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस महत्वपूर्ण मसले पर भली प्रकार से जांच करें तथा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएँ। महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन किसान कई तरह की समस्याओं तथा विशेष रूप से मूल्य-निर्धारण की समस्या से जूझ रहे हैं। कभी-कभी मूल्य को बढ़ाकर 4000/रु० प्रतिहजार नारियल कर दिया जाता है और कभी-कभी यह घटकर 1500 रु० से 2000 रु०/ प्रतिहजार तय किया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि नारियल के किसानों के लिए समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वे नारियल के किसानों तथा श्रमिकों की भलाई के लिए नया विधेयक लाएँ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जी, प्रस्तुत विधेयक एक बहुत ही सामान्य विधेयक है। इसमें यह संशोधन किया जाना है कि बोर्ड के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के समय को छह मास की अवधि से एक वर्ष किया जाना है। इस बारे में मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। इस उद्योग का प्रमुख स्थान केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक है। यह हमारा स्वदेशी उद्योग है जिसमें लाखों लोग अलग-अलग स्थानों पर लगे हुए हैं जो अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। बोर्ड ने यह कहा है कि इस बिल की बजाय काम्प्रीहेन्सिव बिल लाना चाहिए। माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे और बोर्ड ने जैसा कहा है ता उस तरह का विधेयक लायेंगे। इस उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं अनको जो, पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वह ठीक तरह से नहीं मिल पाता है।

इस उद्योग में नयी-नयी तकनीक लाकर इसको अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अभी तक यह प्रभावी नहीं बन पाया है, क्योंकि उनके पास न तो आर्थिक साधन हैं और न इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए इस उद्योग में लगे उन तमाम लोगों को पूरा पारिश्रमिक नहीं मिल पाता और इसी वजह से इसके निर्यात में भी निरंतर गिरावट आ रही है। इसके बारे सरकार को सोचना चाहिए। हमारा पहले 40 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष इससे निर्यात होता था, अब उसमें गिरावट आ रही है। इसके क्या कारण हैं, यह भी सरकार देखे। क्या हमारे उद्योग में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सहायता होनी चाहिए या जिस प्रकार की तकनीक होनी चाहिए और जिस प्रकार की मांग विदेशों से आ रही है क्या उसके अनुकूल हम माल नहीं बना पा रहे हैं, इन सारी चीजों पर भी विचार करना चाहिए। सरकार इस उद्योग को पनपाये जिससे इसमें लगे लोगों की आजीविका चलती रहे और यह उद्योग भी प्रगति करे। क्योंकि इससे हमारी पहचान विदेशों में भी होती है। फ्रांस, यूरोपीयन देश, अफरीकन देशों में हमारा माल जाता

है, हमारा अधिक निर्यात हो ओर जो गरीब तबका इसमें लगा है, उसको अधिक संख्या में इसमें लगायें और अच्छा पारिश्रमिक दें इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी को इन सारी बातों के लिए एक पूरा बिल लाना चाहिए और इस उद्योग में लगे लोगों को वे संरक्षण दें तथा निर्यात में जो बाधा आ रही है, गिरावट आ रही है उसको दूर करने का प्रयत्न करें।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज): सभापति महोदय, यह अद्योग गांवों से सम्बन्धित है। खासकर गरीब लोग इस उद्योग में ज्यादा लगे हुए हैं। यह बिल 1953 में बना उस वक्त लगा कि यह देश के निर्यात में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इस ठद्योग से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश के गरीब मजदूर लोग गांव में रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, आशा थी कि इससे उनको कुछ सहयोग मिलेगा। कई वर्षों में इसमें अच्छी प्रगति हुई, लेकिन अभी कुछ समय से इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। जैसा पांडेयजी ने कहा कि एक लाइन का यह संशोधन बिल है। इसका मतलब केवल 6 महीने के बदले 1 वर्ष करना है। यह होना चाहिए। लेकिन आम राय है कि इसमें नयी तकनीक जरूरी है। हमारे यहां कोकोनेट और कॉपर का रा-मेटिरियल काफी उपलब्ध है। लेकिन हमारे पास नई तकनीक और औजार नहीं हैं जिससे अम कच्चे माल का सही उपयोग कर सकें। इसलिए हमें विदेशों पर इसके लिए निर्भर करना पड़ता है। इस वजह से मजदूरों को उचित परिश्रमिक नहीं मिल पाता है। वे उदास और हताश होकर इस उद्योग से भागने को मजबूर हो रहे हैं। उनके लिए जीवन बीमा और अच्छी तनख्वाह का कोई प्रबनध नहीं हैं। इस वजह से इसके निर्यात में भी गिरावट आ रही है। मैं सरकार से चाहूंगा कि यह एक अच्छा उद्योग है, जो दक्षिण और पूर्ववर्ती सीमा के गरीब लोगों को रोजगार देता है। अगर इसका विकास होगा तो करोड़ों लोगों तो हम इसमें नियोजित कर सकते हैं। आज देश में बेकारी सबसे बड़ी समस्या है। हम इसके द्वारा बेकारों को नियोजित कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को पास तो करें, लेकिन मूल बात यह है कि आप मजदूरों के लिए क्या करने जा रहे हैं? मैं यह नहीं चाहता कि मालिकों को लाभ न मिले, लेकिन मजदूरों की तरफ आप अधिक ध्यान दें। गरीब लोग और उनके बच्चे इसके पेड़ों पर चढ़कर बहुत कष्ट झेलते हैं, वह काफी दुखदाई होता है।

इसमें मजदूरों के लिए कोई विशेष प्रवधान करना चाहिए और जो मजदूर इस उद्योग से निकलते जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिऐ कोई विशेष मास्टर प्लान बनाकर मजदूरों की रुचि जागृत करनी चाहिये। इसके अलावा यह देश का उद्योग होना चाहिये और उसमें रिसर्च होनी चाहिये कि रा-मैटीरियल कीमती चीज़ है, वहां उद्योग लगाना चाहिए और इसको बढ़ावा दिया जाये ताकि देश के लिए उत्पादनशील साबित हो सके इससे निर्यात में बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसमें निरन्तर गिरावट आ रही है। निर्यात से हमें अर्थिक लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. अरूणाचलम: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को परिचर्चा में भाग लेने तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने हेतु धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि आप नारियल जटा बोर्ड के सदस्य होने के नाते जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण पारंपरिक उद्योगों में एक है, जो देश के पूर्व और पश्चिम तटों पर फैला हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह उद्योग आपके राज्य में केन्द्रित था और अब यह फैलकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम तक फैल गया है।

अधिकतर माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों में भी उन्होने इस उद्योग पर व्यापक कानून बनाए जाने की मांग की है। महोदय, नारियल जटा बोर्ड के सदस्य होने के नाते आप इससे परिचित होंगे कि नारियल जटा बोर्ड ने कानून में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा है। हम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों की सरकार से उनके विचार ले रहे हैं। हम उनके विचारों कि प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें इन राज्य सरकारों के तत्सम्बंधी विचारों का पता लगेगा हम इस उद्योग के ऊपर व्यापक कानून बनाने का काम शुरू करेंगे।

निर्यात के सम्बंध में, जैसा कि आप जानते हैं, कि हम विश्व के लगभग 60 देशों को निर्यात कर रहे हैं। नारियल जटा का निर्यात प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा 1991-92 में कुल 74.11 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया था। 1992-93 में यह बढ़कर 95.95 करोड़ रुपये हो गया। 1993-94 में हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ गए और हमने 127 करोड़ रुपये का निर्यात किया। अतएव उस उद्योग में गिरावट या पिछड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जहाँ तक कल्याणकारी योजनाओं का प्रश्न है, केरल सरकार ने एक कल्याणकारी कोष बनाया है। भारत सरकार इसमें अपना अंशदान दे रही है। गत वर्ष हमने 25 लाख रुपये अधिक कल्याण कोष में दिया था। इस वर्ष भी, अब तक हमने 60 लाख रुपये उस कोषे के लिए जारी किया।

जहाँ तक अनुसंधान और विकास का प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर के दो अनुसंधान संस्थान हैं इसमें से एक अलेप्पी में है तथा एक बंगलौर में है। दोनों अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं। अब तक उन्होंने सेट करने के समय को कम करने, रंगाई के खर्च में कमी करने तथा बचे हुए जटा अंश को जैवीय स्वाद में बदलने की तकनीक का विकास किया है। इस प्रकार अनुसंधान और विकास केन्द्र काफी अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला और दूसरे लोगों ने कई अन्य मुद्दे उठाए हैं। उन्होने जटा अंश के बारे में उल्लेख किया है।

जैसा कि आप जानते हैं कि नारियल जटा अंश का निपटारा पर्यावरण की एक समस्या है। नारियल जटा उद्योग का अनुसंधान व विकास प्रभाग इसके बचे हुए भाग के उपयोग हेतु इसे जैवीय खाद में बदलने की दिशा में कुछ कार्य कर रहा है। अतएव, इस दिशा में कुछ नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रमेश चेन्नित्तला: नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों को कारगर बनाने की दिशा में क्या किया जा रहा है ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय वहां पर उद्योग मंत्री थे, वे वहां की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं।

श्री एम॰ अरूणाचलम: वर्तमान में नारियल जटा बोर्ड में कोई समस्या नहीं है। यदि यहां पर कुछ है, तो कृपया इसे मेरे ध्यान में लाएँ। हम उस समस्या का समाधान करेंगें कोई समस्या ही नहीं है।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

[हिंदी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अंजमेर) मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कॅयर उद्योग के अन्तर्गत क्या यह सत्य है कि सरकार कॅयर से बनने वाली चीजों के लिए विदेश में प्रचार हेतु 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती है। यदि हां तो क्या अभी भी यही चल रहा है? दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि नई आर्थिक नीति आ रही है और लिवरलाइजेशन हो रहा है तो कॅयर से हल्के रेटिंग और फाइवर एक्सट्रेक्सन स्पिनिंग मैनुफेक्चरिंग और फिर डी फाइवरिंग के लिए क्या टेक्नालाजी को इसमें लाया जायेगा क्योंकि 44 करोड़ रुपये का 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है, तो कैसे खर्च किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एम अरुणाचलम: महोदय, हाल में हमने पॉली कॉयर बनाने की तकनीक का विकास किया है तथा ऑटोमेटिक कॉयर स्पिनिंग मशीन के क्षेत्र में प्रगति की है। यह अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में हमारी विकास की सीमा है। हम इस क्षेत्र में किसी भी रूप में पिछड़ नहीं रहे हैं,

श्री जी॰ एस॰ सी॰ बालयोगी (अमलापुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, नारियल के श्रमिकों का बीमा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: यह इस विधेयक के अंतर्गत नहीं आता। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

अब, प्रश्न यह है:

"कि कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड दो विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[illegible] विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-1 संक्षि[illegible]र्षक

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"1993" के स्थान पर "1994" प्रतिस्थापित किया जाये (2)

(श्री एम॰ अरूणाचलम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, -

"चवालिसवां" के स्थान पर "पैतालिसवां" प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

(श्री एम॰ अरूणाचलम)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री एम॰ अरूणाचलम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

6.44 म॰प॰

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय:- हमारे पास कुछ और समय बचा है। वास्तव में इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया गया है, लेकिन हमने अभी तक केवल 40 मिनट का समय लिया है। अत: यदि सभा की सहमति

हो तो हम मद सं० 21 के अन्तर्गत इस विधेयक पर विचार कर सकते हैं। वस्तुतः इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है।

कतिपय माननीय सदस्य: जी हाँ।

सभापति महोदय:- मंत्री महोदय अब विधेयक प्रस्तुत करें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा):- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

यह विधेयक राज्य सभा में 9.5.1994 को पुरःस्थापित किया गया था और इस पर विचार करके 11.5.1994 को इसे पारित किया गया। यह एक साधारण विधेयक है। मैं सभा से इसे पारित करने का अनुरोध करती हूं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मैं अनुरोध करती हूं कि इसे पारित किया जाये।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में विचार किया जाये।"

सम्पूर्ण सभा आपके स्पष्टीकरण से संतुष्ट है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर):- इस बिल में बहुत सामान्य बात है, कोई चर्चा करने योग्य प्रावधान नहीं किया गया है, कोई ऐसा प्वाइंट नहीं है जिस पर लम्बी चौड़ी बहस की आवश्यकता हो। यदि सबकी सहमति हो और आपकी अनुमति हो तो उस बिल को बिना चर्चा के ही पास किया जा सकता है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा यथपारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:-

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़े गये।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"खंड एक अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड एक, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।

कुमारी शैलजा : मैं प्रस्ताव करती हूं

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदयः- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

[हिन्दी]

डा॰ जी॰ एल॰ कनौजिया (खीरी): सभापति जी, सदन में जो बिल प्रस्तुत किया गया है, वह गौहाटी के संबंध में है। पहले से ही हमारे यहां पांच आई॰ आई॰ टी॰ कानपुर, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और खड़गपुर में मौजूद हैं।

.....(व्यवधान).....

मैं ज्यादा न कहते हुए गौहाटी से संबंधित जो बिल सदन में लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे पास किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः- विधेयक का यह तृतीय पाठन है। मैंने सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है।

श्री गोपीनाथ गजपति (बहरामपुर): मैं इस सम्मानित सभा के साथ साथ अपने उत्साही माननीय मंत्री को ध्यान इस महत्वपूर्ण तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की आवश्यकता की और दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा नीति बनाते समय इस पहनू को ध्यान में रखा जाये। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी):- मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी शिक्षा संबंधी कोई भी संस्थान नहीं है। वास्तव में हमारे यहां तेलशोधक कारखाने, तेल अन्वेषण केन्द्रों सहित अनेक प्रौद्योगिकीय केन्द्र हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहां कोई उपयुक्त तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। स्थानीय लोगों की अनेक शिकायतें हैं कि वे लोग तकनीकी नौकरियों में नही हैं। मुझे आशा है कि स्थापित किए जा रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों को दाखिले में किसी प्रकार की प्राथमिकता दी जायेगी। यह कदम उठाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं।

सभापति महोदयः क्या माननीय मंत्री डा॰ जी॰ एल॰ कनौजिया द्वारा की गई टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया करना चाहते हैं ?

कुमारी शैलजाः मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक का स्वागत करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदय: अन्य सभी खंड स्वीकार कर लिऐ गये हैं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्री मुकुल वासनिक यह पता करने के लिऐ गये हैं कि क्या करना है हाउस आगे कब बैठेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभापति को मंत्री महोदय की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मेरे विचार से अब हमें सभा स्थगित करनी चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री श्री पवन सिंह घाटोवार: सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे इस विधेयक पर विचार विमर्श शुरू किया जा सकता है।

सभापति महोदय: जी नहीं, अब हम यह नहीं कर सकते हैं। .....(व्यवधान).....

सभापति महोदय: मैं सभा की भावना समझता हूं। यह सभा सोमवार, 13 जून, 1994 को 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

6.52 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 13 जून, 1994, 23 ज्येष्ठ, 1916 (शक) को प्रातः ग्यारह बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित हुई।